खण्ड-341, अंक-1
बुधवार, 23 ज्येष्ठ, शक संवत् 1901
(13 जून, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 341 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

तहसील हड़िया, इलाहाबाद के प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों को वेतन न मिलने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना 70

देवरिया जिले के गुरबलिया ग्राम में अग्निकांड एवं उसके लिये सहायता की मांग को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना 70

बस्ती में उर्वरक एवं धान के बीजों के अभाव से किसानों में असंतोष को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना 71

गोरखपुर विश्वविद्यालय में कापियों में नम्बर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न 72

बस्ती जिले में श्री जसबीर सिंह नामक सरदार के सर एवं दाढ़ी के बालों के काटे जाने की घटना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग 74

गोपालपुर फार्म, मिर्जापुर में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 में दी गई सूचना पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी की मांग .. 75

विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी को पुलिस द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग 76

गोपालपुर फार्म, मिर्जापुर में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में शासन से जानकारी की मांग 76

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न 77

नियम 301 की सूचनाओं की ग्राह्यता पर आपत्ति 77

लोक आयुक्त की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न 81

विद्युत् मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय 84

राजकीय तथा अराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त स्थानों पर वैकल्पिक अध्यापकों को वरीयता दिये जाने सम्बन्धी याचिका (उपस्थिति) 85

श्री आर0 डी0 मिश्र पुलिस इन्सपेक्टर द्वारा मौलाना हबीबुल हसन, सआदतगंज लखनऊ के घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में वक्तव्य 85

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें 86

उत्तरी भारत नहर और जल विकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 (पारित) 87

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1979 (सदन के पटल पर रखा गया) 90

उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ (संशोधन) विधयक, 1979 (सदन के पटल पर रखा गया) .. 90

पंचवर्षीय योजना 1978–83 तथा वार्षिक योजना 1979–80 के प्रारूप पर चर्चा (जारी) 90

कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 128

पंचवर्षीय योजना 1978-83 तथा वार्षिक योजना 1979-80 के प्रारूप पर चर्चा (जारी) 126

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 128

सारनाथ (वाराणसी) संग्रहालय की पुरातत्व महत्व की सम्पत्ति गायब होने के विषय में अग्रेतर वक्तव्य 128

हसनगंज, लखनऊ में पुलिस एवं होमगार्ड के जवानों द्वारा एक हरिजन परिवार को लूटने की घटना के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .. 133

नत्थियां 137

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 13 जून, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 1 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

9154

उपस्थित सदस्य--- 345

अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरुप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री

छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देव राम, श्री
धर्मंगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्ह लाल कुरील, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रभु दयाल यादव, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
प्रेमवती, श्रीमती
फजलुलबारी श्री (उर्फ बब्बे भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बरफिया लाल जुबांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसंत, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबूलाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज", श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री

बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
रामकृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री

राम प्यारे, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुस्ताक अहमद खां, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सुर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुकम सिंह परिहार, श्री
हेमराज, श्री

नोट:--हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

बुधवार, 13 जून, 1979

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बिक्री-कर अधिकारी--विशेष परीक्षा में उत्तीर्ण हरिजन एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति में विलम्ब

*1--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री छेदा सिंह चौहान (जिला लखनऊ)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में सितम्बर, 1978 में बिक्रीकर अधिकारियों की नियुक्ति हेतु विशेष परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने के बाद सामान्य योग्यता में आये हुए करीब 48 अभ्यर्थियों की नियुक्ति उक्त पद पर जनवरी सन् 1979 में एक तिथि पर कर दी गई, किन्तु उक्त पद पर उत्तीर्ण घोषित हरिजन और पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति एक साथ न करके धीरे-धीरे की जा रही है, परिणामस्वरूप मई सन् 1979 तक उक्त वर्ग के कई अभ्यर्थियों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं, तो वास्तविक तथ्य क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

बिक्री-कर अधिकारियों की नियुक्ति हेतु विशेष परीक्षा का परीक्षाफल सितम्बर, 1978 में घोषित होने के उपरान्त 46 अभ्यर्थियों, जिनकी स्वास्थ्य परीक्षा तथा चरित्र एवं पूर्व-वृत्त सत्यापन की कार्यवाही पूरी हो गयी, की नियुक्ति उक्त पद पर 1 जनवरी, 1979 के आदेश द्वारा कर दी गयी । शेष अभ्यर्थियों की जिनमें सभी वर्ग के अभ्यर्थी थे, नियुक्ति जैसे-जैसे उक्त कार्यवाही पूरी होती गयी, की गयी । यह सही नहीं है कि हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति धीरे धीरे की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के 29 अभ्यर्थियों में से 24 के नियुक्ति आदेश जारी हो गये हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

पहली जनवरी, 1979 को जिन 46 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश प्रसारित हुये उनमें हरिजन और पिछड़ी जातियों के कितने लोग हैं ?

श्री मधुकर दिघे--

उसमें पिछड़ी जाति के 10 हैं, अनुसूचित जाति के 11 हैं और अनुसूचित जनजाति के 1 हैं । (व्यवधान) दो अनुसूचित जाति के और हुए....

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

अभी मूल उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि 29 में से 23 के आदेश जारी हो गये है और मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया कि पहली जनवरी को ही जो आदेश जारी हुआ उसमें करीब 22 के आदेश जारी हो गये तो यह विरोधाभास क्यों है दोनों उत्तर में ?

श्री मधुकर दिघ--

एक जनवरी से जो भी नियुक्तियां हुई हैं, जिन जिनका सत्यापन होता गया है, उनकी नियुक्ति होती गयी ह, उन सभी के बारे में मैंने बताया था कि 46 में से 29 पदों पर इनकी नियुक्तियां होनी है और 29 में से 24 हो चुकी हैं । शेष का भी जैसे-जैसे सत्यापन होता जायेगा उनकी नियुक्ति होती जायगी, चयन तो उनका हो ही गया है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 24 पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के आदेश जारी हो गये हैं ? वह कब हुए हैं और जो 5 रह गये हैं उनमें अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कितने अभ्यर्थी हैं ?

श्री मधुकर दिघे—

यह तो मान्यवर, मैंने पहले ही बताया है । जो लोक सेवा आयोग द्वारा 29 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और पिछड़ी जाति के जो उनमें से 24 अभ्यर्थी हो गये हैं, 5 उन्हीं में से बाकी हैं ।

श्री फजलुल बारी (जिला गोंडा)—

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित । क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न करने के बाद यह आदेश जारी किये गये हों ? क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि किस अधिकारी द्वारा ऐसी हरकत की गयी थी कि उनको रोके रहा ? क्या माननीय मंत्री जी इस पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री मधुकर दिघे—

इसमें कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। लोक सेवा आयोग द्वारा जिन-जिन लोगों को आदेश होते हैं, उनकी डाक्टरी और चरित्र की रिपोर्ट मंगवाई जाती हैं । शुरू में जो 10 पिछड़ी जाति का और 10 अनुसूचित जाति का और 1 पिछड़ी जाति का और हुआ है । लोक सेवा आयोग द्वारा जो चुने गये हैं, उनके चरित्र का सत्यापन हो जायगा, तो उनकी भी नियुक्ति हो जायगी ।

सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार निवारण हेतु गठित त्वरित जांच दल

**2—श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच), श्री राजेन्द कुमार गुप्त (जिला सीतापुर), श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर), श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अभी हाल में सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार निवारण हेतु कोई त्वरित जांच दल गठित किया है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है तथा किस स्तर के कौन-कौन अधिकारी शामिल किये गये हैं ? उसकी कार्य प्रणाली क्या होगी तथा उनकी विवेचना, आख्या सत्यापित कौन करेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

जी हां ।

तीन दल गठित किये गये हैं । प्रत्येक दल में एक अधीक्षण अभियंता तथा एक अभारी सहायक अभियंता अधिशासी अभियंता है । ये दल निर्माण कार्यों के विषय में शासन द्वारा तथा मुख्य अभियंता से प्राप्त शिकायतों की प्रारम्भिक जांच करके वांछित रिपोर्ट मुख्य अभियंता को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्धारित अवधि मे उपलब्ध करायेंगे ।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, सिंचाई विभाग में आधे दर्जन तो इनके मुख्य अभियंता हैं और दर्जनों इनके अतिरिक्त मुख्य अभियंता हैं और कई जगह संयुक्त मुख्य अभियंता हैं, अधिशासी अभियंता सैकड़ों हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर अधीक्षण अभियंता के खिलाफ कोई शिकायत हुई तो क्या इग्जीक्यूटिव इंजीनियर जांच कर पायेगा ? जांच तो छोटे अधिकारी के खिलाफ बड़ा अधिकारी करे तब तो जांच हो सकती है, अगर चीफ इंजीनियर के खिलाफ शिकायत है, तो उसकी जांच कौन करेगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, यह तो निश्चित है कि जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत होती है, उसकी जांच उससे बड़ा ही अधिकारी करता है । श्रीमन, वैसे इग्जीक्युटिव इंजीनियर तक के ही लोग इस कार्य को देखते हैं, इसलिये अधीक्षण अभियंत के तीन दल बनाये थे, लेकिन जहां पर अधीक्षण अभियंता की शिकायत है, वहां पर हमने एडिशनल चीफ को जांच के लिये भेजा है । श्रीमन्, मैंने यह नियम रखा है कि उस सर्किल से हटकर दूसरे सर्किल के अधिकारी से जांच कराई जाय, अगर एक ही रैंक के दोनों अधिकारी हैं । चीफ इंजीनियर की शिकायत आती है, तो इस पर कोई प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, या तो अन्य विभाग के अधिकारी से जांच कराई जायगी या सचिवालय के किसी अधिकारी से जांच कराई जायगी ।

श्री बाबूलाल वर्मा—

मान्यवर मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप वहां के जन प्रतिनिधि, विधायक शिकायतकर्ता को भी जांच मे शामिल करेंगे तथा किसी इक्सपर्ट को जो उस चीज को जानता हो और वहां पर यदि निर्माण कार्य हुआ हो, तो उससे संबंधित टेक्निकल अधिकारी जो हो, उसको भी उस जांच में शामिल करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

यह सम्भव नहीं होता लेकिन जो शिकायतकर्ता है, यह प्रक्रिया अपनायी जा रही है कि उनको खबर दी जाती है । तो वे स्वयं उपस्थित हो सकते हैं या किसी व्यक्ति को जांच के समय भेज सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में उल्लेख किया है, तो उन दलों का गठन कब किया गया और दूसरे, प्रारम्भिक जांच उनके द्वारा की जायेगी तो मुख्य जांच का अधिकार किसको दिया गया है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

31 मई, 1979 में इस दल को गठित किया गया है । वह अपनी जांच कर रहे हैं । प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी में प्राइमाफेसी में केस बन रहा हो तो जांच अधिकारी सम्पूर्ण इन्क्वायरी करेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

माननीय मंत्री जी का विभाग ईमानदार अधिकारियों का विभाग है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो दल गठित किया गया है और उनमें जो अधीक्षण अभियंता, प्रभारी सहायक आदि शामिल हैं, इनमें ऐसे कितने लोग है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे ? क्योंकि कुछ लोग मीसा में भी बन्द थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री राम आसरे वर्मा—

दूसरे के भ्रष्टाचार की जांच करने जायेंगे····

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, नहीं, आप की बात सुनकर, स्वीकार नहीं की । अब आपको बैठ जाना चाहिये ।

श्री राम आसरे वर्मा—

अस्वीकार करने का कोई आधार भी होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आधार तो हम तय करेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

जो दल गठित किया गया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन लोगों की भी जांच पुनः करायेंगे जो प्रकारान्तर में किन्हीं कारणों से बहाल कर दिये गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न स्पष्ट कर दीजिये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

गोरखपुर जिले में 2 अधीक्षण अभियंता, एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पिछले मंत्रियों ने निलम्बित किये हैं लेकिन येन-केन प्रकारेण इस विशेष मामले में जिसका संबंध करोड़ों रुपये के गबन से है, जांच करायेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय सदस्य ऐसी कोई सूचना देंगे तो निश्चित जांच करायेंगे ।

एक सदस्य—

अधीक्षण अभियंता के खिलाफ अगर शिकायत है तो जांच की प्रक्रिया क्या होगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

उनकी जांच किसी उच्चाधिकारी द्वारा करायी जायेगी। चीफ इंजीनियर के मामले में ऐसा है कि किसी दूसरे विभाग से सम्पर्क करना होगा ।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

क्षेत्रीय विधायकों को अपने क्षेत्र के इस तरह की जांच की रिपोर्ट देने का अधिकार देने जा रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

इसमें अधिकार कैसा ? शिकायत आप भेज सकते हैं । यह तो अधिकार है ही । हमेशा है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विभाग के छोटे कर्मचारियों के संबंध में सैकड़ों शिकायतें चली आ रही हैं और उनकी प्रिलिमिनरी जांच भी नहीं हुई है तो जो यह दल बनाया जा रहा है, क्या आगे आने वाली शिकायतों के संबंध में है अथवा पुरानी शिकायतों, जिनका निर्णय नहीं हुआ है, को भी शामिल किया जायेगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, मैं पूर्व में ही कह चुका हूं । इस विभाग के अन्दर मिट्टी का कार्य सबसे ज्यादा तादाद में होता है । अगर तुरन्त ही जांच न हुई और एक बरसात हो गई तो उसकी जांच संभव नहीं हो पाती । कई शिकायतें थीं, नाले की खुदाई में शिकायतें थीं ।

इसलिये एसा किया गया कि कवल यही दल नहीं है जो जांच करेगा जो मुख्यालय के अधिकारी हैं उनको भी मार्क किया है कि वह जांच कर लें । कई अधिकारी हैं जिनको मैंने कहा है कि वह जांच करें, वह कर रहे हैं केवल वही एक दल नहीं है ।

श्री सोहनबीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)---

मान्यवर, मंत्री ने जो दल गठित करने की बात कही है । इससे पहले जो प्रक्रिया थी वह यह थी कि जिन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत होती थी वह विजलेंस में जाते थे । अभी तक विजलस में जाते थे जब शिकायत होती थी, पी० डब्लू० डी० हो या इरीगेशन हो। जूनियर इंजीनियर क खिलाफभ्रष्टाचार हो या सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर के । अगर जूनियर इंजीनियर के खिलाफ भ्रष्टाचार होगा तो अधिशासी अभियन्ता या अधीक्षण अभियंता जांच करेंगे । वह भी भ्रष्टाचार में शामिल हो सकते हैं । अगर उसी विभाग के दल का गठन करेंगे। इस विभाग की हालत यह है कि भ्रष्टाचार ऊपर से है । क्या वह अधिकारी जो भ्रष्टाचार में शामिल है, वह इसमें नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न इसमें सम्मिलित नहीं ह ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)---

माननीय मंत्री जी क उत्तर से संबंधित । मान्यवर, उन्होंने जो दल गठित किया है । उस दिन जो मीटिंग हुई थी पूर्वान्चल की, तो बहुत से मेम्बरों ने लाखों रुपये के घपले की बात कही थी तो क्या उस मामले की उस दल द्वारा जांच करायेंगे ? अगर करायेंगे, तो कैसे ?

श्री राजेन्द्र सिंह---

वह जांच एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता के सुपुर्द की गयी है ।

अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति में पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व

**3---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मई, 79 में अवर अभियंताओं की पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के आरक्षण संबंधी सिद्धांत का अनुपालन किया गया ? यदि हां, तो पिछड़ी जातियों से संबंधित किन-किन उम्मीदवारों की पदोन्नति की गई ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)---

जी हां, चयन के समय आरक्षण संबंधी सिद्धांत का पालन किया गया है ।

यद्यपि अभी कोई भी पदोन्नति नहीं हुई है फिर भी पिछड़ी जातियों से संबंधित निम्नलिखित अभ्यर्थियों क सहायक अभियंता सिविल पद पर पदोन्नति के लिये चयन किया गया:---

सर्वश्री---

1---संकटा प्रसाद वर्मा,
2---देव प्रयाग यादव,
3---जसवन्त सिंह गोयल,
4---रसिक बिहारी सिंह,
5---शिव राज सिंह वर्मा

6—राम प्यारे गिरी
7—अखलाक अहमद अंसारी
8—जवाहर लाल
9—युद्ध वीर सिंह ।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 17-1-78 को 12 पदोन्नतियों की सूची बनी थी और अब 9 को पदोन्नत किया गया । इस प्रकार 21 लोगों को पदोन्नत किया गया । इससे जो 15 प्रतिशत का कोटा है वह पूरा नहीं हुआ । यह बठा जाकर 13.2 प्रतिशत, 1.8 प्रतिशत का जो कोटा बाकी है, जिसे पूरा करना है, उसे कब तक पूरा कर देंगे ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

माननीय, जो 12-1-78 की बात बता रहे हैं, उसकी तो जानकारी मुझे नहीं है लेकिन इन व्यक्तियों की जानकारी मुझको है जिन व्यक्तियों का कोटा पूरा किया गया है। 76 आदमियों की पदोन्नति की गयी है । 11.4 प्रतिशत का कोटा पूरा किया गया है । 11 आदमियों की पदोन्नति की बात है । 9 आदमी हो पाये । चरित्र पंजिक वगैरह के कारण अभी आदेश नहीं हो पाये हैं, उनको जल्दी पूरा कर दिया जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस बात को बताया कि 11.4 प्रतिशत का कोटा पूरा हुआ और कुछ अभी बाकी है । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखेंगे कि वरीयता सूची के अनुसार जो अवर अभियंता आयेंगे उनको इस बाकी कोटे में लिया जायेगा । यदि हां, तो इनका कोटा कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

माननीय, जैसा कि मैंने अपने प्रश्न में कहा कि इनकी पदोन्नति नहीं हुयी है चयन किया गया है । जब यह पता लगा कि कोटा पूरा नहीं है तो मैंने कह दिया कि पहले कोटा पूरा कर दिया जाय तब पदोन्नति की जाय ।

श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)—

माननीय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मई, 79 में अवर अभियंताओं की जो पदोन्नति हुयी है उसमें अनुसूचित जाति के कितने लोगों की पदोन्नति हुयी है और कोटा पूरा हुआ है कि नहीं ?

श्री त्रिलोक चन्द्र —

माननीय, यह जो अनुसूचित जाति का कोटा है, 14 आदमियों की पदोन्नति की गयी है और एक अनुसूचित जनजाति का आ गया है, एक आदमी जूनियर इंजीनियर (टेक्निकल) संगणक हो गया है तो इस तरह से 16 आदमियों की पदोन्नति जूनियर इंजीनियर्स में की गयी है इनका कोटा पूरा हुआ है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, जो पहले चयन हुआ था उसमें शिड्यूल्ड कास्ट कोटा नहीं पूरा किया गया है तो उसके हिसाब से 10 सीटें कैरो फारवर्ड हुयीं । इनको मैं शीघ्र भरवा रहा हूं ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाम के समक्ष सिंह लगाकर भ्रम पैदा करते हैं। तो मान्यवर, क्या ऐसी व्यवस्था की जायगी कि जो जिस जाति का है वही लिखे जिससे कोटे को भरने में दिक्कत या भ्रम पैदा न हो ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी इजाजत नहीं है।

श्री फजलुलबारी—

मान्यवर, मुझे एक बहुत अहम सवाल इस सिलसिले में करना था।

श्री हरी राम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, 13-1-78 से पदोन्नति का आदेश लागू किया गया है। तो 13-1-78 से आज तक जितनी भी पदोन्नतियां की गयी हैं उसमें क्या पिछड़ी जातियों को कोटा पूरा कर देंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब मंत्री जी दे चुके हैं।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मेरा सवाल रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप ऐसा ही सवाल पूछेंगे।

श्री शम्भू नाथ (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि आरक्षण के संबंध में सिद्धांत का अनुपालन किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो मई में पदोन्नति की गयी क्या अनुसूचित जाति के लिये सेपरेट लिस्ट बनायी गयी थी और ब्रोशर में जो दिया गया है उसका अनुपालन किया गया है ? इसको देखते हुए कितने सेपरट लिस्ट में पदोन्नति के काबिल पाये गये थे। जैसा आपने कहा कि कैरी फारवर्ड जो पिछड़ा लग रहा है उसके सिद्धांत का अनुपालन किया गया ? अगर नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया और ऐसा न कर पाने वाले कर्मचारी के खिलाफ आप कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, जहां तक सिद्धांत के पालन का सवाल है सिद्धांत का पालन किया गया है। जहां तक कैरी फारवड वाली बात थी तो 10 आदमियों का चयन होना था। यह किसी की गलती से नहीं हुआ और न कमी बरती गयी। जैसे पता लगा कि 10 आदमी रह गये हैं तो लिस्ट को रोक दिया। चरित्र पंजिका वगैरह आ जायगी तभी पदोन्नति की जायगी।

मान्यवर, इसमें किसी के दोष का सवाल नहीं है जो उसको दंड दिया जाय।

श्री शम्भू नाथ—

मान्यवर, मैंने पूछा है कि सिद्धांत का पालन हो रहा है कि नहीं और शिड्यूल कास्ट की सेपरेट लिस्ट बनी है कि नहीं ?

श्री त्रिलोक चन्द—

मान्यवर, सेपरेट लिस्ट बनी है और जो नियम है शिड्यूल कास्ट की पदोन्नति के लिये हैं उनका पालन किया गया है । इसके अलावा और कोई वह जानकारी चाहते हैं तो उसको मैं बाद में दे दूंगा ।

कानपुर तथा चमोली जिले की भंग जिला परिषद् सलाहकार समितियों का पुनर्गठन

**4—श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर तथा चमोली जिले में जिला परिषद् सलाहकार समितियों को भंग कर दिया गया है ? यदि हां तो क्यों तथा उनका पुनर्गठन कब तक कर दिया जायगा ?

पंचायत राज मंत्री (जमुना प्रसाद)—

कानपुर तथा चमोली जिले में जिला परिषद् सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया जा चुका है ।

मान्यवर, जो समिति गठित की गयी थी उसमें स्थानीय विधायकों ने आपत्ति किया था इसलिये यह ठीक नहीं समझा गया कि किसी को ड्राप कर दिया जाय । अतः उसको भंग करके नई समिति बना दी गयी ह । समिति के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं:—

1—श्री कुंवर सिंह नेगी, एडवोकेट, अध्यक्ष जिला जनता पार्टी, चमोली ।
2—श्री गंगाधर मैठाणी; भूतपूर्व विधायक वि0 क्षेत्र ऊखीमठ, चमोली ।
3—श्री देवी सिंह चौधरी, वि0 क्षे0 पोखरी, चमोली ।
4—श्री धनानन्द सती, ग्राम, कंडारा वि0 क्षे0 अगस्तमुनी, चमोली ।
5—कैप्टिन अवतार सिंह वि0 क्षे0 पोखरी चमोली ।
6—श्री पूर्ण सिंह नेगी, नारायण बगड़ वि0 क्षे0, चमोली ।
7—श्री महेशानन्द नैनवाल, कर्णप्रयाग, चमोली ।
8—श्री कुंदी लाल मास्टर, हरिजन गोचर, चमोली ।
9—श्रीमती गोबिन्द प्रसाद नौटियाल, नन्द प्रयाग, चमोली ।
10—श्री फजल हुसैन सिमली, चमोली ।
11—श्री देवराम नौटियाल, कर्णप्रयाग, चमोली ।
12—श्री कुलानन्द सती वि0 क्षे0 जोशीमठ, चमोली ।
13—श्री राम प्रसाद बहुगुणा, वि0 क्षे0 जोशीमठ, चमोली ।
14—श्री कलम सिंह पाल, भोटिया जनजाति, वि0 क्षे0 जोशीमठ, चमोली ।
15—श्री धनन्जय भट्ट, संपादक, उत्तराखंड ओवजरवर, गोपेश्वर, चमोली ।

श्री आचार्य धर्म दत्त वैद्य (जिला बरेली)—

मान्यवर, जिला परिषद् सलाहकार समितियों का कुछ कार्यकाल निश्चित होता है, आपने जो पहले समिति बनायी थी उसका कुछ कार्यकाल होगा केवल शिकायत करने से इस प्रकार की गठित समितियां भंग नहीं होती हैं, इसलिये मंत्री जी बतायें कि किस कारण वह भंग किया, कब भंग किया, पुनर्गठन कब किया और उसमें क्या स्थानीय विधायकों से कोई परामर्श लिया है कि नहीं ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, शासन को परा अधिकार है कि समिति भंग कर सकता है और उसका पुनर्गठन भी कर सकता है । विधायकों की राय तब भी ली गयी थी और अब भी ली गयी है ।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान—

मान्यवर, मुझसे कोई राय नहीं ली गयी है। मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, उस जिले के विधायक श्री पुष्पवान हैं और वह कह रहे हैं कि मुझसे कोई राय नहीं ली गयी, तो मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी कह रहे हैं कि राय ली गयी थी, तो वह राय क्या है ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, श्री पुष्पवान का 10-7-78 का पत्र है जिसमें उन्होंने 7 नाम प्रस्तावित किये हैं । जो 7 नाम प्रस्तावित किये हैं, उनमें से जो नाम इस कमेटी में रखे गये हैं उनमें हैं— श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री देवी सिंह चौधरी, श्री कुदी लाल मास्टर, श्री राम प्रसाद बहुगुणा और श्री गगांधर मैठाणी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, श्री पुष्पवान जी का कहना है कि ये नाम वह हैं जो पहले दिये थे । यह कमेटी तो भंग हो गयी । जब पुनर्गठन हुआ कमेटी का तो कौन से नाम दिये हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, जो प्रश्न था, उसका उत्तर तो दे दिया ।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो कमेटी गठित की तब मुझसे नहीं पूछा। ये जो नाम बता रहे हैं, ये तो 1978 के नाम हैं। पुरानी समिति तो भंग हो गयी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो नयी समिति बनी है, उसमें कौन से नाम दिये हैं ? यह तो सरासर सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो नयी समिति गठित हुई है, इसमें क्या माननीय पुष्पवान जी ने नाम दिये हैं ? उसके बारे में जानकारी हो, तो कृपया बता दें ।

श्री जमुना प्रसाद —

मान्यवर, पुष्पवान जी ने जो नाम दिये थे, उसको बता तो दिया ।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान—

मान्यवर, मेरी रक्षा करें । यदि आप मेरे अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे, तो कौन करेगा ? आपने मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा । जो बता रहे हैं, यह पहले की कमेटी है । अगर मुझसे पूछा जाना चाहिये था तो मुझसे क्यों नहीं पूछा गया ? मंत्री जी आज नाम पूछें तो नाम दे सकता हूं । मान्यवर, मैंने अभी तक कोई नाम नहीं दिये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यदि आप उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो नियमों के अन्तर्गत जिस प्रकार से बा सकते हैं, आवें ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश के कृषि महाविद्यालयों को कृषि अनुसंधान परिषद् से मान्यता दिलाने की मांग

*1—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के समस्त कृषि महाविद्यालयों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से मान्यता नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार समस्त महाविद्यालयों (कृषि) को उक्त मान्यता दिलाने की क्या व्यवस्था कर रही है ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)—

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित, सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों में कोई पूर्णतः कृषि महाविद्यालय नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठते।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मान्यवर, मंत्रीजी ने तो दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। वे नहीं चाहते कि उत्तर दें। प्रश्न मेरा स्पष्ट है। मैंने जानना चाहा था कि कृषि महाविद्यालय कितने हैं, तो उन्होंने कहा कि पूर्णतयः नहीं हैं यानी अंशतः हैं। अंशतः मानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने महाविद्यालय हैं जहां कृषि संकाय की पढ़ाई होती है। पढ़ाई होती है तो कृषि अनुसंधान परिषद् से मान्यता न मिलने का क्या कारण है ? मान्यवर, कृषि अनुसंधान परिषद् से मान्यता न मिलने से जो लाखों रुपये का अनुदान मिलना चाहिये था, वह नहीं मिल पाया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया प्रश्न करें।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने महाविद्यालय हैं जहां कृषि संकाय में पढ़ाई होती है ? यदि पढ़ाई होती है तो किन कारणों से कृषि अनुसंधान परिषद् से मान्यता नहीं दी गयी ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो अपने प्रश्न में लिखा है, उसको, मान्यवर, जरा पढ़ लें—'क्या शिक्षा मंत्रीजी कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के समस्त कृषि महाविद्यालयों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से मान्यता नहीं मिली है ? तो मान्यवर, हमारे यहां कृषि महाविद्यालय है नहीं। एक विषय पढ़ाया जाता है। यदि उस तरह से प्रश्न होता तो उसका उत्तर देता। मान्यवर इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा है कि कुल कितने महाविद्यालय हैं जहां कृषि संकाय में पढ़ाई होती है।

मंत्री जी यह भी बता दें कि किन कारणों से कृषि अनुसंधान परिषद् ने उत्तर प्रदेश के कृषि महाविद्यालयों को मान्यता नहीं दी ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, कृषि महाविद्यालय हमारे यहां नहीं हैं। जो महाविद्यालय हैं उसमें कृषि विषय पढ़ाया जाता है और कालेज की ओर से उसके लिए आवेदन-पत्र आता है। जिन-जिन के ऐसे आवेदन-पत्र होते हैं, कुलाधिपति के माध्यम से उनको संस्तुत कर देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब किसी विद्यालय विशेष के बारें में आप अलग से प्रश्न करें तो वे बता सकेगें।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कहना है कि विश्व विद्यालय स्तर की कृषि शिक्षा सामान्य शिक्षा से पूर्णतः अलग होनी चाहिये, इस कारण कृषि अध्यापन करने वाले बहु संकाय कालेजों को कृषि अनुसंधान परिषद ने मान्यता नहीं दी है?

श्री शिवानन्द नौंटियाल —

यह तो प्रश्न नहीं उठता, फिर इसके लिये जानकारी की आवश्यकता है।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

आर0 बी0 एस0 कालेज, आगरा, उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश में कृषि की स्नातकोत्तर शिक्षा प्रारम्भ करने वाला सबसे पहला विद्यालय है। मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कृषि मंत्री जी से मिलकर इस बात पर विचार करें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् इनको भी मान्यता दे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसके बारे में अलग से प्रश्न करें।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बाबा राघवदास पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, देवरिया, जहां कृषि की पढ़ाई होती है, उसको कृषि अनुसंधान परिषद् से मान्यता दिलाने के लिए वे कृषि अनुसंधान परिषद् को संस्तुत करेंगे?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, इस प्रकार की कई सूचनाएं हैं, इतना याद रखना संभव नहीं है। माननीय सदस्य इसका अलग से प्रश्न कर लें, मैं उसका उत्तर दे दूंगा।

केन कैनाल डिवीजन, बांदा के उपखण्ड–2 अतर्रा के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

*2—श्री देवकुमार (जिला बांदा)—

क्या यह सही है कि केन कैनाल डिवीजन बांदा के उपखंड 2 अतर्रा के अन्तर्गत काम करने वाले पतरोलों, अमीनों, जूनियर इंजीनियरों, जिलेदारों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का अप्रैल, 1979 माह का वेतन दिनांक 12 मई, 1979 तक भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां। उपखंड के कर्मचारियों का वेतन भुगतान साधारणतया: माह की 10 तारीख तक किया जाता है क्योंकि वे मुख्यालय पर नहीं होते। पाई गयी आपत्तियों के समाधान में

विलम्ब के कारण अप्रैल माह के वेतन के भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट 10-5-79 तक ही उपखण्ड को प्राप्त हो सका और दिनांक 11, 12 व 13 मई को अवकाश होने के कारण 12-5-79 तक भुगतान नहीं किया जा सका। यह विलम्ब उपखंडीय लिपिक की विभिन्नता के कारण हुआ जिनका स्थानान्तरण अतर्रा से बांदा करके भविष्य में अधिक सावधानी से कार्य करने हेतु सचेत कर दिया गया है।

श्री देव कुमार--

मान्यवर, मेरी सूचना यह है कि इस उपखंड के एस0 डी0 ओ0 और अधिशासी अभियन्ता हर महीने अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन देने में तंग करते हैं और उनसे कुछ कमींशन ली जाती है तब उनको हर महीने अदायगी की जाती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस महीने की तनख्वाह किस तारीख से वितरित की गई ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, शायद 15 तारीख को इस महीने तनख्वाह डिस्ट्रीब्यूट हुई। 11-12 को छुट्टी थी।

श्री देव कुमार--

मान्यवर, विलम्ब के उत्तरदायी लिपिक को तो वैसे ही शिकार बनाया जा रहा है अपनी गर्दन बचाने के लिये। वहां के एस0 डी0 ओ0 और अधिशासी अभियन्ता उसके उत्तरदायी हैं जो बैंक ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं और तंग करते हैं। इसमें मंत्री जी को जो सूचना मिली है, वह गलत है। क्या मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मानकर बिलम्ब के उत्तरदायी सही अधिकारी एस0डी0ओ0 और अधिशासी अभियन्ता के बिरुद्ध जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री राजेन्द्र सिंह --

श्रीमन्, इसकी जांच करा लूंगा।

बांदा व हमीरपुर जनपद के प्राथमिक शिक्षकों को बकाया वेतन का भुगतान

*3--श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित), श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा) तथा श्री रमेश चन्द्र (जिला बांदा)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा व हमीरपुर जनपद के करीब 4000 प्राथमिक शिक्षकों को माह मार्च व अप्रैल, सन् 1979 का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त अवधि का वेतन कब तक उन्हें दे दिया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)--

जनपद बांदा व हमीरपुर के प्राथमिक शिक्षकों के माह मार्च व अप्रैल, 1979 का वेतन भुगतान किया जा चुका है।

आगरा रिग्स डिवीजन के अधिशासी अभियन्ता श्री बी0 एस0 राय के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*4--श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा रिग्स डिवीजन के अधिशासी अभियन्ता श्री बी0 एस0 राय के विरुद्ध 2 करोड़ 2 लाख रुपये के घोटाले की शिकायत

6 अप्रैल, 1979 को श्री ओम प्रकाश वर्मा, ग्राम भैया (इगलास) की मिली है ? क्या यह भी सही है कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता रिग्स (नलकूप) द्वारा मौके पर जांच पर पाइप, बजरी आदि की शिकायतें सत्य पाई गयीं ? शिकायतें क्या-क्या हैं और श्री राय के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं दर्ज करायी गई ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था। शिकायतों की जांच अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (नलकूप) द्वारा की गयी। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता के विचाराधीन है। मुख्य शिकायतें निम्नलिखित है :--

(1) ट्रकों के रिपेयर में एक लाख रुपये का गबन व गोलमाल।
(2) ट्रगर ट्रैक्टर नं0 1 पर 9986.18 रु0 का गोलमाल।
(3) एल0 टी0 रिंग नं0 8 पर 14,000 रु0 का गबन।
(4) खराब बजरी लेना, जिससे कुंए जल्दी खराब होंगे।
(5) जी0 डी0 एयर कम्प्रेसर पर 73,000 रु0 का गोलमाल।
(6) ज्वाय एयर कम्प्रेसर पर 53,000 रु0 का गबन।
(7) बजरी का एग्रीमेन्ट का स्लाट बांटने के एग्रीमेन्ट में गड़बड़ी कर सरकार को नुकसान पहुंचाना।
(8) मथुरा के बाढ़ कार्य में एक लाख रुपये का गोलमाल।

जांच रिपोर्ट पर शासन द्वारा विचारोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

मान्यवर, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया। मेरा सवाल यह था कि क्या यह सही है कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता रिग्स (नलकूप) द्वारा मौके पर जांच पर पाइप, बजरी आदि की शिकायतें सत्य पाई गई। मेरा अनुरोध है कि अप्रैल, मई में जब इन शिकायतों की जांच हुई तो क्या वे सत्य पाई गई ? इसका उतर मुझे नहीं मिला। इसका उतर दिलवाने की कृपा करें ताकि मैं पूरक प्रश्न कर सकूं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, मैंने कहा कि जांच हो चुकी है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने जांच कर ली है और उसकी रिपोर्ट उन्होंने मुख्य अभियन्ता को भेज दी है। श्रीमन, परीक्षण में कुछ समय तो लगता ही है। परीक्षण करने के बाद मुख्य अभियन्ता शासन को रिपोर्ट भेजेंगे तब शासन उसको देखेगा और तभी कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि फलां फलां जगह में इतना गोल माल हुआ। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस जगह पर इन्क्वायरी करा रहे हैं वहां उसी जगह के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता से करा रहे हैं या किसी और से करा रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

उसी क्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता हैं।

श्री मुकीमुर्रहमान--

अगर उसी क्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जांच कर रहे हैं तो श्रीमन्, जांच में तथ्य आ ही नहीं सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने जो प्रश्न किया था उसका जवाब आ चुका है।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गबन की जिस धनराशि का उन्होंने उल्लेख किया है, वह कितने दिनों से चल रहा था और किन वर्षों में कितने रुपये की गबन की सूचना उनके पास प्राप्त हुई है ?

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे दें कि कितने दिनों से गबन चल रहा था।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, यह शिकायत मेरे पास करीब चौथे महीने में आई। 20/4 को मैंने मार्क किया है।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

मैं यह चाहता हूं कि 6 अप्रैल, 1979 को आप को शिकायत मिली तो इतनी बड़ी धनराशि का जो गबन हुआ वह पिछले कितने दिनों से होता आया है और कौन-कौन उसके लिए उत्तरदायी हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, इसमें आरोप है, उदाहरण दिये हैं जो शिकायत कर्ता है उसने। जांच के बाद ही यह पता लगेगा कि ये आरोप ठीक हैं या नहीं है। मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि यह कह सकूं क्या सही पाया गया, क्या गलत पाया।

श्री हुकमचन्द्र तिवारी--

इस अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध 2 करोड़ 22 लाख का घोटाला था। उसकी शिकायत के आधार पर मुख्य अभियन्ता ने जांच आरम्भ की और जांच प्रारम्भ करने पर उनको 37 लाख का घोटाला मिला। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब प्राइमा फेसाई केस मेड आउट हो गया, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध, तो अभी तक उनको निलम्बित क्यों नहीं किया गया ? दूसरे, एक बार जांच के दौरान उनको ट्रांसफर करने के बाद स्थानान्तरण रोका क्यों गया और फिर दूबारा स्थानान्तरण क्यों किया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जो धन के बारे में कहा इसके बारे में निश्चित नहीं हो सकता कि कितने का गबन निकलेगा और कितने का नहीं निकलेगा। शासन तक अभी यह बात नहीं आई है हालांकि जांच आख्या आ चुकी है। स्थानान्तरण उनका एक रुटीन वे में हुआ था। इसी बीच में प्रोमोशन लिस्ट भी विचार हेतु आ गयी जिसमें उनका नाम था। यह ध्यान में रखते हुए अगर इस शख्स का अभी ट्रांसफर कर दिया जायगा तो ई0ई0 की हैसियत में चला जायेगा और फिर उसका नाम एस0ई0 में आ जाता है तो पुनः दूसरी जगह स्थानान्तरण करना पड़ेगा। इस बीच क्योंकि रिपोर्ट आ चुकी थी इसलिये उनका ट्रांसफर कर दिया।

श्री इन्द्रपाल गुप्ता, प्रयोगशाला सहायक, हिन्दू इन्टर कालेज रुदौली, जिला बाराबंकी द्वारा सेवा समाप्त के विरोध में आमरण अनशन

*5--सर्वश्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित), अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित), सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी) तथा रामसागर (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री इन्द्र पाल गुप्ता प्रयोग शाला सहायक, हिन्दू कालेज, रुदौली, बाराबंकी ने दिनांक 23 फरवरी, 1970, 16 फरवरी, 1970

4 फरवरी, 1970, 29 मार्च, 1970, 26 मई, 1970, 4 फरवरी, 1971, 16 अप्रैल, 1974, 16 अक्तूबर, 1974 आदि को जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी के समक्ष विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा सेवा समाप्ति के विरुद्ध प्रत्यावेदन किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि श्री गुप्त इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न किये जाने के विरोध में दिनांक 8 मई, 1979 से आमरण अनशन कर रहे हैं ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

कथित प्रत्यावेदनों की प्राप्ति के सम्बन्ध में स्थिति ज्ञात की जा रही है परन्तु यह अवश्य ज्ञात हुआ कि श्री इन्द्रपाल गुप्त, भूतपूर्व प्रयोगशाला सहायक हिन्दू इन्टरमीडिएट कालेज रुदौली, बाराबंकी ने अपनी सेवा समाप्ति के विरुद्ध एक प्रतिवेदन दिनांक 23-9-74 तत्कालीन विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी के समक्ष प्रस्तुत किया था । इस प्रत्यवेदन को तत्कालीन विद्यालय निरीक्षक ने विचारोपरान्त अस्वीकार कर दिया था । श्री इन्द्रपाल गुप्त ने अपनी सेवा समाप्ति के प्रकरण को लेकर दिनांक 8-5-79 से अवैधानिक रूप से आमरण अनशन प्रारम्भ किया था, वह 22-5-79 को स्वत: समाप्त कर दिया गया।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतलायेंगे कि श्री इन्द्रपाल, गुप्त, भूतपूर्व प्रयोगशाला सहायक, हिन्दू इन्टर कालेज, रुदौली, बाराबंकी की सेवायें प्रबन्धक समिति ने समाप्त कर दी थी। प्रबन्धक समिति की अनियमितताओं के विरुद्ध सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया था, उस पत्रमें मुख्य आधार क्या थे और अगर उस पत्र में जो आरोप लगाये गये थे वे सही हैं, तो क्या सरकार प्रबन्धक समिति के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

इन्द्रपाल गुप्त प्रयोगशाला सहायक थे और 12-11-1972 को नियुक्त हुए थे । उनके स्थान पर राजित राम उपाध्याय को नियुक्त कर दिया गया । जिला विद्यालय निरीक्षक ने इन्क्वायरी की तो उनकी सेवा समाप्ति को सही पाया गया । इस पर श्री गुप्त ने पुन: प्रतिवेदन दिया जिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने पुन: इन्क्वायरी की और उनकी रिपोर्ट पर उनकी सेवा समाप्त की जा चुकी है ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि 8-5-79 से पहले श्री इन्द्रपाल गुप्त को जो प्रयोगशाला सहायक थे अपने पद से हटा दिया गया था और 8-5-79 से अनशन कर रहे थे उसके बाद भी श्री गुप्त ने विद्यालय की कैन्टीन का ठेका लिया जिस को कि पुरानी रंजिश के आधार पर प्रबन्ध समिति ने उनके कैंटीन के सामान को फिकवा दिया और नष्ट कर दिया था इस तरह की कोई घटना घटी है ? यदि हां, तो क्या प्रबन्धक के खिलाफ कोई कार्यवाही आप करेंगे ? दूसरा प्रश्न यह है कि जो पत्र उन्होंने अनशन के बाद दिया है उसका प्रमुख आधार क्या है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, उसने कैंटीन ली या नहीं यह तो प्रश्न भी नहीं था । इसके लिये सूचना की आवश्यकता है । अगर ऐसी बात होगी तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी । निश्चित सूचना माननीय सदस्य दें तो अवश्य कार्यवाही होगी ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोमेश्वर जिला अल्मोड़ा के प्रान्तीयकरण के फलस्वरूप अप्रशिक्षित अध्यापक की सेवा समाप्ति

*6—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल) तथा श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा का दिनांक 30 नवम्बर, 1978 से प्रान्तीयकरण होने के फलस्वरूप उक्त विद्यालय में 3 साल से ऊपर कार्यरत किसी अध्यापक की सेवायें बिना किसी पूर्व नोटिस के दिनांक 21 दिसम्बर, 1978 से इस अभ्युक्ति के साथ समाप्त कर दी गई कि वह अप्रशिक्षित है जब कि वह अध्यापक सेवा कालीन एल0 टी0 का आधा भाग पूरा कर चुका था और जिसे चयन समिति का अनुमोदन भी प्राप्त था तथा सी0टी0 ग्रेड में एक पद भी उक्त अध्यापक के लिए उपलब्ध था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सूचना कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, शीघ्र करा दी जायेगी । इस सम्बन्ध में एक निवेदन कर दूं कि जिस अध्यापक की चर्चा की गई है श्री महेन्द्र सिंह विष्ट, उसने ट्रेनिंग पूरी नहीं की है । मान्यवर, जब किसी विद्यालय का प्रान्तीयकरण होता है तो उसमें कुछ निश्चित योग्यतायें अध्यापकों के लिये रखी जाती हैं । प्राइवेट संस्थाओं में तो अनट्रेन्ड अध्यापक भी पढ़ाया करते हैं । लेकिन जिस अध्यापक के बारे में चर्चा की गई है उसने एक भाग एल0टी0 में पास कर लिया था दूसरे में पास नहीं था । इस तरह से उसने अधूरा प्रशिक्षण पास किया था । जब वह शेष आधा भाग का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लेंगे, तो उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है वह तो सही है किन्तु क्या वे यह भी आश्वासन देंगे कि जब वे एल0टी0 कर चुके तो उनकी क्वालिफिकेशन्स के आधार पर उन्हें एक अवसर देंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हां, निश्चित रूप से उचित अवसर उनको देंगे ।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा—

श्री महेन्द्र सिंह विष्ट जिसका जिक्र किया गया है उसको वगैर एक महीने का नोटिस दिये हटाया गया जो कि सेवा नियमों के विरुद्ध है । क्या यह सही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो वे जवाब दे चुके हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा—

उनको वगैर नोटिस के हटाया गया, क्या यह सेवा नियमों के विरुद्ध नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष--

वे सूचना एकत्र कर रहे हैं ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

किसी भी अध्यापक को नियुक्त तब करते हैं जब वह अपनी योग्यता या प्रशिक्षण पूरा कर लेता है । एक भाग में परीक्षा पास कर ली और दूसरे विषय में परीक्षा नहीं हुई तो उसकी नियुक्ति कैसे हो गयी ? जिला विद्यालय निरीक्षक ने इसकी स्वीकृति कैसे प्रदान की और कैसे उसको वेतन दिया जाता रहा ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मधुल कुमार, अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खंड 14, फैजाबाद के विरुद्ध कमीशन लेने की शिकायत की जांच

*7--श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)--

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि दिनांक 11 अगस्त, 18 सितम्बर, 15 दिसम्बर, 1978 और 8 फरवरी, 5, 12, 24 मार्च, 1979 को श्री बलिराम प्रसाद ठेकेदार रैंदोपुर आजमगढ़ ने श्री मधुलकुमार, अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड 14 फैजाबाद के विरुद्ध टांडा नहर के राज मार्ग के पुल को 67-662 किलोमीटर पर निर्माण कार्य के बिलों का भुगतान न करने और भारी कमीशन की मांग करने के बारे में सिंचाई मंत्री, मुख्य मंत्री, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई उत्तर प्रदेश और महामहिम राज्यपाल महोदय को दिये गये शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ? क्या यह भी सही है कि इस शिकायत से नाराज होकर उक्त अ0 अ0 ने निर्माण-कार्य रोक दिया ? कमीशन न पाने के कारण उपरोक्त ठेकेदार का 34,800 रु0 का मैटि-रियल जबरदस्ती दिनांक 10 अप्रैल, 1979 को उठवा लेग ये, जिसके बारे में दिनांक 11 अप्रैल, 20 अप्रैल, 1979 को ठेकेदार तथा अनेक विधायकों ने मुख्य मंत्री, सिंचाई मंत्री, मुख्य अभियन्ता सिंचाई उत्तर प्रदेश आदि को आवेदन-पत्र दिया ? यदि हां, तो किस अधिकारी ने जांच किया, क्या-क्या आरोप सही पाये गये तथा अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गयी ? उनका स्थानान्तरण अब तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 137 पर)

श्री दयाराम भास्कर--

मान्यवर, मंत्री जी बतायें कि किस तारीख को जांच के आदेश हुए और किस तारीख को जांच अधिकारी उस स्थल पर गये और किस-किस का उन्होंने बयान लिया ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, इसमें जांच हुई है लेकिन यह पता नहीं चल रहा है कि जो प्रश्नकर्ता हैं वह मौके पर थे या नहीं । लेकिन जांच करायी गई ।

श्री दयाराम भास्कर--

कब करायी गई ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

यह अधीक्षण अभियन्ता, फैजाबाद द्वारा जांच की गई और 31-5-79 को उन्होंने रिपोर्ट कार्यालय में दी ।

श्री दयाराम भास्कर—

किस तारीख को वह साइट पर गये ? मेरा कहना यह है कि निश्चित रूप से अधिशासी अभियन्ता उसके फेवर में नहीं थे और झूठी रिपोर्ट शासन को दे दी । खुद वह वहां नहीं गये और न किसी से पूछा ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आक्षेप है । आप स्पष्ट प्रश्न करिये । इसकी इजाजत मैं नहीं देता ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनके विरुद्ध जो शिकायतें थी उनको साबित करने के लिये शिकायतकर्ता को अवसर दिया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

इस समय, श्रीमन्, जांच रिपोर्ट मेरे पास नहीं है । लेकिन ऐसा है कि यह जो कंट्रेक्टर बलीराम प्रसाद है उसके सामने जांच हुई है ।

श्री दयाराम भास्कर—

जिस अधिकारी के ऊपर इतने बड़े-बड़े आरोप लगे हुए हैं और जिनके चलते जनता को काफी परेशानी है और पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है । कमीशन आदि के लालच में देश का नुकसान हो रहा है । तो उस अधिकारी को स्थानान्तरित करने के बारे में मैंने लिखा था । तो क्या आश्वासन देंगे कि उन्हें हटा कर आरोपों की जांच करायेंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

यह माननीय सदस्य जिस कंट्रेक्टर के बारे में शिकायत कर रहे हैं । इस कंट्रेक्टर को दो ठेके दिये गये जिसको पैरलल चैनल्स पर पुल बनाने थे । दोनों ही 1.80 लाख के थे । पहला 1-4-78 को दिया गया जिसे 31-12-78 को पूरा करना और दूसरा कंट्रेक्ट 1-4-78 को दिया गया जिसे 30-9-78 को पूरा करना था । यह दोनों कार्य नहीं कर पाया और इसका आरम्भ धीमा रहा । अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया । यह कहना कि उसको करने नहीं दिया गया, गलत है । मेरी सूचना के आधार पर उसको अतिरिक्त (एक्स्ट्रा) टाईम दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने सवाल किया है कि उनको हटाने पर विचार करेंगे । जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनका स्थानातरण करने के लिये माननीय सदस्य ने पूछा है ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय सदस्य मुझे लिख कर दें कि जांच में कोई गलती हुई है और जांच सही नहीं हुई है उसके लिए कुछ तथ्य देंगे तो मैं किसी अन्य अधिकारी से उसकी जांच करा लूंगा ।

श्री दयाराम भास्कर—

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जांच की जो बात कही गई है यह गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, आप इधर भी सुनें, मैंने आपको इजाजत नहीं दी ।

उन्नाव जिले के गेहूं के क्रय केन्द्रों में उत्पन्न भ्रष्टाचार के विरोध के जिला सहकारी बैंक, उन्नाव के संचालक द्वारा आमरण अनशन एवं मांग-पत्र

*8—श्री बाबूलाल वर्मा —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 20 मई, 1979 से 24 मई, 1979 के बीच उन्नाव जिले में गेहूं के क्रय केन्द्रों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में जिला सहकारी बैंक, उन्नाव के संचालक (श्री ओम नारायण अग्निहोत्री) ने बांगरमऊ स्थित जनता पार्टी कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया है ? क्या यह सही है कि श्री अग्निहोत्री ने 12 सूत्री मांग-पत्र जिला प्रशासन को प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो मांग-पत्र क्या है और गेहूं क्रय केन्द्रों पर व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री मलिखान सिंह)—

श्री ओम नारायण अग्निहोत्री ने बांगरमऊ में गेहूं खरीद संबंधी अपनी कतिपय मांगों के सम्बन्ध में दिनांक 18 मई 1979 को प्रातः 10 बजे से आमरण अनशन प्रारम्भ किया था किन्तु जिला प्रशासन की ओर से क्रय केन्द्रों पर अनियमितता न बरती जाने की कड़ी व्यवस्था का आश्वासन मिलने पर दिनांक 19 मई, 1979 को सायं साढ़े छः बजे अपना अनशन तोड़ दिया ।

श्री अग्निहोत्री ने जिला प्रशासन को 12 सूत्री मांग-पत्र नहीं, बल्कि 6 सूत्री मांग-पत्र प्रस्तुत किया था, जिसकी प्रतिलिपि संलग्नक में दी गई है ।

आवश्यक जांच के उपरान्त बांगरमऊ में भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित गेहूं क्रय केन्द्र पर अनियमितता मिलने पर केन्द्र प्रभारी (क्वालिटी इन्सपेक्टर) तथा लेखाकार का स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा हैन्डलिंग एजेन्ट के ठेके को निरस्त कर दिया गया है । साथ ही स्टाफ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु भी भारतीय खाद्य निगम से अनुरोध किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ..138.... पर)

जनपद गोंडा को सम्भावित बाढ़ से बचाने के लिये शासन द्वारा बनाई गई योजना

*9—श्री बिन्दू लाल (जिला गोण्डा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा को सम्भावित बाढ़ से बचाने के लिये सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ? क्या गत वर्ष विकास खंड पचपेड़वा व गैसड़ी,गोण्डा के गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने कोई प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही अब तक की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

गोण्डा जनपद में घाघरा एवं राप्ती नदियों के कारण समान्यतः बाढ़ आती है । घाघरा नदी से बाढ़ सुरक्षा हेतु विभागीय बांध पहले से बना है । राप्ती नदी से प्रभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को बाढ़ सुरक्षा प्रदान करने हेतु सर्वेक्षण प्रस्तावित है ।

नोट:—नियम 29(4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उपरान्त प्रश्नोत्तर-काल का समय समाप्त हो गया ।

विकास खण्ड पचपेड़वा व गैसड़ी गोण्डा के ग्रामों को बाढ़ से बचाने हेतु कोई प्रस्ताव जिला प्रशासन से इस विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर के मधुवनी ब्रांच के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध चोरी से खैर के पेड़ कटवा कर बेचने का आरोप

*1—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि गोरखपुर के मधुबनी ब्रांच नहर के चन्दागूलर भार गांव के सामने नहर की पटरी के बगल के लगभग 2 हजार खैर के पेड़ जिनकी कीमत रु0 1,60,000 होती है, मार्च अप्रैल, 1979 में सहायक अभियन्ता द्वारा चोरी से कटवा कर बेचे जा रहे थे जिनकी सूचना प्रश्नकर्ता द्वारा 8 अप्रैल, 1979 को अधिशासी अभियन्ता, मधुबनी ब्रांच को दी गयी जिन्होंने सहायक अभियन्ता को पेड़ काटने वालों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया, किन्तु ऐसा न करके सहायक अभियन्ता ने काटे गए पेड़ों को निकलवा कर जांच से बचने के लिये शिनाख्त समाप्त करना शुरू कर दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार भारी घोटाले की जांच करायेगी और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

प्रश्नकारी सदस्य से सूचना प्राप्त होने के पूर्व भी खैर के पेड़ अवैध रूप से काटे जाने की सूचना विभाग को प्राप्त हुई थी । दिनांक 23–2–1979 को सम्बन्धित थानाध्यक्ष एवं फारेस्ट रेंजर को सूचित कर दिया था कि नरायणी छितौनी बांध पर खैर की लकड़ी कुछ लोग काट रहे हैं और अनुरोध किया था कि वे इस सरकारी सम्पत्ति की देखभाल करें ।

इस मामले की जांच अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिनांक 4 जून, 1979 को कार्य-स्थल पर की गयी । जांच रिपोर्ट पर विचारोंपरान्त शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही के विषय में निर्णय लिया जायेगा ।

दिलेश्वरी इन्टर कालेज, रुधौली, जनपद बस्ती के प्रबन्धक द्वारा विद्यालय की भूमि को अपने परिवार के नाम कराने की शिकायत

*2—श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिलेश्वरी इण्टर कालेज ,रुधौली, जनपद बस्ती के प्रबन्धक द्वारा विद्यालय की संदान निधि की भूमि जो ग्राम रुधौली में थी, का हस्तान्तरण बिना उचित आदेश प्राप्त किए दौरान चकबन्दी या उसके पहले अथवा बाद में अपने परिवार के सदस्यों तथा बच्चों के नाम कर दी गयी ह और इस विषय में कई शिकायती-पत्र सन् 1978 में विभाग के उच्च अधिकारियों को दिये गये है ? यदि हां, तो अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

उक्त ग्राम में विद्यालय के नाम विभिन्न स्थलों के भू-खण्ड अब चकबन्दी के पश्चात् एक चक में हैं और उपलब्ध सूचना के अनुसार, उस विद्यालय का अधिकार है ।

किसी अन्य कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यालय रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, इलाहाबाद के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*3—श्री हुकुम चन्द्र तिवारी—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के 7वें बुधवार (10–5–78) के तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएं, इलाहाबाद में सेवारत कर्मचारियों की सेवा नियमावली कब बनी और अब तक कितने कर्मचारी स्थायी किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये सामान्य सेवा नियमावली 29–7–75 को बन चुकी है । प्रसंगत संस्था के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिये सेवा नियमावली अभी नहीं बनी । इसकी प्रारम्भिक कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है । शेष औपचारिकताएं पूर्ण नहीं हो पाई है । अब तक 46 कर्मचारी अपने मूलपदों पर स्थायी किये जा चुके हैं । 17 कर्मचारियों की ज्येष्ठता का प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण स्थायीकरण सम्भव नहीं हो सका ।

लखनऊ की प्राध्यापिकाओं को शासन द्वारा स्वीकृत सलेक्शन ग्रेड

*4—श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि नारी शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज, लखनऊ की प्राध्यापिकाओं को शासन द्वारा स्वीकृत सेलेक्शन ग्रेड अभी तक नहीं प्रदान किया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और इसके लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हां ।

प्रबन्धाधिकरण द्वारा पत्रादि अभी तक स्थानीय विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके लिये विद्यालय निरीक्षक द्वारा उन्हें स्मरण कराया गया है । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

शहीद इन्टर कालेज, मेरापुर, जिला फर्रुखाबाद द्वारा शुल्काय का राज्यांश संस्था के संयुक्त खाते में जमा किया जाना

*5—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शहीद इण्टर कालेज, मेरापुर, जिला फर्रुखाबाद ने वेतन भुगतान अधिनियम, 1971 के लागू होने की तिथि से 30 जून, 1978 तक के शुल्काय का राज्यांश संस्था के संयुक्त खाते में जमा किया है ? यदि नहीं तो उक्त अवधि में विद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन क्यों दिया गया ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह---

जी हां। 30 जून 1978 तक की शुल्काय का राज्यांश संयुक्त खाता में संक्रमित हो गया है।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

माझा कम्हरिया, तहसील टाण्डा, जिला फैजाबाद में रिंग बांध के निर्माण की मांग

*6---श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माझा कम्हरिया, तहसील टाण्डा, जिला फैजाबाद में रिंग बांध बनाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा प्रार्थनापत्र उन्हें दिनांक 29 मार्च, 1979 को दिया गया है, वह मिल चुका है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राजेन्द्र सिंह---

जी हां।

प्रार्थनापत्र में जिस रिंग बांध की मांग की गई है वह घाघरा नदी की मुख्य धारा के निकट तथा नदी के बाढ़ क्षेत्र में पड़ता है। अतः रिंग बांध बनाना प्राविधिक दृष्टि से उचित नहीं है।

नारी शिक्षा निकेतन इन्टर कालेज, लखनऊ की वर्तमान प्रधानाचार्य का प्रिंसिपल के पद पर चयन

*7---श्री राघव राम मिश्र---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नारी शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज, लखनऊ की वर्तमान प्रधानाचार्या का प्रिंसिपल के पद पर जब चयन किया गया तो प्रिंसिपल पद की अर्हताएं क्या थीं और क्या वे सभी अर्हताएं रखती थीं ? यदि नहीं, तो उनका प्रिंसिपल के पद पर चयन किस आधार पर किया गया ?

श्री कैलाश नाथ सिंह---

प्रश्नगत विद्यालय की वर्तमान प्रधानाचार्या का प्रधानाचार्या के पद पर जब चयन किया गया तो प्रधानाचार्या की अर्हतायें इन्टरमीडिएट ऐक्ट के अध्याय 2 परिशिष्ट 'क' के अनुसार निम्नवत थीं:---

(1) प्रशिक्षित एम0 ए0 अथवा एम0 एस-सी0 अथवा एम0 काम0 अथवा एम0 एस0 सी0 (कृषि) अथवा

(2) एम0एड0 अथवा बी0 एड0 एस-सी0 (लखनऊ) के साथ बी0 ए0 अथवा बी0 एस-सी0 अथवा बी0 काम विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था में कम से कम चार वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा मान्यता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की उच्चतर कक्षाओं में अथवा दोनों में मिलाकर अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त एक जूनियर हाई स्कूल में प्रशिक्षित स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम चार वर्ष का अनुभव, इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह तीस वर्ष से कम वय का नहीं है।

टिप्पणी:---कम से कम द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि तथा मान्यता प्राप्त संस्था की इंटरमीडिएट कक्षाओं में दस वर्ष का विशिष्ट शिक्षण अनुभव होने पर सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण योग्यता से छूट दी जा सकती है।

वर्तमान प्रधानाचार्या पद के लिये सभी निर्धारित अर्हतायें रखती थीं।

प्रभारी अध्यापिका, नवीन प्राइमरी स्कूल, शाहगंज, आगरा द्वारा जाली टी0सी0 तथा उनके नाम का चेक अन्य अध्यापिका द्वारा जाली हस्ताक्षर बनाकर भुगतान

*8—श्री श्यामदत्त पालीवाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रभारी अध्यापिका नवीन प्राइमरी स्कूल, शाहगंज, आगरा ने शिक्षा अधीक्षिका, नगर महापालिका आगरा को जाली टी0 सी0 देने के सम्बन्ध में दिनांक 17 जनवरी 1979 को तथा उनके नाम का चैक अन्य अध्यापिका द्वारा जाली हस्ताक्षर बनाकर भुगतान प्राप्त करने के सम्बन्ध में दिनांक 12 जनवरी 1979 को शिकायती-पत्र दिए थे जिनकी प्रतिलिपियां बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला), आगरा को अग्रसारित की गयी थी ? यदि हां, तो उन पत्रों पर सम्बन्धित अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की तथा क्या तथ्य पाए गए ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कन्या प्राइमरी पाठशाला, पटियाली दरवाजा जनपद (एटा) की श्रीमती इश्तियाक बानों, सेवा निवृत सहायक अध्यापिका का फन्ड एवं पेन्शन का भुगतान

*9—श्री मान पाल सिंह एडवोकेट (जिला एटा)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में नगरपालिका, एटा के अन्तर्गत कन्या प्राइमरी पाठशाला, पटियाली दरवाजा, एटा की श्रीमती इश्तियाक बानो, सहायक अध्यापिका 1951 में अप्रशिक्षित सहायक अध्यापिका के रूप में ही स्थायी घोषित की गयी थीं और 1975 में वह प्रशिक्षित हुईं और वर्ष 1978 में सेवा निवृत्त हो चुकी हैं और 1951 से सेवा निवृत्त होने तक उनका भविष्य निधि काटा जाता रहा किन्तु उन्हें अभी तक फण्ड तथा पेन्शन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक उनकी पेंशन तथा प्राविडेन्ट फण्ड का भुगतान किया जायेगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

श्रीमती इश्तियाक बानों ने सेवा निवृत्त होने के बाद दिनांक 6–3–79 को पेंशन के संबंध में अपना विकल्प पत्र भर कर दिया है जिसके अभाव में भविष्य निर्वाह निधि और पेंशन के भुगतान के लिये कार्यवाही संभव नहीं थी अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भविष्य निर्वाह निधि व पेंशन भुगतान की तुरन्त कार्यवाही करने का निर्देश दे दिया गया है ।

सिंचाई खण्ड, फैजाबाद के द्वितीय उपखण्ड के मुख्यालय का रूदौली बराबंकी स्थानान्तरण

*10—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई खण्ड, फैजाबाद के द्वितीय उप खण्ड का मुख्यालय दिनांक 1 अक्तूबर, 1978 से फैजाबाद से स्थानान्तरित करके रूदौली, बाराबंकी कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है जबकि उपखण्ड का सारा कार्य क्षेत्र जनपद फैजाबाद में ही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां ।

मुख्यालय का स्थानान्तरण, राजकीय कार्य की सुविधा को देखते हुए किया गया है ।

[माननीय खाद्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित 5 वें बुधवार (6-6-79) के तारांकित प्रश्न]

विकास क्षेत्र, रामनगर, जिला जौनपुर में 1978-79 में सीमेन्ट एवं खाद्य वितरण में घपला

*29—श्री राजकिशोर तिवारी (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि विकास क्षेत्र रामनगर, जिला जौनपुर में वित्तीय वर्ष 1978-79 के जुलाई और अगस्त महीने में सीमेन्ट एवं खाद्य वितरण में बहुत घपला हुआ है जिसके सम्बन्ध में श्री त्रिलोचन पांडेय ने शिकायती पत्र जिलाधीश को दिया है और जिलाधीश ने जांच करवाई है तथा जांच पड़ताल में घपला पाया गया ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मलिखान सिंह—

श्री त्रिलोचन नाथ पांडेय ने 31 अगस्त, 1978 को जिला पूर्ति अधिकारी से जिला जौनपुर के रामनगर विकास क्षेत्र में सीमेंट की परमिटें जारी करने में अनियमितताओं की शिकायत की थी। खाद्य वितरण में किसी घोटाले की शिकायत नहीं की गयी थी। जांच कराने पर विदित हुआ है कि 13 प्रार्थना पत्रों पर 163 बोरी के परमिट जारी करने में अनियमितता बरती गई है जिसके संबंध में सहायक विकास अधिकारी (कृषि) एवं मुख्य लिपिक से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं जिनके प्राप्त होने पर जिलाधिकारी अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

बलिया जनपद में सीमेन्ट वितरण लाइसेन्स पूर्ति कार्यालय के अधिकारियों द्वारा, पुराने दुकानदारों को देना

*41—श्री राम गोविन्द (जिला बलिया) तथा श्री गौरी शंकर भैया (जिला बलिया)—

क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद में सीमेंट वितरण की सरकार की नई योजना में भी पूर्ति कार्यालय के अधिकारियों ने पुराने दुकानदारों को ही वितरण का लाइसेंस दे दिया है तथा नये लोगों की उपेक्षा कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर कार्यवाही करने का कष्ट करेगी ?

श्री मलिखान सिंह—

जी हां। उत्तर प्रदेश सीमेन्ट नियंत्रण आदेश 1973 के खण्ड-3 के अन्तर्गत ऐसे व्यापारी जो 31 मार्च, 1978 को सीमेंट की बिक्री का व्यापार कर रहे थे, लाइसेंस पाने के अधिकारी थे। शासन की जन वितरण योजना के अन्तर्गत बलिया जिले की लगभग 15, 14,000 जनता के लिए 31 और शहर की लगभग 1,52,000 जनता के लिए 16 अर्थात् कुल 47 लाइसेंसी होने चाहिये जबकि इस समय 101 पुराने लाइसेंसी कार्यरत हैं।

[दिनांक 13 जून, 1979 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

ब्लाक कौड़ीराम गोरखपुर में सीमेन्ट वितरण में खंड विकास अधिकारी द्वारा अनियमितता

*1—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ब्लाक कौड़ीराम (गोरखपुर) में सीमेंट वितरण में अनियमितता की शिकायत अप्रैल, 79 के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी, गोरखपुर से की गई थी ? क्या इसकी जांच जिलाधिकारी ने तत्काल किसी मजिस्ट्रेट से कराई ? क्या जांच में मजिस्ट्रेट ने बी0 डी0 ओ0, कौड़ीराम को दोषी पाया ? यदि हां, तो उक्त बी0 डी0 ओ0 के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मलिखान सिंह—

माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य के शिकायती पत्र दिनांक 4 अप्रैल, 1979 पर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच किये जाने से यह तथ्य सामने आया कि खंड विकास अधिकारी ने सीमेंट के परमिट जारी करने में वरीयता क्रम का ध्यान नहीं रखा। उनको भविष्य में सतर्क रहने के लिये चेतावनी दे दी गयी है।

*2—श्री मित्रसेन—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*3—श्री राम आसरे वर्मा—

[7 वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*4—श्री राम सजीवन—

[7 वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*5—श्री रियासत हुसैन—

[8 वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*6—श्री राम आसरे अग्निहोत्री—

[8 वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*7—श्री उदय नारायण सिंह—

[8 वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*8—श्री सत्य पाल सिंह यादव—

[8 वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*9—श्री राम दत्त जोशी—

[7 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

वाराणसी में तथा प्रदेश के अन्य भागों में डीजल की कमी

*10—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 8 अप्रैल, 1979 से प्रदेश में खासकर वाराणसी में डीजल बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हो रहा है जिससे कृषि कार्यों एवं यातायात में बाधा उत्पन्न हो गयी है? यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी? कमी का कारण क्या है?

श्री मलिखान सिंह—

अप्रैल, 1979 से प्रदेश में डीजल की आपूर्ति व वितरण की स्थिति ठीक चल रही है। जिला वाराणसी में अप्रैल में डीजल की आपूर्ति उतनी संतोषप्रद नहीं रही जितनी फरवरी व मार्च, 1979 में थी तथापि शासन के प्रयास के फलस्वरूप कृषि कार्यों व यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। इस समय डीजल की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो रही है। कमी का कारण कम्पनी द्वारा डीजल की पूर्ति में कठिनाई थी।

*11—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों की सेवा नियमावली

*12—श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन को 6 वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमावली नहीं प्रकाशित की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? सेवा नियमावली कब तक बना दी जायगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नियन्त्रणाधीन अध्यापकों तथा कर्मचारियों की सेवा नियमावली का बनाया जाना शासन के सक्रिय रूप से विचाराधीन है। अध्यापकों की सेवा नियमावली को शीघ्र ही अन्तिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, अन्य कर्मचारियों की सेवा नियमावली के प्रकाशन में समय लगेगा।

*13—श्री अशोक बाजपेयी—

[8 वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*14—श्री लक्खी सिंह—

[8 वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल में अध्यापकों को समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त पर माध्यमिक विद्यालयों की भांति सी० टी० ग्रेड देना

*15—श्री राजकिशोर तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को भी समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धांत पर माध्यमिक विद्यालयों की भांति सी० टी० ग्रेड प्रदान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी नहीं, प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*16—श्री राज मंगल तिवारी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

*17—श्री बरफिया लाल जुवांठा 'अरविंद'—

[7 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद बाराबंकी, तहसील नवाबगंज के ग्राम बरेठी में बिना लायसेन्स के ईंट भट्ठे का संचालन

*18—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी, तहसील नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम बरेठी में इस समय ईंटों का भट्ठा लायसेंस न दिए जाने के बावजूद भी चल रहा है ? यदि हां, तो सम्बन्धित भट्ठा किसके द्वारा चलाया जा रहा है और क्या सरकार जांच कराकर उन्हें मुनासिब दण्ड देगी ?

श्री मलिखान सिंह—

ग्राम बरेठी, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी में मैसर्स बरेठी ब्रिक फील्ड, बरेठी के नाम से एक भट्ठा चल रहा है जिसके मालिक श्री सज्जाद मसरूर, निवासी देवा, बाराबंकी हैं। इनका लाइसेन्स नं0 102/एन0 है। मैसर्स बरेठी ब्रिक फील्ड, बरेठी ने वर्ष 79–80 की नवीनीकरण की फीस व निर्धारित आवेदन पत्र निर्धारित समय के अन्दर प्रस्तुत कर दिया है अतः इनके विरुद्ध दण्डात्मक कायवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

*19—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[8 वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*20—श्री बसन्त—

[8 वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*21–22—श्री श्रीनारायण—

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

*23—श्री रवीन्द्र सिंह—

[30–5–79 को तारांकित प्रश्न संख्या 36 के द्वारा उत्तरित।]

*24—श्री राम सजीवन—

[8 वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*25—श्री रियासत हुसैन—

[8 वें बुधवार के लिये स्थगित।]

1978 की अपेक्षा 1979 में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि और सामान्य नागरिक पर उसका आर्थिक भार

*26—श्री मित्र सेन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विगत वर्ष 1978 की अपेक्षा वर्तमान वर्ष 1979 में आवश्यक उपभोग वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो वह मूल्य वृद्धि औसत कितने प्रतिशत की हुई है और सामान्य नागरिक की औसत आमदनी के अनुसार उस पर कितना आर्थिक भार बढ़ा है?

श्री मलिखान सिंह—

वर्ष 1978 की अपेक्षा वर्तमान वर्ष 1979 में कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है तथा कुछ में गिरावट आयी है। घी, अरहर की दाल, वनस्पति, मांस तथा साफ्ट कोक के भावों में वृद्धि हुई है तथा गेहूं, चावल, चीनी, सरसों का तेल तथा आलू के भावों में गिरावट आयी है अन्य वस्तुयें, जिनमें वृद्धि या गिरावट हुई है, घरेलू उपभोग व्यय की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं समग्र रूप से सामान्य नागरिक के ऊपर आर्थिक भार में वृद्धि अधिक नहीं है।

आचार्य नरेन्द्र देव महापालिका महिला महाविद्यालय, कानपुर में शिक्षकों की लोक सेवा आयोग द्वारा चयन प्रथा समाप्त

*27—श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आचार्य नरेन्द्र देव महापालिका महिला महाविद्यालय, कानपुर में शिक्षकों के लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की प्रथा समाप्त कर दी गई है? यदि हां, तो किन कारणों से?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जी हां।

यह महाविद्यालय कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। अतएव अन्य महाविद्यालयों की भांति इस महाविद्यालय में भी प्रवक्ताओं की नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत करने की व्यवस्था कर दी गयी है।

*28—श्री सत्य पाल सिंह यादव—

[8 वें बुधवार के लिये स्थगित।]

प्रदेश के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में रीडरों के वेतनमान में भेद

*29—श्री राजकुमार शर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में शासनादेश द्वारा वैध तथा कुलपतियों द्वारा अनुमोदित कार्यरत रीडरों के वेतमान में भेदभाव बरता जा रहा है। क्या यह सत्य है कि बी0 एस0 एम0 कालेज, रुड़की जिला सहारनपुर के रीडर डा0 योगेन्द्र नाथ शर्मा ने दिनांक 13 अप्रैल, 1978 को कोई आवेदन पत्र इस विषय में शिक्षा मन्त्री को दिया है और प्रश्नकर्ता विधायक ने दिनांक 17 अक्तूबर, 1978 को एक पत्र इसी विषय का वित्त मन्त्री को दिया है ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जी नहीं। किन्तु इतना अवश्य है कि 1 जनवरी, 1973 के पश्चात् नियुक्त रीडर्स तथा 1 जनवरी, 1973 के पूर्व नियुक्त रीडर्स के वेतन में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन निर्धारण के फार्मूले के कारण असमानता आ गयी थी जिसे अब दूर कर दिया गया है।

इस विषय में डा0 योगेन्द्र नाथ शर्मा का प्रश्न में उल्लिखित 13 अप्रैल, 1978 का तो नहीं किन्तु डा0 शर्मा तथा बी0 एस0 एम0 कालेज, रुड़की के अन्य दो रीडर्स के हस्ताक्षर से एक पत्र नवम्बर, 1978 में प्राप्त हुआ है जिसमें निहित विषय पर विचार हो रहा है। माननीय प्रश्नकर्ता विधायक का 17 अक्तूबर, 1978 को वित्त मंत्री को दिया गया पत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। अतएव उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जनपद में लड़कियों के लिये एक हाई स्कूल भट्टी में खोलने की मांग

*30—श्री राज मंगल तिवारी (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में चार हाई-स्कूल (लड़कियों के लिए) खोलने के लिये शासन ने 1978 में स्वीकृति प्रदान कर दिया है ? यदि हां, तो क्या उनमें से एक भट्टी में खोलकर उस क्षेत्र की अनवरत मांग को सरकार स्वीकार करेगी ? यदि नहीं, तो उसमें क्या कठिनाई है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति उपर्युक्त भवन/भूमि उपलब्ध न होने के कारण विद्यालय खोलने में कठिनाई है।

*31—श्री अशोक बाजपेयी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

9154

*32–33—श्री रणवीर सिंह—
[8 वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*34—श्री राज किशोर तिवारी—
[8 वें बुधवार के लिये स्थगित।]

सहायता प्राप्त अराजकीय जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालय तथा इन्टरमीडिएट कालेजों में अध्यापक, लिपिकों तथा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिये आरक्षण

*35—श्रीमती रामरति देवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहायता प्राप्त अराजकीय जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालय तथा इण्टरमीडिएट कालेजों में अध्यापक, लिपिक तथा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का 18 प्रतिशत सीमा तक आरक्षण का आदेश शासन द्वारा निर्गत किया गया था ? यदि हां तो कब ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हां, सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु अनुसूचित जातियों को 18 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने हेतु आदेश जारी किये गये हैं। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के संबंध में यह आदेश दिनांक 19–9–1978 को तथा सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में यह आदेश 12–7–1978 को जारी किये गये हैं।

*36—श्री मैनेजर सिंह—
[8 वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*37—श्री बाबू लाल वर्मा—
[8 वें बुधवार के लिये स्थगित]

कैराना पुल के कुआं नं0 3 का धंसना

*38—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1978 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 46 के सन्दर्भ में क्या सा0 निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि क्या सरकार के कैराना पुल के कुआं नं0 3 के धंस जाने सम्बन्धी मामले की जांच के लिये कोई समिति अथवा अधिकारी नियुक्त किया था ? यदि हां तो उसकी रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सही है कि पुल की मूल परियोजना रिपोर्ट में जितने अधिकतम कटाव को रोकने का प्राविधान था, कटाव उससे कम हुआ है ? यदि हां तो कुएं के धंसने का क्या कारण पाया गया ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जी हां। शासन ने कैराना पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जांच करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति की अन्तिम रिपोर्ट अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई।

पुल की मूल परियोजना रिपोर्ट में जितने अधिकतम कटाव को रोकने का प्राविधान था, कटाव उससे कम नहीं हुआ है। कुए के धंसने का कारण उच्च स्तरीय समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही निश्चित रूप से बताना सम्भव होगा।

सिंचाई प्रखण्ड तृतीय का गठन तथा उसमें अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति

*39—श्री जगन्नाथ सिंह परमार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बांदा में केन नहर सिंचाई को विकसित करने के लिये सिंचाई प्रखण्ड तृतीय का गठन किया गया है, किन्तु अधिशासी अभियन्ता की अभी तक नियुक्ति नहीं की गयी ? यदि हां, तो इसकी उपयुक्त व्यवस्था कब तक हो सकेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी नहीं । सिंचाई खण्ड बांदा में अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति 8–5–1979 को कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बैंकों द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय तथा के0 जी0 मेडिकल कालेज की चेकों का भुगतान न किया जाना

*40—श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंकों ने लखनऊ विश्वविद्यालय तथा के0 जी0 मेडिकल कालेज द्वारा जारी की गई चेकों का भुगतान रोक दिया है जिसके कारण अध्यापकों को मार्च, महीने का वेतन भी नहीं मिल सका है तथा विश्वविद्यालय और मेडिकल कालेज में सभी कार्य ठप्प हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिये क्या कार्यवाही की हैं ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता

बहराइच जिले के सिरसिया विकास खण्ड में जलाशय एवं बांध निर्माण तथा नहर की पटरियों की पक्की मरम्मत

*41—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के सिरसिया विकास खंड में रेगुलेटर लगाकर जलशाय एवं बांध बनाने तथा नहर की पटरियों का पक्का कराने संबंधी प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता व बहराइच जिले के कई विधायकों द्वारा दिसम्बर, 1978 में या जनवरी 1979 में सिंचाई मन्त्री को भेजा हुआ, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो मांगें क्या हैं और उन पर क्या-क्या कार्यवाहीं की गई और उन मांगों को कब तक पूरा कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्री कमला प्रसाद वर्मा, विधायक का प्रार्थना पत्र दिनांक 7–12–78 प्राप्त हुआ है जिसमें निम्नलिखित मुख्य मांगे थीं।

(1) तकिया एवं पटकौली जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय ।
(2) पहाड़ी नालों पर गब्बापुर, मचकहीं एवं मोतीपुर बांध बनाये जायें ।
(3) डगमरा हथियाकुण्डा नाले पर तथा बदलपुर उ लहवा जलश्रोत पर रेगुलेटर बनाया जाय ।
(4) बनघोघवा एवं रामपुर नहरों की पटीरियों को पक्का कराया जाये ।

पटकौली एवं तकिया जलाशयों का परियोजना प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा सकेगा ।

गब्बापुर एवं मोतीपुर बांध के परियोजना प्राक्कलन बनाया जाना प्रस्तावित है—

नालों तथा जलश्रोतों पर रेगुलेटर बनाने की योजना प्रस्तावित नहीं है। नहर की पटरियों को पक्का कराने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित है और इस समय इसका कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

*42—श्री श्यामदत्त पालीवाल—

[7वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार में परीक्षायें न कराये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिसर में भूख हड़ताल

*43—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह जुलाई, 1978 से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा बी0 ए0, बी0 एड0 तथा बी0एस-सी0 की कक्षायें बिना स्वीकृति के प्रारम्भ कर दी गयी थीं और प्रत्येक छात्र से दो हजार रुपया प्रवेश शुल्क तथा उसके बाद प्रति माह छात्रों से शुल्क वसूल किया जाता रहा है ? क्या वर्तमान कुलपति इन छात्रों की परीक्षायें नहीं करा सके हैं ? यदि हां, तो उन सभी छात्रों ने परीक्षायें न होनें तथा अवैधानिक रूप से वसूले गये धन की वापसी के लिये विश्वविद्यालय परिसर में भूख हड़ताल कर दी है ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

केवल बी0 एड0 की कक्षायें यू0 जी0 सी0 की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना प्रारम्भ की गयीं थीं। बी0 एड0 में प्रवेश हेतु 2,000 रुपये की धनराशि छात्रों से अनुदान के रूप में लिये जाने की सूचना मिली है ।

जी हां ।

जी हां. क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है ।

अनशनकारी छात्रों की मांग के अनुसार, धन की अवैधानिक वसूली और दुर्विनियोग के संबंध में दिनांक 8–5–79 को अपराध संख्या 201, धारा 409, 420 भा0दं0वि0 का अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त बी0 पी0 शुक्ला रजिस्ट्रार व प्रताप सिंह, परीक्षा अधीक्षक को गिरफ्तार किया गया है, जो जेल में है । शेष तीन अपराधी फरार है । गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय है जिसके शैक्षिक मामलों में राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है परन्तु राज्य सरकार इस ओर भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ध्यान आकर्षित कर दिया है ।

*44—श्री श्याम देव—

[8 वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*45—श्री रफी उल्लाह—

[8 वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*46—श्री मान पाल सिंह—

[6–6–79 को तारांकित प्रश्न संख्या 5 द्वारा उत्तरित ।]

*47—श्री ईश्वर प्रसाद—

[30–5–79 को तारांकित प्रश्न संख्या 1 द्वारा उत्तरित ।]

बलिया जनपद के कोपाचीट निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय ग्राम, गंगा के कटाव से क्षतिग्रस्त

48—श्री राम गोबिन तथा श्री गौरी शंकर भैया—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद के कोपाचीट निर्वाचन क्षेत्र में गंगा के कटाव के कारण ग्राम सभा कोटवा नरायनपुर, ग्राम सभा नसीरपुरमठ कोरन्टाडीह डाक बंगला ग्राम तथा बरोली ग्राम सभा बडकाखेत, बमनौली, कोट आजोरपुर गंगहरा, बधेजी थमनपुरा, आदि ग्राम कटान की चपेट में आ गये हैं ? क्या सरकार के पास उक्त ग्रामों को बचाने हेतु कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो वह योजना क्या है और क्या सरकार इस पर शीघ्र कार्यवाही का आदेश देगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

कोपाचीट निर्वाचन क्षेत्र मे गंगा के कटाव के कारण ग्राम सभा कोटवा नरायनपुर, ग्राम सभा नसीरपुरमठ, कोरन्टाडीह डाकबंगला, ग्राम सभा बड़का खेत, बभनौली, कोट,अजोरपुर, भमनपुर ग्राम कटान से प्रभावित हैं। ग्राम भसैली गंगा की कटान से प्रभावित नहीं है। ग्राम गंगहरा, बधेजी टोंस नदी की कटान से प्रभावित हैं।

ग्राम कोटवा नरायनपुर, नसीरपुर मठ तथा कोरेंटाडीह डाकबंगला के लिये कटान विरोधी परियोजना, जिसके अन्तर्गत 440 मीटर पिचिंग बननी है. विचाराधीन है। ग्राम बड़काखेत एवं बभनौली की कटान विरोधी योजना अगली बाढ़ का असर देखकर बनायी जायेगी। ग्राम कोट अंजोरपुर में मिट्टी का कार्य एवं भमनपुर पर कटान विरोधी कार्य प्रगति में हैं जो जून 1979 में पूर्ण हो जायेंगे। ग्राम गंगहरा, बधेजी कटान निरोधक कार्य के अन्तर्गत 3 नम्बर मंडक बनने हैं जो इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जायेंगे।

बलिया जनपद में गड़वार–रतसड़ एवं रतसड़–पचखौरा तथा ग्राम फेफना की सड़कों की मरम्मत

*49—श्री गौरी शंकर भैया तथा श्री राम गोविन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 3 अप्रैल, 1979 को बलिया जनपद में गड़वार-रतसड़ एवं रतसड़-पचखौरा तथा ग्राम सभा फेफना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत न किये जाने के फलस्वरूप सड़कों की स्थिति दयनीय हो जाने की शिकायत की है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जी नहीं। ऐसा कोई शिकायती पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

जवाहरलाल नेहरू डिग्री कालेज, महराजगंज, गोरखपुर के प्रवक्ता श्री इन्द्र मिश्र शास्त्री का निलम्बन तथा बकाये वेतन का भुगतान

*50—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मंत्री (उच्चशिक्षा) कृपया यह बतायेंगे कि जवाहरलाल नेहरू डिग्री कालेज, महराजगंज (गोरखपुर) के एक प्रवक्ता (श्री इन्द्र मिश्र शास्त्री) को प्रबन्धक ने निलम्बित किया था जिसे कुलपति ने निरस्त कर दिया ? यदि हां, तो क्या सन्दर्भित प्रवक्ता को वेतन भुगतान हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जी हां। वेतन का भुगतान भी कर दिया गया है।

*51—श्रीमती शारदा देवी—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित।]

इलाहाबाद विधान सभा क्षेत्र, प्रतापपुर एवं हंडिया में नलकूपों के बन्द होने से फसल को क्षति

*52—श्री हरप्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद), श्री जंगबहादुर सिंह पटेल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री अठईराम (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विधान सभा क्षेत्र, प्रतापपुर एवं हंडिया में इस समय करीब आधे नलकूप बन्द हैं जिसके कारण गन्ना एवं जायद फसल तथा जानवर के हरे चारे, सब नष्ट हो रहे हैं ? यदि हां, तो नलकूप तुरन्त चलवाने का आदेश सरकार देगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी नहीं, विधान सभा क्षेत्र, प्रतापपुर में 8 तथा हंडिया में 19 नलकूप बन्द हैं। इन बन्द नलकूपों को शीघ्र चलवाने की कार्यवाही की जा रही है।

बदायूं, बरेली के मध्य रामगंगा पर बने पुल पर से कर हटाने की मांग

*53—श्री कृष्णस्वरुप (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं, बरेली के मध्य रामगंगा पर बने पुल पर से कर हटाने जा रही है? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जी नहीं। 1 अप्रैल, 1979 से, लगभग 49 लाख रुपये की वसूली अभी शेष है।

*54—डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*55—श्रीमती रामरति देवी—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*56—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

[6-6-79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 37 द्वारा उत्तरित।]

का0 जु0 साकेत पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, फैजाबाद में बी0 काम0 की कक्षा यें खोलने की मांग

*57—श्री जयशंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री (उच्च शिक्षा) बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद स्थित का0 जू0 साकेत पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में बी0 काम0 की कक्षायें खोलने की योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो फैजाबाद में का0 जू0 साकेत पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में बी0 काम0 की कक्षायें कब तक शुरू कर दी जायेंगीं?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*58—डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल तथा श्री राज किशोर तिवारी—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित।]

जनपद हरदोई में बेनीगंज-प्रतापनगर चौराहा से माधोगंज जाने वाली सड़क को जिला परिषद् हरदोई के अन्तर्गत स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्ताव

*59—श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में बेनीगंज (प्रताप नगर चौराहा) से माधोगंज जाने वाली सड़क को जिला परिषद् हरदोई से हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में गत अप्रैल, 1979 में विभाग को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है तथा उस पर विभाग ने कोई निर्णय लिया है? यदि हां, तो क्या?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गोंडा के हाई स्कूलों को मान्यता

*60—श्री छेदी लाल (जिला गोन्डा)

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के मान्यता सम्बन्धी कितने हाई स्कूलों के मामले विगत वर्ष से शासन के विचाराधीन हैं ? क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आगामी सत्र के पहले ही उक्त स्कूलों को मान्यता दे दी जायेगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

वर्ष 1980 की परीक्षा से जनपद गोण्डा के 16 विद्यालयों को हाईस्कूल/ इंटर की नवीन अथवा अतिरिक्त वर्ग विषय की मान्यता देने हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद् का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था किन्तु मान्यता हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति न होने के कारण इन विद्यालयों को मान्यता देना सम्भव न हो सका। विद्यालयों द्वारा मान्यता सम्बन्धी शर्तों की पूर्ति करने पर ही उनको मान्यता देने पर विचार किया जाना संभव होगा।

गाजीपुर जनपद की जमानियां तहसील में ताड़ी घाट व दिलदार नगर को जोड़ा जाना

*61—श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद की जमनियां तहसील में ताड़ी घाट से दिलदार नगर को जोड़ने के लिये सड़क निर्माण हेतु उन्हें कोई पत्र प्रश्नकर्ता का गत मास प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई? क्या सरकार इस सड़क निर्माण की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

इस कार्यालय में कोई ऐसा पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।

प्रश्न ही नहीं उठता है। जी नहीं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों का स्थायीकरण

*62—श्री रफी उल्लाह (जिला बलिया)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में वर्ष 1972 73 से जो अधिकारी एडहाक रूप से कार्यरत हैं उनमें से कितने अधिकारियों का स्थायीकरण हुआ है और कितने अधिकारी अब भी एडहाक पर ही कार्यरत है तथा इनके स्थायीकरण न होने के क्या कारण हैं ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

सार्वजनिक निर्माण विभाग में तदर्थ रूप से कार्यरत सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं का विनियमितीकरण कार्मिक विभाग द्वारा 14-5-1979 को जारी की गयी "उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979" के अन्तर्गत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रोन्नत श्रेणी के सहायक अभियन्ताओं का विनियमितीरण भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। विनियमितीकरण के पश्चात् स्थायी रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर इन अधिकारियों के स्थायीकरण पर विचार करना सम्भव होगा।

*63—श्री गिरीशचन्द्र तिवारी—

[अगले बुधवार के लिये स्थगित।]

मान्यता प्राप्त हाई स्कूल के प्रधानाचार्यों के समान जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्यों के उच्चीकरण

*64—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मन्त्री (माध्यमिक) यह बताने की कृपा करेंगे कि मान्यता प्राप्त हाई स्कूल के प्रधानाचार्यों को स्कूल के इंटरमीडिएट में उच्चीकरण होने पर इन्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नत होने का प्राविधान है, जबकि जू० हा० स्कूल के प्रधानाध्यापकों को, वांछित अर्हता होने पर भी जू० हा० स्कूल के उच्चीकरण होने पर उनको प्रोन्नति का कोई प्राविधान नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हां । क्योंकि हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक की नियुक्ति इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मेरिट के आधार पर चयन के उपरान्त की जाती है तथा इनके चयन की प्रक्रिया एवं नियम भी वहीं हैं जो इंटरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य की हैं, जबकि जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक की चयन प्रक्रिया मेरिट पर आधारित नहीं है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में डेप्यूटेशन पर नियुक्त सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं को सिंचाई विभाग में प्रोन्नत होने पर मुक्त न किया जाना

*65—श्री जगदीश (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं को जो ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में डेप्यूटेशन पर नियुक्त किए गए थे, को गत वर्ष अधीक्षण अभियन्ता (सिंचाई बिभाग) पद पर पदोन्नति हो जाने के पश्चात् भी ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग से उन्हें मुक्त नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

एक अधिशासी अभियन्ता ऐसे हैं जो ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर गये थे और गत वर्ष उनको अधीक्षण अभियन्ता पद पर पदोन्नत किया गया था । उन्हें ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा से तात्कालिक प्रभाव से कार्य मुक्त किये जाने के आदेश 8-6-79 को जारी हो गये हैं ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, मध्य सिंचाई कार्यशाला मण्डल, कानपुर के लिये हिन्दी स्टेनों के पदों के लिये परीक्षा एवं साक्षात्कार चयन समिति द्वारा प्रेषित अभ्यर्थियों की सूची

*66—श्री प्रभूदयाल यादव (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, मध्य सिंचाई कार्यशाला मण्डल, कानपुर-2 द्वारा हिन्दी स्टेनों की भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के नाम मांगे गये थे उसके क्रम में सेवायोजन कार्यालय कानपुर ने 23 अभ्यर्थियों की सूची साक्षात्कार हेतु प्रेषित की थी और उपरोक्त लिस्ट के आधार पर दिनांक 13 सितम्बर, 1978 को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हुआ था तथा चयन समिति द्वारा 3 अभ्यर्थियों का चयन करके सर्किल आफिस, अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्यशाला, वृत्त 69-ए छावनी, कानपुर को सूची प्रेषित की गयी थी, परन्तु उस पर आज तक आदेश प्रसारित नहीं किए गए ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां, अधिशासी अभियन्ता (परिकल्प), सिंचाई कार्यशाला मंडल, कानपुर ने एक आशुलिपिक के चयन हेतु अभ्यर्थियों के नाम सेवायोजन अधिकारी, कानपुर से मांगे थे । सेवा योजन कार्यालय द्वारा भेजी गयी सूची के 23 अभ्यर्थियों में से एक का चयन अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया गया था तथा उसकी नियुक्ति हेतु अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यशाला मंडल, कानपुर को संस्तुति की गयी थी । इसी बीच प्रादेशिक स्तर पर

आशुलिपिकों की अर्हकारी परीक्षा कराने के निर्णय के फलस्वरूप समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को पत्र संख्या 7306-ई0-4, दिनांक 16-9-78 द्वारा आदेश दिये गये कि आशुलिपिक की नियुक्ति उनके द्वारा न की जाये। तदनुसार चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नहीं की गयी ।

*67—श्री प्रभू दयाल—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

रुधौली, बखिरा मार्ग, जनपद बस्ती पर छपिया घाट, आमी नदी पर पुल निर्माण

*68—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रुधौली बखिरा मार्ग, जनपद बस्ती पर छपिया घाट के स्थान पर आमी नदी का पुल बनाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा दिए गए अगस्त, 1977 से दिसम्बर, 1978 तक कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं? क्या मन्त्री जी को यह भी ज्ञात है कि 30 जनवरी, 1978 को तत्कालीन अध्यक्ष, विधान सभा ने अपने बस्ती दौरे के दरमियान जनहित में उक्त पुल को बनवाने हेतु शासन को सुझाव भेजे थे? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त पुल का निर्माण शासन कब तक प्रारम्भ कर देगा ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*69—श्री मौजी लाल कुरील—

[8 वें बुधवार के लिये स्थगित]

*70—श्रीमती शारदा देवी—

[8 वें बुधवार के लिये स्थगित।]

जनपद फर्रुखाबाद में इस वर्ष हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट परीक्षा के समय जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नकल पकड़ने के लिये गठित फ्लाइंग दस्ता द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर छापा

*71—श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में इस वर्ष की हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट परीक्षा के समय जिला विद्यालय निरीक्षक ने कोई फ्लाइंग दस्ता नकल पकड़ने के लिए गठित किया था? यदि हां, तो उसने जनपद के परीक्षा केन्द्रों पर से कितने परीक्षा केन्द्रों पर छापा मारा और बाकी जनपद के अन्य केन्द्रों पर छापा न मारने के क्या कारण हैं जबकि उनमें सामूहिक नकल की आम शिकायत थी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हां जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद द्वारा गठित उड़नदस्ते ने जनपद के 64 परीक्षा केन्द्रों में से 62 केन्द्रों पर छापा मारा था। शेष दो केन्द्रों का जिला विद्यालय निरीक्षक के कोर्ट केस में जनपद के बाहर चले जाने एवं परीक्षा के अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण निरीक्षण नहीं किया जा सका।

राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल इंजीनियरों में सब इंजीनियरों (अपरेन्टिस) के पदों के लिये अभ्यर्थियों की सूची

*72—श्री सन्तबख्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश ने सिविल इंजीनियरिंग में सब इंजीनियर (अपरेन्ट्स) के पदों के लिये अभ्यर्थियों द्वारा डिप्लोमा परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर 1979 में एक सूची तैयार की थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इस सूची के कुछ अभ्यर्थियों को केवल उनके द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर नियुक्ति दी गयी और कुछ के लिए साक्षात्कार की भी व्यवस्था की जा रही है ? अगर ऐसा है तो यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ?.

*3—श्री दयाराम भास्कर—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

अतारांकित प्रश्न

1—बाबूलाल वर्मा—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

इलाहाबाद जिले क दोआबा क्षेत्र में नहर, रोड का निर्माण

2—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बतायेगी कि इलाहाबाद जिले के दोआबा क्षेत्र की कौन-कौन सी नहरें नहर रोड बनाकर अधिक व्यक्तियों को कार्य देने के कार्यक्रम के अधीन ली गयी है तथा उन पर उक्त कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जनपद इलाहाबाद में नहर रोड बनाकर अधिक व्यक्तियों को काम देने के कार्यक्रम के अधीन सिंचाई विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है केवल पिसैचा रजवाहे पर सर्विस रोड पक्की करने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है ।

3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद—

[6-12-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 7 द्वारा उत्तरित ।]

गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को सरकारी नियंत्रण में लिया जाना तथा उसकी रूपरेखा

4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को सरकारी नियंत्रण में लेने सम्बन्धी वर्तमान प्रक्रिया तथा नियमों में कुछ इस आशय के परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है जिससे कि नियन्त्रण में लेना सरल हो जाय ? यदि हां, तो नई रूपरेखा क्या होगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हां । इस संबंध में इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1978 विधान परिषद् में दिनांक 14-12-78 को पुरः स्थापित किया गया है ।

सीतापुर जिले में राजकीय नलकूपों के निर्माणाधीन पम्प हाउस तथा नालियां

5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद—

क्या सिंचाई मन्त्री को इसकी जानकारी है कि सीतापुर जिले में वित्तीय वर्ष 1978–79 तथा 1977–78 में जितने भी राजकीय नलकूपों के पम्प हाउस तथा नालियां बनी हैं उनमें तथा जो राजकीय नलकूप आजकल निर्माणाधीन हैं, उनके पम्प हाउसों तथा नालियों में जितनी मात्रा में सीमेन्ट लगानी चाहिये तथा जिस गुणतर का ईंटा लगाना चाहिये, उससे कम मात्रा में लगा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मामले की जांच टेकनिकल सेल से करायेगी तथा बतायेगी कि क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

नलकूप खंड, सीतापुर के अन्तर्गत वर्ष 1977–78 एवं 78–79 और इस समय पम्प हाउस एवं नालियों के निर्माण में जो ईंटा एवं सीमेंट की मात्रा प्रयोग में लायी गई वह विभागीय मापदण्ड के अनुसार है। इस सम्बन्ध में कोई विशेष शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच करा ली जायेगी ।

जनपद इन्टर कालेज, हरख, बाराबंकी के साधिकार नियंत्रण को हटाकर प्रबन्ध समिति का चुनाव

6—श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27 जनवरी 1978 को जनपद इन्टर कालेज, हरख, बाराबंकी के साधिकार नियन्त्रण को हटाकर प्रबन्ध समिति का चुनाव कराने का आदेश किया गया था ? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी नहीं । शेष भाग का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

7—श्री सियाराम सागर—

[8 वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

असुआ माइनर, शारदा सहायक कैनाल, बरेली की खांदी को विलम्ब से बांधे जाने के कारण आमों की फसल को क्षति

8—श्री सियाराम सागर (जिला बरेली)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असुआ-माइनर जो कि शारदा सहायक कैनाल से जो कि बरेली जनपद से निकल कर गुजरती है और अधिशासी अभियन्ता, शाहजहांपुर के अन्तर्गत आती है जिसमें खांदी हुई थी और वह खांदी 7 माह बाद अप्रैल 1979 में बांधी गई ? क्या इस विलम्ब से कई आमों की फसल नष्ट हो गयी है ? क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेगी जिनकी लापरवाही से यह खांदी नहीं बांधी गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

शारदा नहर खण्ड, शाहजहांपुर के अन्तर्गत बरेली जनपद म कोई भी असुआ नाम की माइनर नहीं गुजरती है। असुआ नाम की एक माइनर अवश्य है जिसके मील 1–7–0 पर बरसाती पानी की निकासी के लिये एक साइफन बनी है। गत वर्ष 1978 में इस क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा हुई थी जिसके कारण, इस साइफ न के ऊपर की ओर पड़ने वाले खेतों में पानी भर जाता था तथा फसल की क्षति होने की आशंका हो जाती थी।

कृषकगण यदा-कदा बरसात में नहर काटकर पानी निकाल देते थे व पानी निकालते ही नहर की मरम्मत विभाग द्वारा करवा दी जाती है जिससे साइफन के बाद पड़ने वाले ग्रामों में धान की फसल को पानी मिलने की असुविधा न हो।

कृषकों द्वारा नहर काट देने के कारण इस स्थान पर फसल की कोई क्षति नहीं हुई है।

बरसात के बाद रबी की फसल में इस स्थान पर नहर नहीं कटी है और फसल को कोई क्षति नहीं हुई है। अप्रैल, 1979 में इस स्थान पर फिर से मिट्टी डालकर पटरी को मजबूत कराया गया है। विभाग के किसी अधिकारी द्वारा कोई लापरवाही नहीं हुई है।

जनपद शाहजहांपुर के कुछ नलकूप चालकों की निजी निवास स्थान पर नियुक्ति

9—श्री जगदीश सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के कुछ कूप चालकों की नियुक्ति उनके निजी निवास स्थान के दस मील के अन्तर में है ? यदि हां, तो कैसे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां। इन नलकूप चालकों की नियुक्ति उनके निवास स्थान के निकट उनके अनुरोध के फलस्वरूप उनकी निजी परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचारोपरांत की गयी है।

10—श्री श्रीराम द्विवेदी—

[7 वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला पूर्ति अधिकारी, बहराइच द्वारा विधायकों को सीमेन्ट वितरण

11—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला पूर्ति अधिकारी महोदय, बहराइच ने पत्रांक 280/जि0पु0 अधि0-सीमेंट-78, दिनांक 23 दिसम्बर, 1978 के अनुसार "सीमेंट परमिट जारी करने वाले अधिकारी अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सीमेन्ट वितरण की सूची पाक्षिक आधार पर अपने क्षेत्र के विधायकों को भेजेंगे" आदेश प्रसारित किया है ? यदि हां, तो बहराइच जिले में पिछले चार माह से अब तक विधान सभा क्षेत्र वार परमिट जारी करने वाले अधिकारियों ने सीमेंट वितरण की पाक्षिक सूची विधायकों को क्यों नहीं भेजी और न भेजने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मलिखान सिंह—

जी हां, जिन अधिकारियों की असावधानी से सूची नहीं भेजी जा सकी, उन्हें भविष्य में सतर्क रहने के लिए सचेत कर दिया गया है।

12—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[8 वें बुधवार के लिए स्थगित।]

13—श्री रघुवर दयाल शर्मा—

[7 वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

फैजाबाद जनपद के जलालपुर में रामपुर मगन मार्ग का मार्डनाइजेशन

14—श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में जलालपुर में रामपुर मगन मार्ग 9.45 कि0 मी0 सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग है ? यदि हां, तो क्या इस सड़क का सरकार मार्डनाइजेशन कराने का विचार कर रही है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

फैजाबाद जनपद जलालपुर से रामपुर मगन मार्ग जो 9.60 कि0 मी0 लम्बा है, का रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है।

इस मार्ग के मार्डनाइजेशन की कोई योजना इस समय नहीं है।

15—श्री श्रीराम द्विवेदी—

[7 वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

फैजाबाद जनपद में कंकड़ रोड का मार्डनाइजेशन तथा खजुरहट से मिल्कीपुर तथा जलालपुर से पुहपी मार्ग का नवीनीकरण

16—श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की क्या करेंगे कि फैजाबाद जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग की कुल कितने कि0 मी0 कंकड़ रोड है ? क्या इनके मार्डनाइजेशन का प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो खजुरहट से मिल्कीपुर तथा जलालपुर से पुहपी मार्ग का नवीनीकरण कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

फैजाबाद जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 115.89 कि0 मी0 वाटरबाउण्ड कंकड़ तथा ईंटों की गिट्टी के बने मार्ग हैं।

जी नहीं।

इसका प्रश्न नहीं उठता है।

फैजाबाद जनपद में बीकापुर तहसील के पिपरी व चौरे बाजार में फैजाबाद–इलाहाबाद, राज मार्ग के पुलों का निर्माण

17—श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में बीकापुर तहसील के पिपरी व चौरेबाजार में फैजाबाद–इलाहाबाद राजमार्ग पर स्थित पुलों की हालत अत्यन्त जर्जर हो गयी है ? यदि हां, तो उन पुलों के निर्माण के विलम्ब का क्या कारण है और इनका निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायगा ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जी हां।

धनाभाव के कारण इस समय निर्माण-कार्यों का कराना सम्भव नहीं है। कार्य स्वीकृत नहीं है, अतः कार्य पूर्ण होने की तिथि बताने का प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद जनपद में बीकापुर तहसील की स्वीकृत सड़कें

18—श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में बीकापुर तहसील में योजना नं0 3 एवं 4 के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें वर्ष 1978–79 में स्वीकृत की गयीं ? इन सड़कों के निर्माण की प्रगति क्या है ? क्या सरकार इन सड़कों को 'पिच रोड़' बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जनपद फैजाबाद में बीकापुर तहसील में योजना नं0 3 एवं 4 के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कें वर्ष 78–79 में स्वीकृत की गयीं ।

योजना नं0—3

1—चौरा हैदरगंज मार्ग 5 कि0मी0
2—बीकापुर-बछरामपुर, कोछा सराय, खरापी मार्ग .. 1 कि0 मी0

योजना नं0—4

1—बीकापुर जाना बाजार मार्ग .. 9 कि0मी0 ।

उपरोक्त सड़कों की भौतिक प्रगति आख्या निम्नलिखित प्रकार है :

योजना नं0—3

मार्ग का नाम ..	स्वीकृत लम्बाई कि0मी0	मिट्टी कि0मी0	सीलिंग कि0मी0
1—चौरा हैदरगंज मार्ग ..	5.00	5.00	3.00
2—बीकापुर, बछरामपुर, कोछा सराय, खरापी मार्ग	1.00	1.00	1.00

योजना नं0—4

मार्ग का नाम ..	लम्बाई कि0मी0	मिट्टी का कार्य कि0मी0
1—बीकापुर जाना बाजार	9.00	7.00

केवल खाद्यान्न योजना नं0 –3 की सड़कों को पिच रोड बनाने का प्रस्ताव वर्ष 79–80 की योजना में सरकार के विचाराधीन है ।

खाद्यान्न योजना नं0–4 की सड़कों को पिच कराने का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

श्रीमती विद्यावती, सेवा निवृत्त , सहायक अध्यापिका, कन्या जूनियर बेसिक शिक्षा विद्यालय, बरोलिया, लखनऊ को पेंशन, ग्रेच्युटी तथा भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान

19—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्रीमती विद्यावती, सेवा निवृत्त सहायक अध्यापिका, कन्या जूनियर बेसिक शिक्षा विद्यालय, बरोलिया, लखनऊ जो कि दिनांक 30 जून, 1977 के अपरान्ह में सेवा-निवृत्त हुई थीं परन्तु उनको पेंशन एवं ग्रेच्युटी तथा माह सितम्बर, 1972 से अवशेष भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान अभी तक न किये जाने के क्या कारण ह ? इस सम्बन्ध में सेवा निवृत्त अध्यापिका की ओर से दिनांक 30 जून, 1977 से दिनांक 31 मार्च, 1979 तक कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ह और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? इस विलम्ब के लिये कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने की सोच रही है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

श्रीमती विद्यावती सहायक अध्यापिका, कन्या जूनियर बेसिक विद्यालय, बरोलिया, लखनऊ दिनांक 30–6–77 को सेवा निवृत्त हुई थीं तथा उनकी पेंशन एवं ग्रेच्युटी की धनराशि का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के आदेश दिनांक 26–4–79 द्वारा स्वीकृत कर भुगतान किया जा चुका है । उनके भविष्य निर्वाह निधि के अवशेष सितम्बर; 72 के बाद

श्री कैलाश नाथ सिंह--

का अंकन रु0 1,184-98 के भुगतान हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा चेक निर्गत कर दिया गया है जिसका भुगतान भी उन्हें शीघ्र ही हो जायेगा। अब तक अवशेष भुगतान न हो पाने का कारण यह है कि नगर महापालिका, लखनऊ ने भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि बेसिक शिक्षा परिषद् को देर से हस्तांतरित की है। सेवा निवृत्त अध्यापिका की ओर से दिनांक 30-6-77 से 31-3-79 तक केवल चार प्रार्थना-पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुए थे जिनको आवश्यक कार्यवाही हेतु शिक्षा अधीक्षिका, नगर क्षेत्र, लखनऊ को प्रेषित कर दिया गया था।

कुलभास्कर आश्रम डिग्री कालेज, इलाहाबाद में अनियमितताएं

20--श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)--

क्या सरकार को जानकारी है कि कुल भास्कर आश्रम डिग्री कालेज, इलाहाबाद के 1972-73 से 1975-76 तक की स्थानीय लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश की सम्परीक्षा आख्या (आडिट रिपोर्ट) में भीषण वित्तीय अनियमितताओं का हवाला दिया गया है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

सम्परीक्षा आख्या प्राप्त की जा रही है। उसके परीक्षण के बाद ही अनियमितताओं के बारे में कुछ कहना सम्भव होगा।

21--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

22--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[8वें बुधवार के लिये स्थगित।]

जूनियर बेसिक स्कूल, बरेहना, इलाहाबाद, चपरासी स्वर्गीय श्री सन्तलाल के परिवार को पारिवारिक पेंशन

23--श्री नाथू राम शिक्षक--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद नगर क्षेत्र के अन्तर्गत जूनियर बेसिक स्कूल, वरेहना क चपरासी श्री सन्तलाल का स्वर्गवास दिनांक 25 मई, 1973 को हो चुका है? यदि हां, तो क्या राजाज्ञा के अनुसार उसके लड़के की नियुक्ति एवं धर्मपत्नी को पारिवारिक पेन्शन अब तक स्वीकार कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जूनियर बेसिक स्कूल वरेहन नगर क्षेत्र इलाहाबाद के चपरासी श्री सन्त लाल की मृत्यु दिनांक 25-5-73 को हो चुकी है। उनकी पत्नी श्रीमती जानकी देवी को नियमानुसार आनुतोषिक की धनराशि रुपये 2,304-00 का भुगतान किया जा चुका है। पेन्शन नियमानुसार देय न होने के कारण उसका भुगतान नहीं किया गया।

श्री सन्तलाल (मृतक) के पुत्र की नियुक्ति राजाज्ञा के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नहीं की गई है क्योंकि कोई स्थान रिक्त नहीं है।

गाजीपुर जनपद के नौनहरा थाने के बबाड़े ग्राम के ग्राम प्रधान को सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटन

24—श्री बाबू लाल सरोज (जिला प्रतापगढ़)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के नौनहरा थाने के बबाड़े ग्राम के ग्राम प्रधान को गबन, चोरबाजारी, तस्करी इत्यादि आरोपों के होते हुये भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान आवंटित की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मलिखान सिंह—

जी नहीं ।

25—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

नगरमहापालिका, इलाहाबाद के प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों द्वारा किराया न दिये जाने के कारण भवन खाली कराया जाना

26—श्री नाथू राम शिक्षक—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरमहापालिका इलाहाबाद के कितने प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूल 1978 में किराया न देने के कारण भवन खाली कर चुके हैं? अब उन विद्यालयों के भवन की व्यवस्था किस प्रकार की जा रही है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

नगर महापालिका इलाहाबाद के केवल तीन प्राइमरी स्कूल (बालक) भवन वर्ष 1978 में खाली किये गये हैं ।

स्कूलों की व्यवस्था पास के अन्य विद्यालयों में पाली के रूप में की जा रही है।

27—श्री राम आसरे वर्मा—

[6ठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के अंतर्गत स्थानान्तरित ।]

28—श्री बाबू राम वर्मा—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

29—श्री बाबू राम वर्मा—

[8वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

नलकूप मंडल, वाराणसी में सिंगिल फेस प्रिवेन्टर की आपूर्ति

30—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप मण्डल, वाराणसी के अन्तर्गत वर्ष 1977–78 में किन-किन अधिकारियों ने सिंगिल फेस प्रिवेन्टर की आपूर्ति की है, उसकी प्रति-माह खपत कितनी की गयी, उसकी कीमत क्या है ? क्या यह सत्य है कि सिंगिल फेस प्रिवेन्टर का उपयोग हुआ ही नहीं ? यदि हां, तो वाराणसी मण्डल में कितने नलकूप ऐसे हैं जहां उसका उपयोग होता है ? यह फर्म कहां की और किसकी है जहां से यह आपूर्ति की गयी है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

वर्ष 1977–78 में अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, वाराणसी के आपूर्ति आदेश के विरुद्ध अधिशासी अभियन्ता, नलकूप प्रखण्ड, वाराणसी एवं डाल सिंचाई प्रखण्ड, मिर्जापुर

ने क्रमशः 75 व 50 अदद सिंगिल फेस प्रिवेन्टर की आपूर्ति ली थी जिनकी माहवार खपत निम्न है :

माह		नलकूप खंड वाराणसी	डाल सिंचाई खंड, मिर्जापुर
1/1978	..	15 अदद	25 अदद
5/1978	..	10 ,,	—
11/1978	..	1 ,,	—
12/1978	..	—	5 अदद
2/1979	..	—	6 अदद
योग	..	26 अदद	36 अदद

इसकी कीमत रु0 210.00 प्रति नग है। 125 सिंगिल फेस प्रिवेन्टर के क्रय के विरुद्ध अब तक 62 का उपयोग हुआ है। इनका उपयोग नलकूपों एवं लिफ्ट नहरों पर मोटरों को सिंगिल फेस पर जलने से बचाने के लिये किया जाता है। उक्त क्रय मेसर्स हर्ष इंजीनियरिंग कम्पनी, पटेल नगर, वाराणसी से किया गया है।

नलकूप मण्डल वाराणसी के प्रखंडों में स्टील डोर की आपूर्ति

31—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप वाराणसी के कितने प्रखंडों में जनवरी, 1979 में स्टील डोर, बरेली वर्कशाप से न लेकर बिना किसी फर्म से कोटेशन लिये एक ही फर्म से आपूर्ति हेतु आर्डर किये गये हैं ? यदि हां, तो उसकी दर क्या हैं और कितने रुपये का आर्डर दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि बरेली वर्कशाप से पहले स्टील डोर लिया जाता रहा है, अबकी न लेने का कारण क्या है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जनवरी, 1979 में नलकूप मंडल, वाराणसी के अर्न्तगत नलकूप प्रखण्ड द्वितीय, वाराणासी एवं नलकूप खण्ड भदोही में क्रमशः 23 व 7 अदद स्टील डोर 496 रु0 प्रति डोर की दर से रु0 14,880·00 के आपूर्ति आदेश एक फर्म को दिये गये थे। ऐसे स्टील डोर के लिये कोटेशन अगस्त, 1978 में प्राप्त हुए थे जिनमें प्राप्त न्यूनतम् दर पर उक्त क्रय की गयी। फर्म द्वारा निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति न कर सकने के कारण आपूर्ति आदेश निरस्त कर दिया गया। इसके पूर्व स्टील डोर बरेली वर्कशाप से लिया जाता रहा है, किन्तु इस बार वांछित संख्या में स्टील डोर कार्यशाला के पास उपलब्ध न होने के कारण यह आपूर्ति आदेश दिया गया था।

32—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित।]

33—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित।]

34—श्री राम नरायन वर्मा—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित।]

35—श्री बाबू लाल सरोज—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

36—श्री मुनीन्द्र पाल सिंह—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त हाई स्कूल तथा इन्टर कालेजों के प्रधानाचार्यों का स्थानान्तरण

37—राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त हाई स्कूल तथा इन्टर कालेजों के प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण के लिये सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसको कब तक कार्यान्वित किया जायगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महमूदाबाद, पहला, तथा रामपुर मथुरा, जनपद सीतापुर में प्राइमरी पाठशालाओं तथा जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण हेतु सहायतार्थ धन

38—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76 तथा 1977 में महमूदाबाद, पहला तथा रामपुर—मथुरा, जनपद सीतापुर में कितने प्राइमरी पाठशालाओं तथा जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण हेतु धन दिया गया है ? जिन स्कूलों को धन प्रदान किया गया वह कौन-कौन से हैं ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

वर्ष 1975–76 में प्रश्नगत विकास खंडों के किसी भी प्राइमरी अथवा जूनियर हाई स्कूल के भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा धन नहीं दिया गया । वर्ष 1976–77 में केवल 55 प्राइमरी स्कूल भवन निर्माण हेतु जनपद सीतापुर में अनुदान दिया गया था जिसमें से प्रश्नगत विकास खंडों में उनके सम्मुख वर्णित पाठशालाओं का निर्माण कराये जाने का जिला बेसिक शिक्षा समिति ने निर्णय लिया :—

क्रम सं0	विकास खंड का नाम	प्राइमरी स्कूल का नाम
1	महमूदाबाद	1—बकहुआ बाजार 2—नवीगंज 3—भौरी ।
2	पहला	1—खमरिया 2—शंकरपुर ।
3	रामपुर मथुरा	1—शेदनपुर 2—कासीपुर बाज़ार 3—कनरखी ।

रामपुर-मथुरा, पहला तथा महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के लिये भवन निर्माण

39—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76 व 1976-77 में रामपुर मथुरा, पहला तथा महमूदाबाद, जनपद सीतापुर प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण हेतु जिन विद्यालयों को धनराशि प्रदान की गयी थी उनमें से कितने विद्यालय भवनों का निर्माण-कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

प्रश्नगत विकास खण्डों में जूनियर हाई स्कूल के भवन निर्माण हेतु कोई धनराशि वर्ष 1975-76 व 1976-77 में स्वीकृत न की जाने के कारण निर्माण का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या-38 में वर्णित नबीगंज, खमरिया, शंकरपुर तथा शेदनपुर के प्राइमरी स्कूल भवनों का निर्माण-कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष स्कूलों के भवनों का निर्माण-कार्य जुलाई, 1979 तक पूरा कराने का प्रयास जारी है।

40—श्री राम नरायन वर्मा—

[2-5-79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 7 द्वारा उत्तरित।]

सीतापुर जनपद में प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के लिये भवनों का निर्माण

41—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में कितने प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जिनमें भवन नहीं हैं ? यदि हां, तो उनका भवन निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जनपद सीतापुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित ग्रामीण क्षेत्रों में 328 प्राइमरी स्कूल एवं 33 जूनियर हाई स्कूल तथा नगर क्षेत्र में 29 प्राइमरी स्कूल और 5 जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जिनके भवन नहीं हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में प्रदेश भर के भवनहीन प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवनों क निर्माण का कार्यक्रम इस वर्ष से आरम्भ किया गया है, किन्तु धनाभाव के कारण यह कहना सम्भव नहीं है कि उपरोक्त भवनों का निर्माण कब तक पूरा हो जायगा।

शारदा सहायक, खंड 12, लखनऊ के सींचपाल श्री अंगद लाल की सर्विस-बुक का खोना

42—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खंड 12, लखनऊ मण्डल के सींचपाल, श्री अंगद लाल की सर्विस बुक खो जाने के संबंध में कुछ प्रार्थना-पत्र वर्ष 1977-78 में मंत्री को प्राप्त हुये हैं ? सींचपाल की सर्विस बुक को पुनः बनवाने की क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां, श्री अंगदलाल की सेवा पुस्तिका खो जाने के संबंध में उनका प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-10-77 जो मंत्री जी को संबोधित था, प्राप्त हुआ था। उनकी नयी सेवा पुस्तिका पुनः खुलवा दी गयी है जिसमें पुरानी प्रविष्टियों की पूर्ति हेतु खंडीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।

43—श्री राम नरायन वर्मा—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

44—श्री राम नरायन वर्मा—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में शारदा सहायक नहर की सिंचाई के कार्य हेतु कुलावे की स्वीकृति

45—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर के अंतर्गत शारदा सहायक नहर में किलोमीटर 76 से किलोमीटर 104 तक सिंचाई कार्य हेतु कितने कुलावे देने की सरकार ने 1978 में स्वीकृति प्रदान की थी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत शारदा सहायक पोषक नहर के कि0 मी0 76.00 से 104.00 तक वर्ष 1978 में कोई कुलाबा देने की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है ।

सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता तथा अवर अभियन्ताओं के पदों पर पदोन्नतियों में हरिजन व पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी

46—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977–78 में सिंचाई विभाग में कितने अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता तथा अवर अभियन्ताओं की नियुक्तियां तथा पदोन्नतियां की गयीं ? इन पदोन्नतियों तथा नियुक्तियों में कितने स्थान हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को दिये गये हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सिंचाई विभाग में वर्ष 1977–78 में जितने अधिकारियों तथा अवर अभियन्ताओं की पदोन्नतियां तथा नियुक्तियां की गई हैं उनका विवरण निम्नानुसार है :

पदनाम	पदोन्नति की कुल संख्या	नियुक्तियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति
1—अधीक्षण अभियन्ताओं से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर ।	5	..	..	..
2—अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर ।	25	..	..	..
3—सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता प्रभारी सहायक अभियन्ता के पद पर ।	123	..	3	..
4—अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर	99	..	5	..
5—अवर अभियन्ता के पद पर सिविल ..	1118	166		143
यांत्रिक ..	1169	37	203	
	51			

47—श्री राम नरायन वर्मा—

[8 वें बुधवार के लिये स्थगित।]

हुसेनपुर सकरवारी, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के राजकीय नलकूप नं0 88 की मरम्मत

48—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हुसेनपुर सकरवारी, तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद में लगा राजकीय नलकूप नं0 88 गत फरवरी 1978 से बिगड़ा हुआ है जिसके फलस्वरूप उस नलकूप कमाण्ड में आने वाले गांव हुसैनपुर कोरा तथा होरिलपुर में किसान भयंकर कठिनाई का सामना सिंचाई के अन्य साधन न होने के कारण कर रहे हैं? यदि हां, तो उक्त नलकूप कब तक बन जायगा?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां। राजकीय नलकूप संख्या–88 दिनांक 27–3–78 से असफल घोषित किया जा चुका है। उक्त नलकूप का पुनः निर्माण दिनांक 2 मार्च, 1979 को पूरा हो गया है।

49—श्री राम नरायन वर्मा—

[8 वें बुधवार के लिये स्थगित।]

सरैया स्टेशन से पैतेपुर, बिसवां से आसुरा तथा महमूदाबाद से रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर में सड़क निर्माण योजना

50—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरैया स्टेशन से पैतेपुर बिसवां से आसुरा तथा महमूदाबाद से रामपुर मथुरा, जनपद सीतापुर, में 1978–79 में सड़क बनवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इन सड़कों पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायगा?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

सरैया स्टेशन से पैतेपुर तक मार्ग का निर्माण सरकार की किसी योजना में सम्मिलित नहीं हैं।

बिसवां से बासुरामार्ग में केवल गुड़ैचा से बासुरा तक 5 कि0मी0 निर्माणाधीन है, जो महमूदाबाद, रामपुर मथुरा, निर्माणाधीन मार्ग पर पड़ता है। शेष 19 कि0 मी0 किसी योजना में स्वीकृत नही हैं।

महमूदाबाद से रामपुर–मथुरा तक सड़क बनाने की योजना स्वीकृत है जिस पर कार्य चल रहा है और प्रगति पर है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 28 कि0 मी0 है। जिसके प्रारम्भ के 3 कि0 मी0 सिंचाई विभाग के पास है शेष 25 कि0मी0 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य हो रहा है।

जिला इलाहाबाद व जिला बांदा को जोड़ने के लिये राजापुर घाट के मध्य पीपे के पुल का निर्माण

51—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद से जिला बांदा को जोड़ने वाला पीपे का पुल महेवा घाट राजापुर के मध्य कब से चलाया जा रहा है? क्या

यह भी सही है कि उक्त पुल का निर्माण बरसात के बाद निश्चित समय पर पूरा नहीं होता जिसके कारण ठेकेदार जनता से अधिक धन वसूल करता रहता है? क्या उक्त स्थान पर स्थायी सेतु निर्माण की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब तक चालू हो जायगी ?

श्री त्रिलोक चन्द्र —

दिनांक 24 मार्च, 1973 से ।

जी हां । पुल निर्माण में विलम्ब के लिये ठेकेदार पर जुर्माना लगाकर उसे नियमानुसार दंडित किया गया है ।

ठेकेदार द्वारा पुल पर पथकर की वसूली पट्टे की शर्तों के अनुसार ही की गई है । प्रश्नगत स्थान पर स्थायी सेतु निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है ।

52—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

राजघाट परियोजना के लिये मशीनों की खरीद

53—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद—

क्या सिंचाई मन्त्री को इसकी जानकारी है कि राजघाट परियोजना के लिये भारी मात्रा में मशीनें क्रय करने हेतु दिसम्बर, 1978 अथवा जनवरी, 1979 (20–1–79 तक) निविदा आमंत्रित की गई जबकि सिंचाई विभाग में उसी प्रकार की अन्य मशीनें अन्यत्र बेकार पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

राजघाट बांध परियोजना का कार्य मुख्य अभियन्ता, बेतवा नदी बोर्ड, झांसी द्वारा केन्द्र सरकार के संचालन में किया जा रहा है तथा इसका संबंध उत्तर प्रदेश शासन से नहीं है ।

जनपद फैजाबाद के पूर्ति कार्यालय में भ्रष्टाचार

54—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद के पूर्ति कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और चोर बाजारी के संबंध में मुख्य मंत्री को संम्बोधित प्रश्नकर्ता, का 26 जून, 1978 का पत्र मिला था ? यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच कराकर दोषी लोगों को दंडित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री मलिखान सिंह—

माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य के 26 जून, 78 के शिकायती पत्र के जांचोपरान्त आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत 7 मुकदमें दर्ज कराये गये जिसमें 12 मुल्जिम हैं । दिनांक 1–4–78 से 31–7–78 तक 549 ट्रकें नगरपालिका अयोध्या से बाहर गयीं ए0 सी0 सी0 के डम्प से 219 ट्रकों का लेखा जोखा मिला । इनके अतिरिक्त 61 ट्रकों पर 200–220 बोरी तक सीमेन्ट गया विशेष 269 ट्रकों का विवरण नही मिल पाया । दिनांक 2–6–78 को 190 बोरी सीमेंन्ट ट्रक संख्या यू0 पी0 एक्स0 5383 द्वारा ले जाती हुई पकड़ी गयी पुलिस जिसमे जांच कर रही है । सय्यद वफादार हुसैन निवासी मोहल्ला जफराबाद, कस्बा जलालपुर को जारी किये गये 150 बोरी के परमिट पर केवल 105 बोरी उठायी गयी । यह सही है कि सीमेन्ट का परमिट जारी करने के लिये जनता पार्टी कार्यालय;

युवा जनता कार्यालय तथा छात्र संघ आदि संगठनों की शिफारिसें प्राप्त होती हैं । यह भी सही है कि कुछ कर्मचारियों के पास मोटर साइकिलें हैं जो उन्होंने बैंक से ऋण लेकर खरीदी हैं अथवा अपने कुटुम्ब के अर्जित धन से खरीदी है।

जनपद आजमगढ़ में बाम्बे प्लान के तहत सड़कों व पुलों का निर्माण

55—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाम्बे प्लान के तहत सड़कों को बनाने का निर्धारित लक्ष्य जनपद आजमगढ़ में किस वर्ष पूरा कर लिया गया था ? क्या यह भी सही है कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद भी उक्त जनपद में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य पर भारी धनराशि खर्च की गयी है और मौजूदा सरकार भी उक्त कार्य पर जनपद आजमगढ़ में विपुल धनराशि खर्च कर रही है? यदि हां तो इसका कारण क्या है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

यह लक्ष्य मार्च, 1974 में प्राप्त कर लिया गया था ।

जी हां । जनपद में कोई बड़ी रेलवे लाइन न होने तथा नदियों का जाल बिछा होने के कारण पिछड़ेपन को दूर करने के लिये मार्ग निर्माण पर अतिरिक्त धनराशि व्यय करना आवश्यक है।

56—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

[8 वें बुधवार के लिए स्थगित]

लिफ्ट कैनाल, टंडवा, भैंसा जौनपुर तथा भूसाडीह, वाराणसी द्वारा सिंचाई का प्राविधान

57—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लिफ्ट कैनाल टंडवा, भैंसा जौनपुर तथा भूसाडीह वाराणसी द्वारा कितने एकड़ प्रति वर्ष सिंचाई का प्राविधान किया गया है और जब वे पम्प कैनाल बनाये गये हैं प्रतिवर्ष रबी एवं खरीफ में कितने एकड़ की सिंचाई की गयी ? क्या यह सत्य है कि जितने गांवों को लिया गया और नहरें बनायी गयी हैं वहां पानी नहीं दिया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि उनकी लागत एवं प्रतिवर्ष खर्च के मुताबिक पैदा (रिटर्न) नहीं हो रहा है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जौनपुर जनपद की टंडवा तथा भैंसा और वाराणसी जनपद की नियारडीह (न कि भूसाडीह) लिफ्ट कैनाल द्वारा प्रतिवर्ष सिंचाई का प्राविधान तथा इन पम्प नहरों द्वारा की गई सिंचाई के आंकड़े संलग्न तालिका में दर्शाये गये हैं ।

जी नहीं ।

जी हां ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 140 पर)

58—श्री राम सजीवन—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

बांदा जिले के भरत-कूप मड़फा मार्ग का निर्माण

59—श्री राम सजीवन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में भरत-कूप मड़फा मार्ग का निर्माण कब से स्वीकृत है और उसके लिए कितने धन की व्यवस्था की गई है ? उसके निर्माण प्रारम्भ होने में विलम्ब का क्या कारण है ? निर्माण कार्य कब से शुरू हो जायेगा ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

भरतकूप—मड़फा मार्ग 12 कि0 मी0 लम्बाई के लिये 9 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर अक्टूबर, 71 में स्वीकृत हुआ था । चूंकि वर्ष 1974 तक इस पर 10 प्रतिशत से कम प्रगति थी इसलिए मंत्रि परिषद् के सामान्य निर्देशानुसार वर्ष 77 तक कार्य बन्द रहा परन्तु जनवरी, 78 में इस कार्य को पुनः आरम्भ करने के आदेश दे दिये गये हैं । तदनुसार भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण होते ही निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

जनपद फैजाबाद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कृषि विषय की मान्यता पर प्राथमिकता

60—श्री मित्रसेन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में कितने ऐसे उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय हैं जहां कृषि विषय में शिक्षण की व्यवस्था है ? उक्त जनपद में स्थापित कृषि विश्व-विद्यालय की उपयोगिता एवं आवश्यकता को देखते हुए आवश्यक आपूर्ति हेतु जनपद के उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में कृषि विषय की मान्यता पर प्राथमिकता के आधार पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जनपद फैजाबाद के 7 विद्यालय हाईस्कूल स्तर तक तथा 1 विद्यालय इंटर स्तर तक कृषि वर्ग में मान्यता प्राप्त हैं । यदि इस जनपद के कोई अन्य विद्यालय हाईस्कूल/इंटर स्तर पर कृषि वर्ग की मान्यता हेतु नियमानुसार आवेदन पत्र देते हैं और इस हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति करते पाये जायगे तो उन्हें कृषि वर्ग से मान्यता दी जावेगी ।

61—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

निचलौल ब्लाक, गोरखपुर के अन्तर्गत ग्रामों में सिंचाई के लिये नलकूपों का निर्माण

62—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निचलौल ब्लाक, गोरखपुर के ग्राम सभा जहदा मैरी, बकुलिटिया, सुवरहत, प्रयागपुर झरवलिया जो असिंचित क्षेत्र हैं, को सिंचाई सुविधा देने के लिये नलकूप निर्माण हेतु प्रार्थनापत्र प्रश्नकर्ता द्वारा अगस्त, 1977 से दिसम्बर, 1978 तक माननीय मन्त्री जी को दिये गये ? यदि हां, तो सरकार सिंचाई सुविधा उपरोक्त गांवों को देने हेतु विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां, प्रश्नकर्ता द्वारा उल्लिखित निचलौल ब्लाक गोरखपुर के ग्राम सभा बहदा मेंरी व कुलटिया सुबरहट, प्रयागपुर झखलिया गंडक नहर कमांड क्षेत्र में पड़ते हैं, इस कारण इन क्षेत्रों में राजकीय नलकूप प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गेहूं का मूल्य निर्धारण

63—श्री बाबू लाल वर्मा, श्री बाबूलाल सरोज, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त श्री मन्ना लाल (जिला खीरी) तथा श्री औसान सिंह (जिला इटावा)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र फरवरी, 1979 या मार्च, 1979 के बीच प्राप्त हुआ जिसमें गेहूं का दाम 125 रुपया प्रति कुन्तल रखने की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो सरकार ने गेहूं के भाव निर्धारित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री मलिखान सिंह—

जी नहीं, किन्तु राज्य सरकार द्वारा वर्तमान रबी मारकेटिंग वर्ष के लिये गेहूं के खरीद मूल्य में उचित वृद्धि किये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया था । भारत सरकार ने गेहूं का खरीद मूल्य 115 रु0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है ।

64—65—श्री राज किशोर तिवारी—

[7 वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 6—7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सरकार द्वारा प्रदेश के डिग्री कालेजों की प्रबन्ध समितियों को भंग कर उनका प्रबन्ध आपने नियन्त्रण में लेना

66—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के अधिकतर डिग्री कालेजों ने अपने मैनेजमेंट शेयर कई वर्षों से नहीं जमा किया है ? यदि हां, तो ऐसे डिग्री कालेजों की प्रबन्ध समितियों को भंग करके उनका प्रबन्ध अपने हाथ में लेने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

महाविद्यालयों के मैनेजमेंट शेयर से माननीय सदस्य का तात्पर्य जिस धनराशि से है उस धनराशि को जमा कराने के लिये शासन सक्षम नहीं है । अतएव इन कालेजों की प्रबन्ध समितियों को भंग करने का प्रश्न नहीं उठता ।

67–68—श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

[8 वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल के गैर शिक्षक कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता

69—श्री रामदत्त जोशी—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल के गैर शिक्षक कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता उस तिथि से नहीं दिया जा रहा है जिस तिथि से राज्य कर्मचारियों को उपरोक्त भत्ता पर्वतीय अंचल में दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जी हां। पहले यह भत्ता केवल राज्य कर्मचारियों को ही देने के आदेश थे। बाद में पर्वतीय क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मचारियों ने भी पर्वतीय भत्ता दिये जाने की मांग की। शासन ने विचारोपरांत उनकी मांग स्वीकार की और निर्णय की तिथि से यह भत्ता दिया गया।

जनपद शाहजहांपुर के जिला परिषदीय प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों के सहायक व प्रधानाध्यापकों की स्थानातन्रण संबंधी नीति

70—श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि पिछले एक वर्ष में जनपद शाहजहांपुर के जिला परिषदीय प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों के सहायक व प्रधानाध्यापकों के स्थानान्तरण की क्या नीति रही है ? उपरोक्त अवधि में कुल कितने स्थानान्तरण किये गए हैं ? क्या यह सच है कि इस विषय में प्रश्नकर्ता एवं अन्य विधायकों की संस्तुति, नियमों तथा अत्यन्त आवश्यक आधारों की उपेक्षा करके स्थानान्तरण किए गए हैं ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सरकार किसी स्पष्ट नीति का अनुपालन करायेगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

शिक्षा सत्र 1978–79 में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा निम्नलिखित निर्देश अध्यापकों के स्थानान्तरण तथा समायोजन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिये गये थे।

(1) 31–8–78 की छात्र संख्या के आधार पर यदि किसी विद्यालय में अध्यापक फालतू हैं तो उस अध्यापक को हटाया जाय जिसकी सेवा अन्य से कम हो।

(2) 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के अध्यापक को सामान्यतः न हटाया जाय।

(3) जिन बालिका विद्यालयों में अध्यापिकायें नहीं पहुंच पाती उनको मिश्रित विद्यालय घोषित किये जाने के फलस्वरूप पुरुष अध्यापक तैनात किये जायें।

(4) अध्यापिकाओं को यथासंभव उनके निवास स्थान के निकट और आवागमन की सुविधा वाले विद्यालयों में तैनात किया जाय।

(5) जो अध्यापक अपने निवास स्थान से दूर तैनात हैं उन्हें उनके निवास स्थान के निकट तैनात किये जाने का प्रयास किया जाय।

उक्त अवधि में कुल 40 स्थानान्तरण किये गये जो प्रशासनिक कारण उर्दू शिक्षण की व्यवस्था, विकलांग और महिलाओं को सुविधाजनक रिक्त स्थानों पर तैनात करने की नीति, विधायक एवं संसद सदस्यों की संस्तुति तथा अध्यापकों की प्रार्थना के आधार पर किये गये।

जी नहीं। सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् के आदेश दिनांक 7–2–79 द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया था कि शेष शिक्षा में शिक्षा के हित में स्थानान्तरण न किये जायें। अतः माननीय विधायकों की संस्तुतियों के संबंध में जिला स्तरीय समिति ने अपना निर्णय वार्षिक प्रबन्ध के लिये स्थगित कर दिया।

अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। इस वर्ष स्थानान्तरण के संबंध में अध्यक्ष, बेसिक शिक्षा परिषद्, अपने निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजने की कार्यवाही कर रहे हैं।

जनपद मिर्जापुर में चोपन ब्लाक के अन्तर्गत अगोरी से छितिक पुरवा, भरहरी, ओबरा से जुगैले, भरहरी तक सड़क निर्माण

71—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर), श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर, चोपन, ब्लाक के अन्तर्गत अगोरी से छितिक पुरवा, भरहरी तथा ओबरा से जुगैले भरहरी तक सड़क बन रही है ? यदि हां, तो कब तक तैयार हो जायगी ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

ये दोनों सड़कें नहीं बन रही हैं। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि ये कब तक बनकर तैयार हो जायेगी।

ओबरा से जुगैल-भरहरी तक मार्ग निर्माण कार्य किसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।

अगोरी से छितिकपुरवा भरहरी मार्ग, जिसकी कुल लम्बाई लगभग 39.5 कि0 मी0 है, के अगोरी की ओर से 17 कि0 मी0 लम्बाई में खाद्यान्न योजना नं0 3 और 4 के अन्तर्गत केवल मिट्टी का कार्य स्वीकृत है। इस कार्य में पुल तथा लघु सेतुओं का निर्माण स्वीकृत नहीं है। पुल तथा लघु सेतुओं के न होने से मिट्टी के कार्य पर जो भी व्यय होगा वह व्यर्थ हो जायेगा।

जनपद एटा के नलकूप खंड के अवर अभियन्ता, श्री गंगाराम का निलम्बन

72—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद एटा में श्री गंगाराम, अवर अभियन्ता (यांत्रिक) नलकूप खण्ड, एटा दिनांक 1 सितम्बर, 1976 से निलम्बित हैं और अब तक उनके सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है जबकि नियमानुसार किसी कर्मचारी को 6 माह से अधिक निलम्बित नहीं रखा जाना चाहिये ? यदि हां, तो कब तक उनके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया जावेगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्री गंगाराम, अवर अभियन्ता (यांत्रिक) नलकूप खंड, एटा दिनांक 1-9-1976 से निलम्बित हैं। जांच अधिकारी को रिकार्ड उपलब्ध न हो सकने के कारण जांच एवं मामले में निर्णय लिये जाने में विलम्ब हुआ है। जांच यथाशीघ्र पूर्ण कर अन्तिम निर्णय लिये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर के गैर निरीक्षक कर्मचारियों द्वारा अनशन

73—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर कार्यालय, पर जनपद के कुछ गैर शिक्षक कर्मचारी 17 जनवरी, 1979 से अनशन कर रहे हैं ? उनकी मांगें क्या हैं, उन्हें पूरा करने में शासन के समक्ष क्या कठिनाई है?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

दयानन्द इं0 का0, सोरावार, गोरखपुर में आचार्य की नियुक्ति

74—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान समय में दयानन्द इं0 का0 सोराबार, गोरखपुर के प्राचार्य एक अवकाश प्राप्त विद्यालय निरीक्षक हैं ? यदि हां, तो इस नियुक्ति का आधार क्या है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हां। राजकीय सेवा से निवृत्त होने के उपरान्त प्राचार्य का चुनाव नियमानुसार हुआ जो 60 वर्ष की आयु तक कार्यरत रह सकते हैं। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद द्वारा अनियमितता

75—श्री मित्रसेन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद के विरुद्ध घोर अनियमितता सम्बन्धी गम्भीर आरोप के कितने प्रार्थना-पत्र मार्च वर्ष 1978 से 30 सितम्बर, 1978 तक शासन को प्राप्त हुए हैं जो जनपद फैजाबाद के विधायकों अथवा संसद सदस्यों से सम्बन्धित हैं और उन शिकायती पत्रों पर अब तक शासन स्तर से क्या कार्यवाही हुई और क्या-क्या तथ्य एवं अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मार्च 1978 से 30 सितम्बर, 1978 की अवधि में जनपद फैजाबाद के विधायकों के कुल चार शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं। संसद सदस्यों से उक्त अवधि में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त पत्रों में की गई शिकायतों की जांच कराई जा रही है।

उ0 प्र0 के बाढ़ पीड़ित जिलों के कर्मचारियों को सी0 डी0 एस0 के अन्तर्गत जमा धनराशि की वापसी की मांग

76—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री (उच्च शिक्षा) बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित बाढ़ पीड़ित जिलों के अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यक जमा योजना (सी0डी0एस0) के अन्तर्गत जमा की गई धनराशि की शेष तीन किस्तें एक साथ 31 मार्च, 1979 के पूर्व तक कर्मचारियों को लौटा दिए जाने सम्बन्धी शासनादेश के बावजूद भी फतेहपुर जनपद के डिग्री कालेजों के कर्मचारियों को अब तक उक्त धनराशि क्यों नहीं लौटाई गई ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

फतेहपुर जनपद में केवल महात्मा गांधी डिग्री कालेज, फतेहपुर एक मात्र सहायता प्राप्त डिग्री कालेज है। इस कालेज के स्थाई प्राचार्य के चैकित्सक अवकाश पर रहने के कारण आवश्यक जमा योजना (सी0डी0एस0) के अन्तर्गत जमा की गयी। धनराशि इस कालेज के कर्मचारियों को अभी नहीं लौटाई जा सकी है।

सरदार पटेल स्मारक इन्टर कालेज, लारपुर, फैजाबाद की शिक्षिकाओं की नियुक्तियां तथा उनमें हरिजन प्राध्यापकों के प्रार्थना-पत्र

77—श्रीमती रामरति देवी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22 जनवरी, 1978 को फैजाबाद से प्रकाशित समाचार-पत्र 'जन-मोर्चा' में सरदार पटेल स्मारक इण्टर कालेज, लारपुर, फैजाबाद की शिक्षिकाओं के विज्ञापन के अनुसार नियुक्तियां कर दी गयीं? यदि हां, तो किन-किन पदों पर किनकी नियुक्तियां की गयीं ?

श्री कैलाशनाथ सिंह—

कोई नियुक्ति नहीं की गई ।

78—श्रीमती रामरति देवी—

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उसमें कितने हरिजन प्राध्यापकों ने प्रार्थना-पत्र दिया था ? उनकी योग्यता क्या थी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

केवल एक हरिजन महिला अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी योग्यता एम0ए0, बी0 एड0 थी ।

शहीद इण्टर कालेज, मैरापुर, जिला फर्रुखाबाद में अध्यापकों एवं कर्मचारियों द्वारा जमा प्राविधायी निधि

79—श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शहीद इण्टर कालेज, मैरापुर, जिला फर्रुखाबाद का वेतन भुगतान अधिनियम, 1971 लागू होने से 31 अक्तूबर, 1978 तक का प्राविधायी निधि योजना के अन्तर्गत समस्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों का प्राविधायी निधि जमा हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसे ठीक करने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हां, जमा हो गयी है । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रान्तीय खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद के सहायक अभियन्ता श्री एम0 डी0 पाण्डेय द्वारा भ्रष्टाचार

80—श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रांतीय खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद में सहायक अभियन्ता (श्री एम0डी0 पाण्डेय) के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार एवं भारी गड़बड़ियों की शिकायतें वर्ष 1978 में प्राप्त हुई हैं ? क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता (श्री एम0 डी0 पाण्डेय) द्वारा फैजाबाद नियावां रोड पर एक आलीशान भवन विभाग के लोहा सीमेंट से बना लिया गया है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जी हां । श्री पाण्डेय पर लगाया गया आरोप जांचोपरांत सही नहीं पाया गया ।

नवीन महिला सेवा सदन इन्टर कालेज, इलाहाबाद में अध्यापिकाओं के बकाया वेतन का भुगतान

81—श्री अशर्फीलाल यादव—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि नवीन महिला सेवा सदन इण्टर कालेज, इलाहाबाद में अध्यापिकाओं का संशोधित वेतन-मान की धनराशि सन् 1974 से बकाया है ? यदि हां, तो वह धनराशि प्रति अध्यापिका कितनी और उसके भुगतान के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत विद्यालय की जूनियर कक्षाओं में नियुक्त दो निम्नलिखित अध्यापिकाओं के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद एवं प्रबंधाधिकरण के बीच पत्र-व्यवहार किया जा रहा है और प्रकरण निर्णीत हो जाने पर निम्नानुसार धनराशि देय होगी:—

क्रम सं0	अध्यापिका का नाम	अनुमानित धनराशि
		रु0
1—कुमारी अजन्ता चटर्जी	.. ..	.. 2798–00
2—कुमारी वी0 गिरिजा	.. ..	.. 3504–00

फैजाबाद जनपद में धान के क्रय केन्द्र

82—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में कुल कितने धान के क्रय केन्द्र खोले गये हैं और धान क्रय हेतु कितनी धनराशि 31 दिसम्बर, 1978 तक आवंटित की गयी है और उसमें से कितनी धनराशि का धान खरीदा गया है ?

श्री मलिखान सिंह—

फैजाबाद जनपद में धान खरीद के लिये राज्य सरकार द्वारा दस तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा चार कुल चौदह क्रय केन्द्र खोले गये । फैजाबाद मण्डल में राज्य सरकार के क्रय केन्द्रों पर धान खरीद के लिये कुल 73,100 रु0 की धनराशि आवंटित की गयी थी जिसमें से फैजाबाद जनपद में धान खरीद के लिये 37,179 रु0 31 पैसे की धनराशि इस व्यवस्था के साथ आबंटित की गयी थी कि आवश्यकतानुसार मंडल के लिये आवंटित धनराशि में से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जाती रहेगी । 31 दिसम्बर, 1978 तक फैजाबाद जनपद में राज्य सरकार के क्रय केन्द्रों पर 26,569 रु0 14 पैसे की धनराशि धान खरीद में प्रयुक्त की गयी ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा फैजाबाद जनपद में 31 दिसम्बर, 1978 तक धान खरीद में 1,86,163 रु0 66 पैसे की धनराशि व्यय की गयी ।

गोरखपुर के ब्लाक कौड़ीराम, पिपरौली, खोराबार में गेहूं क्रय केन्द्र

83—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर के ब्लाक कौड़ीराम, पिपरौरी, खोराबार में 12 अप्रैल, 1979 तक गेहूं के कितने केन्द्र ने विधिवत् कार्य शुरू कर दिये ? क्या सरकार द्वारा घोषित दूरी के अनुकूल ये केन्द्र हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मलिखान सिंह—

कौड़ीराम, पिपरौली तथा खोराबार विकास क्षेत्रों में दिनांक 12 अप्रैल, 1979 तक गेहूं के चार क्रय केन्द्र खोले जा चुके थे और ये केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 10 किलोमीटर की परिधि में हैं ।

गोरखपुर के ब्लाक बांसगांव में सीमेन्ट की दुकानें

84—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर के ब्लाक बांसगांव खोराबार में सीमेन्ट की कितनी दूकानें हैं ? क्या ये सभी दूकानें दोनों ब्लाकों के क्षेत्र के बाहर स्थित हैं ? क्या जनता की परेशानी को देखते हुए उन्हें ब्लाक की सीमा में रहने का निर्देश सरकार देगी ?

श्री मलिखान सिंह—

बांस गांव विकास क्षेत्र में मैसर्स ताराचन्द्र पुरुषोतम दास उनवाल एक ही सीमेन्ट लाइसेंसी हैं, जो ब्लाक बांसगांव विकास क्षेत्र के अन्दर स्थित है । इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में 6 अन्य दूकानें सम्बद्ध हैं जो कौड़ी राम ब्लाक क्षेत्र में स्थित है । खोराबार विकास क्षेत्र में कोई स्थानीय सीमेण्ट लाईसेन्सी कार्यरत नहीं है । इस क्षेत्र को सीमेंट की आपूर्ति हेतु मोहद्दीपुर, चौरी-चौरा और कुसमी बाजार के एक-एक लाइसेंसी के सम्बद्ध किया गया है । शासन द्वारा आदेश जारी किये जा चुक हैं कि जिन विकास खंडों में सीमेंट का कोई लाइसेंसी नहीं है उनमें प्रति 50 हजार जनता के लिए एक सीमेन्ट लाइसेंसी नियुक्त किया जाय ।

बस्ती जिले के विकास क्षेत्र इटवा, खुनियांव तथा ननवापुर को सीमेन्ट आवंटन

85—श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत विकास क्षेत्र इटवा, खुनियांव तथा भनवापुर में वर्ष 1978 के जुलाई से लगायत दिसम्बर, 1978 तक सीमेन्ट की कितनी बोरियों का आबंटन वितरण हेतु हुआ ? क्या यह सत्य है कि जिला के अन्य विकास खंडों की तुलना में इन तीनों ब्लाकों में सीमेन्ट का आवंटन कम हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मलिखान सिंह—

विकास क्षेत्र इटवा खुनियांव तथा भनवापुर में जुलाई से दिसम्बर, 1978 की अवधि में क्रमश: 1,908; 1,450 तथा 2,590 बोरी सीमेन्ट का वितरण खंड विकास अधिकारी के माध्यम से हुआ । इसके अतिरिक्त परगनाधिकारी द्वारा 5,807 बोरी तथा तहसीलदार द्वारा 4,281 बोरी सीमेन्ट के परमिट तहसील डुमरियागंज के निवासियों को अलग से जारी किये गये । यह सत्य है कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा प्रश्नगत विकास क्षेत्रों में सीमेन्ट कम पहुंच पाया क्योंकि पिछले वर्ष बाढ़ का प्रकोप अधिक हो जाने के कारण आवागमन के साधन अवरुद्ध हो गये थे । अन्य विकास क्षेत्रों में पुराने त्रैमास की अवशेष मात्रा बिकने के कारण भी उनके वितरण की मात्रा बढ़ गयी थी ।

बस्ती जिले के भूतपूर्व जिला पूर्ति अधिकारी पर भ्रष्टाचार संबंधी आरोप

86—श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के टाउन एरिया, बांसी में स्वर्णकार ब्रदर्स नामक फर्जी फर्म के सम्बन्ध में सितम्बर, 1977 में प्रश्नकर्त्ता ने कोई शिकायती-पत्र मन्त्री जी को दिया था जिसमें बस्ती जिले के भूतपूर्व जिला पूर्ति अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप

लगाए गये थे? यदि हां, तो उस आवेदन-पत्र की जांच किस अधिकारी से कराई गयी ? और जांच परिणाम क्या हुआ ?

श्री मलिखान सिंह—

जी हां, जांच पुलिस अधीक्षक, पुलिस सेल, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा कराई गई है। इस जांच के आधार पर तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है और उन पर आरोप पत्रों की तामीली की जा चुकी है।

कतिपय विषय

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं नियम 301 की सूचनायें लेता हूं।

श्री कृष्ण कुमार पालीवाल (जिला जालौन)—

मान्यवर, सभी गेहूं क्रय केन्द्रों पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार मचा हुआ है। कौन ऐसा जिला है जिसमें भ्रष्टाचार और किसानों का शोषण नहीं है, वह बतायें। इस पर आप सवाल हो जाने दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। अभी इसके ऊपर बयान आएगा।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न इन्हीं प्रश्नों के बारे में है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको बाद में कहिएगा, अभी नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं।

झांसी–लखनऊ डाक यात्री गाड़ी के इंजन की आग से ग्राम बिनौर, जिला कानपुर के हरिजनों के मकानों के जल जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री जौहरी लाल त्रिवेदी (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

दिनांक 4–6–79 को समय साढ़े पांच बजे शाम को झांसी से लखनऊ जाने वाली डाक-गाड़ी से ग्राम बिनौर थाना रस्वेड़ी तहसील व जिला कानपुर के 10 हरिजन परिवारों के मकान जलकर राख हो गये। गाड़ी झांसी से कानपुर की ओर जा रही थी। रेलवे लाइन के किनारे इन सभी हरिजनों के मकान बने हैं। ड्राइवर की असावधानी के कारण इन्जन से आग की जलती हुई चिनगारी उड़कर पूसे पुत्र अंगनू कुरील के छप्पर पर जा गिरी और छप्पर के साथ ही पूसे का घर जलने लगा, घरों में मौजूद औरतों ने शोर मचाया, पर वहां पर पानी का कोई सहारा न होने के कारण तथा गांव में उस समय आदमी भी नहीं थे जो कोई सहयोग करता। सरांय मुहल्ले के और जो सभी हरिजन हैं, जिनके नाम, मास्टर कुरील, मूलचन्द्र कुरील, छोटेलाल कुरील, राम अवतार कुरील, पुन्ना कुरील, कन्हई कुरील, राजा कुरील, श्यामलाल कुरील, पूसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जौहरी लाल त्रिवेदी]

कुरील, सुखलाल कुरील, सभी के मकान आग के पेट में समा गये। इन सभी परिवारों के खाने का सामान, कपड़ा कोई भी वस्तु नहीं बचा है और मकान की दीवालें भी जलकर खाक हो गयीं। सभी लोग पेड़ों के नीचे रह रहें हैं। जिला प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है ऐसी दशा में आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाते हुए इन सभी हरिजन पीड़ित परिवार के रहने के लिये मकान तथा भोजन, कपड़ा की सरकार की ओर से इन्तजाम की तुरन्त व्यवस्था किये जाने की जोरदार मांग करता हूं।

अकबरपुर, फैजाबाद में भुजिया-चावल की लेवी न होने से किसानों को घाटा संबंधी विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री हरीराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अकबरपुर जनपद फैजाबाद में भुजिया चावल की लेवी सरकार द्वारा न खरीदने से किसानों का चावल सस्ते दामों पर बिकने और चोरी छिपे जिले के बाहर ले जाने से टैक्स की चोरी की तरफ इस लोक महत्व की सूचना से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, अकबरपुर जनपद फैजाबाद में भुजिया एवं मोटे चावल की लेवी सरकार नहीं खरीद रही है जिसके कारण चावल खुले आम जिले के बाहर बिक्री के लिये नही जा सकता है। इस कारण किसानों का चावल व्यापारी सस्ते दामों पर खरीदकर चोरी छिपे बाहर ले जा रहे हैं। चावल की चोरी छिपे जिले के बाहर बिक्री हेतु ले जाने से सेल्स टैक्स, कृषि मंडी समिति टैक्स, आयकर तथा चुंगी की चोरी से बहुत बड़ी क्षति हो रही है। साथ ही साथ किसानों का चावल कम मूल्य में बिक करके किसानों का सबसे बड़ा घाटा हो रहा है। परन्तु इस चोरी छिपे व्यापार में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का सबसे बड़ा लाभ इस कारण है कि यह व्यापारियों को चावल बाहर ले जाते समय पकड़कर उनसे बड़ी रकम उठा लेते हैं।

मान्यवर, इस कारण चोरी छिपे चावल के व्यापार से व्यापारियों, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अकबरपुर सरकारी गोदाम में कई हजार बोरी पुराना चावल पड़ा है। उसकी सप्लाई नहीं हो रहीं है। गोदाम भाड़े से इस चावल का मूल्य अधिक हो गया है।

अतः मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप शासन को निर्देश दें कि सरकार चावल को लेवी में खरीदे और यदि सरकार चावल लेवी में न खरीद सके तो जनपद फैजाबाद का चावल दूसरे जिले में जाने की अनुमति दें, ताकि व्यापारी ठीक से व्यापार कर सकें और सरकार को टैक्स का घाटा न हो और किसान अपने चावल का उचित मूल्य पा सके।

फैजाबाद के गौरापट्टी क्षेत्रों में आवास विकास परिषद् द्वारा भूमि अधिगृहीत किये जाने से असन्तोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री जयशंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान फैजाबाद शहर में नहरबाग स्थित गौरापट्टी क्षेत्र की भूमि को "नहरबाग गौंरापट्टी भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, फैजाबाद" द्वारा अधिग्रहण किये जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

करीब 30 एकड़ क्षेत्र की भूमि में खेती करके तथा सब्जी व सब्जी का बीज पैदा करके सैकड़ों की संख्या में जनजीवन जीवकोपार्जन करते हैं तथा क्षेत्रीय और अन्य प्रान्तों में बीज सप्लाई का कार्य भी करते हैं। फैजाबाद जनपद में यह स्थान सर्वाधिक बीजों की उपज के लिए प्रसिद्ध है।

कथित अधिग्रहण की सूचना से यहां के आम जनजीवन में घोर निराशा है जो धीरे-धीरे आक्रोश का रूप धारण कर रही है क्योंकि इससे जनजीवन के पेट से भूख का रिश्ता जुड़ा हुआ है।

कृपया आप सरकार को निर्देश दें कि वह इस भूमि के अलावा अयोध्या-फैजाबाद रोड पर अथवा अन्य स्थान पर भूमि आवास विकास के लिए अधिग्रहीत करे।

स्वास्थ्य विभाग के डाइरेक्टर द्वारा दवाओं की अनियमित खरीद के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है कि माह मार्च, 1979 में डाइरेक्टर सी0 एम0 एस0 डी0 मेडिकल ऐंड हेल्थ ने केवल एक फर्म मैसर्स वायलोजिकल इवान्स को केवल एक औषधि बैपैनेक्स खरीदने के लिए 43 लाख रुपये का आर्डर दिया। सामान्यत: एक आर्डर 5 से 10 लाख रुपये तक का ही दिया जाता है, परन्तु यह आर्डर 43 लाख रुपये का नियम विरुद्ध दिया गया और वह भी केवल एक वार में। इससे स्पष्ट है कि इसमें बहुत बड़ा घपला है। बताया यह जाता है कि वह सौदा लखनऊ स्थित एक ड्रग स्टोर के माध्यम से तय हुआ और इसमें लगभग 3 लाख रुपया कमीशन लिया गया।

सरकार से अनुरोध है कि इस गम्भीर मसले की तुरन्त जांच करें तथा गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को दंडित करें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री, यह बड़ा गम्भीर मामला है। इसकी जांच करायें।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

और मंत्रीगण तो बैठे हैं। वह मेरा निर्देश पहुंचा देंगे।

सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0 बस्ती के अध्यक्ष द्वारा की जा रही अनियमितताओं से किसानों एवं कर्मचारियों में असन्तोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)—

मान्यवर, सरकारी क्रय-विक्रय समिति लि0, बस्ती के अध्यक्ष ने एक कृषक का लगभग डेढ़ सौ क्विंटल आलू फर्जी तौर से दूसरे व्यक्ति को सहकारी शीतगृह बस्ती से निकलवा दिया था। उक्त कृषक के शिकायती-पत्र पर निबन्धक सहकारी समितियों, उ0 प्र0, बस्ती ने जांच करके अध्यक्ष को दोषी पाकर उनकी सत्य निष्ठा संदिग्ध घोषित कर दिया। उसी आधार पर श्री जगदत्त सिंह अध्यक्ष के विरुद्ध सहकारी नियमावली के नियम 454 के अनुरूप आवश्यकीय व्यवस्था हेतु जून के प्रथम सप्ताह में एक आवश्यक बैठक आहूत की गयी थी। 2 जून, 1979 को सायं 5.30 बजे समिति के कार्यालय पर श्री जगदत्त सिंह, अध्यक्ष कुछ अराजक तत्वों के साथ आकर समिति के एकाउन्टेंट श्री चन्द्रिका सिंह को उक्त समिति से संबंधित रजिस्टर आदि छीन ले गये तथा उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किये तथा यह भी कहा कि यदि 4 जून को बैठक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबू राम वर्मा]

हुई तो तुम लोगों को जान से समाप्त करा दूंगा जिसके कारण संस्था के सचिव अपनी जान बचाने के लिए छिपे हैं। उक्त समिति के अन्तर्गत शीतगृह में जमा करने वाले हजारों कृषकों एवं कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है। आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की तरफ खींचना चाहता हूं कि तुरन्त सहकारी क्रय-विक्रय समिति बस्ती के अध्यक्ष को बरखास्त करके कृषकों एवं क्रय-विक्रय समिति के कर्मचारियों के अन्दर व्याप्त असुरक्षा एवं असंतोष को दूर करें। लाखों रुपये का आलू जो अव्यवस्था के कारण सहकारी शीतगृह में सड़ जाने की सम्भावना है इसकी व्यवस्था तुरन्त की जाय। उसी के साथ ही साथ यह भी जांच करायी जाय कि सहकारी शीतगृह से और कितने कृषकों का आलू फर्जी तौर पर निकाला गया है। मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय सहकारिता मन्त्री से तुरन्त इसके सम्बन्ध में आज ही वक्तव्य दिलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

मन्त्री जी, इसकी जांच करा लें।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान लागू न करने से व्याप्त असन्तोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद में यू0 जी0 सी0 वेतनमानों को लागू न किये जाने के कारण यहां के प्राध्यापकों व अन्य कर्मचारियों में घोर असंतोष व्याप्त हो गया है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार की मन्त्रि-परिषद् की बैठक में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय में यू0 जी0 सी0 वेतन मानों को लागू करने का निर्णय लिया गया। परन्तु अभी तक इस सन्दर्भ में कोई भी शासनादेश जारी नहीं हुआ है। परिणामतः यू0 जी0 सी0 वेतन मानों के अभाव में कृषि विश्वविद्यालय में योग्य तथा अनुभवी प्राध्यापकों एवं शिक्षकों का चयन नहीं हो पा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह विश्वविद्यालय पिछड़ेपन को दूर करने तथा कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास के लिये कायम किया गया था। यह भी सूचना मिली है कि यू0 जी0 सी0 वेतन मानों को लागू न करने के कारण बहुत से योग्य प्राध्यापक विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्यत्र चले गये जिससे इस क्षेत्र में एकेडेमिक स्तर में गिरावट आ गयी है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि आचार्य नरेन्द्रदेव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में तात्कालिक प्रभाव से यू0 जी0 सी0 वेतन मानों को लागू कर दिया जाय। (व्यवधान)

नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकृत संख्या से अधिक सूचनायें स्वीकार किये जाने पर आपत्ति

श्री उपाध्यक्ष---

कृपया सदन में शांति बनाये रखें।

श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)---

मान्यवर, यही कायदा है। यह मछली बाजार है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि नियम 301 के अन्तर्गत 5 और अधिक से अधिक 10 सूचनायें स्वीकृत की जायेंगी। यह मरसिया जैसा हो गया है।

---

*वक्ताने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

जब बहुत आवश्यक सूचनायें आ जाती है तो उनको स्वीकार कर लिया जाता है। 10 के ऊपर हम नहीं जाते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, 10 के ऊपर नहीं जाना चाहिए।

श्री देव बहादुर सिंह—

मुझे एतराज नहीं है। नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें पढ़ी जा रही हैं और जो स्थिति इस समय सदन में है उससे पता चलता है कि सरकार उनमें कितनी रुचि लेती है। आप देख रहे हैं कोई भी नहीं सुन रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

अलग से सेल खोल दिया है कि नियमित रूप से सूचना मिल जाया करे।

रायबरेली के करहिया स्टेट में प्राइमरी पाठशाला का भवन गिरने से प्रसिद्ध साहित्यकार श्री अमर बहादुर सिंह 'अमरेश' की मृत्यु तथा प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, राज्य सरकार द्वारा शासकीय प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों के रख-रखाव तथा मरम्मत की समुचित व्यवस्था कर पाने में विफल रहने के परिणामस्वरूप हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक, कवि, पत्रकार एवं उपन्यासकार श्री अमर बहादुर सिंह 'अमरेश' की हृदय विदारक मृत्यु का प्रश्न आपके माध्यम से आम सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

मान्यवर, स्व0 श्री अमरेश गत दिवस एक बारात में रायबरेली जिले के करहिया स्टेट गये थे। भीषण आंधी आई। वह आंधी से बचने के लिए एक शासकीय प्राइमरी पाठशाला के भवन में कुछ साथियों सहित लेट गये। वहीं व्यवस्था की गयी थी। भवन का खम्भा टूट कर गिर गया। श्री अमरेश बुरी तरह घायल हो गये और सलोन स्थित अस्पताल पहुंचते-पहुंचते उन्होंने अंतिम सांस पूरी कर ली। प्रतिबद्ध समाजसेवी के इस असामयिक एवं दुःखद निधन से सम्पूर्ण हिन्दी जगत शोकमग्न है। परन्तु जिस परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई, वह एक अत्यन्त गम्भीर एवं चिन्ता का विषय है।

मान्यवर, प्राइमरी स्कूलों के भवन ढहने तथा बच्चों के मरने की घटनायें इसके पूर्व भी प्रकाश में आई हैं परन्तु आज तो एक महान् विभूति हम से छिन गई। प्रश्न यह है कि प्राइमरी पाठशाला भवनों की इतनी उपेक्षा क्यों? यदि भवन टूट रहा था तो बच्चे क्यों पढ़ते थे तथा बारातों के टिकाने हेतु मना क्यों नहीं किया गया?

मान्यवर, मैं श्री सिंह के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ शासन से मांग करूंगा कि वह स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य दें तथा इस आशय की घोषणा करें कि दिवंगत विभूति की स्मृति में एक स्मारक बनाया जायगा और प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों की दशा सुधारने हेतु अविलम्ब प्रभावी एवं तात्कालिक कदम उठाये जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद जालौन में गेहूं क्रय केन्द्रों पर बोरों की कमी तथा भीगे गेहूं को न खरीदे जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री कौशल किशोर (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। जनपद जालौन में कृषक बारदाने (बोरा) की कमी से परेशानी में गुजर रहा है। सम्पूर्ण जनपद में गेहूं क्रय केन्द्रों पर बारदाने की पिछले सप्ताह से भारी कमी है। माननीय खाद्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि प्रदेश में बारदाने की कमी नहीं होने दी जायगी। किसानों का अनाज क्रय केन्द्रों पर बारदाने की कमी की वजह से पड़ा हुआ है। बरसात प्रारम्भ हो गई है, जिसकी वजह से कृषकों में भारी असन्तोष और भय व्याप्त है। सहकारी क्रय केन्द्रों पर जिन पर बारदाना उपलब्ध भी है, कृषकों को वापस भेजा जा रहा है। सहकारी बैंक कुठौन्द में कृषकों को जिनके पास अच्छे किस्म का गेहूं है, वापस भेज दिया जाता है कभी बारदाने की कमी और कभी पैसे का अभाव तथा गेहूं की खराबी बताकर कृषकों को परेशान किया जा रहा है। बिचौलियों के माध्यम से व्यापारियों से गेहूं खरीद कर फर्जी कृषकों के नाम रजिस्टर में दर्ज किये जा रहे हैं। गत मास में अचानक भारी वर्षा से कृषकों का गेहूं भारी मात्रा में भीग गया था। भीगा हुआ गेहूं क्रय केन्द्रों पर नहीं खरीदा जा रहा है। कृषक परेशान होकर उस गेहूं को 50 व 60 रुपये प्रति क्विंटल की दर से व्यापारियों को बेंच रहा है। शासन द्वारा बुन्देलखण्ड में भीगे हुए गेहूं की खरीद का मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया। इससे कृषकों का भारी नुकसान हो रहा है। आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि अविलम्ब भीगे हुए गेहूं का मूल्य निर्धारित किया जाये तथा जब तक मूल्य निर्धारित न हो सके बारदाने की कमी पूरी कर कृषकों के अनाज को बन्धक रखकर औसत मूल्य का आधा भुगतान कर दिया जाय तथा मूल्य निर्धारित होने पर शेष भुगतान की व्यवस्था कर दी जाय क्योंकि आज कल सहकारी बैंक की वसूली या अन्य ऋणों की वसूली जोरों से चल रही है। इधर कृषकों का गेहूं क्रय केन्द्रों पर खरीदा नहीं जा रहा है। दूसरी ओर वसूली करने वाले कृषकों को आतंकित और परेशान कर रहे हैं। जनपद जालौन का कृषक इस परेशानी से शासन के प्रति असन्तुष्ट होता जा रहा है। सदन के माध्यम से जनहित में आपसे अनुरोध है कि अविलम्ब इस समस्या पर शासन से वक्तव्य दिलाया जावे तथा बारदाने की कमी अविलम्ब पूरी की जावे।

नवनिर्मित नलकूपों का विद्युतीकरण न होने के कारण बन्द रहने से करोड़ों रुपयों की हानि के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हुकम चन्द तिवारी (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन का विशेषकर विद्युत् विभाग का ध्यान प्रदेश में जो दो हजार नलकूप निर्मित होने के बाद दो वर्ष से बिना विद्युतीकरण के बेकार पड़े हुए हैं के सम्बन्ध में आकृष्ट करना चाहता हूं। शासन ने इन दो हजार नलकूपों के निर्माण में 40 करोड़ रुपया 2 वर्ष में व्यय किया। 40 करोड़ रुपया व्यय होने के बाद भी किसानों को इसका लाभ प्राप्त न हो सका। इसके साथ ही साथ इस धनराशि पर लगभग 7 करोड़ रुपया दो वर्ष का ब्याज सरकार को देना पड़ा है। इन दो हजार नलकूपों को चलाने से करीब 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई होती एवं दो वर्ष में करीब 1 करोड़ क्विंटल अनाज का उत्पादन होता तथा 1 करोड़ पचास लाख रुपये सरकार के कोष में जमा होता। इसके साथ ही प्रदेश के लगभग 3 हजार शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवकों को रोजगार मिलता।

मान्यवर, इस सन्दर्भ में इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा समय समय पर तत्कालीन एवं वर्तमान मंत्री जी से अनुरोध किया जा चुका है किन्तु अभी तक प्रदेश के इस प्रश्न को लेकर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन के समक्ष कोई भी योजना प्रस्तुत नहीं की। नलकूपों की उम्र घटती जा रही है। काश इन नलकूपों के निर्माण होने के दो माह के अन्दर ही विद्युत् उपलब्ध करा दी गयी होती तो पानी का निकास भी सही रहता। किन्तु अब यह आशंका है कि इन दो हजार नलकूपों में से आधे से अधिक नलकूप बिना प्रयोग में आये ही अपनी क्षमता खो देंगे। नलकूपों का निर्माण करते समय यदि बिजली पहले ही उपलब्ध करा दी जाये तो उपरोक्त हानि भविष्य में न हो।

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप विद्युत् मंत्री जी से इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने को कहें ताकि प्रदेश की जनता के सामने सही स्थिति आ सके।

गाजीपुर में अधिकारियों की लापरवाही से नलकूपों के बन्द हो जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से गाजीपुर जनपद में सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार, मनमानी तथा लापरवाही के कारण संकटग्रस्त सिंचाई प्रणाली की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। इस जनपद में सिंचाई विभाग के 500 नलकूपों में से 100 के लगभग नलकूप बन्द हैं। जनता के बार-बार शिकायतों के बाद भी उन्हें ठीक नहीं किया गया। इससे जनपद में जायद की फसल को भारी क्षति पहुंची है। ज्ञात हुआ है कि नलकूप विभाग के स्टोर में स्पेयर पार्टस की भारी कमी है। स्टोर का सामान क्रय करने वाले अधिकारी की लापरवाही, अधिक कमीशन खाने की प्रवृति तथा स्टोर में हो रहे भारी धांधलियों के कारण समय से नलकूपों को सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तथा वे बेकार पड़े हैं। नालियों की अवस्था भी शोचनीय है। यही अवस्था लिफ्ट नहरों की भी है। जमानिया तहसील की औरा, देवल, बरेली जैसी छोटी नहरें भी ठीक से काम नहीं करती।

आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर अनुरोध करता हूं कि बिगड़े नलकूपों को तत्काल मरम्मत का आदेश देने के साथ गाजीपुर सिंचाई विभाग (नलकूप) के स्टोर की भी पूरी जांच प्रधान कार्यालय लखनऊ से आडिट पार्टी भेजकर तत्काल करायें। ऐसा होने पर लाखों का घोटाला प्रकाश में आयेगा। साथ ही यह भी जरूरी है कि जांच के पूर्व स्टोर से संबंधित अधिकारियों को तत्काल स्थानान्तरित कर दिया जाये।

रेणूकूट, मिर्जापुर में भीषण अग्निकांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, रेणूकूट जनपद, मिर्जापुर में दिनांक 31 मई, को अर्धरात्रि में एक भीषण अग्निकांड में 50 दूकानें जल कर भस्म हो गयीं। लाखों रुपयों की क्षति हुई। यह दुकानदार स्थानीय प्रभावित लोगों द्वारा पहले से ही पीड़ित थे। दूकान के स्थान के लिये कई बार विवाद एवं हटाने की योजना बनी, जिसके कारण इनको न्यायालय का सहारा लेना पड़ा था एवं उनके पक्ष में आदेश पारित हुआ था। दुकान के नाम पर मुख्य सड़क के किनारे झोपड़ी लगाये नाम मात्र की बिक्री से किसी प्रकार से अपना एवं अपने परिवार का ये लोग जीवकोपार्जन कर रहे थे। घटनाओं का अवलोकन करने पर अग्निकांड योजनाबद्ध सी लगती है। अभी तक सरकार द्वारा कोई भी राहत कार्य न किये जाने के कारण क्षेत्रीय व्यापारियों में असंतोष है। सारा सामान जल जाने के कारण से वे घर से बेघर एवं अन्न तथा जल के लिये मोहताज हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ईश्वर प्रसाद]

अस्तु मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस अग्निकांड से 50 दूकानें प्रभावित हैं उनको तत्काल राहत किया जाये एवं अग्निकांड के कारण की जांच कराने की कृपा की जाये जिससे व्याप्त असन्तोष दूर हो सके ।

लखनऊ के डालीगंज, रुद्रपुर तथा खदरा आदि मुहल्लों में व्याप्त गन्दगी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री लाल दास (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री तथा सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

मान्यवर, महानगर लखनऊ के अन्तर्गत वार्ड डालीगंज, मोहल्ला रुद्रपुर, खदरा से संबंधित मुहल्लों में आज कल सफाई न होने के कारण भीषण गन्दगी फैली हुई है । रुद्रपुर व खदरा से सम्बन्धित मोहल्ले मदेयगंज, खाले का पुरवा, मशालची टोला, मुराई टोला, खदरा, मक्कागंज' पुरानी बांसमण्डी आदि हैं जिसके कारण इन मुहल्लों में रहने वाले लगभग 25,000 नागरिकों का जीवन संकट में पड़ गया है । सफाई न होने के कारण जो गलियां और सड़कें हैं वह कीचड़ के नालों के रूप में बदल गयी हैं जिनमें कीड़े पड़ गये हैं जो घर की नालियों के द्वारा घरों में पहुंच जाते हैं । यही नहीं, दुर्गन्ध तथा मच्छरों के कारण उपरोक्त लिखित मोहल्लों में संक्रामक बीमारियों के फैलने का भय पैदा हो गया है । मच्छरों के काटने के कारण काफी लोग मलेरिया से पीड़ित हैं । अतः आपसे अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी को कुछ निर्देश दें कि उपरोक्त मुहल्लों की तुरन्त सफाई कराने की व्यवस्था करें ।

तहसील हंडिया, इलाहाबाद के प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को वेतन न मिलने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना *

*श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक लोक महत्व के प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, इलाहाबाद जनपद में तहसील हंडिया के अन्तर्गत हंडिया के प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को वेतन जब कि 2 जून को वितरित किया जा रहा था, उसमें कैशियर द्वारा 9,000 रुपये की गड़बड़ी किये जाने के कारण 7 विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन वितरण नहीं किया जा सका है जिसके कारण उन 7 विद्यालयों के शिक्षकों में भारी असंतोष व्याप्त है । जब कि बैंक से वितरण के लिए पूरी धनराशि निकाली गयी थी । वेतन वितरण की कार्यवाही उप विद्यालय निरीक्षक एवं जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य कर रहे थे । यह रुपया कैसे कम हो गया ।

अतः मैं शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि तत्काल इस ओर शासन द्वारा उचित कार्यवाही करने का निर्देश दें ।

देवरिया जिले के गुरबलिया ग्राम में अग्निकांड एवं उसके लिए सहायता की मांग को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

मान्यवर, देवरिया जिले के पडरौना तहसील के ग्राम गुरबलिया में 2 जून, 1979 को हुए अग्निकांड में 57 घर जल कर नष्ट हो गये । लंगटू की 10 वर्षीय बालिका भी जलमरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तथा लोगों के अन्न, वस्त्र, धन घारीघोठा मवेशियों के लिए घर में रखे हुए भूसे भी जलकर राख हो गये। लोगों के सामने भीषण संकट उत्पन्न हो गया है। दाने-दाने के लाले पड़े हुए हैं। इस भीषण जेठ की गर्मी में तपती लू में लोग पेड़ों के नीचे गुजर कर रहे हैं। कल की भीषण आंधी व वर्षा में वे लोग पेड़ों के गिरने के भय से मैदान में खड़े-खड़े संकट के दिन काटे हैं। सरकारी सहायता नहीं पहुंची है। लोगों में भीषण असंतोष व्याप्त है।

अस्तु लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को आपके माध्यम से माननीय सदन एवं मन्त्री जी के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि घर जले लोगों की पूरी-पूरी सहायता की जाय तथा उन्हें तकाबी और कम सूद पर कर्ज भी उपलब्ध करायें जायें तकि वे अपना घर बना सकें तथा गुजर बसर कर सकें।

बस्ती में उर्वरक एवं धान के बीजों के अभाव से किसानों में असन्तोष को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, बस्ती जनपद में खरीफ अभियान तेजी पर है। पहली बारिश हो चुकी है। धान की नर्सरी एवं बुआई का कार्य आरम्भ हो चुका है। लेकिन धान के बीज का पूर्णतया अभाव है। परिणाम स्वरूप जनपद के समस्त किसानों मे भय एवं चिन्ता व्याप्त है। केन्द्रीय बीज भण्डार एवं बफर गोदाम पूर्णतया बन्द हैं जहां से जनपद के समस्त विकास क्षेत्रों को बीज एवं उर्वरक की आपूर्ति होती है। उक्त गोदाम इस कारण बन्द हैं कि परियोजना–अधिकारी (कृषि) बस्ती ने लाखों रुपये का घोटाला किया है जिसकी रपट भी थाने में दर्ज है। परियोजनाधिकारी 2 जून से ही जनपद से गायब हैं तथा अपने कृत्यों एवं भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। वर्ष 1978 में हाथरस से एक हजार टन यूरिया बस्ती जनपद के लिये आवंटित हुई थी, जिसका अधिकांश भाग नौगढ़ तहसील को बांसी के रास्ते भेजा गया, जिसका टोल टैक्स भी उक्त मार्ग पर जमा है, लेकिन कागज में उक्त खाद सबसे अधिक दूरी वाले मार्ग से भेजा जाना दिखाकर लगभग 50,000 रु0 का गबन कर लिया। इसी प्रकार इस वर्ष बस्ती में अनाज भण्डार गृह निर्माण की धनराशि डेढ़ लाख रुपये की भुगतान परियोजनाधिकारी द्वारा कर लिया गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब उक्त भ्रष्ट अधिकारी को निलम्बित करके सतर्कता विभाग से जांच कराई जाय।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मेरा क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी सूचना नियम 301 में आ चुकी है उसे मैंने शासन को कार्यवाही के लिए भेज दिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में कापियों में नम्बर बढ़ाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला–गोरखपुर)––

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष––

इतने माननीय सदस्य खड़े होंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला–मेरठ)––

मान्यवर, मेरा क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष––

आपका पहले आ चुका है ।

श्री रवीन्द्र सिंह जी, क्या आप कोई औचित्य का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष––

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला–गोरखपुर)––

एक औचित्य के प्रश्न की सूचना मैंने दी है । कुछ दिन पूर्व गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अनियमित रूप से नम्बर बढ़ाने की सूचना थी और मंत्री जी ने कार्यवाही का आश्वासन दिया था । कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें 10–15 दिन भी विलम्ब हो जाये तो हित समाप्त हो जाता है । इसलिए यदि कापियों में नम्बर बढ़ाने वाले मामले में कार्यवाही न की तो प्रश्न पूछने का आशय समाप्त हो जायगा । पैसे के बल पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, समाप्त नहीं होगा । मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक मिनट उनको निर्देश दे दें कि इस विषय में वे अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष––

क्या आपको इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है? या आपने कोई कार्यवाही की ?

*उच्च शिक्षा मंत्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)––

मान्यवर, जो सूचना माननीय सदस्य ने सदन को दी है मैं अत्यन्त खेद के साथ उसे सही मानता हूं और इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही हुई है उसे माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

16–5–78 को गोरखपुर विश्वविद्यालय में 1977-78 की उत्तर पुस्तिकाओं में संदिग्ध स्थिति के बारे में जानकारी आयी और छात्रों ने उन पुस्तिकाओं को पकड़ा, उसमें नम्बर बढ़ाये गये थे, कापियां बदली गयी थी, कापियां घर भेजी गयी थीं, फिर से नम्बर बढ़ा दियें गये थे । 38 पुस्तिकाओं को सील कर दिया गया, इस समय वे मेरे पास नहीं हैं लेकिन मैंने सारी पुस्तिकाओं को यहां मंगा लिया है ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से सम्पर्क स्थापित किया, उन्होंने 5 आदमियों की कमेटी बनायी । श्री पी० ए० शुक्ल उसके संयोजक हैं । परीक्षा समिति ने 30, 31 मई, 1979 और पहली जून को पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए जांच बैठायी । सारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तथ्य सही पाये गये और डिप्टी रजिस्ट्रार श्री गोपी कृष्ण, पी0एस0 लाल, सहायक रजिस्ट्रार सत्यदेव, कार्यालय अधीक्षक, मिठाई लाल, कृष्ण लाल तथा अशोक सिंह आदि के माध्यम से ही सारी गड़बड़ियां हुई। जो 10 कर्मचारी काम कर रहे थे वे लोग भी शामिल थे। कुलपति महोदय से आग्रह पूर्वक कहा है कि वे इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करें। आज ही उन्होंने टेलीफोन पर बताया कि सत्य देव श्रीवास्तव को, मिठाई लाल को और 2 बाबू श्री कृष्ण श्रीवास्तव; और अशोक सिंह को निलम्बित किया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार प्रदेशीय सरकार से सम्बन्धित हैं, इसलिए उनके लिए कहा है कि रिपोर्ट तुरन्त शासन को भेजें ताकि उन पर भी निलम्बन की कार्यवाही तुरन्त की जाये।

मान्यवर, इस प्रकार की जो कार्यप्रणाली विश्वविद्यालय में हो रही है उसका मुझे खेद है। मैं यही कह सकता हूं कि जहां भी इस प्रकार की बातें आयेंगी, इनको छोड़ा नहीं जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, नियम 301 के अन्तर्गत यह सूचना थी। जब उसका क्रम आता तब आप जवाब दे सकते थे। इस तरह की सूचनायें यहां औचित्य का प्रश्न उठाने पर दी जायें इससे अच्छा यह है कि आप स्वयं सूचना दें। जब इस समस्या का नम्बर आता नियम 301 के अन्तर्गत, तब आप दे सकते थे। भविष्य में आप ध्यान रखें कि इस प्रकार की सूचनायें आप स्वयं दे दें। माननीय सदस्य को उसके लिए औचित्य का प्रश्न न उठाना पड़े।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं एक बहुत ही गम्भीर घटना की ओर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने यहां पर वक्तव्य दिया। जाहिर है कि यह क्रिमिनल कान्सप्रेसी है। क्रिमिनल कान्सप्रेसी के अन्तर्गत फोरर्जरी की गयी। बताया गया कि उन लोगों का केवल सस्पेन्शन हुआ। क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि इनके विरुद्ध पुलिस में एफ 0 आई0 आर0 दर्ज कराकर कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो मन्त्री जी कह चुके हैं कि सस्पेन्ड कर दिया गया।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि यह विश्वविद्यालय का मामला है। परीक्षा समिति के सामने इस विषय को आना है। परीक्षा समिति ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी की जांच के बाद जो भी अपराध होगा उस तरह से कार्य होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, केश के प्रागदर्शन में क्रिमिनल कान्सप्रेसी और फोरर्जरी का मुकदमा कायम हो सकता है। क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि इस मुकदमें को पुलिस में दर्ज करायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिये तो आश्वासन दे चुक हैं।

श्री सोहनबीर सिंह तोमर (जिला गाजियबाद)—

जहां तक मान्यवर, सवाल जांच का है.....।

श्री उपाध्यक्ष—

अब यह मामला खतम करें।

बस्ती जिले में श्री जसवीर सिंह नामक सरदार के सर एवं दाढ़ी के बालों को काटे जाने की घटना के संबंध में जानकारी की मांग

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला—मेरठ)—

मैं आपके सामने एक ऐसी समस्या नहीं रख रहा हूं कि किसी का कत्ल कर दिया गया, किसी को लूटा गया, किसी को मारा गया। जसबीर सिंह, एक सरदार के सर के बालों को काटा गया, दाढ़ी काटी गयी। इस समस्या को आपके सामने रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह नियम 301 में हो चुका है।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, सुबह आपके चैम्बर में हम यह समस्या लेकर आये। आपन कहा कि नियम 56 के अन्तर्गत नहीं, नियम 301 के अन्तर्गत इसे लाइये।..... (शोर)

श्री फजलुलबारी (जिला—गोंडा)—

मान्यवर, यह बहुत अहम मसला है। इस पर नियम 52 में दो घण्टे की चर्चा होनी चाहिये।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, यह समस्या अजीत सिंह सेठी की नहीं, सारे समुदाय की है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह नियम 301 में 30 मई, 1979 को आ चुका है।

एक सदस्य—

सदन उठने के पहले वक्तव्य दिला दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला—नैनीताल)—

यह सिक्ख समुदाय की बात है। यह उनके रिप्रेजेन्टेटिव हैं, एक व्यक्ति की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मामला श्री ओम प्रकाश उर्फ राममिलन सिंह ने उठाया था। सदन उठने के पहले इसमें वक्तव्य आ जायेगा। परसों तक वक्तव्य आ जायेगा।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री सेठी की सूचना आज ही आपके द्वारा प्राप्त हुई। उसके उपरान्त ही मैंने गृह सचिव को आदेश दिया है कि वह जिले से इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी करके मुझे अवगत करायें और जैसी ही जानकारी प्राप्त हुई, मैं समझता हूं कि आज शाम तक जिले से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट आ जायेगी। उसके बाद कल सदन को इस सम्बन्ध में अवगत करा दूंगा।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला—नैनीताल)—

आपने कहा कि नियम 301 में 31 मई को यह सूचना.....

श्री उपाध्यक्ष—

31 मई नहीं, 30 मई को यह सूचना नियम 301 के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश उर्फ राममिलन सिंह ने दिया था।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, सरकार ने इसकी सूचना अब तक नहीं दी है । मुख्य मंत्री को सूचना तब मिली जब श्री सेठी जी ने लिखकर दिया । पहले इस पर क्या कार्यवाही हुई वह नहीं बताया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर इनक्वायरी हो गयी होगी तो उसकी भी सूचना मिल जायगी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, 30 मई की सूचना भिन्न प्रकार से थी ।

श्री उपाध्यक्ष—

30 मई, 1979 को बस्ती जनपद के बभमान बाजार, थाना पैकुलिया के निवासी श्री सरदार जसवीर सिंह पुत्र श्री चरन सिंह को गोण्डा के हफीजुल्ला आदि द्वारा 24 मई, 1979 को पकड़कर उनकी दाढ़ी-मूंछ तथा सिर के बाल छिलवा देने से सरदारों में भारी चिन्ता एवं असंतोष के सम्बन्ध में सू ना दी गयी थी ।

श्री देव बहादुर सिंह—

इतना गम्भीर सवाल है, सरकार ने कौन सा कार्य किया है? प्रश्नकर्ता को उत्तर भेजा है कि नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मुख्य मन्त्री जी ने कह दिया है कि शाम तक आ जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

गोपालपुर फार्म मिर्जापुर में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 में दी गई सूचना पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी की मांग

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, मैंने कल नियम 301 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी कि जनपद मिर्जापुर में जो गोपालपुर फार्म है उसमें 23–24 मई, 1979 को बड़े पैमाने पर धांधलियां और अनियमिततायें बरती गयीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

कल मैंने कहा था कि इसकी इन्क्वायरी होगी ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

माननीय सहकारिता मन्त्री मौजूद हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सहकारिता मंत्री को मैं निर्देश देता हूं कि वह वक्तव्य दे देंगे ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, परसों सदन उठ जायगा । कब बयान देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

15 जून, 1979 के पहले दे देंगे ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

वह बैठे हैं उनसे पूछ लीजिये कि कब देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

हो सकेगा कल दे देंगे । मैंने कह दिया, मन्त्री जी बैठे तो हैं ।

विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी को पुलिस द्वारा पीटे जाने के संबंध में जानकारी की मांग

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । कल मैंने एक प्रश्न उठाया था जिसके बारे में आपने व्यवस्था भी दी थी और प्रश्न यह था कि इस सचिवालय के एक कर्मचारी को पुलिस के लोगों ने मारा । उसके बारे में आपने कहा था कि जानकारी करके बता दिया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये । इसकी जांच हों रही है, एस0 एस0 पी0 जांच कर रहे हैं और मार्शल इसमें जांच कर रहे हैं, जांच जब आ जायगी तो सूचित कर दिया जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इस सचिवालय के कर्मचारी को खींचकर मारा जाना बहुत गम्भीर घटना है । यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है ।

गोपालपुर फार्म मिर्जापुर में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 में दी गई सूचना पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी की मांग

(श्री श्यामधर मिश्र का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, ऐसा है, अभी सदन में माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जिस महत्वपूर्ण सवाल की ओर ध्यान आकर्षित किया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि वक्तव्य दे देंगे (शोर)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, वह नहीं होगा । आपने श्यामधर जी को बुलाया है । आपने सहकारिता मंत्री को बुला दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि वक्तव्य आ जायेगा ।(श्री हरिकेवल प्रसाद क खड़े होने पर) श्री हरिकेवल प्रसाद जी खड़े हो गये यह नियम के विरुद्ध है ।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मान्यवर, 15 को सदन उठ जायगा । (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि 15 के अन्दर वक्तव्य आ जायगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)— [×××] (शोर)।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बड़ा गलत तरीका है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायगा। कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि नियमावली की धारा 28 में लिखा हुआ है कि प्रश्न अत्यधिक लम्बे न हों और न उत्तर ही लम्बे हों। इधर हम देख रहे हैं और आज ही नत्थी (ग) में काफी लम्बा प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्नों के बारे में जब कोई बात होती है तो उसके बारे में आप हमारे कक्ष में आकर बता सकते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, वह प्रश्न 150 और 200 शब्दों के हैं। तो क्या यह लम्बे प्रश्न नहीं हैं। इसी तरह 150–200 शब्द के उत्तर भी होने लगे हैं। इसलिये इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

जो प्रश्न आते हैं वह नियमावली के अनुसार देखकर आते हैं। लेकिन यदि किसी प्रश्न के बारे में कोई बात बतायेंगे, तो यहां समय न लें बल्कि हमारे कक्ष में आप आ जायं और बतला दें तो मैं प्रश्न अनुभाग के कर्मचारियों को बुलाकर पूछूंगा।

नियम 301 की सूचनाओं की ग्राह्यता पर आपत्ति

श्री राजमंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, कुछ दिनों से देख रहा हूं कि नियम 301 में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिनका कि अविलम्बनीय लोक महत्व से कोई तालुक नहीं है और वह या तो मान्यवर, आप अपनी शराफत में या सदस्यों को नाराज न करने की प्रवृत्ति से नियम 301 में ज्यादातर प्रश्न स्वीकार कर लेते हैं। इसका नतीजा होता है कि कुछ ऐसे अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न जैसे रवीन्द्र सिंह और सेठी जी ने उठाया जो बहुत ही महत्व के हैं उन पर यह सदन विचार नहीं कर पाता या जिस किस्म के वह स्टेटमेन्ट चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं, लेकिन उनको समय नहीं मिल पाता है। इसलिये मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इन सारे प्रश्नों को जो माननीय सदस्य उठाते हैं, जो बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व के होते हैं जिन से इस प्रदेश का जन जीवन सम्बन्धित है, जिससे समाज में सुधार हो सकता है, उन पर विचार न करें और छोटे-छोटे जो उतने महत्व के न हों उनको आप स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कभी-कभी मुकदमे चल रहे हैं लेकिन माननीय सदस्य डिफेन्स के लिये प्रश्न पूछ लेते हैं। इससे इंवेस्टिंग एजेन्सी जो है उस पर और पूरे केस पर असर पड़ सकता है। इसलिये निवेदन है कि चाहे आप दो ही प्रश्न लें लेकिन वह बहुत ही महत्व के होने चाहिए जिससे समाज के जन-जीवन पर असर हो और बाहर के लोग समझ सकें कि यह सदन अविलम्बनीय लोक महत्व की बातों पर विचार करता है।

नोट:—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में हम कई बार आपसे कह चुके हैं और आपने दल के नेताओं की बैठक करके निर्णय भी कुछ लिये हैं जिनको आपने यहां सुना भी दिया है। लेकिन हमको मालूम होने लगा है कि नियम 301 में जहां तक आप पढ़वा रहे हैं वह तो ठीक है लेकिन उसका महत्व इसलिये घटता जा रहा है कि एक तो सदन में उनका उत्तर नहीं आता और दूसरे 10–10 सूचनायें पढ़वा देंगे तो उत्तर किस-किस का आयेगा। इसलिये श्री पाण्डेय ने जो प्रश्न उठाया है वह उचित है और इसलिये आप चाहे 5 या 6 सूचनायें न लें केवल 2 ही लें। लेकिन जैसा कि देव बहादुर जी ने कहा और जैसा कि पाण्डेय जी ने कहा, मैं भी उसकी ताईद करता हूं। मान्यवर, आप उस पर पुर्नविचार कर लें। यह जनहित और लोकहित में है कि 2/3 ही ऐसे प्रश्न हों लेकिन उनका उत्तर आये। एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। मान्यवर, संसद में यही प्रणाली है कि वहां एक दो प्रश्न लिये जाते हैं लेकिन संसद में उनका उत्तर आता है और वह पढ़ा जाता है। ऐसा यहां भी किया जाय। तभी इसका महत्व रहेना वरना यह महत्वपूर्ण विषय महत्वहीन होता जा रहा है। अगर 10–15 प्रश्न आ जाते हैं, तो अधिकारीगण भी उनको एक ओर फेंक देते हैं और उन पर कोई तवज्जह नहीं दिया जाता।

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, जैसा कि मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि जितने भी नियमावली के अन्तर्गत प्रश्न उठाये जायेंगे, वे बहुत ही महत्वपूर्ण होने चाहिये। मान्यवर, नियम 301 के बारे में सारे नेताओं की मीटिंग बुलाई थी और उसमें तय हुआ था कि 5 से ज्यादा नहीं लिये जायेंगें। उसका कारण यही था कि उस पर पूरा महत्व दिया जाय और पूरी कार्यवाही की जायेगी। लेकिन अब जिस तरह नियम 301 के अन्तर्गत प्रश्न आ रहे है, उससे ऐसा मालुम होता है कि विधान सभा कोई आवेदन पत्र प्राप्त होने का काउन्टर बन गया है। तो इस तरह से काम नही चलेगा इसलिये जो नियमावली है, उसके अनुसार कार्यवाही की जाय। उसको पूरा महत्व दिया जाय। इसलिये उचित यह होगा कि कम से कम प्रश्न लिये जायं और जो प्रश्न लिये जांय उन पर पूरी कार्यवाही की जाय।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं अपने सम्मानित सहयोगी और प्रख्यात सांसद माननीय राज मंगल जी के विचारों का आदर करता हूं और अपने सहयोगी सदस्य, वाराणसी और नैनीताल का भी आदर करता हूं। लेकिन हमें नियम 301 की पृष्ठभूमि–जिस पृष्ठभूमि में नियम 301 का निर्णय वर्तमान मुख्य मंत्री जी और तत्कालीन अध्यक्ष, श्री बनारसीदास जी ने लिया था, उनकी भूमिका देखनी चाहिए। उसके पहले, मान्यवर,' जीरो आवर्स' कहलाता था और तमाम बातें एक साथ कही जाती थीं। प्रशासन को उनके बारे में सूचना भी नहीं होती थी और कभी-कभी ऐसी स्थिति हो जाती थी कि कौन सा प्रश्न लिया जाय और कौनसा न लिया जाय। इसलिये सदन में शांतिपूर्ण वातावरण कायम रखने के लिये एक तरीका निकाला गया था और इसीलिये हमने उसको स्वीकार किया था क्योंकि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे। वैसे हमारे समय में यह नहीं हमको मिला। हमें तो पूरा उसको भोगना पड़ा क्यों कि 'जीरो आवर' में सबको छूट मिलती है कि वह अपनी बात उठा सके। लेकिन हम चाहते हैं कि यह सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो आपके भूतपूर्व अध्यक्ष श्री बनारसीदास जी ने इसको चलाया। उन्होंने 10/15 सूचनायें स्वीकार कीं। दुर्भाग्य से मैं उस बैठक में नहीं था जिसको आपने बुलाया था। लेकिन जहां मैं इस मत का हूं कि इसको नियंत्रित होना चाहिये, मर्यादित होना चाहिये, वहीं अगर इसकी संख्या बहुत कम कर दी जाती है तो इतने बड़े प्रदेश में जहां कि 57 जिले हैं. रोजाना किसी न किसी क्षेत्र में घटनायें होती हैं, भले ही वे प्रदेशीय महत्व की न हों, लेकिन क्षेत्रीय महत्व की होती हैं, जिले के जन-जीवन के महत्व की होती हैं। तो इतने बड़े प्रदेश में यह आवश्यक है कि नियम 301 का ऐसा इस्तेमाल किया जाय कि जिससे माननीय सदस्यगण को जिला या क्षेत्र से सूचनाएं प्राप्त हों,–भले ही वे प्रदेश के स्तर से उतनी महत्वपूर्ण न हों– उनके प्रश्नों को यहां रख सकें। यह अधिकार नियम 301 बनने के बाद हमारे माननीय सदस्यों को होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इसमें कोई बाधा या आलोचना की बात नहीं है। आपके निर्णयों से लोगों को संतोष होगा। मुकदमें वाली जो बात कही गई कि नियम 301 में मुकदमे की बात कोई वजह से ले आई गई तो इसकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो सकती है। स्क्रीनिंग की और व्यवस्था हो जाए। सचिव आपके योग्य हैं, वे कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

इस तरह का एक भी उदाहरण मेरे सामने नहीं आया है जिसका संबंध मुकदमे से हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी––

अगर नियम 301 कायम रखना है तो इसे उठाने की सदस्यों को काफी स्वतन्त्रता रहनी चाहिये।

(मुख्य मन्त्री) श्री बनारसी दास––

श्रीमन्, आपके द्वारा नियम समिति नियमों पर विचार करने के लिए बनी हुई है। यह कुछ कठिनाइयां वास्तव में हैं। इस वक्त जो सवाल आया है इसके दो ही विकल्प हो सकते हैं। एक यह कि नियम 301 को समाप्त कर दिया जाए और फिर जीरो आवर में एक साथ 10–20 जितने सदस्य खड़े हों, उनको तसल्ली जरूर होगी, अपनी बात कहेंगे, न कोई शासन पक्ष का सदस्य सुन पायेगा और न उस पर कोई कार्यवाही होगी। कार्यवाही करने के लिए मंत्रि-परिषद् का सुनना जरूरी है। अगर इसको समाप्त कर दिया जाए तो आधे घंटे का समय आप रख दें तो हमको तो थोड़ी छुट्टी हो जाएगी कि लोग अपनी बात कहते रहेंगे और सुनते रहेंगे। जिस वक्त मैं आपके स्थान पर था, मैंने यह उचित समझा कि कम से कम जो सामयिक महत्व के प्रश्न हैं, वह सदन में आयें और शासन के भी संज्ञान में आयें। लेकिन श्यामधर जी इस नियम 301 की परिधि बढ़ाना चाहते हैं। नियम 51 में एक दिन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उपस्थित हो सकता है और अत्यन्त लोकमहत्व की कोई घटना हो तो नियम 56 में आ सकती है।

लेकिन आप चाहते हैं कि नियम 301 का जो भी प्रश्न हो उसका प्रत्येक का उत्तर सदन में हो। इसका मतलब यह हुआ कि आप नियम 301 के अन्तर्गत नियम 51 का संशोधन कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि नियम 301 को समाप्त करके नियम 51 में एक दिन में एक के बजाय 5–6 प्रश्न कर दिये जायें। अगर नियम 51 में 5–6 प्रश्न कर दिये गये तो फिर उस पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार होगा और डेढ़ घंटा इसमें लगेगा और फिर नियम 56 में भी समय लगेगा। पहले नियम समिति ने यह भी विचार किया था कि कुछ सदस्यों के अधिकारों का हनन होता है तो लोग अल्पसूचित प्रश्न उठाया करते हैं। क्योंकि प्रत्येक अल्पसूचित प्रश्नों का उत्तर तुरन्त देना शासन के लिए संभव नहीं है इसलिये मैंने उस वक्त यह सुझाव दिया था कि जो अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार हो जायें वह लिये जायें और जो न स्वीकार हों उनको अन्य तारांकित प्रश्नों की तरह से रखा जाए ताकि वे सदस्य, जो तारांकित प्रश्न देते हैं और अल्पसूचित प्रश्न का नोटिस नहीं देते, उनके प्रश्न को भी आने का अवसर मिल सके।

[श्री बनारसी दास]

मेरा सभी नेताओं से अनुरोध है कि नियमावली में संशोधन पर विचार करें। नियम समिति मौजूद है। श्यामधर जी ने कहा कि संसद में ऐसी प्रणाली है, मुझे तो नहीं मालूम है कि संसद में कोई ऐसी प्रणाली है। मैं भी संसद में रहा हूं। नियमावली मेरे पास भी है। ध्यानाकर्षण वहां पर एक ही आता है। श्यामधर जी जानबूझकर गुमराह करना चाहते हैं। नियम 51 में एक सूचना आज भी है, उसका अधिकार है। चूंकि नियम 301 की परिपाटी मैंने चलाई थी और आप चाहते हैं कि उसको भी नियम 51 में लिया जाए तो आप नियम समिति की बैठक में इस पर विचार कर लें और यदि आप जल्दी आवश्यक समझते हैं तो नेताओं और जो सदस्य नियमों में संशोधन में ज्यादा दिलचस्पी रखते हों जैसे राजमंगल पाण्डेय और शतरुद्र जी हैं, उनको भी आप बुला लीजियेगा ताकि नियमों में जो कठिनाई महसूस होती है, नियम परिवर्तन पर एक बार विचार कर लिया जाए और रोज-रोज नियमों के परिवर्तन के सम्बन्ध में यह प्रश्न न हो तो ज्यादा बेहतर होगा।

*श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मैंने आपकी व्यवस्था चाही थी कि 15-20 प्रश्न नियम 301 में होते हैं जिसका असर यह होता है कि बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे रवीन्द्र सिंह और सेठी जी ने उठाये, वे गौण हो जाते हैं और गौण प्रश्न मूल प्रश्न बन जाते हैं। नियम अपनी जगह है और नियम कार्यान्वित करने का अधिकार भी आपको है। आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी अहमियत खत्म न होने पाये। अब नेता सदन पता नहीं क्या कह रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

अभी नियम 301 की सूचनाओं के बारे में, राजमंगल पाण्डेय श्यामधर जी, नेता विरोधी दल और नेता सदन के जो विचार आए इस सम्बन्ध में मैं यह महसूस करता हूं कि एक बार 8-10 या 15 रोज पहले एक मीटिंग हुई थी और उसमें यह निर्णय हुआ था कि कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 सूचनायें एक दिन में स्वीकार की जायें। तब से मैंने किसी दिन 5, किसी दिन 6-7 और 10 तक सूचनायें ली हैं। शायद कभी 12-13 हो गई हों। मेरे सामने यह दिक्कत आती है कि कोई सदस्य यह कहे कि हमको सदन में बोलने का मौका नहीं मिलता। मेरी बहुत महत्वपूर्ण सूचना अपने क्षेत्र से संबंधित है, उसको आप अवश्य लें। तो मैं जिस सूचना को महत्वपूर्ण समझता हूं उसको ले लेता हूं लेकिन आज आपने जो भावनायें व्यक्त की हैं उन पर मैं फिर ध्यान दूंगा और इस सम्बन्ध में जैसा सुझाव आया है, नियम समिति की बैठक बुला लूंगा और नियम समिति में जो माननीय सदस्य हैं उसके अलावा भी विशेष आमन्त्रित कुछ सदस्य होंगे और उसमें पुनः इन बातों पर विचार कर लिया जायगा। जब तक इस तरह की बठक नहीं होती है तब तक जो प्रक्रिया चल रही है वही चलेगी। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि जिसका मैं बहुत महत्वपूर्ण समझूंगा उसको तो मैं ग्राह्य करूंगा और व्यक्तिगत नेचर की जो होंगी उनको तो वैसे भी मैं नहीं लेता हूं। जहां तक राजमंगल पांडेय जी ने कहा कि कोई मामला अदालत में विचाराधीन है, उस पर भी सूचनायें स्वीकृत हुई हैं, तो मेरे संज्ञान में कोई इस तरह की सूचना नहीं है। वैसे मेरे ध्यान में न रहा हो, भले गलती से ही हो सकता है कि कोई इस तरह की सूचना आ गई हो। आपके उपाध्यक्ष के रूप में मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है, मैंने जानबूझकर एक भी सूचना इस तरह की स्वीकार नहीं की है। और अगर मेरे संज्ञान में इस तरह की बात आयेगी तो मैं अवश्य उस पर विचार करूंगा कि यह किस तरह से मेरे द्वारा या मेरे कार्यालय के द्वारा आ गई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, नियम 301 की एक सूचना मेरे ही क्षेत्र के बारे में माननीय हरी राम वर्मा ने उठायी थी। उस पर हाई कोर्ट से स्टे आ गया। उस पर भाषण भी हुआ, तमाम बातें कही गयी। इस तरह से नियमों का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरा नाम भी लिया....

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो नियम 301 में नहीं आया है। जहां तक मुझे याद है वह कोई सड़क बन रही थी जिस में कुछ हरिजन....

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

उसमें हाई कोर्ट से...

श्री उपाध्यक्ष--

आपका नाम नहीं आया। सूचना में नहीं था। अलग से कहा गया होगा तो मैंने निकलवा दिया होगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, इस पर पावन्दी लगायें कि जो सदस्य नियम 301 में सूचना दे देते हैं वह जानते हुये भी कि मैटर सब ज्यूडिश है।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर अवश्य पूछ लिया करेंगे।

लोक आयुक्त की रिपोर्ट सदन के पटल पर न रखे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, मैंने एक औचित्य के प्रश्न की सूचना दी है। मैं यह प्रश्न नहीं उठाया होता यदि मुझे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर से संतोष हो जाता...

श्री उपाध्यक्ष--

यह संभावना है कि यह प्रश्न 15 जून, 1979 को आ जायगा....

***श्री सोहनवीर सिंह तोमर--**

मान्यवर, सुन तो लें। माननीय गुलाब सेहरा जी ने जो प्रश्न पूछा है वह लोक आयुक्त की रिपोर्ट के बारे में पूछा है। मेरा कहना यह है कि 15 तारीख तक सदन चलेगा। मान्यवर, श्री राज्यपाल से पत्र लिख कर पूछा गया है और उन्होंने यह उत्तर दिया है कि लोक आयुक्त का प्रतिवेदन श्री राज्यपाल को प्राप्त हो चुका है और श्री राज्यपाल ने यह उत्तर दिया है कि श्री राज्यपाल ने इस प्रतिवेदन को राज्य सरकार के पास भेज दिया है। मान्यवर, लोक आयुक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 6 में यह है कि श्री राज्यपाल के पास प्रतिवेदन लोक आयुक्त भेजेंगे। लोक आयुक्त ने प्रतिवेदन श्री राज्यपाल को भेज दिया है। उपधारा 7 में प्राविधान है कि श्री राज्यपाल उस प्रतिवेदन को दोनों सदनों के पटल पर रखने की व्यवस्था करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 15 जून, 1979 तारीख को यह सत्र समाप्त हो जायगा, यहां पर चर्चा हो रही है कि कई लोगों के खिलाफ अभियोग लगाये गये थे। तो मान्यवर, सवाल यह है कि सदन उस प्रतिवेदन के बारे में जानना चाहता है.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

तोमर जी यह जो अल्प सूचित प्रश्न है उसे 15 तारीख के लिये रख लिया है .....

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

आप सुन तो लें। आप का संरक्षण चाहते है लोक आयुक्त के प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने में। सरकार ने यह कहा था कि लोक आयुक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसार इनवेस्टिगेशन की रिपोर्ट सदन के सामने नहीं रखी जायगी....

श्री उपाध्यक्ष--

इसी वजह से यह प्रश्न उसी दिन स्थगित हुआ था।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर --

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि जो रिपोर्ट लोक आयुक्त से आई है वह सदन के पटल पर रखी जानी चाहिये ताकि सदन में इस के बारे में विचार किया जा सके। नियम 10 में यह कहा गया है कि शासन की ओर से इनवेस्टिगेशन के बारे में हम सूचना नहीं देंगे। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि लोक सभा मे 1976 में निर्णय हो चुका है कि चाहे सी0 आई0 डी0 की जांच हो, कोई गुप्त जांच हो, उसे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है यदि उन की आवश्यकता हो तो। वह प्रतिवेदन अगर सदन के सामन आये तो हम उस पर विचार करेंगें कि कितने लोग निर्दोष हैं, कितने दोषी पाये गये हैं। यह अधिनियम माननीय सदस्य और मंत्रि मंडल के मेम्बरों से ही मुख्य मंत्री को छोड़ कर संबंध रखता है। आप का इस पर संरक्षण चाहते हैं और सरकार और मुख्य मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वह तो नियमों के ज्ञाता हैं, पंडित हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गयी। आप शासन को निर्देश दें कि 15 दिन के पहले सदन के पटल पर रिपोर्ट रखी जाय।

श्री हरीराम वर्मा (जिला फैजाबाद)-- [× × × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिना इजाजत बोल रहे हैं। यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। यह विषय विचाराधीन नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, लोक आयुक्त ऐक्ट शासन बड़ा महत्व दे रहा है। लोक आयुक्त ऐक्ट जो है धारा 12 (7) के अधीन लोक आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल शासन को भेजता है। उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना भी है। दो साल दो महीने हो गये, दो रिपोर्टस् आ जाना चाहिये। मुख्य मंत्री जी से यह जानकारी प्राप्त करनी है कि अधिनियम के मुताबिक यह रिपोर्ट कब सदन के पटल पर रखी जायगी ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसीदास) --

मान्यवर, मैंने पहले भी सदन को सूचित किया था कि रिपोर्ट राज्यपाल को प्राप्त हो गयी है। उसमें कोई भी समय निश्चित नहीं है। यथा समय रिपोर्ट रखी जायगी। माननीय तोमर जी ने विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस दिया है वह मुझे प्राप्त हो गया है। आपको पूरी स्थिति से अवगत करा दिया जायगा।

(व्यवधान)

नोट:--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेसानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष---

तोमर जी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न की बात जब यहां चल रही थी माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह उत्तर दिया था कि वह यथा समय रिपोर्ट को यहां पेश कर देंगे ।

श्री देव बहादुर सिंह---

15 तारीख के पहले रिपोर्ट आ जाना चाहिये ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

मान्यवर, लोक आयुक्त की रिपोर्ट श्री राज्य पाल को प्राप्त हो गयी है और मुख्य मंत्री जी के वकतव्य से ऐसा लगता है कि उसकी प्रति सरकार को भी प्राप्त हो गयी है । अब सदन 15 तारीख तक बैठेगा । मुख्य मंत्री जी की इस कथन से कि यथा समय सदन में रख दी जायगी वह यथा समय कब आयेगा ? लोक आयुक्त अधिनियम के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि सदन के पटल पर प्रति वर्ष उसकी रिपोर्ट रखी जायगी तो दो साल हो गये हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं रखी गयी । कानून के तहत जो जिम्मदारी थी उसे पूरा किया जाता, लेकिन सरकार उस रिपोर्ट पर बैठ गयी और यथा समय के नाम पर उसे टालती जा रही है । इस पर आप व्यवस्था दें । आखिर इस सदन की मर्यादा तथा अधिकारों की रक्षा आप करेगें ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह विषय हमारे सामने विचाराधीन नहीं है । जो विषय हमारे सामने विचाराधीन नहीं है उसके बारे में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना नही दी जा सकती ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

यह बात आप के संज्ञान में आ गयी है कि लोक आयुक्त ने श्री राज्य पाल को रिपोर्ट दे दी है । अब यह सदन का अधिकार है कि वह यह जाने कि वह क्या रिपोर्ट है । आप मुख्य मंत्री जी को यह निदेश दे कि 15 तारीख से पहले वह रिपोर्ट सदन में आ जाय । यह तो अब आपके आदेश की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष---

उ0प्र0 लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उप धारा 7 में लिखा है कि "उपधारा (5) के अधीन विशेष प्रतिवेदन या उपधारा (6) के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री राज्यपाल उसकी एक प्रतिलिपि, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगें । तो उसके लिये मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता हूं । लेकिन मुख्य मंत्री जी बतायें कि क्या वे इसे 15 तारीख के अन्दर ले लेगें अथवा अगले सत्र में .....।

श्री बनारसी दास---

मैंने अर्ज किया, जहां तक रिपोर्ट का तल्लुक है जब तक वह रिपोर्ट छपे नहीं, तब तक कैसे माननीय सदस्यों को वितरित की जा सकती है । मैंने पहले भी सूचित किया था कि वह रिपोर्ट श्री राज्यपाल को प्राप्त हो गयी है और जैसा कि प्राविधान अपने पढ़कर सुनाया, उसके अनुसार जैसे ही रिपोर्ट छपकर आ जायेगी, हम उसे वितरित कर देंगे । ..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष ---

अब इस के ऊपर मैं किसी को बोलने की इजाजत नहीं देता और बिना इजाजत के जो कुछ बोला जायेगा वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विद्युत मन्त्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

श्री देव बहादुर सिंह ने 6 जून, 1979 को माननीय विद्युत मंत्री के विरुद्ध सदन के अवमान तथा विशेषाधिकार भंग के प्रश्न की सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि माननीय विद्युत मंत्री ने विधान सभा के बजट सत्र चालू रहते हुए सदन के बाहर बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी की घोषणा कर सदन का अपमान किया है। माननीय श्री देव बहादुर सिंह का कहना है कि जिस संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की गयी थी वह माननीय विद्युत मंत्री ने 4 जून, 1979 को अपने जनसंम्पर्क अधिकारी श्री दया निवास जोशी द्वारा बुलवाया था। माननीय श्री देव बहादुर सिंह ने स्वतंत्र भारत दिनांक 5 जून, 1979 के उद्धरण की प्रतिलिपि प्रमाणित करके और श्री दया निवास जोशी द्वारा जारी की गयी सूचना की मूल प्रति अपनी सूचना के साथ संलग्न की है. . . .

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, निर्णय देने से पूर्व आप सुन लें । . . . . . .

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

श्रीमन्, अगर प्रत्येक प्रश्न पर देव बहदुर जी का भाषण होगा तो आज का जो शेष कार्य है वह नहीं हो पायेगा। वह सूरज के नीचे कोई बात नहीं कहना चाहते . . . . . (व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, आपने हमें आश्वासन दिया था कि आप हमें सुनने के बाद निर्णय देंगे। मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं। मुख्य मंत्री जी आपके ऊपर लाद रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

हमारे ऊपर लादने की बात नहीं है। उस दिन इसमें चर्चा हो गई थी और दो पन्ने का निर्णय भी दे दिया था . . . . .

श्री देव बहादुर सिंह--

हमें अभी बहुत सी बातें कहनी थीं

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें ग्राह्यता बनती नहीं है।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय विद्युत मंत्री से वस्तु स्थिति की जानकारी मांगी। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट, 1968 की धारा 49 के अन्तर्गत राज्य विद्युत परिषद् विद्युत दरों को बढ़ाने के लिये स्वयं सक्षम है। राज्य विद्युत परिषद् ने इस सम्बन्ध में 25 मई, 1979 के असाधारण बजट में जो विज्ञप्ति प्रकाशित की थी। उसी के आधार पर माननीय विद्युत मंत्री ने प्रेस कांफ्रेन्स में सूचना दी थी। इस संबंध में 5 जून, 1979 को माननीय श्री श्यामधर मिश्र ने एक औचित्य का प्रश्न भी उठाया था, जिस पर मैंने 8 जून, 1979 को अपना निर्णय दे दिया था। उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन (1952-67) के पृष्ठ 524 पर निर्णय संख्या 90 तथा समय-समय पर दी गयी अनेक व्यवस्थाओं के अनुसार मंत्रि परिषद् के नीति संम्बंधी निर्णयों की सदन में सूचना दिये जाने से पूर्व बाहर घोषणा करना परम्परा के विरुद्ध और अनुचित होते हुए भी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता। जैसा मैंने 8 जून, 1979 को माननीय श्री श्यामधर मिश्र द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर निर्णय देते हुए कहा था

कि इसमें राज्य सरकार की नीति का कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है। अतः सदन के चलते समय इसकी सूचना सदन के बाहर देने से कोई औचित्य का प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता। यह विषय पूर्णतया राज्य विद्युत परिषद् के क्षेत्राधिकार में आता है। अतः मैं श्री देवबहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा 6 जून, 1979 को दी गयी सूचना को विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह--

श्रीमन्, बिना सुने निर्णय दे दिया, बड़ा अन्याय किया।

राजकीय तथा गैर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त स्थानों पर वैकल्पिक अध्यापकों को वरीयता दिये जाने संबंधी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित याचिका

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, वैकल्पिक अध्यापकों को राजकीय तथा गैर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त स्थानों पर नियुक्ति हेतु वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार सिंह, ग्राम व पोस्ट नरसोही, जिला सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री आर० डी० मिश्र पुलिस इन्सपैक्टर द्वारा मौलाना हबीबुल हसन, सआदतगंज, लखनऊ के घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में व्यक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

मान्यवर, दिनांक 3-6-79 को श्री उदित प्रकाश, निवासी कच्चा बाग, थाना सआदतगंज, लखनऊ ने सआदतगंज थाने पर सूचना दी कि उनकी बहिन कुमारी विभा चौधरी को श्रीनसीम उर्फ तारिकगनी वल्द मोहम्मद रशीद साकिन 366, टिकली गुलोहन, सआदतगंज लखनऊ, जो नगरमहापालिका, लखनऊ में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, भगा ले गया है। इस पर थाने में अभियोग अपराध संख्या 167, धारा 383/366 भारतीय दण्ड विधान पंजीकृत हुआ।

प्राप्त सूचना के अनुसार मौलाना हबीब निवासी फिरंगी महल अभियुक्त नसीम के फूफा लगते हैं। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि मौलाना हबीब अभियुक्त नसीम को अपने यहां छुपाये हुये हैं। दिनांक 5-6-79 को जब दो उप-निरीक्षक एवं अन्य पुलिस कर्मचारी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिये मौलाना हबीब के घर पहुंचे तथा नसीम के संबंध में पूछतांछ की तो मौलाना ने अपने घर में अभियुक्त नसीम की मौजूदगी से इनकार किया। चूंकि पुलिस को इस घर में ही अभियुक्त की मौजूदगी का निश्चित पता चल गया था और उसी के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिये पुलिस मौलाना हबीब के घर गई थी। अतः इसी घर से खोज कर अभियुक्त नसीम की गिरफ्तारी की गई।

मामले की विवेचना जारी है तथा पुलिस द्वारा लड़की की बरामदगी के लिये प्रयास किया जा रहा है। मामले में विवेचना जारी है।

श्री फजलुल बारी (जिला गोंडा)--

मान्यवर, इस सिलसिले में.....

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें मैं अनुपूरक प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, मैंने 301 में प्रश्न उठाया था । वह प्रश्न यह था कि मौलाना हबीब और उनकी लड़कियों की बेइज्जती पुलिस वालों ने की । जहां तक सवाल उदित प्रकाश की बहिन के साथ घटना घटने का है . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

यह क्या कह रहे हैं ? मैंने इजाजत नहीं दी ।

श्री फजलुल बारी—

मुझ को नसीम से कोई हमदर्दी नहीं है । लेकिन यह तो पुलिस वालों का बयान हो गया कि मुलजिम को पकड़ने गये और वह भागे तो उस पर हमने उसकी पिटाई कर दी . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

और क्या माध्यम हो सकता था जांच का ? आप बैठें ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, जांच का क्या यही माध्यम था ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप इस पर अल्पसूचित प्रश्न पूछिये । मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

एक सदस्य—

पुलिस गई तो उसके पास गिरफ्तारी वारण्ट था या नहीं ?

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, मुख्य मंत्री द्वारा जो रिपोर्ट पढ़ी गई है वह गलत है । इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री फजलुल बारी तथा श्री शफीकुर्रहमान बर्क सदन त्याग कर चले गये ।)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत आज दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं । एक सूचना श्री देव कुमार जी की प्रोफेसर श्री जैराल्ड वी0 वेरीमेन की पुस्तक 'हिन्दूज आफ दि हिमालयाज़' के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री अजीत सिंह सेठी व श्री ब्रज बल्लभ की जनपद गोंडा के ग्राम महाराजगंज निवासी श्री जसवीर सिंह के साथ अराजक तत्वों द्वारा अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में है । इसके बारे में तो अभी मुख्य मंत्री जी ने कह दिया, बयान आ जाएगा । जो देवकुमार यादव जी की सूचना है, इस विषय को नेगी जी ने नियम 301 के अन्तर्गत पहले ही उठा दिया था, इसलिए इसको अस्वीकार करता हूं, लेकिन इसके सम्बन्ध में . . . . .

श्री देवकुमार (जिला बांदा)—

यह एक बड़ी गम्भीर बात है , जो राष्ट्रीय महत्व की है . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, इसकी शिक्षा मंत्री जी जांच करवा लेंगे । इसको आप दुबारा क्यों कह रहे हैं, इसमें शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाएगी ।

श्री देव कुमार—

इस पर आप वक्तव्य दिलवा दें, मैंने नियम 51 में दिया है ।

उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979†

सिंचाई मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय ।

(श्री देव कुमार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, आज के लिये इसे भी रख दिया है, आप इसे भी लेंगे और योजना के बारे में पूरे एक दिन की बहस का भी समय नहीं दिया जा रहा है । मान्यवर, यह सोचें आप कहां तक ठीक हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यक्रम तो कार्य मंत्रणा समिति में पास हो गया है ।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, यह विधेयक, जिसमें माननीय मंत्री जी संशोधन पेश कर रहे हैं 106 साल पुराना है और इसको पढ़ने से यह बात जाहिर होती है कि जिस तरह से माल विभाग में किसानों को पास बुकें खतौनी की जगह दी जा रही हैं, उसी तरह से सिंचाई विभाग द्वारा किसानों को सिंचाई पास बुकें प्रदान कर दी जाएंगी । इसके अलावा इस विधेयक में कुछ नहीं है, जो इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । इन 106 सालों में किसानों के संबंध में जितने महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, उसका कोई भी संकेत मंत्री जी ने इसमें नहीं दिया है । इसके अतिरिक्त मंत्री जी ने इस संशोधन विधेयक को पेश करते हुए पूर्व परम्परा को नहीं निभाया है, संशोधन पेश करते समय उन्होंनें इसके लक्ष्यों के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है ।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश और प्रदेश में सिंचाई को आज तक उद्योग के रूप में मान्यता नहीं मिली है । इस प्रदेश में 84 प्रतिशत जनता खेती के माध्यम से जिन्दा रहती है और जनसंख्या विशेषज्ञों की राय है कि सन् 1993 तक इस देश और प्रदेश की आबादी दुगुनी हो जाएगी । आप इतनी बड़ी आबादी को जिन्दा रखना और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं, तो इस विधेयक में व्यापक संशोधन करने की आवश्यकता है । मैं सिंचाई दरों, नहर और नलकूप के सम्बन्ध में उनका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं ।

माननीय तिवारी जी के समय में एक चर्चा चली थी कि सिंचाई की दरों में, चाहे नहर से की जाय, चाहे नलकूप से की जाय समानता लायी जाय प्रदेश के अन्दर । लेकिन इतना फर्क है सिंचाई की दरों में कि बहुत से किसान नलकूपों का पानी इतना मंहगा पड़ता है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†दिनांक 7 जून, 1979 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ठ में छपा है ।

[श्री देव कुमार]

नलकूप रहते हुए सिंचाई नहीं करते हैं। इस प्रदेश के अन्दर बिड़ला जी को तीन पैसे यूनिट की दर से बिजली मिल सकती है। लेकिन इस प्रदेश के किसान को सिंचाई की दरों में कटौती नहीं हो सकती है। इस लिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस सम्बन्ध में गम्भीरता-पूर्वक विचार करें और सिंचाई की दरों के सम्बन्ध में इस प्रदेश के अन्दर जो अनियमितताएं और अंतर हैं,उनको समाप्त करने के लिये कारगर योजना प्रस्तुत करें, सिंचाई दरों के सम्बन्ध में नियोजित तरीका बनाएं। सिंचाई की दरों में बहुत ज्यादा अन्तर होने के कारण सिंचाई का प्रसार नहीं हो पा रहा है।

मैं एक समस्या की ओर और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नहरों के पानी की बहुत कमी रहती है। मुझे अपने जनपद का व्यक्तिगत अनुभव है। एक तरफ धान के लिए पानी की मुश्किल होती है दूसरी तरफ नालियां न होने के कारण नाले का पानी बहता रहता है। लेकिन खेतों में पानी नहीं जाता है। इन समस्याओं का हल होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इस संशोधन विधेयक को इतनी जल्दी मे पास न कराऐं, जिसमें उन्होंने केवल एक दो चीजों के सम्बन्ध में किसान को राहत दिलायी है, उसको सदन की एक प्रवर समिति में भेज दें जिससे किसान जनता को कुछ और संशोधनों के जरिये लाभ पहुंचाने के लिए, सिंचाई की दरों में कमी करने के लिये, उनके हितों की रक्षा करने के लिये, ऐसा विधेयक आये जिससे इस प्रदेश के किसान जनता का भला हो सके। मुझे उम्मीद है कि सदन इस राय से सहमत होगा कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

*सिंचाई मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)---

श्रीमन्, जैसा माननीय देवकुमार जी ने अभी कहा इसमें थोड़ा जो विधेयक में संशोधन रखा गया है यह बड़ा सीमित है। धारा 36 और 76 में वहुत माइनर संशोधन करने हैं। जैसा आपने सिंचाई दरों के सम्बन्ध में कहा वह इस ऐक्ट के अन्तर्गत नहीं है। जो नियम होते हैं उनके अन्दर प्राविधान होता है। धारा 36 के अन्तर्गत जरा सा सेंटेंस जोड़ा गया है। उद्देश्य और कारण दिये हैं। इसमें बताया गया है कि क्यों जरूरत पड़ी। जैसा माननीय देवकुमार जी चाहते हैं उसी मंशा से, किसान को तो अब तक यह होता था, पासबुकों में, पानी कब चला है, उसकी एंट्री कैसे हो, इस तरह की बाते हैं, उसी चीज को मद्देनजर रख कर किसान के साथ कैसे न्याय हो, पड़ताल में जो गड़बड़ी होती है उसके लिये विचार हो रहा है, छोटे से संशोधन की आवश्यकता पड़ी है, जब नियम बनेंगे तब प्राविधान निश्चित करेंगे, उसकी एंट्री होनी चाहिये, परचा मिलना चाहिये। अगर देवकुमार जी कोई कमी देखते हैं मैं उनको वेलकम करूंगा उस समय बता दें। आज जरूरत नहीं है। इस संशोधन को वापस ले लें प्रवर समिति में जाने का। जैसा आप चाहते हैं किसानों के हित में हम वही चाहते हैं।

श्री देव कुमार---

यह तो अपूर्ण संशोधन है। इसलिए मजबूर हूं, वापस लेने से।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 3 महीने के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड—2

उत्तरी भारत नहर और जल-निकास अधिनियम, 1873 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 36 में शब्द "राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियमों द्वारा अवधारित की जायेगी" के स्थान पर शब्द "और कोई अन्य आनुषंगिक प्रभार राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियमों द्वारा अवधारित किया जायेगा" रख दिये जायेंगे । अधिनियम संख्या 8, 1873 की धारा 36 का संशोधन

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड—3

3—मूल अधिनियम की धारा 75 में, उपधारा (1) के खण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्— धारा 75 का संशोधन

"(4) इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी प्रभार की रकम और रीति जिसके अनुसार उन्हें वसूल किया जायगा, और ।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 को इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड—1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 उत्तरी भारत नहर और जल निकास अधिनियम 1873 का, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृति के सम्बन्ध में, अग्रेतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तरी भारत नहर और जल-निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायेगा । संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1979 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1979, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, का सदन के पटल पर रखता हूं।

पंचवर्षीय योजना 1978–83 तथा वार्षिक योजना 1979–80 के प्रारूप पर चर्चा

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

उपाध्यक्ष महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप सदन के सामने पेश किया गया है। पांचवीं योजना का कार्यकाल 74 से लेकर 78–79 तक निश्चित था परन्तु सन् 77 में जनता सरकार ने पदारूढ़ होने के बाद निश्चित किया कि पंचवर्षीय योजना को एक साल पहले समाप्त कर दिया जाये और छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 78 से लेकर 83 तक के लिए सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है। योजना का प्रारूप तैयार करने में स्वाभाविक देरी होनी थी क्योंकि किसी योजना के जो वित्तीय साधन हैं उसके दो मुख्य अंग हैं–आन्तरिक साधन और जो केन्द्र से प्राप्त होते हैं। आन्तरिक साधनों का अन्दाज उस समय तक नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट उपलब्ध न हो।

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने विचार किया था और सबसे पहला प्रश्न यह था कि वित्तीय सहायता के वितरण का क्या फारमूला हो। आप जानते हैं कि अब तक गडागिल फार्मूला था जिसके अनुसार वित्तीय सहायता प्राप्त होती थी। चूंकि सातवां वित्तीय आयोग बन चुका था इसलिए यह उचित समझा गया कि सातवें आयोग की रिपोर्ट आ जाय। यह रिपोर्ट अक्तूबर, 1978 में प्राप्त हुयी। इसलिए योजना के तैयार होने में देरी हुयी और फिर उस योजना के बनाने में हमारे विभागों में और हमारा जो राज्य योजना आयोग है, समिति है, उसमें भी विभिन्न स्तरों पर विचार हुआ। सूबे की आवश्यकता को देखते हुए हमने केन्द्रीय आयोग को जो अपनी योजना भेजी थी वह 7,793 करोड़ रुपये की धनराशि का थी और हम चाहते थे कि कम से कम सिंचाई के लिये 1,048 करोड़ रुपया, विद्युत् के लिए 2,147 करोड़ रुपया और बाढ़ नियंत्रण के लिये 110 करोड़ रुपया मिले। इस प्रकार से 3,305 करोड़ रूपये तो न्यूनतम धनराशि केवल सिंचाई, विद्युत् और बाढ़ नियंत्रण के लिए थी। कृषि उत्पादन के लिये 632 करोड़ रुपया और उद्योग के लिये 275 करोड़ रुपया न्यूनतम आवश्यकता थी।

राष्ट्रीय परिषद् ने हमारी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों की मांग को भी उचित समझा और उस आधार पर 598 करोड़ रुपये की धनराशि इंगित की। इस प्रकार से यह 1506 और 3,305 कुल मिलाकर जो न्यूतम योजनायें उन्हीं कार्यों के लिए हो सकती थी, उनके 4,810 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी इसके अतिरिक्त अन्य मदों में भी हमारी आवश्यकताएं हैं लेकिन चूंकि प्रदेश की प्रगति की दृष्टि से जो अब तक का हमारा पिछड़ापन था उसको दूर करने के लिए और यह अनुमान लगाकर कि राष्ट्र की विकास दर 4 1/2 प्रतिशत होगी और अगर हमारा पिछड़ापन दूर होना है तो यह आवश्यक हो जाता है कि कम से कम हमारी योजना का आकार इतना हो कि अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारी विकास दर 1 प्रतिशत अधिक हो ताकि जो पिछला अन्तर है उसको दूर करने में हमें मदद मिल सके। इस दृष्टिकोण से हमने कम से कम 7,793 करोड़ रुपये की धनराशि की मांग की। फरवरी में पंचवर्षीय योजना के लिए आयोग ने हमारे लिए 3,860 करोड़ रुपये की धनराशि इंगित की लेकिन मई, 1979 के अन्दर हमारा विचार विमर्श पंच वर्षीय योजना आयोग से हुआ और उन्होंने हमारे प्रयास के फलस्वरूप 4,600 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की।

इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र के लिए 176 करोड़ रुपया इंगित दिया है। इस प्रकार से छठी पंचवर्षीय योजना के लिये योजना आयोग ने हम को 4,776 करोड़ की धनराशि स्वीकार की। इस प्रकार से पहले योजना के लिये 3,860 करोड़ रुपये की जो धनराशि स्वीकृत की गई थी। उसमें हमारे प्रयास से 916 करोड़ अधिक धनराशि बढ़ा दी गयी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिये जो धनराशि स्वीकृत थी वह 2,445 करोड़ रूपया थी, पर जो व्यय हुआ वह 2,869 करोड़ रुपया था। हमारी जो योजना अब स्वीकृत हुयी है, वह 4,776 करोड़ रुपये की है। और जिस प्रकार से पिछली योजना में अधिक व्यय हुआ उसी प्रकार से इस पंचवषीय योजना में भी इससे अधिक व्यय होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के व्यय के क्या आंकड़े हैं ?

श्री बनारसी दास—

जैसा कि अभी बताया 2,869 करोड़ रुपया व्यय हुआ जबकि योजना की स्वीकृत धनराशि 2,445 करोड़ रुपये थी। अभी तक भी हमारा विचार विमर्श योजना आयोग से जारी है। इस योजना को अभी हमने स्वीकार नहीं किया है। योजना आयोग के समय जो मई में मीटिंग हुयी थी उसमें हमने इस बात का अनुरोध किया था कि हमारे सूबे के पिछड़ेपन को देखते हुए यह अत्यावश्यक लगता है कि केन्द्र हमारी बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को ले ले,उसमें विशेषरूप से हमने योजना आयोग से इस बात का आग्रह किया कि टिहरी की 500 करोड़ की योजना है तथा जो नानपारा की विद्युत् योजना है इनको केन्द्र ले ले। इस पर विचार विमर्श चल रहा है और हम आशा करते हैं कि केन्द्र इन योजनाओं को ले लेगा और अगर यह हो जाता है तो योजना का हमारा यह प्रारूप बढ़ जायेगा। गाडगिल फार्मूला के अनुसार हमारा हिस्सा 17 प्रतिशत आता था लेकिन हमारे प्रदेश ने जो पुस्तिका छपवायी है उसमें तमाम देशों के अन्दर जो पिछड़ापन है उसका जिक्र किया है और उस पिछड़ेपन के कारण केन्द्र के संशोधनों में से 2 हजार करोड़ की धनराशि पिछड़े हुये हिस्सों में बाटने के लिये उपलब्ध कराई गई। इसके लिये हम अपने उप प्रधान मंत्री श्री चरणसिंह तथा प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई के विशेषरूप से कृतज्ञ हैं। गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत जहां हमको 17 प्रतिशत मिलता था हमारे प्रयास से अब नयें फार्मूले से इस 2000 करोड़ रुपये की धनराशि से हमको 21 प्रतिशत मिलेगा। इस प्रकार जो 424 करोड़ रुपया हमें मिला उसमें 4 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

गत वर्ष हमारी इस योजना का प्रथम वर्ष थी। हमारी जो साधारण योजना थी वह 755 करोड़ की थी और पर्वतीय क्षेत्र के लिये 31 करोड़ मिला, इस प्रकार 786 करोड़ की

[श्री बनारसी दास]

हो गयी । लेकिन इस वर्ष पहिले 690 करोड़ रु0, पर्वतीय क्षेत्र के लिये 35 करोड़ और उसके बाद 85 करोड़ रुपये सब मिलाकर 810 करोड़ की हमारी योजना 1979–80 के लिये ।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि हमारे माननीय नेता, विरोधी दल भी जानते हैं, अन्य माननीय सदस्य भी जानते हैं , हमारी योजना का जो अंतिम साल का व्यय होता है उसको नान-प्लान के अन्दर जो चालू योजना होती है उसके अन्तर्गत ले लेते हैं । इस प्रकार 82 करोड़ के व्यय को जो योजना से ही संबंधित है, इसको जोड़ दिया जाये तो यह हमारी इस वर्ष की योजना 892 करोड़ की हो जाती है ।

आपको स्मरण होगा कि 1974–75 की जो पहली योजना थी उसका परिव्यय एक साल का 255.18 था और 12 करोड़ रुपया पहाड़ों के लिये था, कुल मिलाकर 267.18 था और अब इस साल की जो हमारी योजना है, जो कि छठी पंचवर्षीय योजना का पहला साल है, लेकिन टैक्नीकली इसको दूसरा साल कह सकते हैं, यह 810 करोड़ की योजना हैजो करीब-करीब तिगुनी है । माननीय तिवारी जी कहते हैं कि योजना अब तक करीब-करीब दुगनी तो होती रही है, मैंने तो आपके सामने सारे आंकड़े विस्तार से प्रस्तुत कर दिये हैं । हमारी पिछले साल की योजना ही जो पंचवर्षीय योजना का पहला साल था पिछले साल के मुकाबले में 3 गुना से अधिक की है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

किस सन् की दुगुना हो गयी है ?

श्री बनारसी दास––

1974–75 के पहले साल का । पहली पंचवर्षीय योजना 260.10 की थी और चालू योजना शामिल कर दी जाती है, तो कुल 316.18 थी, लेकिन इस साल का व्यय 892 करोड़ होगा । मेरे कहने का मतलब यह है कि 1978–79 पंचवर्षीय योजना का अंतिम साल था, जिसे नई नीति के अनुसार बजट के हिसाब से इस योजना का पहला साल है । लेकिन जिस समय रोलिंग प्लान का निश्चय किया गया है, उसके अनुसार दूसरा साल है । मेरा कथन यह है कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो पहला साल था, उसके मुकाबिले में यह जो धनराशि है, वह करीब साढ़े 3 गुना से अधिक है । श्रीमन्, यह भी विचारणीय प्रश्न है कि इस मर्तबा यह हमारे प्रयासों का फल था कि तमाम योजना पर जो केन्द्रीय वित्तीय सहायता है वह हमको अब 187 रुपया प्रति व्यक्ति मिलेगा, जो पांचवी पंच-वर्षीय योजनाकाल के अन्दर केवल 56 रु0 प्रति व्यक्ति की रही है और पहले केंद्रीय सहायता में मारा भाग 17 4 प्रतिशत था जा इस मर्तबा जो अब तक हमको योजना स्वीकार की गयी है, उसका 18.4 है ।

इसके अन्दर जो आगे योजना आयेगी, यह शरीक नहीं है । यह अब तक के प्रयासों का नतीजा है कि जिस न्याय की प्राप्ति के लिये हम लड़ रहे थे, उसमें बहुत कुछ हद तक सफलता हुई । 18.4 प्रतिशत केंद्रीय सहायता हमको मिली । पंजाब को केवल ढाई प्रतिशत, उड़ीसा को 5.2 प्रतिशत मिला । इसी तरह जितनी हमारी आबादी का अनुपात था, उससे कुछ हमको अधिक ही मिला और हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति 187 रु0 की केन्द्रीय सहायता की तुलना में है, राष्ट्र की प्रति व्यक्ति सहायता का औसत 174 आता है । इस प्रकार अब की मर्तबा हमारे उप प्रधान मंत्री और प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश की कठि-नाइयों को समझने का प्रयास किया जिनके लिए हम अत्यन्त आभारी हैं । जो राष्ट्र का ऐवरेज 174 था, उसके बजाय हमको अब की पहली मर्तबा, 187 रु0 प्रति व्यक्ति के हिसाब से हमको सहायता मिली ।

श्रीमन्, यह उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ापन है, उसका मुख्य कारण क्या है, उसको पहले जो हमारे प्रदेश पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, वह इन्वेस्टमेंट बहुत कम है । अगर आप इसको तुलना पंजाब से करें, तो स्थिति स्पष्ट हो जायगी । पहली प्लान में हमारा व्यय 25 रु0 प्रति व्यक्ति था, पंजाब का 175 रु0 दूसरी योजना में प्रति व्यक्ति का 32 रु0 हमारा, पंजाब का 146 रु0 तीसरी योजना में प्रति व्यक्ति हमारा 72 रु0, पंजाब का 212 रु0 और अब 1977-78 तक जो पहली योजना से लेकर अब तक हुआ कुल आता है 529 रु0 प्रति व्यक्ति जब कि पंजाब का 1353 है । इसलिये श्रीमन्, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पंजाब की प्रगति हमारे मुकाबिले में कहीं अधिक है ।

श्रीमन्, खासतौर से हमारे मित्र श्यामधर मिश्रा यह आलोचना किया करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर व्यय अधिक है । उत्तर प्रदेश के अन्दर व्यय अधिक है तो हमारा प्रशासनिक व्यय प्रति व्यक्ति 9.48 रुपया है जब कि हमने महंगाई भत्ता दिया 11.63 है जो तमाम देश में सबसे न्यूनतम है । प्रशासनिक व्यय हमारा घट चुका है 32.41 था 1979-80 में 30.96 हो गया है । जो उपाध्यक्ष हैं प्लानिंग कमीशन के उन्होंने आगे के लिए जो कहा है उसमें 636 रुपया प्रति व्यक्ति है । बिहार को छोड़ कर सबसे कम है ।

इस वक्त हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह संसाधनों की है क्योंकि अब तक जो हमको बैंकों से ऋण प्राप्त होता है उसका फार्मूला जो है उसमें 10 प्रतिशत जोड़ देते हैं । गत वर्ष 51 करोड़ था अब की बार 56 करोड़ हो गया । चूंकि हमारा पहले से बाजार ऋण कम होता था इसके अनुसार हमको हानि होती है तो हमारा बार-बार आग्रह है केंद्र और आयोग से कि इस फार्मूला को बदल कर गाडगिल फार्मूला या नया फार्मूला जिसके अनुसार 21 प्रतिशत मिला है । के अनुसार ऋण का बंटवारा राज्यों के बीच किया जाए तो जब तक बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, प्रत्येक राज्य कोशिश करता था अब तो रिजर्व बैंक जो फैसला कर देता था, हमें मिल जाता है । इसलिये बाजार से ऋण उसी अनुपात में मिलना चाहिये जो गाडगिल या दूसरा जो फार्मूला बना है । उसके अनुसार आता है हमारा क्रेडिट के साथ ही सूबे के अन्दर जमा करने का प्रतिशत जो है वह भी हमारे अनुकूल नहीं है । यह 44 प्रतिशत होता है जबकि देश का औसत 64 प्रतिशत आता है ।

हमारे यहां आमदनी के दृष्टि से प्रति व्यक्ति जो टैक्सेशन होना चाहिये वह भी सबसे कम है । जैसा मैंने पंजाब के आंकड़े दिये । करीब-करीब ऐसा अनुमान है कि 3 रुपये के पीछे एक रुपया की आमदनी होगी । तो पूंजी अगर कम लगेगी तो आय और उत्पादन सबसे कम होगा । करों की भी एक सीमा होती है । हमारे जो संसाधन हैं उसमें 600 करोड़ रुपये योजना आयोग और केंद्र ने जो ज्यादा दिया है उसके बारे में मैं निवेदन कर चुका हूं अन्य प्रदेशों को जो हमारी तुलना में ज्यादा योजना का आकार मिला है, चूंकि पहली पंचवर्षीय योजना का आकार 14 प्रतिशत था जब कि हमारी आबादी 17 फीसदी से अधिक है । हमारी योजना का आकार बढ़ गया है 4776 करोड़ रुपया हो गया है फिर भी तमाम योजना के करीब-करीब 14 प्रतिशत से अधिक है ।

इस दृष्टि से योजना आवश्यकता से कम है तो केंद्र का कहना है कि जो गाडगिल का फार्मूला और दूसरा फार्मूला है, के अनुसार जितनी धनराशि दे सकते हैं । उतनी धन-राशि हम आपको दे सकते थे हमने वे दी । तो आप अपनी योजना 8 हजार करोड़ की बनायें, 10 हजार करोड़ की बनायें इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपको स्वयं

[श्री बनारसी दास]

अपने संसाधन जुटाने होंगे । हमारा कहना यह है कि जिस प्रकार से जो विकसित देश हैं वे जो देश बिकासशील हैं उनको एक समान स्तर पर लाने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं, जिस प्रकार जो पिछड़ी हुई जातियां हैं या यहां पर अनुसूचित जातियां हैं उनके लिये विशेष प्रयत्न हम करते हैं उसी तरह से केंद्र का और अन्य राज्यों का यह कर्त्तव्य है कि जो राज्य सामान्य स्तर से गिरे हुए राज्य हैं, जो राष्ट्रीय स्तर है उसके नीचे के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनके विकास के लिये प्रयत्न करें। 14 समतुल प्रदेश कहलाते हैं । 8 राज्यों को केंद्र ने विशेष श्रेणी दे रखी है जिसमें हिमांचल प्रदेश, असम, नागालैन्ड आदि हैं । जिन 14 राज्यों को रखा है, उसके अन्दर जो राष्ट्रीय स्तर से गिरे हुए प्रदेश हैं, उनमें हमारा भी एक है, बिहार और अन्य प्रदेश हैं ।

इसलिए हमारा बारबार यह आग्रह रहा है कि यह केंद्रीय सरकार का कर्त्तव्य है कि जो प्रदेश पीछे हैं, राष्ट्रहित के लिये अगर वह अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए संसाधन नहीं जुटा सकते है तो उनके लिये क्रेडिट डिपाजिट रशियो में प्राविधान करें, जो ऋण लिया जाता है उसमें प्राविधान करें । अब तक जो केंद्रीय योजनाओं के अन्तर्गत कल-कारखाने लगे हैं हमारे प्रदेश के अन्दर, उस पर जो धनराशि लगी है, वह साढ़े चार प्रतिशत के करीब है जबकि हमारी आबादी 17 फीसदी है । अगर केंद्र की 17 फीसदी धनराशि इसमें लगे तो हमारे यहां के और लोगों को काम मिल सकता है । इसका आशय यह नहीं है कि केवल बड़-बड़े उद्योग लगाये जाना चाहिये । बड़े-बड़े उद्योग लगाने से हमारी गरीबी दूर हो सकती थी । आलोचकों ने यह कहा कि बिहार के अन्दर केंद्रीय योजनाओं के अन्तर्गत जो धनराशि लगाई गयी वह देश के अन्य राज्यों के अनुपात में सबसे अधिक है लेकिन बिहार सबसे पीछ है । पंजाब और हरियाना में केंद्र के द्वारा दी गयी धनराशि सबसे कम है फिर भी पंजाब की आय हमारे मुकाबले में करीब दो गुनी है, इसका कारण है कि वहां पर छोटे छोट उद्योग लगे हैं । कुछ लोग यह आलोचना करते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग परिश्रमी, उद्यम प्रेमी नहीं हैं, उनमें लगन नहीं है । यह बिलकुल गलत है । गोरखपुर और पूर्वान्चांल के लोगों की वजह से बम्बई में कलकत्ता आदि में दूसरे प्रदेशों के अन्दर कोयले की खानों में उत्पादन होता है । आवश्यकता इस बात की है कि हमारा जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिये छोटे उद्योग लगाये जायें । इसलिये हमारा आप से यह आग्रह है कि हमारी योजना 8 हजार करोड़ की हो लेकिन हमको अपने संशाधनों पर ही निर्भर रहना है । हमने इस पर विचार किया । हमारा आग्रह यह है कि हमारे न्यूनतम लक्ष्य को देखते हुये हमारी योजना 5 हजार से कुछ ऊपर की होनी चाहिये ताकि जो हमारी योजना का 'कोर' है वह कम न हो सके ।

संक्षेप में हमने इस योजना का प्रारूप सदन के सामने रखा । माननीय सदन के सदस्यों के विचारों से लाभान्वित होना चाहूंगा । यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें सब लोग दिलचस्पी रखते हैं । सब लोगों के सुझावों और प्रयासों की आवश्यकता है । इस संबन्ध में एक यह भी निवेदन करना चाहूंगा ।

हमको अगर भावी संततियों को रोजगार देना है, उनकी गरीबी दूर करनी है तो इस संतति के लोगों को जो बलिदान, त्याग और जो बोझ उठाना है उससे बच नहा सकते हैं । हमारे प्रदेश में कम उन्नति का एक कारण यह है कि, हम लोग योजना को ठीक बनाने के लिये जो हम पर भार होना चाहिये उसको बहन करने के लिये तैयार नही हैं । यह नीति मुझको बहुत ही अल्पदर्शी लगती है, इससे अन्तोगत्वा हम और गरीब होते चले जायेंगे । अन्य प्रदेशों की तुलना में यदि हमको समकक्ष आना है तो हम अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते हैं ।

हमने इस बजट के अन्दर 60 करोड़ रुपये के अन्य नये साधनों को शामिल किया है। अगर यह साधन उपलब्ध नहीं होंगे तो हमारी योजना कम होगी। हमारे प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि जहां हमारे देश के अन्दर पहले 5 करोड़ टन अनाज पैदा होता था वहां अब 12 करोड़ 70 लाख टन अनाज पैदा होता है। हमने इस उद्देश्य के लिये सिचाई और कृषि की योजनाओं में प्रमुखता दी और हमारे यहां ढ़ाई करोड़ टन अनाज पैदा होगा। तो हमारा अनुपात 17 फीसदी है लेकिन उससे अधिक पैदा होता है। तो यह काम हमारे लिये गौरव की बात नहीं है। चूंकि हमारा प्रदेश खेतिहर प्रदेश है, जैसे गुजरात में वहां पर डेरी का विकास हुआ है, हमारे यहां तो एक आनन्द नहीं एक दर्जन आनन्द लग सकते हैं। पशुधन विकास अगर बड़े पैमाने पर किया जाय तो एक श्वेत क्रान्ति हमारे प्रदेश के अन्दर हो सकती है और प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है उसके अन्दर भी वृद्धि हो सकती है।

तो योजनाबद्ध प्रगति के लिये हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे संसाधन बढ़ें। जहां इसमें इकोनामीं हो सकती है, मितव्ययिता हो सकती है, खर्च में कमीं हो सकती है, मैं उन सब प्रस्ताओं का स्वागत करूंगा। प्रशासन में जहां पर सुधार की आवश्यकता है, योजना के अनुकूल बनाने के लिये, हम उस पर भी बिचार करेंगे। कल जैसे माननीय तिवारी जी ने कहा कि बजट पास हो जाने के बाद शीघ्रातिशीघ्र हम इसके व्यय के लिये अनुमति दें ताकि योजना का कार्य हो सके। तो जैसे कल वित्त मंत्री ने कहा, वहां आदेश प्रसारित किये गये हैं। हमने इस बात का निश्चय किया है कि प्रत्येक योजना के जिनके कार्यक्रम हैं उनकी प्रत्येक माह के अन्दर मानीटेरिंग करेंगे।

एक उच्चस्तरीय कमेटी मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में बना कर प्रत्येक महीने, दूसरे, तीसरे महीने विशेष रूप से सिंचाई, विद्युत, कृषि उत्पादन की जो योजनायें हैं उन सब में कितनी प्रगति हुई और क्या हमारा लक्ष्य था उन सबका सर्वेक्षण करने के लिये नियमित रूप से नियंत्रण और मानीटेरिंग करने की कोशिश की जायेगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य यह जो छठी पंचवर्षीय योजना है इस पर अपने विचार पेश करेंगे। इस सम्बन्ध में मैं यह तिवारी जी को कहना चाहता हूं कि तिवारी जी शुरू करेंगे कि योजना में आपने तो देर की। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप मुख्य मंत्री थे, 74 की जो योजना हुई, दो साल तक एनुअल प्लान था और तीसरे साल जाकर कहीं आप की योजना का अंतिम रूप हुआ। इसी प्रकार से तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाने के बाद तीन सालों तक वार्षिक योजनायें चलती रहीं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला बाराणसी)—

यह कहना कि चूंकि पिछले मुख्यमंत्री का काम ठीक नहीं था, क्या आप भी वैसा करने जा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

वह पेशबन्दी है आगे के लिये।

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि हमारा तो एक तरीके से पहला वर्ष है क्योंकि पंचवर्षीय योजना तो समाप्त होने वाली थी 79 में। यह पहला वर्ष है तो इसके लिये हमको यह श्रेय मिल सकता है कम से कम तिवारी जी ने जो पंचवर्षीय योजना बनायी थी वह वित्तमंत्री थे, तो उसमें दो वर्ष लगे लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारी योजना इसी साल के अन्त तक होगी। लेकिन उनके देर करने से हमको लाभ हुआ है हानि नहीं। दो हजार करोड़ रु0 अलग करा दिया है और 600 करोड़ रु0 नियोजन आयोग ने अपने पास कमजोर राज्यों के लिये रखा है,

[श्री बनारसी दास]

उसमें हमने बाढ़ आदि की समस्याओं के लिये अच्छी खासी धनराशि लेने का प्रयास किया है। इसलिये वित्त आयोग की रिपोर्ट देर से आने से हमको लाभ हुआ है। अन्त में मैं आप लोगों के विचारों से लाभान्वित होना चाहता हूं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, यह फिर बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि प्रदेश की छठी योजना पर विचार हो रहा है और मंत्रि परिषद् के केवल दो मेम्बर यहां बैठे हैं जबकि 27 की कैबिनेट है। यही छठी योजना के लिये दिलचस्पी है। कम से कम यहां वित्त मंत्री, बिजली मंत्री को तो रहना चाहिये था।

श्री बनारसी दास--

आज चूंकि कौंसिल में बजट है, इसलिये वित्त मंत्री कौंसिल में हैं वरना वह यहां अदृश्य रहते।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

धन्यवाद, लेकिन इतने बड़े मंत्रिमंडल में इतने मंत्री गायब हैं। जो कम महत्व की चीजें हैं उसमें अधिक मंत्रि मंडल के लोग ध्यान देंगे लेकिन जो अधिक महत्व की चीज है जिसमें अधिक विचार होना चाहिये उसमें मंत्रि मंडल के लोग कम ध्यान देंगे, तो क्या होगा। आप उनसे कहेंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे भी लेकिन उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है।

श्रीमन्, अब जो यह विषय इतना महत्व और गम्भीर है कि उसमें मर्यादापूर्ण और संक्षेप में विचार व्यक्त करना कठिन है। मान्यवर, पहली बात तो यह है कि मुख्य मंत्री ने जो छठी योजना के बारे में आंकड़े दिये, जो उसका उद्देश्य बताया, उन्होंने अपनी सफलता या असफलता बताया तो बताते समय वह कुछ दुविधा में थे कि किस प्रकार वह कह सकें कि केंद्र ने हमारे मुताबिक धन नहीं दिया और जो कठिनाईयां थीं उनका उन्होंने वर्णन किया। मैं चाहता था कि वह अपनी ओर से आज सदन में मांग करते कि साढ़े सात हजार करोड़ रुपये की योजना जो पेश किया है वह पूरी की पूरी मंजूर हो सके, इस प्रकार का एक मत से यह सदन अपनी राय दे सकता। इसकी वह चेष्टा करते तो उचित होता। उन्होंने अपनी मांग को घटाकर 5 हजार करोड़ रुपये कर दिया और 4,776 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हो चुकी है जिससे काम चल जायेगा। तो साढ़े सात हजार करोड़ की मांग पेश करने के बाद घटाकर 5 हजार करोड़ रुपये लाये। मैं समझता हूं कि यह बुद्धिमता की बात नहीं है। मैं तो कहूंगा कि जो इसमें केंद्रीय शासन और प्लानिंग कमीशन है उसकी भी जिम्मेदारी है। मुख्य मंत्री उतने जिम्मेदार नहीं हैं, कम हैं, जितनी जिम्मेदारी केन्द्रीय शासन और प्लानिंग कमीशन की है।

पहली बात यह रोलिंग प्लान जो कहा कि एक साल का प्लान रोल हो गया तो बाकी क्या हर साल का रोलिंग प्लान होगा।

यह रोलिंग प्लान क्या बला है? जो रोलिंग प्लान किया गया है, उसमें पांचवें साल का आखिरी साल रोलिंग प्लान हो गया है। तो अगले साल का रोलिंग प्लान हो गया कि नहीं। रोलिंग प्लान केवल एक साल के लिये हुआ था भूतपूर्व मुख्य मंत्री, राम नरेश यादव की तरफ से। अगर कहते वार्षिक प्लान तो ठीक था। अब एक कहावत है "रोलिंग स्टोन गेदरस नो मार्कस, रोलिंग प्लान का मतलब है कोई प्लान नहीं। एक साल में बिजली

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घर कैसे बन सकता है । टेहरी डैम कैसे बनेगा ? एक साल का कोई मायने नहीं इस तरह के प्लान का कोई मायने नहीं । तो पहली बुनियादी गलती तो यह हुयी कि पांच साल को चार साल बना दिया । फिफ्थ प्लान को पूरे पांच साल चलना चाहिये लेकिन उसे चार में कर दिया और छठा साल जोड़ लिया। फिर जो योजना के नये लक्ष्य रखे गये हैं, उसमें उद्देश्य बिल्कुल बदल दिये गये हैं ।

पिछली पांच योजना में जो उद्देश्य थे, हमारी प्लानिंग के, नेशनल प्लानिंग के और स्टेट प्लान के, उन उद्देश्यों को भी बदल दिया गया है । तो पहली मुख्य बात तो यही है । उद्देश्य सभी अच्छे होते हैं । बुरा उद्देश्य कोई नहीं होता । लेकिन जो पहला फिफ्थ प्लान बना उसमें वर्तमान प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई, जो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उनका हाथ था, उसमें जवाहर लाल नेहरू का हाथ था। उसमें देश के बड़े-बड़े एकोनामिस्ट्स का हाथ था । आज प्लान के जो आब्जेक्टिव थे, उनको बदल दिया गया है । केवल तीन आब्जेक्टिव रखे गये हैं । वे तीन उद्देश्य क्या हैं ? सबसे पहला उद्देश्य है बेरोजगारी दूर करना और अर्धं बेरोजगारी में कमी लाना। जन-संख्या के सबसे गरीब वर्ग में रहन-सहन के स्तर में प्रशंसनीय बृद्धि और सभी व्यक्तियों को समान रूप से अवसर देने का प्राविधान । श्रीमन्, एक वेलफेयर स्टेट के लिये जो आब्जेक्टिव हो सकते हैं, इस मायने में आज बेरोजगारी सबसे पहला उद्देश्य लिया । लेकिन योजना में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और इंस्डस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या ग्रोथ की दर होगी, रेटआफ प्रोडक्शन क्या होगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है न कृषि के लिये और न इंडस्ट्री के लिये। किसी भी सेक्टर के लिये यह नहीं है और न कोई लक्ष्य है ।

श्रीमन्, पहली जो योजना बनी, उसमें नेशनल आब्जेक्टिव प्लान देश के लिये है और स्टेट को अपना लक्ष्य बनाया है। लेकिन इस सारे डाकूमेंट में हमने देखा कि राष्ट्रीय लक्ष्य दोहरा दिया गया । राष्ट्रीय लक्ष्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश की छठी योजना के क्या लक्ष्य होंगे, अपने लक्ष्यों को नहीं बनाया गया है । श्रीमन्, मान लें, लक्ष्य बिल्कुल ठीक है, बेरोजगारी दूर होनी चाहिये, लेकिन क्या इस लक्ष्य के अनुरूप केंद्र ने सहायता दी ? मान्यवर, मेरे पास केंद्र के प्लानिंग कमीशन का प्लान मौजूद है । उसमें उन्होंने 10 साल का उल्लेख किया । 10 साल के अन्दर इस प्रकार के डेवलपमेंट पूरे कर देना है । 10 साल में बेरोजगारी को समाप्त करना है और सबसे गरीब वर्ग के रहन-सहन में प्रशंसनीय वृद्धि करनी है, तो उसके लिये फंडिग करना होगा। अगर टाइम लिमिट 10 साल बरोजगारी दूर करने के लिये बना दिया है तो केन्द्र का दायित्व है कि वह देखे कि उत्तर प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं । उसमें 10 साल में कितना रुपया की जरूरत होगी । और जो छठी योजना के पांच साल हैं, उसमें कितना देंगे। अगर आज से 10 साल में बेरोजगारी भारत और उत्तर प्रदेश में दूर करना है, तो यह जिम्मेदारी केंद्र की हो जाती है कि वह 10 साल के अन्दर अपने वायदे को पूरा करने में जो केंन्द्र में प्राविधान है, उसके मुताबिक पैसा दें उसके लिये फंडिग भी करें, रुपये का प्राविधान भी करें नहीं तो वायदा न करें, प्लान में घोषणा न करें कि 10 साल के अन्दर हम बेरोजगारी को समाप्त कर देंगे। श्रीमन्, अब इस दृष्टिकोण से छठी योजना के लक्ष्यों को देखते हैं तो हम देखते हैं किसी मायने में जो राष्ट्रीय लक्ष्य किये गये हैं दस साल के अन्दर बेरोजगारी दूर करने के लिये इससे कभी पूरे नहीं हो सकते । जो इस योजना के जो आंकड़े दिये गये हैं श्रीमन्, जो इस इनवेस्टमेंट में प्रस्तावित है उसके अनुसार यह कार्य पूरा नहीं हो सकता है ।

अब श्रीमन् जो यह नेशनल प्लान अंग्रेजी में है इसका अनुवाद हिन्दी में सही माने में नहीं हो पाया है क्योंकि संक्षिप्त किया गया है । यह इतना महत्व का है इसलिये अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूं । पृष्ठ 3 में है"

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

DRAFT FIVE YEAR PLAN GOVT. OF INDIA PLANNING COMMISSION—It is proposed,therefore, that the principle objectives of Planning should now be defined as achieving within a period of 10 years.

इसलिये अब यह प्रस्ताव है कि प्लानिंग के, नियोजन के, मुख्य उद्देश्य अब घोषित किये जायं, परिभाषित किये जायं कि दस साल के अन्दर इन तीन चीजों को पूरा करेंगे।"

"Removal of unemployment and significant under employment"

श्रीमन्, यह जो हिन्दी में छटा है हिन्दी का अध्याय 2 पृष्ठ 38—उसमें दस साल का उल्लेख नहीं है, इसलिये मैं इसे अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं।"

"Removal of unemployment and significant under employment (2) appreciable standard of living for the poorest sections of population,provision by the State to meet the basic needs of the people in these income groups like drinking water, adult literacy, elementary education, health care, rural roads, rural housing for the landless and minimum service for the urban slums."

इतनी बड़ी बातें दस साल में पूरी होनी हैं। छठी योजना पांच साल की है। हमें इस माप दंड से इस योजना को देखना है कि क्या इन पांच सालों में जो कुछ उत्तर प्रदेश में लक्ष्य को पूरा करने के लिये करना है उसका आधा या मैं कहूंगा 40 फीसदी कम से कम पूरा कर सकते हैं। 40 फीसदी ऐसे लक्ष्य जो घोषित हैं इस योजना में प्रस्तावित हैं उन्हें हम पूरा कर सकते हैं। यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है। आपने घोषणा कर दी है, आपने धनराशि दे दी है, एलाटेड है, क्या वह लक्ष्यों को पूरा करती है ?

श्रीमन्, इसकी आलोचना खुद ड्राफ्ट में की गयी है। खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो नेशनल प्लानिंग कमीशन है, इस संबंध में आलोचना की है। हिन्दी के अध्याय 2 पृष्ठ 48 पैराग्राफ तीन में पढ़े। बहुत महत्व का है, प्रत्येक माननीय सदस्य देखेंगे वर्ष 78–83 की राष्ट्रीय योजना प्रारम्भ तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा घोषित नीति से यह विदित होता है कि नीति संबंधी उद्देश्यों पर अधिक ध्यान न्याययुक्त वितरण पर दिया गया है साथ ही उचित विकास दर का भी ध्यान राष्ट्रीय रणनीति में रखा गया है। निश्चित अवधि निर्धारण न केवल कतिपय आवश्यक सामाजिक सेवाओं के प्राविधान के लिये किया गया है बल्कि निर्धनता की समाप्ति एवं बेरोजगारी के उन्मूलन के लिये भी। इन समस्याओं के लिये 10 वर्षीय दीर्घकालीन योजना बनायी गयी है। अब पढ़िये श्रीमन्, यू0 पी0 की सरकार ने लिख दिया है। विरोधी दल की ओर से यह नहीं है। इस प्लान में लिखा हुआ है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार से निर्धारित उद्देश्य प्राप्त होंगे। यह बात मान्य है कि राज्यों को राष्ट्रीय विकास एवं सामाजिक न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये महत्वपूर्ण कार्य करना होगा किन्तु अभी तक यह स्पष्ट नहीं कि अगले 10 वर्षों में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय असंतुलन की अवस्था किस प्रकार और किस सीमा तक परिवर्तित होगी अथवा सर्वांगीण राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के संदर्भ में प्रत्येक राज्य को क्या कार्य, किस प्रकार और किस सीमा तक परिवर्तित होगी।

अब श्रीमन्, यह आलोचना प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओर से बुनियादी उद्देश्य के लिये की गयी है जिनको लेकर योजना बनी है। राज्य सरकार को अपने आब्जेक्टिव्स पर खुद विश्वास नहीं है। केन्द्रीय प्लानिंग कमीशन का जो निर्णय है उसे हमें मानना चाहिये लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम अपने उद्देश्य न बनायें। बंगाल ने किया है। उन्होंने कहा है कि हम नेशनल आबजेक्टिव्स आफ प्लान मानते हैं लेकिन हम अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर प्लान बनायेंगे। अन्धानुकरण करना, अपनी स्थिति को न देखना या प्लान के लिये अव्यावहारिक

रूप रखना यह स्वतः प्लान के उद्देश्यों के हित में नहीं है। 10 साल में योजनाओं को पूरा करना है लेकिन उनके लिये संसाधन कहां हैं, वास्तविक स्थिति क्या है? इसी योजना के प्रस्तावित प्रारूप को ले लें।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत बधाई दी। पहले नाम चरण सिंह जी का लिया, प्रधान मंत्री जी का बाद में लिया। अच्छा किया। चरण सिंह जी ज्यादा मदद दे रहे होंगे। लेकिन मुझे तो नहीं लगता। मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं। दोनों का मैं आदर करता हूं लेकिन इस प्लान में कहां ज्यादा दिया गया? मैं कैसे खुश होऊं? मेरे पास सब राज्यों के आंकड़े हैं। 5वीं योजना में गुजरात का 1185 करोड़ का आउटले था और उसे 2440 करोड़ मिला है दुगुने से ज्यादा मिला है। राजस्थान का आउटले 709 करोड़ रुपये का था और 2750 करोड़ मंजूर हुआ। महाराष्ट्र का आउटले हमसे कम था 2347 करोड़ रुपये का था लेकिन महाराष्ट्र का आउटले से 4700 करोड़ रुपये का मंजूर हुआ। केरल का आउटले 568 करोड़ रुपये का था लेकिन दुगुने से भी ज्यादा 1200 करोड़ रुपये का मंजूर हुआ। मध्य प्रदेश का 1379 करोड़ रुपये का आउटले था लेकिन वह भी बढ़ कर अब 3156 करोड़ का हो रहा है। हमारा आउटले 2445 करोड़ रुपये का था और अन्य राज्यों की तरह अगर दुगुना मंजूर किया जाता तो वह 5700 करोड़ का भी होना चाहिये था और अगर खर्च को दुगुना किया जाय तो 2869 करोड़ का 5700 करोड़ होना चाहिये। तो काहे की बधाई प्रधान मंत्री तथा उप प्रधान मंत्री को दे रहे हैं? अभी यह योजना फायनल नहीं है। हम आउटले को डिसकस कर रहे हैं यह आउटले फाइनल होगा। जहां तक मुझे मालूम हुआ है 4600 करोड़ रुपये के आउटले को अन्तिम रूप दिया गया है। मुख्य मंत्री जी बजट विवाद को छोड़ कर उस दिन दिल्ली गये थे बहस करने के लिये। कहां 7800 करोड़ में कितनी योजनाओं का हमारा लक्ष्य पूरा हो पाता? लेकिन जो 4600 करोड़ हमें मंजूर किया गया तो किस प्रकार मान लें कि हमारे आउटले के प्रति न्याय किया गया है या उत्तर प्रदेश के साथ न्याय किया गया है।

10 साल में उत्तर प्रदेश की बेकारी का जहां तक संबंध है क्या 40 प्रतिशत बेकारी भी दूर हो सकेगी, उद्देश्यों के मुताबिक योजना पूरी हो सकेगी, उसके कुछ आंकड़े हमारे पास हैं जो योजना के प्रारूप में रखे गये हैं। श्रीमन्, माननीय सदस्यों का ध्यान मैं इस पुस्तिका के पृष्ठ 64 की ओर दिलाऊंगा। इसमें दो तालिकायें दी हुई हैं। एक में पांचवीं योजना का व्यय दिखाया है और उसके नीचे दूसरी तालिका में जो 6ठी योजना का परिव्यय है, प्रस्तावित है, वह दिया हुआ है। कैसे बांटा है, यह देखने की बात है। श्रीमन्, आप देखेंगे कि पांचवीं योजना में सिचाई और बिजली के लिये 58.98 प्रतिशत व्यय का प्रस्ताव था और छठी योजना में यह घटकर 52.51 प्रतिशत हो गया। यानी 6.47 प्रतिशत खर्चा अकेले सिचाई और बिजली में कम होने जा रहा है। कहां इसको बढ़ना चाहिये था, वह कम हो रहा है। श्रीमन्, डाक्यूमेन्ट्स के आधार पर बोल रहा हूं। इसे आप देखें।

श्रीमन्, इसी तरह से सहकारिता में देखें। 1.24 प्रतिशत खर्च हुआ था 5वीं योजना में जो कि अब घटकर 0.93 प्रतिशत हो गया है। सहकारिता आन्दोलन उत्तर प्रदेश में कमजोर माना जाता है। जब यह मजबूत होगा, अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण बढ़ेंगे तो एग्रिकल्चरल इनपुट्स भी बढ़ेंगे.....

श्री बनारसी दास––

आप आखिरी तालिका क्यों नहीं पढ़ते हैं। जिसमें 1.23 प्रतिशत लिखा है.....

श्री नारायण दत्त तिवारी--

वह तो 1979-80 का अनुमानित है। मैं पूरे 6 साल का कह रहा हूं और आप एक साल का बता रहे हैं.....

श्री बनारसी दास---

रोलिंग प्लान का मतलब यह है कि हर साल साधन देखेंगे और फिर रिवाइज करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने निवेदन किया कि जो 1.23 प्रतिशत व्यय आपने बताया वह 79-80 का है। मैं कुल परिव्यय का प्रतिशत बता रहा हूं जो केवल 0.93 है सहकारिता के क्षेत्र में 5 साल में।

श्री बनारसी दास--

माननीय नेता विरोधी दल जो आंकड़े दे रहे हैं वे भ्रामात्मक हैं। आप आकार क्यों नहीं देखते हैं। जब आकार बड़ा है और उसके अनुसार जो योजना आपने बनायी थी उसको दुगुना हमने रखा है तो उस लिहाज से प्रतिशत कम होगा ही। मैं पहले ही कह चुका हूं कि पहले 14 प्रतिशत था और अब 12 प्रतिशत है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

माननीय नेता विरोधी दल को मुगालता हो रहा है। मुख्य मंत्री जी को 6 साल तक रहना ही नहीं है लिहाजा क्यों रखें।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

अगर ये आंकड़े ही भ्रमात्मक हैं तो मैं कहां से सही आंकड़े लाऊं। मान्यवर, इसी तरह से उद्योग में 5वीं योजना में कुल व्यय का प्रतिशत 5.88 था जो कि छठी योजना में 4.89 प्रस्तावित है। इसी प्रकार परिवहन में 5वीं योजना में कुल व्यय 7.60 प्रतिशत था जो कि छठी योजना में 7.93 प्रतिशत हो गया। तो श्रीमन्, प्रदेश में कैसे रोजगार बढ़ेंगे जब कि आउट ले कम किया जा रहा है। अब यह रोजगार बढ़ाने की बात कहते हैं तो पृष्ठ 57-58 माननीय मुख्य मंत्री जी देखें यह लिखा हुआ है कि वर्ष 1982-83 तक के लिये अतिरिक्त रोजगार 34.82 लाख और 35.31 लाख व्यक्ति वर्ष होने की संभावना है। तो यह तब संभव था जब 77 सौ करोड़ रु0 का प्लान होता। अब तो प्लान घट कर 4,700 करोड़ का रह गया है तो रोजगार के आंकड़ों को सही मान लिया जाय तो उनको भी घटाकर 20 लाख से ज्यादा नहीं दे पायेंगे, वह भी अगर सारा प्लान इम्पलीमेंट हो जाय तब 1 तो 34 लाख लोगों को नहीं बल्कि 20 लाख लोगों को रोजगार दे सकेंगे।

लेकिन अगली योजना के अन्त तक बेरोजगारों की संख्या 47 लाख हो जायेगी। यह संख्या घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। इसी तरह से पृष्ठ 58 में रोजगार सृजन के आंकड़े दिये गये हैं। इसमें दिया गया है कि खेती में भी विषमता कम करके आदमियों की संख्या बढ़ जायेगी। कृषि में लिखा है कि 14,13,973 नये रोजगार मिलेंगे। लेकिन खेती में किस तरह से मिलेंगे क्या इसका कोई मानदंड है कि किस प्रकार आप इतने लोगों को रोजगार देंगे? यह हो क्या रहा है? आज खेती को छोड़ कर लोग शहरों में जा रहें हैं। प्लानिंग की किताब हमारे पास मौजूद है और स्वयं चौधरी चरण सिंह जी की किताब में मौजूद है कि लोग देहातों को छोड़ कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इसको हमें रोकना है। लेकिन खेती में 14 लाख नये रोजगार हो सकें इसका जस्टिफिकेशन क्या है? क्या काल्पनिक आंकड़ों से बेरोजगारी समाप्त होने वाली है? यह सोचने की बात है कि किस प्रकार बेरोजगारी दूर की जा सकती है? इसके जो विशेष उपाय हैं उस पर हमें सोचना चाहिये।

अब आगे चलकर देखें कि रीजनल प्लानिंग और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कितनी महत्व की चीज है जिसको माननीय सदस्य रोज यहां कहते रहते हैं। इस दृष्टि से हम देखें तो मैं बधाई देता हूं प्लानिंग इंस्टीट्यूट को कि उन्होंने इस संबंध में अध्ययन बहुत ज्यादा किया है। एक जिले और दूसरे जिले में कितना फर्क है, पश्चिमी और पूर्वी जिलों में कितना फर्क है, बुन्देलखण्ड और पहाड़ी जिलों में कितना फर्क है, क्या अस्पतालों का घनत्व है, क्या सड़कों का घनत्व है यह सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। लिखा तो है लेकिन क्या शासन की पोलिटिकल विल है, जो असंगतियां हैं उनको दूर करने के लिये, जो जिलों और क्षेत्रों में असंगतियां हैं उनको पूरा करने के लिये क्या योजना के आंकड़े तैयार हैं? लेकिन जो प्रारूप बना है उसमें क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का प्राविधान नहीं है और न उसकी संभावना है। जैसा कि केन्द्र ने यह सोचा ही नहीं है कि यू0 पी0 की बेरोजगारी दूर करनी है तो उसका प्लान आउटले बढ़ाना होगा। इसी प्रकार यू0 पी0 सरकार ने भी नहीं सोचा है कि जिन जिलों में ज्यादा गरीबी है, जिन क्षेत्रों में ज्यादा गरीबी है वहां का आउट ले ज्यादा रखना होगा जैसे एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद के कुछ हिस्सों को छोड़ कर, बदायूं, हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव जिनको हम समझते हैं, विकास कर चुके हैं वह भी पिछड़ते चले जा रहें हैं और कई जिले ऐसे हैं, आगरा के कई ऐसे हिस्से हैं, जो अत्यन्त पिछड़े हुये हैं।

तो इस तरफ भी देखना है जिसको माइक्रा प्लानिंग कहते हैं, इस संबंध में जितना काम होना चाहिये हमारी सरकार के समय में नहीं हुआ हमने कोशिश की लेकिन वह कमी माननीय मुख्य मंत्री जी को अनुभव होनी चाहिये लेकिन उस हिसाब से इसमें प्राविधान नहीं किया गया है जिसे माईक्रा प्लान कहें जो जिला स्तर और क्षेत्रीय स्तर की प्लानिंग है उसका कोई आभास इस प्लान से नहीं मिलता है। श्रीमन्, अब इसमें कुछ नियोजन क्षेत्रों की प्रस्तावित किया गया है। पृष्ठ 111 पर देखें कि किस प्रकार क्षेत्रों को विभाजित किया गया है। योजनाओं के लिये इसमें बस्ती, गोंडा, बहराइच तथा लखीमपुर–खीरी को जोड़ दिया। इसी तरह से प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, फतेहपुर तथा रायबरेली जोड़ दिया। अब कहां फतेहपुर है और कहां फैजाबाद और सुल्तानपुर है और प्रतापगढ़ जोड़ दिया गया है। तो यह कौन सा मापदण्ड है? इसी प्रकार से मथुरा, आगरा, मैनपुरी, इटावा और कानपुर जोड़ दिया गया, तो यह कहां तक ठीक है?

श्री बनारसी दास—

इटावा और कानपुर पास नहीं हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

लेकिन आप देखें कि कानपुर है किस हिसाब से इसमें नीचे जोड़ा गया। उसी तरह से बदायूं, एटा व फर्रुखाबाद है। अब आप देखें कि रीजनल प्लानिंग के लिये जो एक दृष्टिकोण होना चाहिये, क्या उसको इसमें अपनाया गया है। अब इस संबंध में आप पृष्ठ 114 देखें, तो इसका महत्व गता चल जायगा। यहां इन क्षेत्रों में प्राथमिकतायें दी हुई हैं—किस क्षेत्र की क्या प्राथमिकता होगी? उसको देखेंगे, तो यदि कानपुर जिले में लघु उद्योग को प्राथमिकता देनी है तो वह कानपुर जिले के वृहद उद्योग पर आधारित होगी। तो कानपुर की स्थिति फतेहपुर और इटावा के बराबर नहीं हो सकती है। इसको थोड़ी देर के लिए लखनऊ से जोड़ लेते तो मैं समझता, लेकिन उसको इटावा और मैनपुरी से जोड़ा गया है। हमने कानपुर–देहात जिला अलग किया था इसी लिये, लेकिन उसको आपने तोड़ दिया। तो मैंने कुछ उदाहरण दिये हैं माइक्रा-प्लानिंग के क्षेत्रों का नियोजन या जिले के नियोजन का जो प्रारूप है, वह ढांचा होते हुये भी अधूरा है और जो राष्ट्रीय उद्देश्य घोषित किया गया है, उसके

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

अनुरूप नहीं है । इसको और अधिक सुदृढ़ करना होगा, तभी जिलों के मध्य जो असन्तुलन है और जिलों के विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो असन्तुलन है, वह दूर हो सकेगा। इस दृष्टि से हमें इससे भिन्न प्रारूप रखना होगा । इसका उल्लेख है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कितना उसका परिवर्तन हो सकेगा ।

इसी प्रकार लघु वृहद् उद्योगों के बारे में उन्होंने (मुख्यमंत्री) ने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की कि उन्होंने केन्द्र से 484 करोड़ रुपया सेन्ट्रली स्पान्सर्ड स्कीम का प्राप्त कर लिया है । लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो योजनाएं पहले से चल रही थीं, वे कितने करोड़ की थीं ? वह 424 करोड़ की थीं या ज्यादा की थीं ? वे कहां से थीं और क्या अब वे बन्द हो जाएंगी ? यह रुपया मिल गया तो हमने कोई नई चीज प्राप्त नहीं की जो केन्द्र चला रहा था, उन्हें अब हमें चलाना होगा । जैसे मलेरिया का छिड़काव पहले केन्द्र के रुपये से होता था अब आपको उसे करना होगा । तो कोई नया रुपया आपको प्राप्त नहीं हुआ है । फर्क इतना है कि अब तक वह केन्द्र के बजट में था, अब आपके बजट में आ जायगा । हो सकता है कि 8-10 करोड़ ज्यादा प्राप्त कर लिया हो । लेकिन जो पहले योजनाएं चलती थीं फार्मिंग, रिसर्च आदि की वह तमाम योजनाएं अब अपने हाथ में ले रहे हैं । यह फर्क हुआ और कोई फर्क नहीं हुआ । इसलिये उन योजनाओं को यहां जोड़ना, राज्य योजनाओं का अंग बना सकते हैं, लेकिन तत्वतः नया खर्चा नहीं है, पुरानी योजनाओं में रुपया बढ़ा लिया हो ऐसी स्थिति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

कितना समय और आप लेंगे 35 मिनट हो गये हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं कम करूंगा । मुश्किल विषय है । आप जानते हैं, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की है ।

श्री उपाध्यक्ष —

15 मिनट और बोल लें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं जो निवेदन कर रहा था, यह प्लान अधूरा है, इस माने में कि इसमें केवल गवर्नमेंट प्लान में क्या उसका उल्लेख किया गया है? क्या कोआपरेटिव्ज करेंगी, क्या प्राइवेट इंडिविजुएल्स करेंगे । टोटल प्लान का पिक्चर इसमें नहीं आता ? और सेंटर का क्या करेगा इसका कुछ पता ही नहीं ? चूंकि दो हजार करोड़ रूपया सेंटर ने दे दिया । माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश है कि टेहरी डैम सेंटर बनाये, नानपारा बिजलीघर सेंटर बनाये और सेंटर क्या करने जा रहा है उसका अन्दाजा नहीं है । जब कभी हमने योजना बनायी, तीसरी योजना में तीन ऐनुअल प्लान बने । सुचेता कृपलानी के जमाने में माननीय मुख्य मंत्री जी सबसे प्रभावशाली मंत्री माने जाते थे । उस समय जो योजनायें बनी थीं उनको याद होगा तीन प्रकार की योजनाओं का उल्लेख होता था, स्टेट सैक्टर इतना, प्राइवेट सेक्टर इतना और सेंट्रल सेक्टर इतना । स्टेट सेक्टर में तीनों प्रकार की योजनायें बनती थीं । सेंट्रल सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, क्या काम होगा, इसका इसमें कोई उल्लेख नहीं है । आधुनिक परिभाषा में केवल गवर्नमेंट की ओर से जो प्लान बनता है वह नहीं माना जाता। आज जब स्टेट इनकम जोड़ी जाती है तो टोटल नेशनल इनकम, नेशनल बजट क्या है. उसको ध्यान में रखा जाता है । प्राइवेट सेक्टर की योजनाओं का कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है यह मैं कैसे मान लूं ?

श्री बनारसी दास––

एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? यह बतलाइये, चौथी योजना और पांचवीं योजना जो बनी, 1979 में, यह भूतपूर्व मंत्री काफी प्रभावशाली थे, इन दोनों योजनाओं में कुल मिलाकर 4.5 प्रतिशत का व्यय केन्द्र का यहां होगा । इस बीच में बतलाइये कितने प्रति आया, कितना आप और केन्द्र से लाये, क्या विशेष आपने किया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

मैं बताता हूं । मुख्य मंत्री जी मुझे मुख्य मंत्री मान रहे हैं । मैं बताता हूं । हम जो लाये, उसका अगर आधा ले आयें दो तीन साल में तो मैं बधाई दूंगा । नरौरा को लाये 500 करोड़ का, बुलन्दशहर में, मथुरा रिफाइनरी लाये ढाई सौ करोड़ की, 1980 में चालू हो जायेगी, झांसी का हैवी एलेक्ट्रिक्ल्स लाये 80 करोड़ का, दूसरा फेज चलवा दीजिये, हरिद्वार मे फाउंडरी फोर्ज लाये 86 करोड़ का, ऐंटीबायटिक्स का कारखाना लाये उद्घाटन हो गया , गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्टरी लाये, उद्घाटन हो गया फूलपुर में फर्टि-लाइजर फैक्टरी का उद्घाटन करेंगे पौने दो सौ करोड़ की । ओबरा में एक हजार मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन तैयार है, 2 सौ मैगावाट का उद्घाटन कर चुके हैं । इसी तरह से डल्ला का सीमेंट का कारखाना चुनार का कारखाना आपके उद्घाटन के लिये मौजूद हैं, डल्ला में सवा सौ करोड़ का इन्वेस्टमेंट है । सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स, सैदाबाद 80 करोड़ का आपकी सेवा में तैयार हू । शारदा सहायक योजना जो है उसका क्रेडिट आपने ले लिया । 40 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो रही है । मेरा आपसे आग्रह है जिस दिन आप कहें मैं बता सकता हूं, प्रतापगढ़, जौनपुर, बनारस तक पानी जायेगा और ज्ञानपुर तक पानी जायेगा । क्यों आप ऐसी बात कहें ? बहुत कुछ इन्दिरा जी ने दिया है और आपने स्वीकार किया है । जितना मैने किया है उसका अगर आधा भी 6 ठी योजना में ले आवे तो बहुत धन्यवाद दूंगा ।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बस्ती)––

माननीय मंत्री जी ने कहा (हंसी) वह मंत्री रह चुके हैं । मैं तिवारी जी से जानना चाहता हूं कि शारदा सहायक परियोजना में जो रिजरवायर है उसमें कितना पानी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

श्रीमन्, पहली बात तो यह है कि वहां पर कोई रिजरवायर नहीं है । घाघरा नदी का पानी और गंगा नदी पानी से ढाई गुना है, उसमें 8 हजार क्यूसेक पानी चलता है ।

श्री बाबू लाल वर्मा––

9 हजार कयूसेक पानी है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

आप इसको बन्द करा दें कि उसमें पानी नहीं है । आपने श्रेय लिया कि 5 लाख हैक्टयर अतिरिक्त जमीन की सिंचाई हो गयी । यह आपने अपने बजट भाषण में लिखा है और श्रीमन्, माननीय बनारसीदास जी कांग्रेस में थे, तो पूरी तारीफ लिखी हुई है । आप सन् 77 तक कांग्रेस में रहे हैं । संगठन कांग्रेस और कांग्रेस एक ही बात है । अब मैं देख रहा हूं । पृष्ठ 1 से 28 तक पूरी जानकारी हुई है कि कितनी तरक्की हुई है । समय इतना नहीं है कि फसल की सघनता 1960–61 में 126.5 प्रतिशत थी जो कि 1976–77 में बढ़कर 133.1 प्रतिशत हो गयी । इसी प्रकार सिंचाई का उल्लेख है कि कितनी वृद्धि हुई है । 17 वर्षों में गेहूं का उत्पादन 39.45 लाख मी0 टन से बढ़कर 95.11 लाख मी0 टन हो गया । यह वृद्धि 141 प्रतिशत रही । इसी प्रकार चालू उत्पादन, सिंचन क्षमता आदि कितनी बढ़ी है ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कोई 200 प्रतिशत तक बढ़ी है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। 24वें पेज पर कांग्रेस शासन की उपलब्धियों को संक्षेप में दिया है। जो लोग कहते हैं कि 30 साल में नहीं हुआ वह 16 साल में हो गया। मैं एक बात के लिये अवश्य कहूंगा, परन्तु समय कम है, कार्य मंत्रणा समिति में इस पर अधिक समय रखना चाहिये, सभी लोग बोलना चाहते हैं।

श्रीमन्, इसी तरह से कल वित्त मंत्री जी ने कहा था कि मैं सबसे बड़ी प्राथमिकता पेय जल योजना को देता हूं। आप चाहे एनुअल प्लान ले लीजिये चाहे छोटी योजना को ले लीजिये कितने कुएं और कितनी पेय जल की योजनायें आप गांव में बनाने जा रहे हैं। इसका कहीं पर अता-पता है। जितने कुएं अब तक बने हैं, केवल उतने ही बनने जा रहे हैं तो आप पेय जल की समस्या को 10 वर्षों में कैसे दूर कर देंगे ?

जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है आप बतायें कि सड़को के लिये आपका कितने रुपये का बजट है लिंक रोड्स को आप बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। जहां तक फूड फार वर्क द्वारा बनायी जाने वाली सड़कों का प्रश्न है जब तक आपके पास सरप्लस अनाज है तब तक आप इसके अन्तर्गत सड़के बनवा सकतें हैं लेकिन क्या वे पक्की सड़कें होती हैं आपके बजट में पेय जल योजनाओं के लिये और सड़कों के निर्माण के लिये बहुत कम धनराशि का प्राविधान है।

इसी प्रकार से आपने निर्बल वर्ग के लोगों के लिये प्लान में क्या किया है। अन्त्योदय का अवश्य इसमें उल्लेख है लेकिन जो भूमिहीन हैं वे चाहे 20 लाख हों या 25 लाख हों, हमने तो केवल 19 लाख भूमिहीनों को जमीन देने की बात कही थी, आपने उसको बढ़ाकर 20लाख बता दिया। उनके लिये कौनसी योजना है इस प्लान में। जो शहरों में रहने वाले गरीब लोग हैं, जिनकी स्लम ज्वेलर्स भी कहते हैं चाहे वे आगरा के चर्मकार हों, मुरादाबाद के बर्तन बनाने वाले लोग हों, अलीगढ़ के ताला बनाने वाले हों, बनारस के बुनकर हों और चाहे मेरठ के कैंची बनाने वाले हों, जो शहरों में स्लम एरियाज में रहते हैं उनके लिये कौनसी योजना है ?

जहां तक ट्रान्सपोर्ट और कम्यूनिकेशन का संबंध है मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इसमें ग्रामीण सड़कों का उल्लेख किया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस वर्ष का बजट उठायें और इसका स्पष्टीकरण दें कि पिछले साल 9 करोड़ 66 लाख का खर्चा था, 1978–79 में लेकिन इस साल इसे घटा कर 7 करोड़ 50 लाख कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह क्यों कम हुआ है ? क्या इससे राष्ट्रीय लक्ष्य आप पूरे करेंगे ? कोई प्राथमिकता को देखेंगे ही नहीं ? जब आप इन योजनाओं के विवाद में दिलचस्पी ही नहीं लेंगे तो आपको देखना पड़ेगा। प्राथमिकता का क्या मन्तव्य था और अब क्या है ? आज कहां पर तारतम्य है ? योजनायें बनायी गयी हैं लेकिन सब रौलपौल हैं। आपकी रोलिंग प्लान है, हर चीज रौल कर रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी भी रौल कर रहे हैं, विचारधार यें भी रौल कर रही हैं। स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा होती तो भी कोई बात थी, अगर चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के अनुकूल बजट तैयार होता तो भी बात थी या भाई मोरार जी देसाई की विचार धारा या पीलू मोदी की विचार-धारा के अनुरूप आपका बजट होता या जार्ज फर्नेन्डीस की विचारधारा के अनुरूप आपका होता तो पब्लिक सैक्टर ही मजबूत होता। इसलिये कहीं पर भी किसी चीज की इम्पौर्टेंस नहीं दी गयी है।

चाहे गांधीवादी, समाजवादी हों या कुछ और हों, आखिर तक हम नेगेटिव की बात में चलते रहेंगे, पोजिटिव साइड कब अख्तियार करेंगे ? क्या हम गांधीवादी समाजवाद की ओर जा रहे हैं या हम जनसंघी दृष्टिकोंण से आगे बढ़ रहे हैं ? चूंकि इसमें किसी की भी

विचारधारा परिलक्षित नहीं हो रही है इसलिये छठी पंच वर्षीय योजना सफल होगी, हमें इसमें शक है। इसीलिये यह रोलिंग प्लान बनाकर रखी गयी है, कोई विचारधारा इसमें नहीं मिलती। यह 5 हजार की नहीं, 7 हजार करोड़ की प्लान बनना चाहिये। अब संसाधनों को कैसे जुटाया जाये इसके लिये फिर से किसी दिन चर्चा हो जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष––

(श्री राधेश्याम शर्मा से) आप कृपया 10 मिनट में समाप्त करें। 10-10 मिनट सब लोग बोलें।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला-मथुरा)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्री नारायणदत्त तिवारी जी की बात को बड़े गौर से सुना। मैं समझता हूं कि इस बहस में माननीय सदस्यों को पूरी दिलचस्पी के साथ बहस करना चाहिये। (इस समय 3 बजकर 1 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेम सिंह चौहान पीठासीन हुए।) माननीय तिवारी जी को मैं आदर की दृष्टि से देखता हूं। कभी समाजवादी दल में वे हमारे साथ थे और हमारे नेता भी रहे है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस प्लान का क्या मतलब है जिस प्लान से भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी हो। 15 अगस्त, 1947 से पिछले तीस वर्षों तक कांग्रेसी शासन रहा, कांग्रेस ने ही पंच वर्षीय योजनायें बनायीं। उन योजनाओं के सारे आंकड़े देकर सही स्थिति मै आपके सामने रखूंगा। आपने उन योजनाओं के द्वारा क्या तरक्की की। 16 अरब रुपया आपने पी0 एल0 480 का अमेरिका से गेंहूं खरीदने में दिया और गेहूं भी वह जिसे अमेरिका में समुद्र में फेंक दिया जाता था वहां का सुअर भी उसे नहीं खाता था, जानवरों के खाने वाला तो आपने यहां मंगाया, देश को भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। रिजेक्टेड व्हीट जिसको कहते हैं वह आपने मंगाया और इस पर 5 अरब रुपया व्याज का भी दिया। इस तरह से 21 अरब रुपया आपने बिना किसी कारण देश का बरबाद किया। फिर किस तरह आप प्लान का ढोंग पीटते हैं।

2 साल पहले तक मैं तो विरोधी दल में रहा और जिस पार्टी में था सदा उसी में रहा। कांग्रेस सरकार की खिलाफत हमेशा की। आपने जो भी प्लान बनाया उससे आपने देश को भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने 30 वर्ष के शासनाकाल में आपने इस प्रदेश में जितना गेंहूं पैदा किया उसका ड्योढ़ा तो हमने पिछले साल ही पैदा करके दिखा दिया और इस वर्ष तो इतना गेहूं पैदा हुआ है कि उसको रखने की जगह नहीं है पारसाल से पौने दो गुना ज्यादा इस साल पैदा हुआ है।

एक भी आदमी आज उत्तर प्रदेश के अन्दर भूखों नहीं मर सकता। साढ़े 12 करोड़ व्यक्ति इस उत्तर प्रदेश में हैं। इनमें से एक आदमी भी भूखों नहीं मर सकता। 30 साल के अन्दर लाखों व्यक्ति भूखों मर गये, जब कांग्रेस का शासन था। दो वर्ष के अन्दर एक भी आदमी भूखों मरा हो, तो बता दें। सारी नहरों में अंग्रेजी शासन में कभी इतना पानी नहीं मिला और उस पानी का मतलब यह हुआ कि देश के अन्दर अन्न के भंडार भर गये। तो जिस प्रदेश का अन्न का भंडार भर जाय, उससे ज्यादा भाग्यशाली और कौन सरकार हो सकती है। आप कहते हैं कि बेरोजगारी दूर नहीं हुई।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

ग्रामीण अंचल में हाई स्कूल पास से लेकर एम0 ए0 पास तक लड़के बेकार हैं। हमारे यहां बांध बन रहे हैं, माइनर बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, कहीं पर भी गांव के किसान को खेती के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं, इतने लोग हैं, इतना काम है। तो मैं समझता हूं कि आज अगर यह कहा जाय कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो बिना पढ़े-लिखे लोग हैं, उनकी बेरोजगारी तो दूर हो गयी। पढ़े-लिखे लोगों की बेरोजगारी है, मैं कबूल करता हूं, मानता हूं और हमारी इतनी सड़कें चालू हैं, गर्की की योजना चल रही है ढूंढ़ने में आदमी नहीं मिल रहे हैं। हमको तो किसान लोग कहते हैं कि खेती के काम के लिए मजदूर नहीं मिला, 12–12 रु0 पर लोग मिट्टी डाल रहे हैं। जिन योजनाओं के अन्दर भुखमरी, बेकारी दूर होती है, वह योजना सफल होती है। अभी आपने, नारायण दत्त तिवारी जी ने मुख्य मंत्री जी से कहा कि.....

(व्यवधान)

श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)—

इनके बाद हमें समय दे दें।

श्री राधे श्याम शर्मा–

5–7 और योजनाएं हैं। आपने 5–7 योजनाएं और गिना दिया, माननीय मुख्य मंत्री जी सुनते रहे, कोई भी सरकार हो, चाहे जो भी सरकार हो, मुस्तकिल तो होती नहीं है। कभी हम हैं, कभी दूसरी सरकार है, कुछ दिन पहले हमी विरोधी पक्ष में बैठते थे। तो जितनी हम नहर बना रहे हैं, जितनी हमारी गर्की की योजनाएं हैं इनको हम उठाकर नहीं ले जायेंगे, इनको तो आगे के लिए छोड़ कर जायेंगे। अंग्रेजी सरकार को हम यह कहें कि अंग्रेजी सरकार ने रेल बना दी, तो क्या अंग्रेज चले गये तो वह रेलों की पटरी उठा कर ले गये? सड़कें उसने बनाई क्या वह सड़कें उठा कर ले गये। दो वर्ष के अन्दर प्रदेश तरक्की के पथ पर गया है। अभी 4,684 की प्लान की बात बताई, जितनी वकालत उत्तर प्रदेश की सरकार की लोगों ने की, आप उसको देख रहे हैं। जितनी बातें हैं, अखबारों की कटिंग मेरे पास हैं, उसको पढ़ दूं तो आप जान जायेंगे। आपने कहा केन्द्र से क्या लाये, केन्द्र और प्रांत कोई अलग-अलग चीजें हैं?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री राधे श्याम शर्मा—

मैंने जितने थोड़े समय में जो बातें कहीं हैं, ठोस बातें कहीं हैं, मुझे ज्यादा समय नहीं मिल पाया, परन्तु एक-एक बात मैंने बताई।

उत्तर प्रदेश तरक्की के पथ पर है और जारी है। जो कमियां हैं विरोधी सदस्य बतायें और सरकारी पक्ष उसे मानें। लोकतन्त्र में पक्ष–विपक्ष एक ही गाड़ी के दो पहिये होते हैं, दो चीजें नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री इसे पालन करेंगे ताकि ज्यादा सुविधायें दे सकें और 6ठी पंचवर्षीय योजना में प्रदश को अग्रसर करें। मैं समझता हूं कि इस थोड़े समय में मैंने काफी बात बताने की कोशिश की।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

जनता पार्टी और जनता सरकार के 3 मुख्य ध्येय हैं। एक 10 वर्ष में बरोजगारी, अशिक्षा और गरीबी दूर करेगी। देखना यह है कि यह योजना का प्रारूप किस ध्येय को कितना कर पायेगा। बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ रही है। पिछले साल 77 में पंजीकृत बेरोजगारों

की संख्या 9 लाख थी, 78 में 14 लाख हुई ।लेकिन रोजगार केवल 50 हजार को दिया जा सका । कुल बेरोजगार 29 लाख है, ये उपभोग तो कर रहे हैं, समाज से ले रहे हैं, लेकिन समाज को कुछ दे नहीं रहे हैं । यह सोचा जाना चाहिए कि ये किसी उत्पादन में लगाये जायें ताकि समाज की संचित निधि बढ़े । कोई स्पष्ट रूप रेखा नहीं आ पायी कि इन लोगों को किस प्रकार काम दिया जायगा । अस्पष्ट रूप से तो काफी है लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ नहीं है ।

शिक्षा के प्रसार की बात है और प्रदेशों के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में शिक्षा की बहुत कमी है । पिछले 2 वर्षों में जो गति है, उससे 10 साल क्या 50 साल में हम उसे दूर नहीं कर सकते गरीबी के लिए अन्त्योदय योजना चलायी लेकिन जिस प्रकार से हम गरीबी दूर करना चाहते हैं, शासन से सहायता मिलनी चाहिए, नहीं मिल पा रही है ।

एक योजना बनाने में जो कमी महसूस करते हैं, स्पष्ट बता देना चाहता हूं । आज की मान्यता चल रही है कि प्रशासन में एकीकरण न हो, नीचे के लेविल पर कर दिया जाये । कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पंचायत विभाग, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग अलग काम करे तो ब्लाक लेविल पर कैसे होगा । जो आपका खण्ड विकास है, उसको माइक्रो योजना जो है उसका आधार अगर खण्ड विकास को नहीं बनाया और अलग-अलग कृषि अधिकारी, पशु अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, विकास अधिकारी को एक अधिकारी के अण्डर में और जो क्षेत्र विकास समिति है उसके अण्डर नहीं ले आयेंगे तो उसका जो स्वरूप है वह कुरूप हो जाता और विकास की योजना नहीं बनेगी । तो अगर वास्तव में विकास चाहते हैं ग्लान्ड डेवलपमेंट चाहते हैं तो खण्ड स्तर पर योजना बनानी होगी । खण्ड स्तर पर जो विकास की सुविधायें हैं, उनको एकत्रित करना पड़ेगा जो अभी इधर-उधर फैली पड़ी हैं । पशुधन को अलग कर दिया, कृषि को अलग कर दिया ग्राम्य विकास को अलग कर दिया । इस प्रकार से कृषि का विकास नहीं होगा ।

अभी माननीय राधेश्याम जी ने कहा कि उत्पादन किसानों ने बढ़ाया ; 17.7 किसानों ने उत्पादन में वृद्धि की । किसानों ने जो उत्पादन किया वह करके पछता रहा है । उत्पादन बढ़ाने के बाद उसको क्या मिला । उद्योग विभाग में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि बहुत कम है । बड़ी आवश्यकता पशुधन विकास की है । पशुधन विकास के लिये बजट क्या है । क्या सोचा है पशुधन के विकास के लिये । अभी तक कोई स्पष्ट रूप रेखा इसमें नहीं बनाई गयी है । पूरी पंचवर्षीय योजना में, इसमें सबसे खेद की बात यह है कि केवल दो जगहों पर फ्रीजिंग वीर्य केन्द्र खोले गये हैं । वर्णशंकर और कोसी गायें दो प्रकार की हैं इनकी बहुत आवश्यकता है । यह गायें भैंस से भी अधिक दूध देती हैं । इनके विकास के लिये सोचना चाहिये था । इसके लिये जो पैसा रखा है वह भी बहुत कम है । दूसरी ओर बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे मत्स्य पालन विकास की है । मत्स्य पालन विभाग में जो बढ़ोत्तरी करने की बात है उसके बारे में अच्छी तरह से नहीं सोचा गया । बकरियों के बारे में, उनकी बहुत बढ़ोत्तरी की जा सकती है । आपने गेहूं का उत्पादन बढ़ा लिया । गन्ने का तो वैसे ही बढ़ गया । हरित क्रांति तो आ गयी । सबसे बड़ी आवश्यकता है स्वेत क्रांति लाने की । दूध का उत्पादन बढ़ाने में आप अक्षम रहे । पशुओं की संख्या बढ़ाने से उत्पादन नहीं बढ़ेगा । पशुओं की नस्ल अच्छी करने से दूध का उत्पादन बढ़ेगा । बकरी, भैंस, गाय इनकी नस्ल अच्छी करने से इन्हें बढ़ाने से दूध का उत्पादन बढ़ सकेगा । इस पर विचार किया जाय ।

[श्री श्याम दत्त पालीवाल]

39 लाख बेरोजगार हैं उन्हें कैसे काम पर लगाया जाये। शिक्षा का जो प्रचार है, 10 साल में सभी को शिक्षित बनाने का, वह वास्तव में पूरा हो सकेगा या नहीं। प्रत्येक प्लानिंग का केन्द्र विकास खण्ड को बनाने का प्रयत्न करें। एक अधिकारी और चुने हुए प्रतिनिधि को रखें कि वह विकास खण्ड को देखें, आर्थिक योजनाओं को देखें, पशुधन को देखें। पशुधन की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

*श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बस्ती)---

छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय तिवारी जी को भी बधाई दूंगा कि आज उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि उनकी सरकार 30 साल तक निगेटिव मार्ग पर चलती रही और उन्होंने जो निर्देश दिया कि यह सरकार भी यदि उनके बताये हुये निगेटिव मार्ग पर चलती रही तो जो 30 साल की सरकार का हुआ है वही हाल इस सरकार का होगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय तिवारी जी से पूंछा जाय कि पंचम पंचवर्षीय योजना 1979 में समाप्त होनी चाहिये थी और 4 थी पंचवर्षीय योजना, यह 1972 में समाप्त होने के बजाये 74 में समाप्त हुई। दो साल का समय जो बर्बाद हुआ इसका उत्तरदायी कौन है। 1979 में पंचम पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के पहले ही 1978 में उसे समाप्त कर दिया और 6ठीं पंचवर्षीय योजना का प्लान बनाया गया। और इसी कारण, न यह पांचवी योजना है और न छठी योजना है यह तो बीच की योजना है जिसको पंचम पंच वर्षीय योजना कहा गया। यह जो प्लान है यह दिसंबर, 78 में छपकर तैयार हुआ है। पंचम पंच वर्षीय योजना का यह ड्राफ्ट है, पूरा साल 78 का खत्म हो गया। सन् 79 प्रारम्भ हो गया और इसके भी 6 महीने चले गये हैं। अब 6 महीने बाद इस पर विचार हो रहा है। अब यह स्वीकार होकर आया है। तीन साल बचे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से पांच साल की योजना 83 में पूरी हो जायगी। बीच का समय तो बेकार चला गया इसका उत्तरदायी कौन है, तिवारी जी हैं, वह अपने भाषण में उत्तर देंगें।

जो प्लानिंग कमीशन बना है 30 साल से वही प्लानिंग कमीशन के मेम्बर बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा जिस तरह से सरकार बदलती है उसी तरह से प्लानिंग कमीशन के मेंबर बदले जायं। पुराने मेंबर जो पी0एच0डी0, आई0ए0एस0, यू0एस0ए0 और केम्ब्रिज, हावर्ड की डिग्री वाले लोग हैं, वह गेहूं का पौधा नहीं पहचानते हैं।

मैं एक सेमिनार में गया था जो वहां व्हीट के डाइरेक्टर साहब थे उन्होंने पूछा कि गेहूं की बेल कितनी लम्बी होती है। तो जब व्हीट के डाइरेक्टर ऐसी बात कहते हैं तो प्लानिंग कमीशन में जो बैठे हैं वह कितनी जानकारी रखते होंगे, यह आप समझ सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन में जो लोग बैठे हैं वह पुराने लोग हैं जिन्होंने धूप, रोशनी, पानी नहीं देखा, जिन्होंने खेत की मेड़ नहीं देखी खेत नहीं देखा है। मैं कहना चाहता हूं कि वह कद्दू का पौधा नहीं पहचान पायेंगे। अगर यह पूछा जाय कि आम का पेड़ 50 फुट लंबा होता है, 3 फुट चौड़ा होता है और उसमें एक-एक छटाक के आम लगते हैं तो 20 किलो का जो कद्दू होता है उसका पौधा कितना होगा। तो वह हिसाब लगाकर बता देंगे कि कद्दू का पौधा 100 फुट चौड़ा और 1000 फुट लंबा होगा। (हंसी) उनको पता नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि कद्दू का पेड़ नहीं पौधा होता है। ऐसे प्लानिंग कमीशन के मेम्बर हैं जो दिल्ली में बैठते हैं उनको दिन को रात और रात को दिन दिखाई देता है। मान्यवर, मेरा कहना है कि 1974 के चुनाव में एक ड्राइवर मेरे साथ गया जो अरहर के फूल को नहीं पहचानता था। मुझसे कहने लगा कि यह किस पेड़ का फूल है। एक जगह बड़े-बड़े कद्दू लगे थे। वह कहने लगा कि कौन भूल गया है, यहां पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कि पड़े नहीं हैं यह पौधे में लगे हैं। तो मान्यवर, जब यह हालत है तो विकास कैसे होगा।

मेरा सुझाव है कि प्लानिंग कमीशन के अन्दर 1/3 एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स होने इसी तरह से हर एक क्षेत्रों में जानकर लोग इसमें होने चाहिये जिनको तजुर्बा हो। उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात कही जाती है। मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश के 10 हिस्से मानकर प्रत्येक क्षेत्र स एक-एक व्यक्ति प्लानिंग कमीशन में भेजे जायं। आगरा, मैनपुरी, एटा, इटावा, फतेहपुर, कानपुर और चंबल घाटी का जो क्षेत्र है उसका एक आदमी वहां जाय जो बता सके कि डाकुओं की समस्या कैसे हल होगी। सिंचाई की समस्या यहां कैसे हल होगी। इसी तरह से जो डाउन प्रोन एरियाज हैं वहां का एक प्रतिनिधि जाय, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, यहां का कोई आदमी जाय जो यह बता सके कि यहां की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाय, कैसे इरीगेशन किया जाय। इसी तरह से प्लेन का आदमी भेजा जाय जो वहां समझा सके कि प्लेन की क्या समस्यायें हैं।

तिवारी जी ने आंकड़े देकर बताया कि हमने बड़ा विकास किया है। 30 सालों तक यह कागज पर खेती करते रहे हैं। और कलम से जोतते, रोशनाई से सींचते रहे हैं, और आंकड़ों की फसल कागज पर उगाते रहे हैं। आपने 95 लाख मैट्रिक टन अनाज पैदा किया है। तीन अरब रुपया आपने 30 सालों में सिंचाई पर खर्च किया है जो कि 21 प्रतिशत होता है। जनता सरकार को आप बधाई दें कि उसने दो सालों में ही यह 21 प्रतिशत को बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया है और इस साल 52 प्रतिशत सिंचाई किया है। मान्यवर, आपने शारदा सहायक के बारे में पूछा। तो शारदा सहायक योजना पर साढ़े तीन अरब रुपये आपने खर्च किये जिससे 260 किलोमीटर नहर बनाया। इसमें 95 हजार हेक्टेयर लोगों की जमीन ले ली गयी लेकिन सिंचाई एक लाख हेक्टेयर की ही हुई। मान्यवर, लखीमपुर जिले में नकहा ब्लाक, शारदा सहायक में सीपेज हो जाने से जनवरी में डूब गया। शारदा सहायक में जो पानी डिस्चार्ज होता है वह 9 हजार क्यूसेक है, तो इससे आजमगढ़ में पानी कैसे पहुंचेगा। इस प्रकार की आपने योजना बनाया है। यह तो नानक सागर बांध से निकली शारदा नहर को फीड करने के लिये यह शारदा सहायक योजना बनायी गयी थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

नानक सागर नैनीताल जिले में है, पीलीभीत में है, शारदा सहायक से उसका क्या ताल्लुक है।

श्री बाबूलाल वर्मा—

मान्यवर, अब मैं तिवारी जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब वह मार्च, 1977 में मुख्य मंत्री थे, उस समय आपने अपनी बड़ी तारीफ किया था कि हम बड़े होनहार, प्रतिभावान मुख्य मंत्री हैं कि 675 करोड़ रुपये इस साल सेन्ट्रल से ले आये हैं। यदि आज हम अपने मुख्य मंत्री की तारीफ करते हैं तो आपको क्यों तकलीफ होती है। आप पहले तारीफ कर चुके हैं, यह कह चुके हैं कि यह सरकार हमारे पद चिन्हों पर न चले क्योंकि हम निगेटिव मार्ग

[श्री बाबूलाल वर्मा]

पर चल रहे थे, इसलिये मैं तिवारी जी को सलाह दूंगा कि वह स्वयं अपनी तारीफ न करें। मान्यवर, तिवारी जी ने यह भी कहा था कि हमने छठी पंचवर्षीय योजना में 2,445 करोड़ रुपये का प्लान स्वीकार करा लिया है लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2324 करोड़ रुपये महाराष्ट्र को मिला था जिसकी आबादी 1/3 अपने प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इंकम 658 रुपये थी जबकि महाराष्ट्र की 1363 रुपये, तो उसको देखें कि 30 सालों में कितनी पर कैपिटा इन्कम बढ़ी है। आपके समय 1961 में उत्तर प्रदेश छठवें स्थान पर था, 1976 में उसका बारहवां स्थान हो गया लेकिन अब आप हिसाब लगायें कि हम कहां पहुंचे हैं। उससे पता चलेगा कि जनता सरकार कितना आगे चल रही है।

मान्यवर, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो सुझाव हमने दिये हैं उनको लागू करें और जिस तरह से सरकार बदली है उसी तरह से प्लानिंग कमीशन भी बदला जाय। इस सुझाव के साथ मैं बैठता हूं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, यह विवाद पंचवर्षीय योजना पर चल रहा है, इसलिये यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि यह कोई दलीय प्रश्न हो, ऐसा भी नहीं है कि हम कह सकें कि इस दल ने यह किया और उस दल ने यह किया, ऐसा भी नहीं है कि हम 30 सालों की विवेचना करें।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया माननीय सदस्य व्यवधान न करें।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि यह प्रश्न नहीं है कि 2 वर्ष में क्या हुआ और 25 वष में क्या हुआ। यह बात सही है कि जब पुरानी सरकार आयी तो उसके पहले एक इतिहास के बाद आयी। उस समय परिस्थितियां दूसरी थीं। लेकिन जो 25 वर्षों में काम हुआ, वह उन 25 वर्षों के अनुकूल बहुत हुआ। इस पुस्तिका को, जिसमें ब्योरा लिखा हुआ है और जिसको माननीय तिवारी जी ने पढ़कर सुनाया है, दोहराने की जरूरत नहीं है। देखना सिर्फ यह है कि हम इस तरह से विवेचना करें, आलोचना करें कि हम जिस तरह से करते रहे हैं, उससे आगे भी किस तरह से प्रदेश की भलाई हो सकती है। मैं उसी दृष्टि से छठी पंचवर्षीय योजना के संबंध में चर्चा के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, जहां तक इस पुस्तिका में देखता हूं, बड़े सुन्दर ढंग से लिखा गया है। लेकिन साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं, श्रीमन्, कि अगर इसको पूरा पढ़ा जाय तो पायेंगे कि जो आंकड़े दिये गये वह किस तरह से दिये गये हैं। अब जैसे प्राइस सूचकांक का कहीं सन्, 48 का बेस है, कहीं 58 का बेस है, कहीं सन् 60 का बेस है, कहीं सन् 70, कहीं सन् 71 और कहीं सन् 76 का बेस है। यानी एक प्राइस लाइन नहीं दी गयी है। जहां जैसा मन चाहा, दिखा दिया और 10 जगह पर 10 क्रम में दे दिया है। मैं नियोजन विभाग के अपने विद्वान अफसरों से आशा करता था कि एक प्राइस, चाहे 60/61 की या 70/71 की, एक प्राइस लेकर तमाम बातों को अंकित कर देते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

श्रीमन्, मैं देख रहा हूं कि यह जो इसमें एक बात बड़ी चतुरता से लिख दी गयी है, वह निर्धनता की रेखा के बारे में। श्रीमन्, अभी तक पार्लियामेंन्ट में बात आती रही है और डाक्टर लोहिया, जिनको जनक मानत हैं, और उसे केन्द्रीय सरकार ने माना है और आज की सरकार तो बहुत मानती रही है, कि इतनी फीसदी आबादी में इतने पैसे

से नीचे की आमदनी है और जहां तक मुझे स्मरण है 60/70 फीसदी आबादी की 40 पैसे की आमदमी से भी कम है। श्रीमन्, उसकी परिभाषा ही बदल दी गयी है। अब उस परिभाषा में गरीबीरेखा के नीचे जाने की परिभाषा ही दूसरी बना दी गयी है। वह परिभाषा है 2400 कैलारी देहात में और 2100 कैलारी नगर में क्या खाते हैं या नहीं। उसके नीचे और उसको जोड़ दिया। उसको जोड़ते ही 10/12 फीसदी अपने आप घट गया। नतीजा हुआ कि जो 60 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे थे, वे 47 प्रतिशत अपने आप आ गये इस परिभाषा के कारण, जैसा कि इस पुस्तिका में देखने को मिलेगा इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और नियोजन विभाग को बधाई देना चाहता हूं कि जो इस तरह से इस परिभाषा को बदलकर हमें बतलाने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वह अंतिम परिभाषा कब होगी ? दूसरी या तीसरी परिभाषा कब होगी ? या यही रहेगी ?

श्रीमन्, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा और मैं बड़े गौर से उनको सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में प्रति व्यक्ति 529 रुपया लगा है और 30 और 1 का अनुपात पूंजी तथा उत्पादन का होता है। उन्होंने बताया इस पुस्तिका में लिखा है जिसकी ओर इशारा उन्होंने किया, इस प्रदेश में 21 रुपए की वृद्धि सन् 1960 के बाद हुई है प्रति व्यक्ति की। उसको जोड़कर या किसी प्रकार से यह 529 की फीगर निकाली गई है। आज तक, कल तक, पिछले साल तक 529 रुपया लगाया गया, पूरे देश का परता इस पुस्तिका में लिखा हुआ है 598, यानि लगभग 600 रु0 है तो और जगह परता बढ़ोत्तरी 57 रु0 की हो गयी।यानि दूसरी जगह 10 रुपया लगाया गया तब एक रुपया बढ़ोत्तरी पर कैपिटा हो गयी। क्या कारण है कि आप अभी भी वही दोहराये जा रहे हैं, 30 रुपये लगाव पर एक रुपया प्रति व्यक्ति उत्पादन अभी हो रहा है। गलती यह है कि योजना समन्वित ढंग से यहां नहीं चल पाई, उसको चलाने में अभी हम काफी दूर हैं। अभी प्रति व्यक्ति वृद्धि दर यहां 2.3 प्रतिशत है जबकि देश का 3.3 प्रतिशत है। मुख्य मंत्री जी को भी इससे संतोष नहीं है और हमें भी संतोष नहीं है। हम चाहते हैं कि 3.3 प्रतिशत से हम आगे रहें।

पुरानी सरकार भी कहते-कहते चली गयी, आप कैसे इस वृद्धिदर को बढ़ायेंगे ? यह हमें बतायें। केवल 2400 करोड़ को 4900 करोड़ कर देने से हमारी समस्या नहीं सुलझने वाली है। अन्य राज्यों से यह राज्य पिछड़ा हुआ है, यह बात आज की नहीं, है, पंडित पन्त जी के जमाने से तिवारी जी तक और वर्तमान मुख्य मंत्री तक बराबर यह बात केन्द्र को दोहराई गई कि हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है, प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कम है, आमदनी कम है। हमें इन्वेस्टमेंट, पूंजी लगाने, परिव्यय, उद्योगों के संबंध में कुछ सोचना होगा। मैं यहां कृषि के संबंध में कहना चाहता हूं। 25 वर्षों में और कुछ नहीं हुआ तो इतना तो हुआ ही कि दुगुनी पैदावार खेती की इस प्रदेश में हो गई। करीब एक करोड़ टन 1952 में पैदा होता था, आज करीब 2 करोड़ टन पैदावार हो रही है। छोटी संख्या मैं छोड़े दे रहा हूं। लेकिन इसको जब हम तुलनात्मक ढंग से देखते हैं, प्रति एकड़ और प्रति हेक्टेयर पैदावार की जब हम पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से तुलना करते हैं तो देखतें हैं कि गेहूं, चावल, मक्का, यहां तक कि गन्ने में प्रति एकड़ पैदावार हमारी बहुत कम है। प्रति एकड़ पैदावार की किसान को आमदनी बहुत कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी यहां कैश-क्राप्स नहीं हैं।

हमारे यहां पीस–मील प्लानिंग शुरू से रही। आज स्टील की कमी हुई तो स्टील मिल हो गयी, सीमेंट की जरूरत हुई तो सीमेंट मिल लग गयी, कोयले की कमी हुई तो कोयले की तरफ ध्यान दिया गया.....

[श्री श्याम धर मिश्र,]

पेपर फैक्ट्री हो गयी। आजकल बिजली का चल रहा है, बिजली पर जोर है। सब इकट्ठा नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि इस प्रदेश में कोई न कोई चीज की कमी है। कोयले की आजकल कमी है आप देखें। इसी पुस्तिका में लिखा हुआ है पन्ना 187 है शायद हमें याद नहीं है कि सन् 83 में 1500 करोड़ रुपये की सीमेंट फरटिलाइजर, ट्रैक्टर, पैट्रोलियम प्रोडक्टस की कमी होगी इस प्रदेश की योजना करने के बाद। उस के लिये आप क्या कर रहे हैं। श्रीमन्, तो यह भयावह स्थिति इस प्रदेश की है। इसमें विरोधी दल और सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है। हम लोग तो इस संबंध में कदम से कदम मिलाकर, मिलकर, सहयोग देने के लिये तैयार है। केन्द्र से बात करके जितनी योजना में इनवेस्टमेंट हो सके, परिव्यय हो सके प्रति ब्यक्ति हो सके उसमें सहयोग देने के लिये तैयार हैं। इस में कोई दल की बात नहीं है। हम पूरा सहयोग देना चाहते हैं। लेकिन इन बातों को आप देखें, श्रीमन्।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमारा राजस्व बहुत कम है। यहां प्रति ब्यक्ति राजस्व करीब 115 रुपये, 113 रुपये है। यह सही है कम है लेकिन 113 रूपये का राजस्व करीब है उसे आप दस करोड़ से गुणा तो कर दीजिये, कितना होता है। करीब 1100 करोड़ हो गया अगर वह मिल गया और कुछ और दूसरी जगह से मिल गया तो कितना हो गया। वजट कितना है 2000 करोड़। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 10 फीसदी, 9 फीसदी, श्याम धर जी ने कहा कि 9 फीसदी प्रशासन पर व्यय है। मैं कहता हूं ज्यादा है। उन्होंने कहा। मैं कहता हूं 9 फीसदी से बहुत अधिक है। मैं बाअदब कहना चाहता हूं . . .

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, 9 रुपया पर कैपिटा मैंने कहा। 30 प्रतिशत मैंने कहा . . .

श्री श्याम धर मिश्र--

बाअदब, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सामने 78 से 80 का आउटले है तिवारी जी ने पढ़ा है। इस में नानप्लान एक्सपेन्डीचर है 1600-1700 करोड़ का जिसमें वेतन शामिल नहीं है। अगर उसे मिला लिया जाय, यदि वेतन का अनुपात लगा दिया जाय तो कुल मिलाकर पचास फीसदी तो यूं ही हो जाता है। इसके अलावा श्रीमन्, एक बात और मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं। जरा अपने राजस्व व्यय को देखें दो हजार करोड़ करीब ऐसा है जिसे उन्हें व्यय करना है। उसका एनालिसिस करा लें हो सकता है अयोग्यता के कारण हमारे आंकड़े गलत हो सकते हैं और मुझे भी बतायेंगे अभी नहीं तो बाद में। मैं समझता हूं उसमें क्या बात है कि करीब-करीब 1300 करोड़ राजस्व व्यय में 400,500 करोड़ तो आपको कर्ज अदा करना पड़ता है और दो-तीन सौ करोड़ आपका पूंजी व्यय है जो कि आप हर साल नये ढंग से नये काम के लिये लगाते हैं। योजनागत पूंजी व्यय श्रीमन्, कितना हुआ। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है पुराने समय से आज तक उसको देखते हुए पचास फीसदी से ज्यादा नहीं लगता। इस दो हजार करोड़ में जो जनता के पेट में जाता है। 1500 करोड़, दो हजार करोड़ नहीं लगता। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूं कि आपको इकानिमी ड्राइव करनी चाहिए, कमेटी बनानी चाहिये। मैंने केन्द्र को भी सलाह दी थी 6 महीने पहले। मैं नहीं कहता मेरी सलाह पर कुछ हुआ। सलाह देता हूं, लिखता रहता हूं। माननीय चौधरी चरण सिंह को लिखा आपको लिखा है। उन्होंने माना। मैं यह समझता हूं कि 10-15 फीसदी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डीचर कम किया जा सकता है। आज आप जिलों को देखें जिस तरह से दायां हाथ नहीं जानता कि बायां क्या कर रहा है, बायां नहीं जानता दायां क्या कर रहा है ?

श्री अधिष्ठाता––

मिश्र जी, आपके 15 मिनट होने जा रहे हैं। वैसे 15 मिनट ही निर्धारित था।

श्री श्याम धर मिश्र––

पार्टी के नेताओं को 25 मिनट देंगे यह बात हो गयी थी।

श्री अधिष्ठाता––

बोलने वाले अधिक हैं। मैं समझता हूं 5 मिनट में आप समाप्त कर दें।

श्री श्यामधर मिश्र––

मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा। इसमें उद्देश्य बेरोजगारी को दूर करना, गरीब वर्ग को उठाना, न्यूनतम कार्यक्रम तथा पेयजल की योजना है। 30, 35 हजार गांव ऐसे हैं जो सूखाग्रस्त हैं। उनको पानी चाहिये। इस योजना के बाद आप केवल 5 हजार गांव को पानी दे सकेंगे। मेरा सुझाव है कि छठी पंचवर्षीय योजना में 20 हजार ट्यूब वेल होंगे। उनमें टंकी लगा कर दो गांव प्रति टैंक क्यों न पानी दे दिया जाय। लेकिन उत्तर दिया गया कौन मेनटेन करेगा––सिंचाई विभाग तथा जलकल विभाग दोनों यही कहते हैं। दो में कोई विभाग करेगा। आपरेटर को मेनटिनेन्स एलाउन्स दे दिया जाय। 100 करोड़ रुपया लगा दिया जाय तो 5 वर्ष में कम से कम 20 हजार गांव इसी पंचवर्षीय योजना में नीचे का 200 फुट का पानी पा सकेंगे। जल निगम इसे 25 वर्ष में नहीं कर सकेगा, 35 हजार गांव को पानी नहीं दे सकेगा। आप देखें हरियाना ने क्या किया? पहला काम यह किया खेती के बाद उद्योग पर जोर दिया। अनुदान नहीं दिया। मैं इसके खिलाफ हूं क्योंकि 50 फीसदी अनुदान सरकारी अफसरों के जेब में चला जाता है। इंसेंटिव देना चाहिये। सड़कें, बिजली तथा रा-मैटीरियल की सुविधा दीजिए। एंसिलियरीज के माध्यम से बड़ी और मीडियम इन्डस्ट्रीज का समन्वित कार्यक्रम बना दीजिए तो निश्चित रूप से बड़ा भारी उत्थान होगा। आपने अन्त्योदय योजना बनाई। मेरी शुभ कामना है कि सफल हो लेकिन मेरा सुझाव है कि हर ब्लाक में एक एक उद्योग लगवा दिया जाय। हर उद्योग को दो, चार लाख रुपया दे दिया जाय तो अवश्य सफलता मिलेगी। लेकिन आप भी वही गलती कर रहे हैं जो पिछली सरकार ने की थी।

अन्तिम बात कह कर मैं बैठ जाऊंगा। आवास के सम्बन्ध में कोई चर्चा इस पुस्तिका में नहीं आई है। यह प्रदेश नये आवासों के जरिये बड़ा रोजगार दे सकता है। मैंने महाराष्ट्र तथा करनाटक में देखा जैसे 6, 7 परसेंट प्राविडेन्ट फंड में लोग जमा कर रिटायरमेन्ट पर पा जाते हैं वहां 2, 3 परसेंट और पैसा जमा किया जाता है और 25, 30 वर्ष की सेवा के बाद उनको एक मकान बना कर दे दिया जाता है जैसी उनकी हैसियत होती है उसके मुताबिक। उससे रोजगार मिलता है और लोगों को मकान भी मिलता है। कोई कारण नहीं है कि जल्दी इस ओर कदम न उठाया जाय। एक बात विकेन्द्रीयकरण के बारे में कहना चाहता हूं। यह सरकार न केन्द्रीयकरण करती है, न विकेन्द्रीयकरण करती है। दोनों में मिश्रित हो गयी है। मुख्य मंत्री जी जिन पर मुझे पूरा भरोसा है और जो विकेन्द्रीयकरण में विश्वास करते हैं अपने कार्यकाल में कुछ ऐसी योजनायें बनायेंगे जिसमें सही मानी में जिला परिषदों तथा पंचायतों का गठन करके विकेन्द्रीयकरण की व्यवस्था को मजबूत किया जायगा तभी सही मानी में विकेन्द्रीयकरण सफल हो सकेगा।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, पंचवर्षीय योजना का 78–83 का जो प्रारूप हमें दिया गया है इसके अध्याय 5 में लिखा गया है "विभिन्न क्षेत्रों के विकास स्तर में व्याप्त विषमताएं प्रदेश सरकार के लिये एक गम्भीर विषय रहा है.....इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय विषमताओं का अनुमान लगाया जाय तथा नियोजन प्रक्रिया के पुनर्गठन हेतु रणनीति निर्धारित की जाय जिससे प्रत्येक क्षेत्र अपनी आर्थिक विशेषताओं के अनुकूल विकसित हो सकें।" इस प्रकार इसमें यह कहा गया है कि आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिये विशेष ध्यान दिया जाय। पृष्ठ 65 पर यह भी लिखा है "वर्ष 1978–83 की योजना में केवल कृषि उत्पादन पर ही बल नहीं दिया गया है वरन् छोटे एवं सीमान्त कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है जो कि कृषकों का काफी बड़ा भाग है।" मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोटे कृषकों का सबसे बड़ा भाग है इस प्रदेश में लेकिन इसमें जो प्राथमिकताओं को दिखलाया गया है, जो विभाजन धन का दिखलाया गया है वह उससे बिलकुल विभिन्न है जो इसमें कहा गया है। आप पृष्ठ 103 पर देखें, इसमें शुद्ध सिंचित क्षेत्र को शुद्ध बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत दिखाया गया है पूर्व में 43.82, बुन्देलखण्ड में 22.50, पर्वतीय क्षेत्र में 24.23, केन्द्रीय 38.55 तथा पश्चिमी 65.95 है लेकिन इसी में आगे पृष्ठ 106 पर वृहद् तथा मध्यम सिंचाई योजना का विवरण दिया हुआ है इसमें पूर्वी क्षेत्र के लिये 36.53, पर्वतीय क्षेत्र के लिये 2.72, बुन्देलखण्ड के लिये 13.05, पश्चिमी क्षेत्र के लिये 37.76 दिखलाया गया है। इस तरह से सिंचाई में भी पश्चिमी क्षेत्र को पूर्वी क्षेत्र के मुकाबले अधिक धन दिया गया है।

श्रीमन्, हम लोगों के यहां जो बायीं तटीय घाघरा नहर योजना जो चलाई जा रही है उस पर सम्पूर्ण व्यय नहीं किया गया, जल्दी से उसे कार्यान्वित नहीं किया गया तो पूर्वी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। इसी प्रकार ग्रामीण एवं लघु उद्योग में 74-78 तक पूर्वी क्षेत्र में केवल 8.71 प्रतिशत व्यय हुआ वहां 78–83 में 31.20 प्रतिशत प्रस्तावित है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतना कम धन देने पर ग्रामीण क्षेत्र में कैसे उद्योगों का विकास संभव हो सकेगा और वहां गरीबी कैसे दूर की जा सकेगी। इसी तरह पशुधन के लिये देखें पृष्ठ 106 पर। उसमें कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र पूर्वी क्षेत्र में 536, पर्वतीय क्षेत्र में 161, बुन्देखखण्ड में 63 और पश्चिमी क्षेत्र में 758 तथा केन्द्रीय 343 उपकेन्द्र थे और 1978–83 का जो लक्ष्य है वह पूर्वी क्षेत्र में 32, बुन्देलखण्ड में 20, पश्चिमी में 40 तथा केन्द्रीय 8 है। इसी तरह से पूर्वी क्षेत्र में जो सिंचाई की सुविधा दी गई है, वह पूरी नहीं है। वहां इसके अतिरिक्त न पशुधन की सुविधा दी जा रही है और न लघु उद्योग की सुविधा दी जा रही है मेरी समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से क्षेत्रीय विषमतायें दूर होंगी। आज पूरे प्रदेश में सबसे कम आमदनी पूर्वी क्षेत्र के किसानों की है। केवल 8.2 प्रतिशत निवासी ही पूर्वी क्षेत्र में शहर में रहते हैं। शेष गांवों में रहते हैं। 49 हजार गांव पूर्वी क्षेत्र में और 28 हजार पश्चिमी क्षेत्र में हैं लेकिन धन का विभाजन ठीक नहीं हुआ है। इसलिये ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे ये विषमतायें दूर की जा सकें।

मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे पुनः इस पर विचार करें और पूर्वी क्षेत्र को अधिक संसाधन उपलब्ध करायें ताकि विषमतायें सचमुच दूर की जा सकें, किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके उन्हें लघु उद्योगों के लायक बनाया जा सके, और खाद्यान्न में उनकी उपज बढ़ सके। सबसे अधिक छोटे किसान पूर्वी क्षेत्र में हैं जिनके पास अपने कोई संसाधन नहीं है, बहुत गरीब हैं नलकूप नहीं लगा सकते हैं इसलिये आज आवश्यकता वहां पर इस बात की है कि वहां पर योजनायें चलाकर उनकी मदद करें। इस वर्ष जो राजकीय नलकूपों का आवंटन किया गया है उसमें हमारे यहां बस्ती में केवल 28 ट्यूबवेल दिये गये हैं। अब तक वहां पर 561 ट्यूबवेल लगे हैं। इस तरह से हमारी समझ में नहीं आता है कि किस तरह से सिंचाई की सुविधा वहां बढ़ाई जा सकती है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करें।

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, आज का जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। श्रीमन्, पांचवी पंचवर्षीय योजना कांग्रेस की रफ्तार रही और 6ठी पंचवर्षीय योजना की रफ्तार हमारी जनता सरकार की है। मैं समझता हूं कि रफ्तार और गति दोनों एक ही चीज है। मुझे कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ता है और इसलिये अन्तर नहीं दिखाई पड़ता है कि जो योजना की एक प्रक्रिया थी वही ज्यों की त्यों इस किताब में भी रख दी गई है। अगर मैं विपक्ष में होता तो डाक्टर लोहिया का कथन मैं सदन में रखता। तृतीय पंचवर्षीय योजना पर जब लोक सभा विचार कर रही थी तो उस समय डाक्टर लोहिया ने कहा था ".....(सुनाई नहीं दिया) जो योजना का प्रारूप तैयार हुआ वह दिशाहीन है। जो गरीब जनता है यह सचमुच में उसकी सरकार नहीं है। जो रूप रेखा आपने बनाई है उसमें कहा है कि हम एक विशेष वर्ग को ऊंचा करेंगे। हमारी समझ में नहीं आया कि आपकी इस रूपरेखा से रहन-सहन का स्तर ऊंचा करने की जो बात है उससे निर्बल वर्ग को कहां फायदा हो रहा है उससे तो विशेष वर्ग को फायदा हो रहा है। डाक्टर लोहिया कहा करते थे कि जिनको फायदा हो रहा है उसमें नेता, बिड़ला और नौकरशाही। तो रहन-सहन ऊंचा करने की जो योजना है उसमें मुश्किल से 1.50 लाख लोगों को फायदा होने वाला है बाकी 99 परसेन्ट लोग योजना के फायदे से वंचित रह जायेंगे।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा हमने इतनी मांग की थी 793 करोड़ की और उसको कम कर दिया। हमारी गति जो मैंने कहा अगर उसको जोड़ें तो 1974 से 1977 तक जो खर्च हुआ है 18 सौ 98 करोड़ रु0 और इस वर्ष की योजना पर आप कहते हैं कि 810 करोड़ रुपया मिले। मान लिया कि 810 करोड़ की मांग है तो उसमें आप खर्च कर रहे हैं 5 वर्षों में 5.138 करोड़ रु0। जो आपका हिसाब है उसके आधार पर कुल व्यय की धनराशि 5.138 करोड़ है। इस सिलसिले में मैं बताना चाहता हूं कि आपकी शिकायत यह है कि विद्युत् की कमी हर साल बनी रहेगी। आज जो आपकी योजनायें हैं उसमें हर कार्य के लिये विद्युत् की आवश्यकता है चाहे वह सिंचाई का कार्य हो, कृषि कार्य हो या उद्योगों का कार्य हो, कुंओं की बात तो मैं नहीं करता हूं। वह जल निगम करता है। तो सारे के सारे कार्य आपके विद्युत् से होंगे और आप कहते हैं कि विद्युत् की कमी बनी रहेगी फिर विकास की गति तेज कैसे होगी ?

तो श्रीमन्, मैं साफ कहना चाहता हूं कि हमको एक दिशा अख्तियार करनी होगी और वह दिशा देते समय हमारे विवेक में यह आना चाहिये कि योजना का अर्थ क्या होता है। क्या हम उस अर्थ का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। योजनाकारों ने सोच समझ कर पैसा दिया है, वह देश के साधनों को देख कर समयवद्ध और कार्यक्रमवद्ध संचालन करने के लिये दिया है। लेकिन इस योजना की रूपरेखा में इसका अभाव है। नियोजन का जो अर्थ होता है जिसके हिसाब से रूपरेखा रखनी चाहिये वह नहीं रखी गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि आप आंकड़े देख लीजिये खर्च के, योजना का मतलब खर्च होता है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने योजना खर्च से मनुष्य को उजाड़ दिया और आज भी वही योजना चला रही है। यह कहीं नहीं है कि जो इतना करोड़ हम सिंचाई पर या दूसरी चीज पर खर्च करेंगे उसकी उपलब्धि क्या होगी। आप देखेंगे कि अनेक बांध बना दिये, बिजली घर बना दिये, सड़कें बना दीं लेकिन मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाया। आपकी जो रूपरेखा है, उसमें एक भी योजना इस बात की नहीं है कि मनुष्य का चरित्र-निर्माण कैसे हो, मनुष्य मनुष्य कैसे बने। आज की स्थिति किसी से छिपी नहीं है और उस स्थिति में उसका अत्यन्त महत्व है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

आज सत्ता में बैठे हुए 90 प्रतिशत से अधिक लोग भ्रष्ट हैं। इस प्रकार का वातावरण सारे प्रदेश में है। योजना की रूपरेखा में कोई मनुष्य नहीं बनता है तो आप अपने लक्ष्यों को कैसे पूरा कर पायेंगे, यह बात मेरी समझ से परे है। हमें योजना के लिये जो रुपया मिला है, उसको हम अपने विभिन्न विभागों में तितर-बितर करके बांट रहे हैं। योजना का अर्थ होता है, समग्र विकास और समग्र विकास के साथ-साथ एक चीज को पकड़ कर सम्पूर्ण रूप से कर देने का संकल्प। जैसे डाक्टर लोहिया ने कहा था कि हर साल एक नया संकल्प होगा। जैसे हम नई जमीन हल के नीचे लायेंगे। इस सदन में घोषणा हुई भूमिसेना की, लेकिन उसका क्या हुआ, वह कहां है? कैसे आप उसे कर पायेंगे? लोहिया जी का कहना था भूमिसेना बनाओ—साक्षर बनाओ। लेकिन आपने ऐसी एक भी योजना नहीं बनाई।

श्री अधिष्ठाता—

आपका एक मिनट और शेष है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

इसलिए मैं कह रहा था कि हमको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, कांग्रेस की राह पर चल कर देश का भला नहीं होगा। आपने ग्रामोद्योग की बात कही, ठीक है आप उसको तो पनपा देंगे, लेकिन कौन उसे चलायेगा? आप क्लर्क बनाने वाली शिक्षा देंगे और उससे कहेंगे कि ग्रामोद्योग सीखो, तो यह कैसे संभव है? गांधी जी ग्रामोत्थान की बात करते थे, तो उसके हाथ में तकली देते थे और कहते थे कि हर स्कूल में एक खेत हो। लेकिन आप अपने बालकों को बचपन से इस प्रकार की शिक्षा नहीं देते हैं, तो ग्रामोद्योग का कार्यक्रम कैसे पूरा होगा? इसमें आपको आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

मान्यवर, यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यदि इस एजेन्डे की सूचना पहले हो गयी होती तो सब सदस्य तैयार होकर आ सकते थे, लेकिन अब हमको यह जानकारी हुई। पांच पंच वर्षीय योजनायें बीत चुकी हैं, लेकिन अब भी प्रदेश का पिछड़ापन ज्यों का त्यों बना हुआ है। कल एक प्रश्न आया था कि प्रदेश का पिछड़ापन इस प्रदेश के बड़ेपन के कारण है। उस चर्चा में मैंने भी भाग लिया था और अपना विचार व्यक्त किया था कि प्रदेश के पिछड़ेपन का कारण बड़ा होना नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि यहां के लोग परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, उस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने बिलकुल सही कहा कि प्रदेश के तमाम लोग बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े नगरों और रंगून व मारिशस आदि विदेशों में जाकर परिश्रम कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसका कारण कहीं दूसरा ही है, संसाधन का उल्लेख इस छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में किया गया है।

मैं अपनी वर्तमान जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ सरकार के माध्यम से हम व्यय करते हैं, उसका लाभ जनता को क्या मिलता है, इसको स्पष्ट होने से लोगों में ज्यादा देने का उत्साह पैदा होता है। जो हम देंगे, उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, वह बीच में बंट जाएगा आदि का जनता को पता चलने पर उसमें देने का उत्साह बहुत कम रह जाता है। तो जब तक हम जनता में यह विश्वास नहीं बनायेंगे कि इससे उसका आगे का भविष्य उज्जवल होगा, जो कुछ आपने दिया है, वह ठीक से लगेगा यह विश्वास जब तक पैदा नहीं होगा, संसाधन जुटाने की समस्या बनी रह जायगी। मैं आशा करता हूं कि वर्तमान सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी, जो हम संसाधन जुटायेंगे उसका सही उपयोग किया जायगा।

मान्यवर, जो प्रारूप है उसके 153 पृष्ठ पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस पृष्ठ के 19वें आइटम में लिखा है—"इस समय यह कार्यक्रम राज्य के 6 जिलों

के 40 विकास खण्डों में चलायी जा रही है । इस योजनावधि में बनारस तथा इलाहाबाद के स्थान पर झांसी तथा ललितपुर जिले लाये जावेंगे ।" झांसी और ललितपुर लेने का मैं विरोध नहीं करूंगा । लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि इलाहाबाद और वाराणसी दोनों सूखाग्रस्त जिले हैं ? कौन नहीं जानता है कि प्रतिवर्ष इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी सूखाग्रस्त जिला घोषित होता है । इसलिए जहां ललितपुर और झांसी लिया गया वहां बनारस और इलाहाबाद के बदले लिये गये, यह खेदजनक है । मैं आशा करता हूं कि इसमें परिवर्तन किया जायगा । जहां पर ललितपुर और झांसी को लिया गया है वहां बनारस, मिर्जापुर और इलाहाबाद को छोड़ने का काम नहीं किया जायगा और निश्चित रूप में इसमें शामिल किया जायगा ।

इसी पृष्ठ के आइटम 21 पर भी आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । इसमें लिखा है कि गाजीपुर और बलिया दो बहुत ही पिछड़े जिले हैं इसलिए उनके लिए परियोजना लायी जायगी । मैं इसका स्वागत करता हूं । लेकिन गाजीपुर और बलिया के साथ बस्ती को भूल गये, आजमगढ़ छूट गया । गाजीपुर और बलिया को ग्रामीण स्थिति दुखद है, इससे मैं परिचित हूं । लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं है कि बस्ती , आजमगढ़ छूट नहीं जाना चाहिए । गाजीपुर और बलिया में यह प्रोग्राम लिया जायगा लेकिन क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के उन 26 पिछड़े जिलों को ले लिया जाय ? हर एक जिले के लिए एक दो परियोजनायें लें और सभी जिलों का समान रूप से विकास किया जाय अन्यथा असंतुलित स्थिति को बनाये रखने के लिए यह प्रस्ताव कारण बनेगा । इस पर विचार किया जाना चाहिए । मैं पृष्ठ 97 पर भी आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । इसमें 16वें आइटम पर ध्यान देना चाहिए । ग्रामीण पेयजल का उल्लेख किया गया है कि 1977-78 तक अभावग्रस्त ग्रामों की संख्या 30 हजार 503 है जहां पर पाइप जल की व्यवस्था की जानी है । 1977-78 बीत गया है । यह मैं जानना चाहता हूं कि 30,503 गांवों में से कितने गांवों में पाइप जल की व्यवस्था की गयी है । मेरी जानकारी है कि उसमें काम पूरा नहीं हो पाया है । आगे जो लिखा गया है कि अगले पांच वर्ष की अवधि में उत्तर प्रदेश के सभी वे गांव जहां पानी पीने की व्यवस्था नहीं है सबमें पाइप लाइन बिछा दी जायगी । बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है । कहा गया है कि इसमें 204 करोड़ लगेगा । लेकिन धनाभाव के कारण 178 करोड़ 50 लाख ही निर्धारित हुआ है । यह संदेह पैदा करता है कि पिछले 1977-78 वर्ष में जो लक्ष्य निर्धारित था वही पूरा नहीं हो सका है । अगले पांच वर्ष में जितना धन चाहिए उसका अभाव अपरिलक्षित है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पेय जल योजना बड़ी आवश्यक योजना है, पूरे प्रदेश के अभावग्रस्त क्षेत्र में पीने का पानी मिल जाय इसके लिये धन की पूर्ति, किसी और तरह से काट करके की जाने की आवश्यकता है ।

इसी तरह से 171 पृष्ठ पर आपके माध्यम से आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । पेज 171 पर बिन्दु 8 के तीसरे खण्ड में लिखा है कि बाढ़ से निरन्तर पीड़ित क्षेत्रों के लिये परियोजनायें । मान्यवर, इनको प्राथमिकता दी जायेगी जो निरन्तर बाढ़ से पीड़ित हैं । मैं पूरा पढ़ गया । बस्ती और गोरखपुर कहीं पर नजर नहीं आया । विगत वर्ष तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव जी ने कहा था कि बस्ती जिला सबसे ज्यादा बाढ़ पीड़ित है । पूरे जिले में पानी फैल गया था । प्राथमिकता किनको है जो बाढ़ से पीड़ित हैं, लेकिन बस्ती जिले का इसमें कहीं पर उल्लेख नहीं है । मैं चाहूंगा कि बाढ़ से पीड़ित जो जिले हैं उनमें बस्ती और गोरखपुर शामिल किया जाय और उसका नाम उसमें समाविष्ट किया जाना चाहिए इस उद्देश्य से कि बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सक ।

इसी के साथ मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इसको पढ़कर कमी निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ बुद्धिमान और समझदार व्यक्तियों ने ही इसको बनाया है । कहना यह है कि जब यह नियोजन लागू होती है तो जो कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उनको

[श्री हरिश्चन्द्र]

जो परिश्रम करना चाहिए वह नहीं करते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं जो कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं वह प्रोत्साहित हों । जो 30 साल तक प्रगति नहीं हुई है अगर आने वाले 5 सालों में भी कोई प्रगति नहीं होती है तो जनता में घोर निराशा व्याप्त हो जायेगी और लोकतंत्र पर आघात पहुंचेगा, सरकार का भविष्य उज्जवल नहीं होगा । हमारी सरकार जनता के बीच तभी लोकप्रिय हो सकती है जब छठी पंचवर्षीय योजना सफल होगी । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मेरे सुझावों की ओर ध्यान दिया जायेगा ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला क्रानपुर)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । लिस्ट मांगता है दफ्तर, या तो आप अपने विवेक का प्रयोग कीजिए या लिस्ट देख लीजिए ।

श्री अधिष्ठाता—

मेरा प्रयास है कि सभी लोग बोल लें । मैं लिस्ट से नहीं चलता ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, मैं पंचवर्षीय योजना 1978–83 के प्रारूप पर महानगर कानपुर की दृष्टि से महत्वपूर्ण सुझाव "गंगा बैराज का निर्माण हो" देना चाहता हूं । जिसको प्रारूप में सम्मिलित कराकर केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ण कराया जाय ।

जल की बढ़ती हुई मांग की समस्या के निदान के लिये अनेकों वर्षों से विचार चल रहे हैं । 1963 में श्री एम0 आर0 चोपड़ा के नेतृत्व में कमेटी बनी । 1965 में एक्सपर्ट कमेटी श्री श्री एस0के0 जैन के नेतृत्व में बनी । गंगा बैराज के बनाने के स्थान की संस्तुति की । 23-10-73 को सेक्रेटरी, प्लानिंग के नेतृत्व में बनी जिसने स्थान एवं लागत पर विचार प्रकट किया । जी0 ओ0 नं0 8122-9(2)/78 को प्रदेश सरकार द्वारा अति विशेष कमेटी का निर्माण किया गया जिसके चेयरमैन मि0 एस0एस0 सिद्धू बनाए गये । कमेटी में सचिव, वित्त, सिंचाई, प्लानिंग, पी0डब्लू0डी, पावर, स्वायत्त शासन, जल निगम आदि अनुभवी विशेषज्ञों ने संयुक्त रूप से गंगा बैराज प्रोजेक्ट के प्लान का निर्माण किया जो कि 14 फरवरी, 79 को पूर्ण हुआ । जो कि प्रदेश सरकार एवं केन्द्रीय सरकार को प्रेषित किया जा चुका है । भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव ने दृढ़ता पूर्वक आश्वासन दिया था । इस समय महानगर कानपुर की आबादी लगभग 20 लाख है जो कि सन् 2000 तक लगभग 30 लाख से अधिक आबादी हो जायेगी । इस समय 600 औद्योगिक संस्थान चल रहे हैं । इस समय पानी की सप्लाई 255 मिलियन लीटर प्रतिदिन है । जिसमें 200 मि0 लि0 गंगा नदी से भैरोघाट में मशीन द्वारा लाया जाता है । 45 मि0लि0 जल गंगा कैनाल से और 10 मि0लि0 ट्यूबवैल से प्राप्त होता है जबकि 390 मिलियन जल चाहिए ।

उन्नाव की तरफ प्रति वर्ष बाढ़ आती है जिसमें 400 गांव प्रभावित होते हैं, लगभग 2 लाख आदमी बेघरबार होते हैं । 2 करोड़ की खेती का नुकसान होता है और 20 लाख रुपया प्रति वर्ष पुनः स्थापित करने में व्यय होता है ।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

नारायण, एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या माननीय सदस्य लिखित भाषण पढ़ सकते हैं नियमानुसार ?

श्री अधिष्ठाता—

वे भाषण दे रहे हैं, वे आंकड़े देख रहे हैं । आप कृपया बैठ जाएं ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी—

मान्यवर, कानपुर साइड में 7 किलोमीटर लम्बी, 6 मीटर चाड़ा और 2 मीटर गहरी नहर लगभग 10 महीने के लिए बनानी पड़ती है जिसे 4 ड्रेजम 16 घण्टे प्रतिदिन काम करक चालू रखते हैं। कभी कभी उपरोक्त मशोनों के खराब हो जाने से त्राहि-त्राहि मच जाती है।

सन् 1981 तक के लिये 34 ट्यूबवैल्स लगाने की योजना है। इस समय 9 ट्यबवल्स बने हैं जिनमें 3 सूख गये हैं, कुछ में जल की निकासी कम है। जबकि 4.5 मि0 लीटर प्रतिदिन निकलना चाहिये। ट्यूबवैल की आयु 15 वर्ष लगभग है। इस योजना की सफलता की आशा बहुत कम है और स्थायी नहीं है।

इसलिये महानगर कानपुर की बढ़ती हुई आबादी की जल की मांग की समस्या हल हो, बाढ़ के द्वारा उन्नाव के 400 गांव को बचाने के लिए, दो लाख लोगों को उजड़ने से बचाने के लिये, 20 लाख रु0 प्रतिवर्ष के पु स्थापित व्यय को बचाने के लिए, दो करोड़ की फसल की हानि प्रति वर्षको बचाने के लिए अर्थात् 30,000 हेक्टेयर खेती की भूमि को बचाने के लिय, गंगा पर 3 पुलों को भयानक बाढ़ के खतरे से बचाने के लिये, जिसके बचाने हेतु रेलवे द्वारा 2 करोड़ के बांध की योजना बन रही है, उस व्यय को भी बचाने के लिये, कसा थर्मल स्टेशन की विद्युत् शक्ति को बढ़ाने के लिए, कानपुर की बढ़ती आबादी की मकान समस्या को उन्नाव की तरफ कालोनी बनाकर पूर्ण करने के लिये, जी0 टी0 रोड के ट्रैफिक के बोझ को हल करने के लिए एवं केवट, मल्लाह एवं घा के पण्डों के जीवन के लिए गंगा बराज का निर्माण भैरोंघाट के निकट बनाना अति महत्वपूर्ण है।

बैराज की कीमत सन् 1976 में 52.85 करोड़ रुपया थी। सन् 1981 तक पूर्ण होने पर लागत 60.70 करोड़ आती है जबकि आमदनी 64 करोड़ 27 लाख आंकी गयी है। इस प्रकार 3 करोड़ 57 लाख का शुद्ध लाभ होगा।

वर्तमान मुख्य मंत्री, श्री बनारसी दास जी से नम्र निवेदन है कि कानपुर–उन्नाव आदि के सभी विधायक सर्वसम्मति से मांग करते हैं कि इस योजना को प्रारूप के अन्तर्गत लाकर कार्य रूप में परिणित कराय' जाय।

विष्णु प दार्घ सम्भूते, गंगे त्रिपथ गामिनी।
धर्मद्रवीत विख्याते पापंमें हर जान्हवी।

मेरे पापों को हर, जनता पार्टी के पापों को हर, त्रिपथ गामिनी गंगे, जन-जन को पवित्र करे।

नारायण-नारायण।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, जनता सरकार के गठित होने के बाद छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप...
(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें, व्यवधान उत्पन्न न करें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय, मैं निवेदन कर रहा था कि जनता सरकार के गठित हो जाने के बाद छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप आज हमारे सामने आया बड़ी उम्मीदों और आकांक्षाओं के बाद। पिछली 5 पंचवर्षीय योजना के प्रारूप लगातार हमारे सामने आते रहे हैं और उनके कार्यान्वियन भी हम देखते आये हैं। इस समय उम्मीद थी कि शायद यह जो छठी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप होगा, इस पर जनता सरकार की कोई छाप होगी और यह एक ऐसी योजना होगी जिसके बारे में माननीय चौधरी चरण सिंह लगातार कहते आये हैं कि किस प्रकार की योजनायें होनी चाहिए लेकिन माननीय, बात क्या है कि पिछली पांच पंचवर्षीय योजनाओं की जो परम्परा रही है, जो उनकी दिशा रही है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि उनसे विभिन्न इस छठी पंचवर्षीय योजना में क्या रूप रेखा है। माननीय, मैं तो माननीय शम्भूनाथ चौधरी जी से शत प्रतिशत सहमत हूं कि यह छठी योजना जो हमारे सामने रखी गयी है यह परम्परागत रूप से उन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं का प्रतिबिम्ब है जो पिछली पंचवर्षीय योजनायें हमें देखने को मिलीं। जनता पार्टी के लोग लगातार यह गीत गाते रहे हैं कि पिछले 30 वर्षों में कांग्रेसी शासन में कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस ने सब चौपट कर दिया। सही बात है, उनको यह कहने का अधिकार है, वे माननीय नारायणदत्त तिवारी जी से इसका जवाब तलब भी कर सकते हैं, मगर अकेले बेचारे तिवारी जी से ही क्यों, 25 वर्षों तक जो देश के प्रधान मंत्री रहे उनसे भी पूछिए, जो वित्त मंत्री रहे उनसे भी पूछिए, उप प्रधान मंत्री बाबू जगजीवन राम जी जो 29 वर्ष 11 महीने और 29 दिन तक शासन में रहे पिछले, उनसे उसका खाता पूछिए। श्रीमन्, मैं और मेरा दल हरगिज इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है कि पिछले 30 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। यह कह कर देश के बुद्धिजीवियों के साथ, मजदूरों के साथ, देश के किसानों के साथ, अन्याय करना होगा और उनका अपमान करना होगा।

आज वायुमण्डल में जो भास्कर छोड़ा गया है क्या वह कुछ नहीं है? आखिर यह किसका नतीजा है? जो बड़े-बड़े बांध बने, बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हुए, उत्पादन बढ़ा, यह क्या कुछ नहीं हुआ? हां, यह जरूर है कि देश के अन्दर जो विकास हुआ, जो उत्पादन बढ़ा, देश के अन्दर जो दौलत बढ़ी उस पर कब्जा कुछ मुट्ठी भर लोगों का ही हो पाया। जो दौलत बढ़ी उसका समाजीकरण न होकर केवल 35 उच्च घरानों का ही उस पर कब्जा हो गया। देश की 2/3 दौलत पर वे लोग हावी हो गये।

(इस समय 4 बजकर 27 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

माननीय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर छठी योजना में ऐसा कौन सा प्राविधान है जिससे यह दौलत इनसे निकल कर गरीब लोगों के हाथ में आये। परसों उद्योग पर भी बहस हो रही थी तब भी मैंने कहा था इसी बात को और आज भी कह रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आंकड़े पेश किये थे कि सन् 47 में बिड़ला की क्या पूंजी थी और आज क्या है। टाटा की सन् 47 में क्या पूंजी थी और आज क्या है। आपने इस छठी योजना में कौन सा ऐसा प्राविधान किया है जिससे कि देश की दौलत जो आज चन्द लोगों के हाथों में है वह गरीब लोगों के हाथों में पहुंचे।

माननीय, कुछ नहीं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि 5 पंचवर्षीय योजनायें खत्म हुईं, क्या आप कह सकते हैं कि आज भी देश की अर्थ-व्यवस्था के ऊपर आपका नियंत्रण है? क्या आप कहते हैं कि इन पांच पंचवर्षीय योजनाओं के खत्म होने के बाद आपने देश के अन्दर मुद्रा स्फीति खत्म की है? कौन नहीं जानता कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। स्वयं आप मापदण्ड रखते हैं, कभी आप 60–61 का रखते हैं, कभी 70–71 का रखते हैं। लगातार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कीमतें बढ़ती जा रही हैं। कीमतों के ऊपर आपकी पकड़ नहीं है। तो फिर आपकी इस योजना से क्या फायदा है, जब आप अर्थ-व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं कर सकते, मारकेट पर आपका नियंत्रण नहीं, तो आज जो आप पंचवर्षीय योजना के आंकड़े तैयार कर रहे हैं, टारगेट तैयार कर रहे हैं, वह आंकड़े कहां पर लगाये जायेंगे, वह लागत कहां पर लाई जायेगी ? 300 करोड़ की जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, वह 300 करोड़ से बढ़ कर 1,500 करोड़ का टारगेट बन जायगा। इसका नतीजा यह होगा कि आपकी अर्थ-व्यवस्था के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा। आपकी अर्थ-व्यवस्था के ऊपर इजारेदार लोग जो हैं, हावी हो जायेंगे। दूसरी चीज यह है कि लगातार इस माननीय सदन के अन्दर किसान को कृषि उत्पादन का मूल्य नहीं मिलता।

दूसरी तरफ औद्योगिक उत्पादन के मूल्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं, गन्ने की कीमत कम होती जा रही है, चीनी की कीमत बढ़ती जा रही है। ईंधन की कीमत कम होती जा रही है, तेल की कीमत बढ़ती जा रही है। मूंगफली की कीमत कम होती जा रही है, मूंगफली के तेल की कीमत बढ़ती जा रही है। यह आप नहीं कर पाये। पिछली 5 पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाये। छठी पंचवर्षीय योजना जो है,आप किसान की जो उत्पादन वस्तुयें हैं उनकी लागत का लाभ दे पायेंगे और जो औद्योगिक माल आता है, उस माल की कीमत आप कम कर पायेंगे ? आपके पास इसका भी कोई जवाब नहीं है। जवाब इसलिये नहीं है चूंकि तमाम नियोजन के बावजूद भी इस पूंजीवादी बाजार पर आपका नियंत्रण नहीं है, चूंकि नियंत्रण नहीं है लिहाजा किसान की लूट अपनी जगह पर और उपभोक्ता की लूट अपनी जगह पर होती रहेगी, कितना ही आप कहें कि हम गांव की ओर जाने वाले हैं, गांव की ओर जाने का बड़ा शोर मचाया जाता है लेकिन गांव की ओर जाने की सबसे बड़ी चीज हमारे सामने आ रही है, कितनी बेरहमी के साथ किसानों की लूट हो रही है, इनको बचाने के लिये आपके पास न कोई हथियार है और न कोई नीति है।

तीसरी चीज है, हर पूंजीवादी व्यवस्था की एक विशेषता होती है वह विशेषता यह होती है कि तमाम क्षेत्रों के असंतुलित विकास एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र पिछड़ा रह जाता है, जो विकसित क्षेत्र है वह आगे बढ़ जाता है। आज इस छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में यह स्वीकार किया गया है कि देश के अन्दर विभिन्न असंतुलित विकास और प्रदेश के अन्दर विभिन्न असंतुलित विकास। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके यहां प्रदेश के अन्दर जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए कौन सी योजनायें बनायी हैं। पर्वतीय क्षेत्र, बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल के इलाके जो पिछड़े हुए हैं, जो स्थिति 47 से पहले थी वही आज है। जो अन्तर था वह पंचवर्षीय योजना के खत्म होते कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। 6ठी योजना का पहला वर्ष जो रखा है उसमें तमाम कटौती की। बिजली में, सिचाई में, सड़कों में, शिक्षा में, पेयजल के बारे में, जितनी भी योजनागत परिव्यय था पिछले वर्षों के मुकाबले कटौती की। यह पूंजीवादी विकास का नियम है कि पिछड़े हुए क्षेत्र पिछड़े रहेंगे,कच्चा माल पैदा करते रहेंगे और विकासशील क्षेत्रों का विकास होगा। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी से कहें, दफ्तर यही लगा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय माननीय सदस्यगण, श्री नेगी जी को सुनने दें, योजना की बात चल रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं कह रहा हूं माचिस की लकड़ी पर्वतीय क्षेत्र से आती है लेकिन कारखाना वहां नहीं खोला गया, खोला गया सीतापुर में। बरेली के अन्दर प्लाईवुड की लकड़ी सप्लाई होती है पर्वतीय क्षेत्र से। कागज का दोहन पर्वतीय क्षेत्र में होता है लेकिन कारखाना सहारनपुर में लगेगा। मान्यवर, जीरा पर्वतीय क्षेत्र में होता है लेकिन वहां जितनी छोटी-मोटी

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

इकाइयां हैं लीसा उन इकाइयों को उपलब्ध नहीं किया जा रहा है बल्कि बरेली में जो कम्पनी हैं उसको तमाम लीसा दिया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र की छोटी-मोटी इकाइयां समाप्त की जा रही है। इक्वीलिप्ट्स का प्लान्टेशन किया गया पर्वतीय क्षेत्र में और आश्वासन दिया गया कि इससे कागज और सिन्थेटिक का कारखाना लगाया जा रहा है। लेकिन आज भी नैनीताल में कोई कारखाना लगा ? बुन्देलखण्ड की अपनी समस्या है। जो पंचवर्षीय योजना का प्रारूप दिया, इसमें बुन्देलखण्ड के विकास के लिए इसे 6ठी योजना के अन्दर कौन सी ठोस योजना है। पूर्वान्चल के बारे में मालूम है, पटेल कमीशन की बहुत सी सिफारिशें पड़ी हैं, उन पर धूल पर धूल जमती जा रही है, लेकिन इसके बारे में कोई चिन्ता नहीं। पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वान्चल क्षेत्र के बारे में कोई ठोस योजना नहीं है। जो परम्परागत पांचवी पंचवर्षीय योजना कांग्रेस के काल से बनती चली आ रही है उसी परम्परा पर आपने यह योजना बना दी। उसी तरीके से आपने नया पोथा खड़ा कर दिया जिसका कोई उद्देश्य नहीं। कहा गया कि हम 6ठीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी खत्म कर देंगे। दस वर्ष का कार्यक्रम बनाया गया था।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेगी जी आप, दो-तीन मिनट बोल लें। फिर समाप्त कर दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अभी तो कुछ बोला ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

16 मिनट हो गये हैं, तीन-चार मिनट और बोल लीजिये।

श्री गोविंद सिंह नेगी—

मैं निवेदन कर रहा था कि 10 वर्षों में बेरोजगारी समूल खतम करने के लिये प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी। उन 10 वर्षों में 5 वर्ष इस 6ठीं योजना में हो जायेंगे। कम से कम आधी बेरोजगारी इस 6ठीं पंचवर्षीय योजना में कम होगी, ऐसी उम्मीद थी। लेकिन कौन सा काम किया जिससे खतम होगी। समझ में नहीं आया, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। उल्टा यह हो रहा है कि अभी तक जो रोजगार में लगे थे वह लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। मान्यवर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे प्रदेश के अन्दर हथकरघा उद्योग कितना महत्वपूर्ण गृह उद्योग है। आप यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि आज इस उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। सारे उद्योग ठप्प हो गये हैं। हथकरघा का काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गये हैं। कच्चा माल नहीं मिलता। कच्चा माल बनाने वाले बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, वह सूत नहीं देते। पूरी-पूरी काटेज इन्डस्ट्री ठप्प होती जा रही है। लाखों आदमी जो इस पर निर्भर थे बेकार होते जा रहे हैं,। आप मान्यवर, यह भी अच्छी तरह से जानते हैं, यही नहीं जितने भी छोटे-छोटे लघु उद्योग हैं उन लघु उद्योगों की दुर्दशा हो रही है। 6ठीं पंचवर्षीय योजना हमारे समाने रखी है। इस योजना के अन्तर्गत जो भी छोटे मोटे कारखाने देहातों के अन्दर थे, टूट रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं जिसकी वजह से लाखों को संख्या में लोग बेकार हो रहे हैं। उनके लिये आपके सामने क्या कार्यक्रम है, यह बताने की कृपा करें।

यही नहीं 20 लाख भूमिहीन सरकार के आंकड़ों के अनुसार हमारे प्रदेश में हैं, इन भूमिहीनों के सम्बन्ध में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। आप जानते हैं कि आने वाले जमाने में जब भूमि पर मैकेनाइज फार्मिग होने जा रही है, ट्रैक्टरों से खेती होने जा रही है, मशीनों से खेती होने जा रही है, 20 लाख लोग जो अब तक इसमें लगे रहते थे, बेकार हो जायेंगे

आप पश्चिम में देखें, मैकेनाइज फार्मिंग हो गयी, यह इन भूमिहीनों को और बरबाद कर देगी। 20 सूत्रा कार्यक्रम म एक यह भी था। उस कार्यक्रम को खतम कर दिया। तो आपसे पूछत. हू ।क इन भूमिहाना के लिये क्या किया। एक अन्त्योदय को केवल आंसू पोंछने के लिये २७ दिया। एक गाव में अगर पाच परिवारों को रोजगार दे दिया तो क्या इससे भूमिहाना का समस्या हल हो जायेगी।

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि आप चाहे इधर बैठें चाहे उधर बैठें, पूंजीवाद को आप तोड़ नहा सकते। पूजावाद क अन्तर्गत आपने याजना बनाई। पूजीवाद के अन्तर्गत नारायणदत्त तिवारा जब उधर थ, उन्होने योजना बनाइ। पूंजीवाद के अन्तर्गत बनारसीदास जी की याजना बनगा। इससे कुछ बन नहा सकता, पूजावाद आप तोड़ नहा सकते। आज नारायण दत्त तिवारा उधर बैठ गय, उन्होने हवा म मुक्का चला दिया। बनारसीदास जी उधर बैठ जाय। वह भी हवा मे मुक्का चला देंगे। लेकन जो बुनियादी चीज है उसकी तरफ आप जा नहा सकत। आप पूजावादी ढाचे को बरकरार रखे हैं। लेकिन मैं फिर भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस ढाच के अन्दर मेहरबानी करके कुछ ऐसी योजनाएं बनायें जिससे जो प्रदश क अन्दर असंतुलन पैदा हो रहा है और जिसके कारण लगातार प्रदेश के विभाजन की माग का जाती है। प्रदेश के विभाजन क पीछे बुनियादी चीज यह है कि प्रदेश के विभिन्न अचला का संतुलित विकास नहा हुआ, असंतुलित विकास हुआ है। इसलिये पिछड़े क्षेत्रों के लिय विशष याजनाय आय, हरिजना और भूमिहाना के लिय रोजगार देने का प्रयास करें और याजनाय ऊपर स थोपने क बजाय ग्राम लेवल, जिला परिषद् लेवल से योजनायें बनायी जाएं तब शायद कुछ कार्यान्वयन हो सकगा। इन शब्दा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)—

मान्यवर, छठा पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। इस सम्बन्ध म यह प्रारूप छठी योजना का, रोलिंग प्लान के रूप में गतिशील होने को है। मुझे ऐसा लगता ह कि इसक पहले हम स्टैटक प्लान्स बनाते रहे हैं। अब रोलिंग प्लान की बात आयी ह। लेकन आवश्यकता इस बात की ह कि काइ डायनेमिक प्लान बने। इस सम्बन्ध में मे इसलिय भी कहना चाहता हू कि इतने वर्षों के नियोजन के उपरान्त अगर मैं यह मान भी लूं कि पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था क अन्तर्गत कुछ भी संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी गंतव्यात्मक दृष्टि स निश्चित रूप स परिवर्तन किया जा सकता हे। जैसा कि हम देखते हैं, इस प्रारूप से विषमता बढ़ेगी। यह प्रारूप बेकारी, बेरोजगारी को बढ़ायेगी और यह प्रारूप गरीबी को भी दूर नहा कर सकता ह। इस बात का बहुत सारे माननीय सदस्यों ने रखा है कि क्षेत्रीय विषमता, ग्रामीण और शहरी विषमता बढ़ रहा ह। उदाहरण के रूप में पहली पंचवर्षीय योजना में ग्राम पंचायतो को 76 लाख रुपया दिया गया था और इसमें केवल 26 लाख रुपया दिया गया ह और हम गावो को ओर जाना चाहते हैं। हम गावों की ओर कैसे जा पायेंगे?

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब गांव की ओर चलने की बात होती है तो ग्रामों को स्वावलंबी बनाने की योजनाये होनी चाहिये। बड़ी योजनाये निश्चित रूप से नियोजन विभाग और उसके सभागों से बनकर आती हैं और उसके बाद केन्द्र और प्रान्तीय सरकारें उसे बड़े प्रयास से सभी प्रकार स मंथन करते हुए बनाती हैं। लेकिन यदि गाव की योजना बने और बड़े सिंचाई प्लान्स की तरह पर केवल प्रत्येक गाव के एक या दो तालाबों को पक्का और गहरा कर दिया जाय तो सिंचाई की व्यवस्था मे बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। परती, भूमि पर यदि बबूल उगाने की बात हो तो ग्रामीण विकास हो सकता ह। अगर इस प्रकार की ग्राम स्वावलम्बी योजनायें बनाते तो 1 लाख 12 हजार गाव मे गावो की ओर चलने की व्यवस्था कुछ बनती। सिंचाई

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहा किया।

[डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"]

की सुविधाओं में कुछ वृद्धि हुई है लेकिन संभागों की विषमता बढ़ी है । चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो, मध्य क्षेत्र हो चाहे बुन्देलखंड हो चाहे पूर्वांचल हो, विषमता को दूर करने के लिये कोई प्रारूप नहीं हुआ, योजना में । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ग्रामों को स्वावलम्बी बनाने के लिये, ग्रामोन्मुख योजनायें बनाने की आवश्यकता थी ।

यह जो "उत्तर प्रदेश सरकार एक दृष्टि में " है, जिसको नेता सदन और नेता विरोधी दल और हम सब एक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती है जिससे हम समझ सकें कि जो गरीबी के नीचे रहने वाले 70 प्रतिशत लोग हैं उनको राहत दी जा सकेगी । इससे हम नहीं समझें कि 70 प्रतिशत जो निरक्षर हैं उनको साक्षर बनाने के लिये, स्वालम्बी बनाने के लिये कोई इसमें कोई योजना है। क्यूबा, अल्जीरिया की तरह कोई योजना बनायें बिना हम इस 70 प्रतिशत को नहीं घटा सकते । मैं महसूस करता हूं कि योजना बनती रहती है, योजना बन रही है,योजना बनती रहेगी यदि कोई ऐतिहासिक परिवर्तन करने की बात है, माननीय मुख्य मंत्री जी को अभी ज्यादा समय नहीं मिला, लेकिन यदि परिवर्तन चाहते हैं तो मैन ओरिएन्टेड पालिसी को आप बनायें । जो आप गांवों की ओर चलने की बात करते हैं तो गांवों की ओर चलने के बजाय, मुझे तो ऐसा लगता है कि 5 प्रतिशत वर्ग जो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की सारी संपत्ति को अपने कब्जे में ले रखा है उन्हीं को दृष्टि में रखकर यह प्रारूप बनाया है । इसलिये मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जब प्रारूप पर आप विचार कर रहे हैं तो उसमें आप सोचें कि 70 प्रतिशत लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं उनके लिये एक कानून बनायें और पैसा, सड़कें तथा स्कूलों की व्यवस्था उनके लिये भी हो, ऐसी योजना होनी चाहिये लेकिन आपने तो प्रचून की दुकान वाले व्यवसायी की तरह योजना बनायी है । इसमें कोई स्पष्ट गरीबों के लिये योजना नहीं है ।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री आज वहां बैठे हैं,यहां भूतपूर्व मुख्य मंत्री बैठे हैं, उनके पास जवाब नहीं है कि 30 सालों में गरीबों की कोई पर कैपिटा इंकम बढ़ाई हो । भूतपूर्व मुख्य मंत्री का, रेज प्राइज और इन्कम पैरिटी के सम्बन्ध में, भाषण माचा सम्मेलन में सुना था लेकिन आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ है । इसलिये जरूरत है कि आप और वर्तमान मुख्य मंत्री मिलकर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ करें । नहीं तो 5 प्रतिशत लोगों में यह योजना सिमट कर रह जायेगी । इसलिये आप कोई स्वावलम्बी योजना बनायें और योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उन तमाम गरीबों के लिये पूरा-पूरा पैसा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मिल सके । नहीं तो घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं और इससे आप गरीबी नहीं मिटा सकते हैं । इसलिये प्रदेश की प्रगति के लिये कोई योजना आप बनायें ।

मान्यवर, अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि हाई स्कूल से एम0ए0 पास विद्यार्थी काम नहीं करना चाहते हैं । तो इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यूथ पावर को नेशनल डेवलपमेन्ट में आप लगायें । इसमें सरकार कोई स्टेट यूथ ला बनाये और जनशक्ति का प्रयोग कैसे करें उसकी योजना बनाये । मान्यवर, यह कहा जाता है कि प्रारूप योजना का सुन्दर है, व्यवस्थाएं सुन्दर हैं लेकिन मान्यवर, आप इस राय के होंगे कि 50 प्रतिशत से ज्यादा खर्च योजना पर नहीं हो पाता है और 50 प्रतिशत धन पता नहीं कहां चला जाता है वह चाहे पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग में हो या दूसरे विभागों में हो । तो भ्रष्टाचार की यह हालत है । इस भ्रष्टाचार को हम लोग भी बढ़ावा देते हैं । इसलिये आवश्यकता है, यहां हम समझदार लोग बैठे हैं, चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी हो या नियोजन विभाग हो, इस प्रारूप के अन्दर आने की कि इतना रुपया हम निश्चित रूप से ग्रामोन्मुख अमुक-अमुक योजनाओं में लगायेंगे । आप देखें, आपकी परफारमेन्स क्या है, आपको शायद जानकारी होगी कि एक-दो-तीन पंचवर्षीय योजना के बाद भी आर्थिक डिपार्टमेन्ट नहीं बता सका कि हमारी परफारमेन्स क्या है । जबकि आर्थिक सर्वेक्षण

का प्रारूप हमारे सामने था। इसलिये इस प्रारूप पर विचार करते समय यह बातें प्रारूप में होनी चाहियें।

मान्यवर, अभी हमारे मित्र ने विषमता के सम्बन्ध में कहा। तो मान्यवर, आप भी इस रांय क होंगे कि गांवों में विषमता इसलिये है कि ज्यादातर लोग एक हेक्टेयर से कम जमीन वाले हैं और एक से 10 हेक्टेयर के ऐसे परिवार हैं जिन पर सीलिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आपने सिंचन क्षमता बढ़ाने की बात की है। मैं चाहता हूं कि प्रदेश में सिंचन क्षमता बढ़े, सिंचाई की सुविधायें बढ़ें। लेकिन भूमिहीन और ग्रामीण श्रमिकों के लिये यह प्राविधान निश्चित रूप से कर देते कि बढ़ी हुई उपज का एक निश्चित भाग उस गांव में जमा कर दिया जाय। लेकिन इसकी कोई योजना नहीं है। यहां पर केवल उस तरह से विभिन्न विभागों की चर्चा करना व्यर्थ है। मैं फिर कहता हूं, मान्यवर,आपके माध्यम से, कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने भाषण में जो प्रारूप की बात है, जो जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में भी जिक्र है, कि गांव की ओर चलो, तो उसके बारे में जरूर जिक्र करेंगे क्योंकि आज गांव में जब हम जाते हैं तो केवल लिंक रोड्स के अलावा, थोड़े बहुत स्कूलों के अलावा और कुछ छुटपुट चीजों के अलावा कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता।

आज किसी गांव में चले जाएं तो देखेंगे कि कितने लोग बेरोजगार हैं। 50 / 50 हजार बेरोजगार एक-एक जिले में मिलेंगे। मान्यवर, उनको रोजगार कैसे दिया जायेगा इसके बारे में कोई बात नहीं कही गयी है। मैं इसके लिये कुछ सुझाव जरूर देना चाहूंगा कि ये जो पढ़े-लिखे लोग हैं,उनके लिये एक योजना बनाकर उनको रोजगार देने के लिये विचार करें और इसीलिये जब हम स्टेट यूथ ला की बात करते हैं तो उनके लिये कुछ डियूटी डिजाइन करने की बात करते हैं। उनको 10 / 10 बच्चों और महिलाओं को पढ़ाने का काम दिया जाय तो उचित होगा। मान्यवर, बेरोजगारी के दूर करने की बड़ी चर्चा होती है और जब माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम इसको मिटा देंगे, तो मुझे कुछ आशंका होती है कि कहीं बेरोजगारी को मिटाते मिटाते हम सबके सब बेरोजगार न हो जाएं। तो बेरोजगारी के सवाल को लेकर बेरोजगारी को मिटाना है। ग्रामीण और शहर की विषमता को मिटा सकें तो उचित होगा। मैं तो चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी पावरटी ला बना दें। मिनिमम खर्च निश्चित कर दें, खर्च की सीमा निश्चित कर दें। हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री राम नरेश यादव जी ने अन्नदान का नारा लगाया था। इन तमाम बातों को कृपया देखने की कृपा करें और प्रारूप की व्याख्या पर भी निश्चित रूप से विचार करें। एक साहब का कहना है कि मंत्रियों की भी बेरोजगारी का प्रश्न है। उसके बारे में कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं माननीय नेगी साहब से कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की जड़ यह कुर्सी है। कहते हैं कि चुनाव में दो हजार से ज्यादा खर्च नहीं किया। यहां आकर शपथ भी लेते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, यह आप स्वयं जानते हैं? तो भ्रष्टाचार की जड़ तो आपकी कुर्सी से पनप रही है। उसी तरह से हर चीज में भ्रष्टाचार पनपता है। तो मैं नेगी जी से जरुर अनुरोध करूंगा कि वह इस पर जरूर विचार कर लें ताकि हम जिस देश की मिट्टी के हैं, उसी के अनुरूप बन सकें।

कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे एक सूचना सदन को देनी है :--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी 13 जून, 1979 की बैठक में 14 जून, 1979 के उपवेशन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित संस्तुतियां की हैं :--

(1) उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1979, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं पारण--1 / 2 घंटा।

[श्री उपाध्यक्ष,]

(2) उत्तर प्रदेश गोबध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1979, जैसाकि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं पारण—1 / 2 घंटा ।

(3) शेष समय तक पंचवर्षीय योजना 1978–83 तथा वार्षिक योजना 1979–80 के प्रारूप पर चर्चा जारी—अपरान्ह के 4.30 बजे तक ।

(4) पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सामान्य कार्य की समाप्ति के उपरान्त बिजली की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा–एक घंटा ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द)—

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा दी गई सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई है, सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

पंचवर्षीय योजना 1978–83 तथा वार्षिक योजना 1979–80 के प्रारूप पर चर्चा (क्रमागत)

*श्री श्यामदेव (जिला वाराणसी)—

माननीय, मैं पंचवर्षीय योजना 1978–83 के सम्बन्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैंने परम्परागत रूप से नियोजन विभाग को अपने पास रखने वाले मुख्य मंत्री जी को सुना है और माननीय नेता विरोधी दल को भी सुना है । जैसा मुख्य मंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि केन्द्र से लड़कर वे हमारे और हमारे प्रदेश के लिए साधन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको देखते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे जितने भी साधन जुटा लें मगर हम एक तथ्य उनके सामने रखना चाहते हैं कि आपके नियोजन विभाग को आपरेट करने वाले जो अधिकारी हैं, वे प्रदेश का विकास बिलकुल नहीं होने देंगे । नियोजन में जितना भ्रष्टाचार है, जो यह आंकड़ों के पोल रखे गये हैं, यह आंकड़े अगर चेक किये जाएं तो सब थोथे निकलेंगे । नियोजन विभाग के सचिव महोदय हरिजनों के लिये घड़ियाली आंसू तो बहाते हैं परन्तु जो नियोजन हरिजनों और अनुसूचित जाति के लोगों को मिलना था, उसमें यह क्या किये हैं ? यह मैं बाद में बता दूंगा । हरिजनों के हित की फाइल जो नियोजन विभाग में बनाई गई थी उसको यह डेढ़ साल से गायब कराये हुए हैं । जो फाइल गायब करा सकते हैं, जो गलत आंकड़े दे सकते हैं, वे इस नियोजन विभाग को कैसे चला पायेंगे ?

मैं आपका ध्यान इस किताब के पृष्ठ 76–77 की ओर ले जाना चाहता हूं । अनुसूचित जाति और हरिजनों के लिए घड़ियाली आंसू तो बहाये जाते हैं लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण के लिए जो भी रूप इसमें लिखा गया है, आप देख लें । शिक्षा के लिये 5 वर्ष में हमारे लिए 20 करोड़ 37 लाख का प्राविधान किया गया है और जो हेड हैं उसको आप देखें । हरिजन छात्रों की बढ़ती हुई संख्या और उसके तकनीकी क्षेत्र में जाने की रुचि को देखें । मैं तो यह कहूंगा कि हमारी सरकार भी हरिजनों के लिए घड़ियाली आंसू बहाती है । इन्होंने प्रि-मेडिकल के लिये कितने कोचिंग सेन्टर बनवाये हैं ? इंजीनियरिंग के लिये कितने कोचिंग सेन्टर खुलवाये हैं ? आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 एक-दो जगह छोड़ा जा सकता है । यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे छात्रों को जो कुछ देते हैं उससे हमारे छात्रों के पास फीस की सब्सिडी देने के लिये ही पैसा नहीं है तो यह हरिजनों का कल्याण कैसे करेंगे ?

यह कहते हैं कि हरिजनों के लिए खेती करने के लिए जमीन क्रय की जायगी । मेरा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है एक पूरी तहसील और चन्दौली का कुछ हिस्सा मेरे क्षेत्र में आता है । हरिजन कल्याण विभाग की हर बैठक में, जिला परिषद् की बैठकों में प्रयास किया कि हरिजनों द्वारा भी जमीन खरीदने का प्राविधान किया जाय । इस पंचवर्षीय योजना में इसका जिक्र है परन्तु हमारे विधान सभा क्षेत्र में हमारी तहसील में किसी एक हरिजन को कृषि योग्य भूमि खरीदने के लिये सरकार ने कोई प्राविधान नहीं किया और इसी प्रकार मैं समझता हूं माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उनके क्षेत्र में क्या होता है भगवान जाने । यह हमारे नियोजन का रूप है, हमारे नियोजन का प्रारूप है जिसके लिये करोड़ों, लाखों रुपये उधार लिये जाते हैं, जनता पर कर लगाया जाता है ।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जनपद बस्ती के तहसील नौगढ़ जहां की आबादी 30–35 हजार है, में बनवासी लोग, भील लोग रहते हैं । वहां पर दस लाख रुपये की लागत से स्वायल कनजेरवेशन का बांध है । माननीय मुख्य मंत्री जी कोई एजेन्सी भिजवाकर जांच करा लें मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा यदि मेरी बात असत्य पायी गयी । उस दस लाख रुपये से बने हुये बांध में आज तोते के पीने भर के लिये पानी नहीं है । नियोजन कर रहे हैं । गरीबों के लिये नियोजन हो रहा है । यह हमारे नियोजन का प्रारूप है । नौगढ़ विकास खण्ड में डी0पी0ए0 का कार्यक्रम चला है । 153 पृष्ठ पर बताया गया है कि पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है । यह जेठ का महीना है । वहां के बनवासी लोग तीन किलोमीटर से लेकर दस किलोमीटर तक जाते हैं कहीं पर पानी मिल गया तो बर्तन में भर कर अपनी क्षुधा को तृप्ति करते हैं । डी0पी0ए0 की मीटिंगों में निवेदन किया गया था ।

माननीय मुख्य मंत्री जी प्रारूप तो रख देंगे लेकिन उन्हें प्रशासन को भी देखना चाहिये जो कुछ विकास आज हो रहा है वह आंकड़ों से हो रहा है । आंकड़ों को देखने से मालूम पड़ता है कि हमारे प्रदेश का इतना बड़ा विकास हो रहा है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो हरिजन और श्रमिक हैं यह बात कहते हुए शर्म लगती है कि वे आज भी गोबर में से दाना निकाल कर अपनी क्षुधा की तृप्ति करते हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि प्रारूप जो है वह तो मंजूर हो जायगा लेकिन जो नियोजन विभाग में भ्रष्टाचार है, नियोजन विभाग में जो आई0 ए0 एस0 अफसर हैं उन पर नियंत्रण किया जाय । हरिजन वैलफेयर के लिये, हरिजन कर्मचारियों के लिये, एक सुरक्षित सीट के विधायक ने दो वर्ष तक लगातार प्रयास किया और उसकी फाइल गायब कर दी गयी । जो अधिकारी.....

श्री बनारसी दास––

माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं । आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह अत्यन्त आपत्तिजनक और अशोभनीय है । कोई अधिकारी यहां पर मौजूद नहीं है । यह किसी भी सदस्य की गरिमा और प्रतिष्ठा के विरुद्ध है उस पर आक्षेप करना । यह नियोजन कार्यों का कोई बजट नहीं हैं ।

माननीय सदस्य के दिमाग में गुस्सा है तो वे थोड़ा-सा धैर्य से और संयम से काम लें । जो चर्चा हो रही है उससे इस विषय का कोई ताल्लुक नहीं है वह बिलकुल असंगत है ।

श्री उपाध्यक्ष––

यह क्षेत्रीय चीजें हैं.....

श्री श्यामदेव—

हरिजनों के नियोजन के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये । यह चर्चा कल जारी रहेगी ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 3 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें श्री रामबक्श वर्मा, श्री श्रीनारायण, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना जो, कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कन्ट्रोल के कपड़े की कालाबाजारी के सम्बन्ध में है, को मैंने स्वीकृत किया है। इस पर मंत्री जी 15–6–1979 को वक्तव्य दे देंगे। शेष दो सूचनाएं अस्वीकृत की गई ।

सारनाथ (वाराणसी) संग्रहालय की पुरातत्व महत्व की सम्पत्ति गायब होने के विषय में अग्रेतर वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—

मान्यवर, दिनांक 18–5–1979 को श्री देव बहादुर सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर विधान सभा में वक्तव्य दिया गया था । इस वक्तव्य के बाद माननीय सदस्यों की इस सूचना पर कि इस मामले में आयुक्त, वाराणासी मंडल ने रिपोर्ट दी है माननीय उपाध्यक्ष ने आदेश दिये थे कि अग्रेत्तर वक्तव्य दिया जाय ।

मण्लायुक्त, वाराणसी से इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त की गई है और ज्ञात यह हुआ है कि उन्होने कोई रिपोर्ट नही दी है बल्कि एक प्रकीर्ण मामले में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर आदेश पारित किये हैं। प्रतीत हुआ है कि सारनाथ महाबोधि इन्टर कालेज के भूतपूर्व प्रधानाचार्य, डा0 भिक्षु धर्मरक्षित की दिनांक 23–5–1977 को मृत्यु हो जाने के पश्चात् कालेज के चपरासी, श्री सीताराम मौर्य ने एक प्रार्थना-पत्र अतिरिक्त जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाय, जिस पर तहसीलदार से जांच कराकर पहले तो अतिरिक्त जिलाधिकारी ने उनके पक्ष में यह घोषणा की परन्तु आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने पक्षों को सुना और निर्णय दिया कि प्रोबेट प्राप्त करने के बाद ही श्री सीताराम मौर्य सामान के हकदार होंगे ।

30–5–1978 को श्री सीताराम मौर्य ने अतिरिक्त जिलाधिकारी (नगर) को एक पत्र लिखा कि डा0 भिक्षु धर्मरक्षित के पास सोने, चांदी, तांबे के सिक्के, अष्टधातु एवं मिट्टी एवं पत्थर की कलाकृतियां और प्राचीन पुस्तकों की पाण्डुलिपियां थीं जिन्हें पुलिस ने श्री राम सिंह की सुपुर्दगी में दे दी हैं ।

श्री सीताराम मौर्य का अनुरोध था कि यह सामान उन्हें दे दिया जाय । अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने दिनांक 10–12–1977 को श्री रामू सिंह द्वारा लिखी गयी कथित रसीद की फोटो स्टेट प्रति भी प्रस्तुत की परन्तु श्री रामू सिंह ने इससे इनकार किया और उनका कहना था कि वह रसीद फर्जी बनी है। अतिरिक्त जिलाधिकारी ने इस संदर्भ में जांच प्रारम्भ की परन्तु पुरावशेष एवं कलाकृतियों के विषय में कोई निश्चित बात ज्ञात नहीं हो सकी। इसी बीच प्रतीत होता है कि श्री सीताराम मौर्य ने आयुक्त के समक्ष एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर दिया जिसमें उन्होंने अतिरिक्त जिलाधिकारी के इस आदेश का विरोध किया कि वह डा0 भिक्षु धर्मरक्षित की सम्पत्ति के विषय में उत्तराधिकारी का प्रमाण सक्षम

न्यायालय से प्राप्त करें। आंयुक्त ने इस मामले को देखकर 26-3-1979 को एक आदेश दिये जिसमें उन्होंने श्री सीताराम मौर्य और श्री रामू सिंह के पक्ष को सुनकर यह निर्णय लिया कि इस मामले में अतिरिक्त जिलाधिकारी को आदेश पारित नहीं करना चाहिये था। श्री सीताराम मौर्य की बसीयत के बारे में उन्होंने कहा कि उस पर प्रोबेट होना चाहिये और वर्तमान स्थिति में वह प्रभावहीन है। अन्त में उन्होंने उत्तर प्रदेश एन्टीक्यूटीज एण्ड आर्ट-ट्रेजर्स ऐक्ट की विभिन्न धाराओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी कहा कि पुरावशेष का पंजीकरण होना चाहिये। अपने आदेश में आयुक्त ने पुरावशेष की निश्चित संख्या इत्यादि के विषय में कोई बात नहीं कही।

मामले के विधिक परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि अतिरिक्त जिलाधिकारी और आयुक्त दोनों के ही द्वारा पारित आदेश प्रशासनिक हैं। विधिक दृष्टिकोण से वह किसी भी अधि-नियम के अन्तर्गत नहीं आते। शासन इस मामले का विधिक दृष्टिकोण से अग्रेतर परीक्षण करा रहा है और आवश्यकतानुसार कार्यवाही करायेंगे।

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, यह जो प्रश्न था वह सारनाथ संग्रहालय में संग्रहीत पुरातत्व की करीब 5 लाख रु0 की संपत्ति के गायब होने के संबंध में था। इससे पहले जो वक्तव्य दिया गया था उसमें कौन इसका वारिश है, किसके नाम वारिशनामा होना चाहिये और कानूनी दांव-पेंच में क्या कमी रह गई थी यह सारी बातें बताई गईं और अन्त में यह लिखा था कि प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही है कि साढ़े 50 लाख रु0 मूल्य की वस्तुयें गायब हो गईं और आज के वक्तव्य में यह है कि जितनी अब तक की कार्यवाही हुई है वह वैधानिक नहीं है। आज भी यह पता नहीं है कि कौन वारिश है, श्री मौर्य हैं या श्री रामू हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न करिये।

श्री देव बहादुर सिंह--

जो संग्रहालय की वस्तुयें हैं करीब 50 लाख रु0 की वह किसी के पास हैं? वह आज हैं या नहीं ? यह दुर्लभ वस्तुयें हैं। अगर वह किसी निजी व्यक्ति के पास हैं तो उसका रजिस्ट्रीकरण होना आवश्यक है। मैं जानना चाहता हूं कि यह अतिरिक्त जिला अधि-कारी ने चिट्ठी लिखी है जो 17 नवम्बर, 1978 की है जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पुरावशेष एवं बहुमूल्य कला कृतियों को लिखा है। उसका विषय है स्व0 डा0 भिक्षु धर्मरक्षित के व्यक्तिगत संग्रहालय के पुरावशेष व बहुमूल्य कलाकृतियों के मूल्यांकन हेतु सीताराम मौर्य का प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-10-78 के संदर्भ में। श्री सीताराम मौर्य के प्रार्थना पत्र दिनांक 13-11-78 एवं 20-10-78 की प्रतियां संलग्न करते हुए मुझे यह कहना है कि श्री मौर्य ने अपने प्रार्थना-पत्र में यह लिखा है कि स्व0 डा0 भिक्षु धर्मरक्षित के पास प्राचीन अमूल्य वस्तुयें भी हैं जिनका राष्ट्रीय हित में मूल्यांकन कराना उचित प्रतीत होता है। ये पूरी संपत्ति कार्यवाहक प्रधानाचार्य, महाबोधी इंटर कालेज, सारनाथ, वाराणसी के पास हैं। अस्तु, आपसे निवेदन है कि इस संपत्ति को देखकर उनका मूल्यांकन कराने की कृपा करें तथा कृत कार्यवाही से मुझे भी सूचित करने का कष्ट करें। थानाध्यक्ष, आदमपुर को निर्देशित किया जा रहा है कि वे इन वस्तुओं को आपको उपलब्ध करा दें। यह पत्र 17 नवम्बर का है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप एक प्रश्न कर चुके हैं।

श्री देवबहादुर सिंह--

दूसरा प्रश्न यह है कि जिला मजिस्ट्रेट ने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह पत्र लिखा कि उन वस्तुओं की रजिस्ट्री कर दें तो उन आदेशों का अनुपालन हुआ कि नहीं और वह दुर्लभ वस्तुयें कौन हैं?

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, मंडलायुक्त ने स्वयं लिखा है कि न तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अधिकार था और न अतिरिक्त जिलाधिकारी को अधिकार था कि जो सीताराम मौर्य ने एकतरफा बयान पेश किया है उसके रास्ते पर चलें। चूंकि यह सारी कार्यवाही अनियमित हुई है इसलिए मंडलाधीश ने इन वस्तुओं की निम्न बिन्दुओं पर उच्चस्तरीय जांच के लिए कहा है।

क्या डाक्टर धर्मभिक्षु, बीमारी से जिनकी मृत्यु हुई, अपनी मृत्यु के तीन दिन पूर्व इस स्थिति में थे कि स्वेच्छा से एक नया वसीयतनामा लिखते?

वसीयतनामा का रजिस्ट्रेशन दिनांक 23-5-77 के लगभग 6 महीने पश्चात् दिनांक 24-11-77 को क्यों कराया गया? डा0 भिक्षु धर्मरक्षित एक बहुत विद्वान पुरुष थे और यदि उनके पास इतने पुरावशेषों, जिनकी कीमत 50 लाख रुपये बताई जाती है, का संग्रह था तो उन्होंने उसे अपने महाबोधि सोसाइटी अथवा किसी अन्य संस्था को क्यों नहीं दिया? श्री सीताराम मौर्य, बहाबोधि इन्टर कालेज, सारनाथ के एक मामूली कर्मचारी थे, क्या वह इन पुरावशेषों को सम्भाल कर रख सकते थे?

श्री सीताराम मौर्य द्वारा सुपुर्दगी की रसीद, जिस पर श्री रामू सिंह के हस्ताक्षर बताये जाते हैं, सही है या फर्जी इसके लिए हस्तलिपि विशेषज्ञ (हैण्डराईटिंग एक्सपर्ट) की राय लेनी आवश्यक है। साथ ही यह भी विचारणीय है कि श्री सीताराम मौर्य ने अभी इस रसीद की मूल प्रति नहीं दिखलाई है?

और यदि दिखलाई है तो उन्होंने नियमानुसार पंजीकरण की कार्यवाही क्यों नहीं की?

स्व0 डा0 धर्मभिक्षु जिस मकान में रहते थे, उसमें श्री पी0 गुणरत्ना, संयुक्त सचिव, महाबोधि सोसाइटी ने डा0 भिक्षु धर्मरक्षित की मृत्यु दिनांक 23-5-77 के तत्काल बाद ताला लगा दिया था। उसमें से 29-11-77 को क्या सामान चोरी गया, पता नहीं लग सका और पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई। तो आप देखें यह 50 लाख की चोरी हुई। यह सब मामला संदिग्ध था। प्रश्न यह है कि जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने अपने घर में इतनी कीमती सम्पत्ति क्यों नहीं रखी? और उसका कोई स्टाक-रजिस्टर क्यों नहीं रखा? तो यह सारी चीजें ऐसी हैं, जिन पर विस्तार से जांच की आवश्यकता है। अतः इसकी जांच कराने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं 2 साल उस व्यक्ति को मरे हो गये और यह आरोप है कि 50 लाख रुपये की सम्पत्ति है, हो सकता है कि कम या ज्यादा भी हो, तो यह अब किसकी सुपुर्दगी में पड़ी हुई है? पुलिस ने अब तक क्या किया? क्या यह सही नहीं है कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य था कि उसको वहां का कलेक्टर, जिसको अधिकार है, इस ऐक्ट में उस सामान को फौरन अपने कब्जे में लेने का, उस सारी सम्पत्ति को अपने कब्जे में लेता और फिर विवेचना होनी है तो होगी? दो वर्ष हुए, यह माल है कहां और अब तक इसमें क्या कार्यवाही हुई?

अग्रेतर वक्तव्य

श्री बनारसी दास---

श्रीमन्, यह महाबोधि सोसाइटी, जिसका मुख्य कार्यालय सारनाथ में है, के अधिकारियों का कर्तव्य था। यह बात संदेहास्पद है कि इसमें 50 लाख की सम्पत्ति हो सकती है। जैसा मैंने कहा डा0 धर्मरक्षित जी जब उसके प्रिंसिपल थे तो उन्होंने इसका कोई स्टाक रजिस्टर नहीं रखा, फिर कार्यवाहक प्रिंसिपल श्री रामूसिंह थे, उनका फर्ज था। सरकार स्वत: किसी चीज का काग्निजेंस, जब तक उसकी जानकारी में न आए, नहीं ले सकती है। यह प्रश्न तब पैदा हुआ, जब चपरासी ने दावा किया और रामूसिंह ने इंकार किया और तब उसकी जांच हुई। उसी में इतना समय लग गया। तब मंडलाधीश ने उसको देखा। उसके बाद पहुंचे कि उस रसीद पर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की जरूरत है और जैसा कहा गया यह 1977 में चोरी हुई। पुलिस ने जांच की, किसी का कब्जा नहीं मिल पाया। कोई स्टाक रजिस्टर नहीं था। इसलिये कितनी सम्पत्ति थी, कितनी मिली थी, कितने सोने चांदी और अष्ठधातु के सिक्के थे। पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लिख दी तो फिर कोई प्रश्न मैजिस्ट्रेट के सामने इन्क्वायरी का नहीं था। चूंकि विवाद की वजह से यह तथ्य सामने आये हैं। इसकी विस्तार से जांच की जायगी।

श्री देवबहादुर सिंह---

जिस कालेज के परिसर में, जिस कमरे में यह बहुमूल्य वस्तुएं रखी गयी थीं, उसके पास पुलिस आउट पोस्ट खोली गयी थी और उन पर दायित्व दिया गया, चूंकि लाखों रुपये की सम्पत्ति रखी गयी है, उसकी रक्षा करे। दूसरे, माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा कि खपरैल हटा कर चोरी हुई। चोरी की एफ0 आई0 आर0 दर्ज करवायी गयी। आज तक यह मामला संदिग्ध है। पुलिस या दूसरे अधिकारी या डी0 एम0 सब गायब कर चुके हैं, मिली भगत से पचासों लाख रुपये की बहुमूल्य चीजें, सब हड़प गये हैं। क्या इस सारे केस की भारत सरकार से अनुरोध करके सी0 बी0 आई0 से जांच करवायेंगे?

श्री बनारसी दास---

श्रीमन्, पहले मैंने सूचना दी है कि सरजू सिंह कार्यवाहक प्रिंसिपल ने ताला डाला तो पुलिस नहीं थी। जब चोरी की सूचना मिली तब पुलिस गयी। उसने किसी को पाया नहीं। इसकी जांच किससे की जाय। इसके सम्बन्ध में सी0 बी0 आई0 से या यहां से किया जाय। इस पर विचार करेंगे और जो उपयुक्त इसके लिए एजेंसी होगी उससे इसकी जांच करवायेंगे।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, यह जो परिपाटी है, जिसके विरुद्ध आरोप हैं, वहीं जांच की रिपोर्ट भेज रहे हैं, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने अपना वक्तव्य पढ़ा है, उसमें आयुक्त ने स्पष्ट लिखा है कि डा0 भिक्षु धर्मरक्षित की हत्या के विषय में, उत्तराधिकारी का प्रमाण सक्षमन्यायालय से प्राप्त करें। उन्होंने लिखा है कि इस मामले में अतिरिक्त जिला अधिकारी को आदेश पारित नहीं करना चाहिए था। अपने बयान में आयुक्त ने भी स्वीकार किया है कि अतिरिक्त जिला अधिकारी ने जो आदेश पारित किया था वह उचित आदेश पारित नहीं किये थे। अतिरिक्त जिला अधिकारी या जिला अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गयी है और आयुक्त की भी राय है कि वाराणसी के अतिरिक्त जिला अधिकारी ने जो आदेश पारित किये,नहीं करना चाहिये था। पहले अतिरिक्त जिला अधिकारी ने सीताराम मौर्य के पक्ष में फैसला दे दिया। फिर बाद में पता नहीं क्यों सीताराम के पक्ष का फैसला वापस ले लिया।

श्री उपाध्यक्ष---

आप प्रश्न कीजिये सीधे।

श्री शतरुद प्रकाश---

इतना गम्भीर मामला है जिसमें वाराणसी के आयुक्त ने स्वयं इस बात का इजहार किया है कि वाराणसी के अतिरिक्त जिला अधिकारी को आदेश नहीं देना चाहिये था, इस पृष्ठ भूमि में क्या यह सही नहीं है कि सी0बी0आई0 से जांच करायी जाय ताकि वाराणसी का प्रशासन थोड़ा भी अपना प्रभाव न डाल सके, पचास लाख की कीमत का मसला है और केवल मूल्य का सवाल नहीं है, पुरातात्विक दृष्टिकोण से ऐसी मूल्यवान और ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसी मूल्यवान वस्तुएं बरामद हो सकती हैं, पूरे प्रकरण की जांच हो जाय, पूरे प्रकरण का नतीजा निकल आए।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपका प्रश्न हो गया।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

क्या सदन में इस तरह का आश्वासन देंगे कि सी0 बी0 आई0 से जांच कराने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, केन्द्र सरकार को अपनी संस्तुति भेजेगी।

श्री बनारसी दास---

मंडल आयुक्त की जो रिपोर्ट है उसमें तो यह भी कहा गया है कि वसीयतनामा दिया गया तो उन चीजों की सूची क्यों नहीं दी गयी, किसी को उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाया? मंडल आयुक्त ने कहा कि इसकी विस्तार से जांच की आवश्यकता है। मृत्यु के 6 महीने के बाद चोरी की रिपोर्ट है, इसलिये मैं इसको सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द करता हूं।

श्री श्यामधर मिश्र---

क्या मुख्य मन्त्री जी को यह बात मालूम है कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, वाराणसी से जब पुलिस से इन वस्तुओं को लेने का जवाब नहीं आया तो उन्होंने आदमपुरा के थानाध्यक्ष को पत्र लिखा, जिसकी कापी मेरे पास है। वह पत्र 16 अप्रैल का है, यह कहा कि आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको आदेश दिया गया है, जैसा देव बहादुर जी ने कहा कि वह तारीख है 78 की। इसको मैं इसीलिये कहता हूं कि इस तारीख को जो यह लिखा है कलेक्टर की ओर से, पत्र ए0 डी0 एम0 की ओर से गया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी के उत्तर में द्वन्द है। उनसे ऐसी बात कहला दी गयी जो परस्पर विरोधी हैं। पहले पन्ने पर यह जवाब दिलाया जाता है।....

श्री उपाध्यक्ष---

जवाब दिलवाया जाता है, या दे रहे हैं।

श्री श्यामधर मिश्र---

वह बेचारे क्या जाने। अच्छा वह दे रहे हैं। तो श्रीमन्, सीताराम ने कहा कि, पहला पत्र लिखा कि मैं उत्तराधिकारी हूं जो कि सही नहीं है, कलेक्टर ने 78 में लिखा है, सीताराम ने ऐसा पत्र नहीं लिखा है बल्कि यह लिखा है कि तमाम लिस्ट बना ली जाये और इसको ले लिया जाये। उस पत्र को माननीय देव बहादुर सिंह ने पढ़कर सुनाया।

श्री उपाध्यक्ष---

आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री श्यामधर मिश्र---

मान्यवर, मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। मुख्य मन्त्री जी को यह मालूम है कि 78 में 17 नवम्बर को ए0 डी0 एम0 ने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को लिखा कि इसकी रजिस्ट्री फौरन कर ली जाये और थानाध्यक्ष आदमपुरा इसमें मदद करें। क्या इसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्य मन्त्री जी की फाइल में है?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मैंने तो खुद कहा कि पंजीकरण अधिकारी ने मंडल आयुक्त को कहा है कि पंजीकरण न करके भूल की, उनको पंजीकरण करना चाहिये था। इसीलिये सारे मामले की जांच के लिए मैंने कहा कि सी० आई० डी० के सुपुर्द कर रहे हैं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो कह दिया। यह 50 लाख का मामला है, ह्वेयर एबाउट्स का पता नहीं चलता है इसीलिये आपने घोषणा की कि सी० आई० डी० से जांच करायेंगे। यह मुनासिब है।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कर लेने दीजिये। केवल एक प्रश्न।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, केवल एक प्रश्न करना चाहता हूं। केवल छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं.

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं किसी को इजाजत नहीं देता।

श्री देव बहादुर सिंह—

छोटा सा प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देना भी चाहे तो मैं इजाजत नहीं दूंगा।

हसनगंज, लखनऊ में पुलिस एवं होमगार्ड के जवानों द्वारा एक हरिजन परिवार को लूटने की घटना के सम्बन्ध में नियम 61 के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 4/5-जून 1979 की रात्रि में लगभग 3-30 बजे सुबह निरालानगर पानी की टंकी के निकट राजू जमादार निवासी हुसैनाबाद साइकिल पर अपनी स्त्री तथा दो बच्चों को बैठाये हुए मेहतर कालोनी की तरफ से पीछे की ओर से निकल आगे बढ़ा। गश्त पर गये सिपाहियों को शक होने पर उन्होंने उसे टोका किन्तु उसने कोई उत्तर न देकर साइकिल तेजी से आगे बढ़ाई, रेलवे क्रासिंग का फाटक बन्द हने के कारण राजू को वहां रुकना पड़ा। इसी बीच गश्त पार्टी भी वहां पहुंच गई और राजू से बेवक्त चलने तथा पूछने पर उत्तर न देने के बारे में पूछा। राजू के मुंह से शराब की बदबू- भी जोरों से आ रही थी अतः पुलिस गश्ती दल ने उसे थाने चलने को कहा। इस पर इधरउधर की बातें करते हुए राजू साइकिल लेकर लाइन के किनारे की सड़क की ओर से निराला नगर की ओर भागा किन्तु साइकिल की चैन उतर जाने के कारण वह साइकिल वहीं छोड़कर मेहतर कालोनी की तरफ भाग गया।

थोड़ी देर में राजू लाठी डण्डों से लैस 40–50 व्यक्तियों को ले शोर करता हुआ वहां आ गया। इस पर पुलिस सिपाही तो हट गये किन्तु भीड़ ने होमगार्ड पिताम्बर को पकड़ कर मारा पीटा और अपनी कालोनी ले गये। थाने से कुछ पुलिस सिपाहियों के भेजने पर भी उन लोगों ने होमगार्ड को नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद राजू अपने रिश्तेदारों तथा होमगार्ड पिताम्बर को लेकर थाने पहुंचा और डकैती की एक लिखित तहरीर दी जिसमें 5–6 पुलिस वर्दीधारी लोगों द्वारा अपने को लूटने और मारने पीटने का आरोप लगाया। इस पर थाना हसनगंज में एक मुकदमा अपराध संख्या 394-ए के अन्तर्गत धारा 395 भा० द० वि० दिनांक 5-6-79 पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना की जा रही है।

[श्री बनारसीदास]

पुलिस सिपाही राजमन राय ने भी उपर्युक्त सूचना के पहले ही 4/5-6-79 को सुबह 4-20 बजे कर्मचारियों के साथ मारपीट करने तथा सरकारी कार्य में रुकावट डालने के सम्बन्ध में लिखित सूचना दी, जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 394 के अन्तर्गत धारा 147/342/332/338 भा0 द0 वि0 बनाम राजू व 40-50 अन्य व्यक्ति कायम हुआ और इसकी पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है ।

होमगार्ड पिताम्बर को हालत चोटों के कारण नाजुक थी । अतः उसे तुरन्त अस्पताल भेजकर अस्पताल में दाखिल कराया गया । राजू तथा उसके बीवी बच्चों को प्राप्त सूचना के अनुसार न मारा-पीटा गया और न ही उनका कुछ सामान छीना गया । उसके द्वारा मौके पर छोड़ी गई साइकिल थाने में जमा है ।

सम्पूर्ण घटना की जांच क्षेत्राधिकारी हजरतगंज को सौंप दी गई है तथा मामले से संबंधित दोनों अभियोगों की विवेचना की जा रही है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, वैसे तो मुझे प्रश्न करना चाहिये था लेकिन मुझे इस वक्तव्य में 2-3 बातें ऐसी लगती हैं कि पुलिस के किसी अधिकारी ने यह रिपोर्ट अपनी डिफेंस में बना दी । वक्तव्य में कहा गया है कि रात्रि में लगभग 3-30 बजे सुबह निरालानगर की पानी की टंकी के निकट देखा गया । वह साइकिल पर सवार था और मेहतर कालोनी की तरफ से पीछे की ओर से निकल कर आगे बढ़ा और पुलिस वालों ने उससे पूछा । मान्यवर, वहां से रेलवे क्रासिंग काफी दूर है । कहा गया कि क्रासिंग का फाटक बन्द होने के कारण राजू को वहां पर रुकना पड़ा । तब पुलिस वहां पर पहुंची । जब कि उसे घर को जाने के रास्ते के लिए रेलवे क्रासिंग पार करना था लेकिन फिर भी उसको वहां पर रुका हुआ देखा । पुलिस के लोगों को शंका होती है । राजू जाता है और फिर लौट आता है और तब तक पुलिस के सिपाही वहां पर बैठे रहे ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सवाल कीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि राजू ने जो एफ0 आई0 आर0 लिखायी है वह क्या है ?

श्री बनारसीदास--

यह रिपोर्ट है--"सेवा में श्रीमान् थाना अध्यक्ष, थाना हजरतगंज लखनऊ । महोदय मैं आज लगभग प्रातः साढ़े 3 बजे शादी से सायकिल पर अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ घर लौट रहा था । रास्ते में डालीगंज रेलवे क्रासिंग के पास करीब 5-6 आदमी जिनमें चार पुलिस की वर्दी में थे और एक आदमी सादे कपड़ों में सायकिल के साथ था । मुझे रोका और मेरी तलाशी लेने लगे, मेरी टाइटस घड़ी, 90 रुपये व साइकिल ले ली । इसी बीच मौका मिल जाने से मैं पीछे कालोनी की ओर भागा । भागने के पहले मुझे मारा, पत्नी की टप और पायल भी ले लिये । जिस पुलिस वाले ने मेरा सामान लिया है मैं उसको पहचानता हूं उसके बाद कालोनी से कुछ लोग मेरी पत्नी और मेरे चिल्लाने की आवाज सुन कर वहां आये एक आदमी पुलिस के लिबास में था वह भागा और गड्ढे में गिर गया । फिर उसी को लोग पकड़ कर कालोनी में ले गये । उसके बाद मेरी ही साइकिल जो छीन ली गयी थी उसी साइकिल के साथ एक दरोगा साहब कालोनी में गये । उन्हें भी मैं पहचानता हूं । मेरी यह रिपोर्ट दर्ज की जाय तथा जांच कराकर मेरे साथ न्याय किया जाय, अति कृपा होगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह जो बयान दिया गया है क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट पर आधारित है या पुलिस ने जो एफ0 आई0 आर0 लिखायी है उस पर आधारित है ? फिर यह जो कहा गया है कि राजू शराब पिये था तो क्या उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है ?

श्री बनारसीदास—

पुलिस अधीक्षक (नगर) ने जो इसके संबंध में रिपोर्ट भेजी है उसके आधार पर मैंने सूचना दी है। अब यह तो रिपोर्ट पढ़ने से ही मालूम होता है—साढ़े तीन बजे कौन आने-जाने का मौका है। अब सारे मामले की जांच एस0 डी0 एम0 के हवाले कर दी है।

*श्री श्यामसुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इससे संतुष्ट हैं कि 4–5 जून के प्रातः साढ़े 3 बजे निराला-नगर की घटना के सम्बन्ध में राजू का वहां रुकना और पुलिस के द्वारा थाने में चलने के लिए कहने पर भाग लेना, उसके बाद चैन उतर जाने पर जब उसको पुलिस वालों ने रोक लिया, तो 40–50 लोगों को लेकर आना इतनी सारी घटना के बीच में, 4 बजे जो रिपोर्ट लिखाया है पर्याप्त है कि थाने में सिपाही चला गया, इतनी सारी घटनायें हो गयीं, पुलिस वाले सबसे पहले जा कर रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा सके, चूंकि पुलिस के खिलाफ यह रिपोर्ट लिखाई गयी कि उन्होंने उस राजू को लूटा इसलिये अपने अपराध को बचाने के लिये डिफेंन्स में यह रिपोर्ट लिखाई है, इन सबसे यह साफ जाहिर होता है कि पुलिस वालों ने अपनी डिफेंस में रिपोर्ट लिखाई है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह काल्पनिक प्रश्न है। इसकी मैं इजाजत नहीं देता।

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट है कि श्री राजमन राय सिपाही ने पहले एफ0 आई0 आर0 किया। क्या श्री राजमन राय ने अपनी एफ0 आई0 आर0 में कहा है कि राजू शराब पिये हुए था ? यदि हां, तो क्या शराब पीना जो वर्जित है, उस जुर्म में गिरफ्तार करके राजू को बन्द क्यों नहीं किया गया ?

श्री बनारसी दास–

इसमें तो माननीय सदस्य ने कोई प्रश्न नहीं पूछा बल्कि तर्क-वितर्क और अपना अनुमान कहा। मैं सबसे पहले बता चुका हूं कि सर्वप्रथम रिपोर्ट कांस्टेबिल की है और उसके बाद रिपोर्ट राजू की है।

श्री उपाध्यक्ष—

उस कांस्टेबुल की रिपोर्ट में यह है कि वह शराब पिये हुए था ?

श्री बनारसी दास—

यह थाना हसनगंज, लखनऊ में रिपोर्ट लिखाई 4–20 बजे रात को।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या रिपोर्ट में कांस्टेबिल ने लिखाया था कि वह शराब पिये हुए था ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस वक्तव्य से लगता है कि जब राजू अपनी रिपोर्ट लिखाने गया, तब कांस्टेबिल ने पहले अपनी रिपोर्ट लिखा दिया ।

श्री बनारसी दास--

मान्यवर, 147/332/342/308 धारा के अन्तर्गत दिनांक 5-6-79 को रिपोर्ट लिखाई गयी । घटना का समय 3.30 बजे रात, रिपोर्ट लिखाने का समय 4.20 बजे रात, घटना-स्थल नई रेलवे क्रासिंग, निरालानगर, स्टेट द्वारा कांस्टेबिल 288, राजमन राय, थाना हसनगंज, लखनऊ, राजू पुत्र सम्पत, निवासी मोहल्ला हुसैनाबाद, जनपद लखनऊ व 40-50 और नाम पता अज्ञात, उप निरीक्षक श्री वसी अब्बास (यह जिसका मैंने जिक्र किया वह रिपोर्ट दी) ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

मान्यवर, कांस्टेबिल ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखाया है कि नहीं कि राजू शराब पिये हुए था, जब कि ऊपर उद्धृत है कि राजू शराब पिये हुए था । मान्यवर, सिपाही ने राजू को शराब पीना लिखा है कि नहीं? यदि लिखा है, तो निश्चित रूप से अगर शराब पिये था, तो उसकी जांच करा कर उसे गिरफ्तार करके बन्द क्यों नहीं किया गया, जब कि शराब पीना वर्जित है । शराब पीना जुर्म है । यदि रिपोर्ट में नहीं लिखा गया है, तो क्या इस रिपोर्ट को झूठा मान कर कार्यवाही करेंगे?

श्री बनारसी दास--

वह जो कहते हैं, मैं झूठा कैसे मान लूं ? माननीय सदस्य का यह कोई प्रश्न नहीं है । मैंने यह कहा कि दोनों रिपोर्ट मौजूद हैं और उसकी जांच वहां के क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं तो जब तक क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट नहीं आती मेरे लिये यह कहना असम्भव है कि किसका कसूर है किसका नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं । कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
13 जून, 1979 ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

[देखिए नियम 29(4) के तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21 पर]

श्री बलिराम ठेकेदार द्वारा श्री मधुर कुमार, अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड–14, फैजाबाद के विरुद्ध टाण्डा नहर के किलोमीटर 67–662 पर निर्माणाधीन पुल के कार्य के बिलों के भुगतान न करने और भारी कमीशन की मांग करने के बारे में दिनांक 11 अगस्त, 1978, 15 दिसम्बर, 1978, 8 फरवरी, 1979 व 12 मार्च, 1979 के शिकायती पत्र प्राप्त नहीं प्रतीत होते । खोज की जा रही है । केवल 18 सितम्बर, 1978 व 5 मार्च और 24 मार्च, 1979 के पत्र प्राप्त हुए, जिनका शिकायत से सम्बन्ध नहीं है ।

2––उपरोक्त के अतिरिक्त श्री बलिराम प्रसाद के इस अवधि में दिनांक 11 सितम्बर, 1978, 15 सितम्बर 1978, 23 नवम्बर, 1978, 10 दिसम्बर, 1978, 26 फरवरी, 1979, 15 मार्च, 1979 व 16 मार्च, 1979 के पत्र प्राप्त हुए । इन पत्रों में ठेकेदार ने मुख्यत: निम्न बातें कहीं हैं:––

(1) समय वृद्धि की मांग ।

(2) उन परिस्थितियों को दर्शाया गया है जिनके कारण यह प्रगति नहीं कर पा रहा था, जैसे वर्षा, नहर का चलना, सीमेन्ट का अभाव व डिवार्टरिंग का प्रबन्ध न होना ।

(3) इन परिस्थितियों में उसका भुगतान व हर्जाने की मांग ।

इन सभी पत्रों का अधिशासी अभियन्ता समय-समय पर उत्तर देते रहे हैं । इससे यह स्पष्ट है कि श्री बलिराम प्रसाद, ठेकेदार ने श्री मधुर कुमार अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड–14 फैजाबाद के विरुद्ध कोई शिकायत दिनांक 24–3–79 तक नहीं की । अतएव अधिशासी अभियन्ता का नाराज होकर कार्य को रोके जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

3––इसके उपरान्त श्री बलिराम प्रसाद से दिनांक 6 अप्रैल, 1979, 11 अप्रैल, 1979, 15 अप्रैल, 1979, 21 अप्रैल और 4 मई, 1979 के शिकायती पत्र प्राप्त हुए जिनमें उन्होंने अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध निम्न प्रकार के आरोप लगाये:––

(1) 5,000 रु0 के कमीशन की मांग ।
(2) 34,800 रुपये का सामान उठवा ले जाना ।
(3) भुगतान न करना ।
(4) अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन ।
(5) विभाग पर नुकसान का क्लेम
(6) अन्तिम बीजकों पर आपत्ति ।
(7) उन परिस्थितियों का वर्णन जिनके कारण कार्य नहीं हो सका ।

4––उपरोक्त शिकायती पत्रों पर अधीक्षण अभियन्ता, एकादश मण्डल सिंचाई कार्य फैजाबाद द्वारा जांच की गयी जिसमें अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये । जांच आख्या मुख्य अभियन्ता की टिप्पणी संस्तुति सहित प्राप्त होने पर शासन द्वारा इस मामले में अग्रिम कार्यवाही पर विचार किया जायेगा ।

———

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम 29(4) के तारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर]

संलग्नक

जिला सहकारी बैंक उन्नाव के संचालक श्री ओम नारायण अग्निहोत्री द्वारा बांगरमऊ नगर में आमरण अनशन ।

भाइयों,

गेहूं क्रय केन्द्रों पर व्याप्त भ्रष्टाचार व किसान विरोधी हरकतों के विरुद्ध क्षेत्र के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता–जिला सहकारी बैंक, उन्नाव के संचालक श्री ओम नारायण अग्निहोत्री निम्नलिखित मांगों को लेकर 18 मई, 79 से बांगरमऊ नगर में आमरण अनशन कर रहे हैं:— मांगें:—

1—जिले के सभी क्रय केन्द्रों पर अविलम्ब गेहूं की खरीद प्रारम्भ की जाय ।

2—बिचौलियों के माध्यम से खरीद रोकी जाय तथा किसानों से सीधे गेहूं लिया जाय ।

3—क्रय किये हुए गेहूं के धन को तुरन्त भुगतान कराया जाय ।

4—बांगरमऊ नगर में एफ० सी० आई०, पी० सी० एफ० व आर० एफ० सी० द्वारा क्रय गेहूं की जांच कराई जाय तथा दोषी जनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय ।

5—केन्द्रों के अधिकारियों व व्यापारियों की सांठ गांठ रोकी जाय ।

6—समस्त क्रय केन्द्रों पर पैसे व बारदाना की उचित व्यवस्था की जाय ।

आप सभी से अनुरोध है कि आप इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आमरण अनशन कर रहे अग्निहोत्री जी की जीवन रक्षा के लिये ईश्वर से प्रार्थना करें व भ्रष्टाचार के विरुद्ध खुलकर समर्थन दें ।

धन्यवाद ।

निवेदक:

चौ० सुरेन्द्र सिंह, चौ० शान्ती सिंह, अटल बिहारी मिश्रा, बद्री प्रसाद अवस्थी (संचालक सहकारी बैंक), रुद्र नारायण दीक्षित (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी), सूरज प्रसाद मिश्र (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी), नन्देश्वर गुप्त, हरीश अग्रवाल, डा० बाबूराम गुप्त (भू० पू० ब्लाक प्रमुख), राम दुलारे यादव, कमाल मुस्तफा फातमी (जैक), शिव कुमार शुक्ल, 'राम जी', सूबेदार सिंह, प्रधान कठधरा, नईम खां प्रधान भठियापुर, जैपाल सिंह गौरिया कला, हरी नारायण, प्रधान जगतनगर, बाबू सिंह, प्रधान शाहपुर खुर्द, नादिर खां, प्रधान मऊ, चौ० देवेन्द्र सिंह, जगदीश

नारायण कटियार, ताजपुर, श्याम सुन्दर शुक्ल, डा० घनश्याम, प्रधान, गोशा कुतुब, फतेहबहादुर सिंह (भू० पू० ब्लाक प्रमुख), ठा० बृजेन्द्र सिंह, प्रधान परशुरामपुर, कैलाश नाथ द्विवेदी, राज बहादुर सिंह, प्रधान, ब्यौली, जीवन लाल (हरिजन नेता), बैजनाथ प्रसाद द्विवेदी, कमलापुर, वेदनारायण दीक्षित, कमलापुर, शान्ती स्वरूप सिंह, परशुरामपुर, रघुनाथ सिंह फरीदपुर कट्टर, शेर सिंह, शहवाज सिंह, कर्मवीर सिंह, गौरिया कलां, गोकरनसिंह गौरिया कलां, वसी हैदर, रसूलवापुर, सरजू प्रसाद, प्रधान जोगीकोट, मनोहर लाल यादव, ततियापुर, नासिर खां।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 67 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

क्रम-संख्या	पम्प नहर का नाम	जनपद का नाम	विद्युतीकरण की तिथि			
				1968–69		
1	टण्डवा	जौनपुर	5–5–69	..	..	..
				खरीफ	रबी	योग
				..	..	..
2	भैंसा	जौनपुर	8–12–68	..	..	..
				खरीफ	रबी	योग
				..	513	513
3	नियारडीह	वाराणसी	8/72	..	..	..
				खरीफ	रबी	योग
				..	..	..

प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र

69–70			70–71			71–72		
..			4200			5460		
वास्तविक सिंचित क्षेत्र								
खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
837	1736	2573	734	2487	3221	1003	2131	3134
प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र								
3000			3900			4800		
वास्तविक सिंचित क्षेत्र								
खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
411	1647	2058	639	2486	3125	664	2000	2664
प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र								
..			..			..		
वास्तविक सिंचित क्षेत्र								
खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
..	..	..	..	..	..	..	..	..

क्रम-संख्या	पम्प नहर का नाम	जनपद का नाम	विद्युतीकरण की तिथि	1972-73		
				खरीफ	रबी	योग
1	टण्डवा	गोनपुर	5-5-69	67	20	816 1218 2034

5400

क्रम-संख्या	पम्प नहर का नाम	जनपद का नाम	विद्युतीकरण की तिथि	खरीफ	रबी	योग
1	टण्डवा	गोनपुर	5-5-69	1017	1349	2366
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8	सिंगारडीह	वाराणसी	8/72			

खरीफ	रबी	योग
197	652	789

प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र		
73–74	74–75	75–76
7560	8400	8400

वास्तविक सिंचित क्षेत्र

खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
393	1879	2272	445	1492	1937	643	1658	2301

प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र

6000	6000	6000

वास्तविक सिंचित क्षेत्र

खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
647	1401	1848	913	1821	2734	1262	2050	3312

प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र

2444	3177	3910

वास्तविक सिंचित क्षेत्र

खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
292	1510	1802	391	1570	1961	546	1932	2472

क्रम-संख्या	पम्प नहर का नाम	जनपद का नाम	विद्युतीकरण की तिथि	1976–77
1	कण्डवा	जौनपुर	5–5–69	8400

खरीफ	रबी	योग
690	2852	3542

2	भैंसा	जौनपुर	8–12–68	6000

खरीफ	रबी	योग
1103	3201	4310

3	नियारडीह	वाराणसी	8/72	4392

खरीफ	रबी	योग
726	2910	3636

प्रस्तावित सिंचत क्षेत्र	
77–78	78–79
8400	8400

वास्तविक सिंचित क्षेत्र					
खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
733	2737	3490	722	4806	5528

प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र	
6000	6000

वास्तविक सिंचित क्षेत्र					
खरीफ	बी	योग	खरीफ	रबी	योग
926	2783	3709	670	4074	4744

प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र	
4888	4888

वास्तविक सिंचित क्षेत्र					
खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
700	2752	3452	700	3093	3793

पी0 एस0 यू0 पी0 –ए0 पी0 – 119 विधान सभा 13-11-79 – (2550)-1979–835 (हि0)